खण्ड-419, अंक-6
शुक्रवार, 3 श्रावण, शक संवत् 1919
(25 जुलाई, 1997 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(तेरहवीं विधान सभा, द्वितीय सत्र 1997)

खण्ड 419 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

1997

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 21 रुपये |

विषय सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	1–13
प्रश्नोत्तर	32
मंत्रि-मण्डल के सदस्यों से परिचय कराये जाने का अनुरोध	32
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें	32
शिवली नेशनल कालेज, आजमगढ़ में की गई अवैध नियुक्तियों को रद्द करने तथा दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	32
गोरखपुर मण्डल के सभी जनपदों में पाठ्य पुस्तकों के अभाव से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	32–33
फतेहपुर जनपद में ग्राम खेमखरनपुर से गढ़ा मार्ग को लेपन स्तर तक निर्मित कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	33
शिक्षा अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश शासन के दिनांक 30 नवम्बर, 91 के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	33–34
गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कतिपय अम्बेडकर गांवों की भूमि का अर्जन करने के प्रयास से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	34
उ० प्र० राजकीय निर्माण निगम में बढ़ रही गम्भीर वित्तीय एवं प्रशासकीय अनियमितताओं के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	34
विभिन्न सूचनाओं के संबंध में जानकारी	35–36
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	36
प्रदेश में नये जिला सृजन की घोषणा के संबंध में औचित्य का प्रश्न ...	36–40
बजट के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 203, 204, 205 एवं 206 में दिये गये प्राविधानों के संबंध में औचित्य का प्रश्न	40–44
दिनांक 26 एवं 27 जुलाई, 97 को कानपुर विश्वविद्यालय में शाहू जी मेले के आयोजन के संबंध में औचित्य का प्रश्न	44–46
भदोही जनपद को दी जाने वाली धनराशि के संबंध में औचित्य का प्रश्न ...	46–48
प्रदेश में भा०ज०पा० तथा ब०स०पा० की सरकार छः छः महीने तक चलाये जाने के बारे में औचित्य का प्रश्न	48–51
द्वितीय सत्र, 1997 के प्रथम बुधवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 49, 102 व 103 का उत्तर मिलने और अतारांकित प्रश्न संख्या–6 का सही उत्तर न मिलने के बारे में औचित्य का प्रश्न	51-53
श्री धर्मज्ञ मिश्र, सदस्य विधान सभा पर चार आपराधिक मुकदमें कायम कर जेल भेजे जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	53–55
कार्यमंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रमों के निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत)...	56–58

विधान पुस्तकालय कार्यवाही खण्ड,
उत्तर प्रदेश

विषय	पृष्ठ संख्या
श्री धर्मज्ञ मिश्र से संबंधित प्रकरण पर विपक्ष के सदस्यों द्वारा अभद्र प्रदर्शन किये जाने पर क्षोभ की अभिव्यक्ति...	58–60
माननीय नेता सदन के कक्ष के आगे तैनात सुरक्षा कर्मियों द्वारा विधायकों से उचित व्यवहार करने के निर्देश	60
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (संशोधन) विधेयक, 1997 (पुरःस्थापित)	61
नियम 311 की नियम 56 में परिवर्तित एवं कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं ...	61–76
उत्तर प्रदेश मंत्री और राज्य विधान मण्डल अधिकारी और सदस्य सुख सुविधा विधि (संशोधन) विधेयक, 1997 (संशोधन अस्वीकृत विधेयक पारित)	77–89
उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) अध्यादेश, 1997 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1997 (संकल्प एवं संशोधन अस्वीकृत तथा विधेयक पारित)	89–100
उत्तर प्रदेश रुड़की विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1997 (संशोधन अस्वीकृत विधेयक पारित)	100–116
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1997 (संशोधन अस्वीकृत विधेयक पारित)	116–127
वित्तीय वर्ष 1997 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा (जारी)	127–135
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	136–137
नत्थियां	138–144

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(तेरहवीं विधान सभा)

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

अजय राय, श्री	वाराणसी	मण्डलेश्वर सिंह, श्री	आगरा
अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद	महेन्द्र अरिदमन सिंह, राजा	आगरा
अफजाल अंसारी, श्री	गाजीपुर	मुहर सिंह अम्बाडी, श्री	इटावा
अफरोज अली खां, श्री	रामपुर	रणधीर सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
अमीर आलम खान, श्री	मुजफ्फरनगर	रतनजीत प्रताप नारायण सिंह, कुंवर	पडरौना
अम्मार रिजवी, डा०	सीतापुर	राजपाल त्यागी, श्री	गाजियाबाद
अरविन्द गिरि, श्री	खीरी	राजा राम पाल, श्री	कानपुर देहात
अशफाक अहमद, श्री	बरेली	राजेन्द्र, श्री	गाजीपुर
आर० के० चौधरी, श्री	लखनऊ	राधेश्याम, श्री	कानपुर देहात
*आलमबदी, श्री	आजमगढ़	राधेश्याम सिंह, श्री	पडरौना
उबैदुर्रहमान, श्री	गोण्डा	राम आसरे सिंह कुशवाहा, डा०	कानपुर नगर
ओइमूवेश, स्वामी	बिजनौर	राम कृपाल, श्री	इलाहाबाद
कंवर पाल सिंह मास्टर, श्री	सहारनपुर	राम चन्द्र मौर्य, श्री	मिर्जापुर
केदार सिंह फोनिया, श्री	चमोली	राम नरेश रावत, श्री	गाजियाबाद
कौकब हमीद, श्री	मेरठ	रामनाथ, श्री	प्रतापगढ़
चन्द्र किशोर, श्री	महराजगंज	राम प्यारे, श्री	आजमगढ़
छब्बू पटेल, श्री	वाराणसी	राम प्रसाद चौधरी, श्री	बस्ती
जगत पाल सिंह, मेजर	मुरादाबाद	राम ललित चौधरी, श्री	बस्ती
जगदीश सिंह राणा, श्री	सहारनपुर	राम सेवक सिंह, श्री	इलाहाबाद
जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री	फर्रुखाबाद	राम स्वरूप शर्मा, श्री	मथुरा
जितेन्द्र कुमार जायसवाल उर्फ		रिफाकत हुसैन चौधरी, श्री	मुरादाबाद
पप्पू भइया	गोरखपुर	लालजी टण्डन, श्री	लखनऊ
ज्ञान चन्द, श्री	उत्तरकाशी	* वसीम अहमद, श्री	आजमगढ़
तारकेश्वर प्रसाद शुक्ल, श्री	गोरखपुर	विरेन्द्र सिंह सिरोही, श्री	बुलन्दशहर
देवेन्द्र सिंह उर्फ भोले सिंह, श्री	कानपुर देहात	विवेक कुमार सिंह, श्री	बांदा
धर्मपाल सिंह, श्री	बरेली	वीरेन्द्र सिंह सोलंकी, श्री	एटा
नरेन्द्र सिंह चौधरी, श्री	कानपुर देहात	शरदवीर सिंह, श्री	शाहजहांपुर
नरेन्द्र सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद	शिव बहादुर सक्सेना, श्री	रामपुर
निर्भय पाल शर्मा, श्री	सहारनपुर	संजय सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
पूरन सिंह बुन्देला, श्री	ललितपुर	संदीप अग्रवाल, श्री	मुरादाबाद
बंश नारायण सिंह, श्री	भदोही	सुशीला अग्रवाल, श्रीमती	मुजफ्फरनगर
बंशीधर भगत, श्री	नैनीताल		
बाबू लाल कुशवाहा, श्री	बांदा		

---

* मा० सदस्य ने अभी शपथ ग्रहण नहीं किया है ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 25 जुलाई, 1997

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन उ० प्र० विधान मण्डल समक्ष प्रस्तुत करने की मांग

**1–श्री रंगनाथ मिश्र–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि भारत का संविधान के अनुच्छेद–151 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 1993-94 के उपरान्त भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन उ० प्र० विधान मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किये गये हैं ? यदि हां, तो कब कब ? यदि नहीं, तो क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त वर्ष के उपरान्त नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन सरकार को कब प्राप्त हुए ? उन्हें सदन के पटल पर रखने में विलम्ब के लिये कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं ? उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

दिनांक 4-10-96 से लेकर 11-7-97 तक भिन्न-भिन्न कुल 11 तिथियों में प्राप्त हुए हैं। प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) की वर्ष 1994-95 तथा 1995-96 की सभी प्रतियां नहीं प्राप्त हुई है।

कोई नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री रंगनाथ मिश्र–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद–151 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 1993-94 के उपरान्त भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के पटल पर रखना चाहिए था, नहीं रखे गये। मान्यवर, इसके लिये मैंने प्रश्न किया कि उक्त वर्ष के उपरान्त नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन कब प्राप्त हुए। इसमें उत्तर दिया गया कि दिनांक 4-10-96 से लेकर 11-7-97 तक प्राप्त हुए हैं। मैं जानना चाहता हूं कि किन-किन तिथियों में कौन-कौन से प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं ? दूसरा प्रश्न है कि सदन के पटल पर न रखने के लिये विलम्ब के लिये कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं और 4-10-96 से 11-7-97 तक जो प्रतिवेदन आये, इन तिथियों के बीच दिनांक 21 अप्रैल से 25 अप्रैल तक सदन की बैठकें भी चलीं तो इन तिथियों में यहां प्रतिवेदन क्यों नहीं रखा गया, इसके लिये कौन जिम्मेदार है ?

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, 11 तिथियों में सी० ए० जी० की रिपोर्ट प्राप्त हुई है, उसके बारे में वर्षवार माननीय सदस्य जानना चाह रहे हैं। यह भी जानना चाहते हैं कि यह कब-कब आये। मैं बताना चाहूंगा कि 1994-95 का सिविल का प्रतिवेदन 4-10-96 को 2 प्रतियों में प्राप्त हुआ है। मान्यवर, सदन में रखने के लिये 850 प्रतियों की आवश्यकता होती है और इन प्रतियों को, चूंकि यह गोपनीय डाकूमेन्ट है, इसलिये इसकी यहां पर छपाई भी नहीं करायी जा सकती, इन प्रतियों को उपलब्ध कराना सी० ए० जी० की जिम्मेदारी होती है। वर्ष 1994-95 का 4-10-96 को दो प्रतियां प्राप्त हुईं, उसके बाद इसे 13-12-96 को महालेखाकार ने वापस मंगा लिया और कहा कि पापुलर सरकार नहीं बनी है, इसके

पीछे, उनकी मंशा रही होगी कि गोपनीय डाकूमेन्ट है, इसलिये वापस मंगा लिया । दिनांक 2-4-97 को पुनः 2 प्रतियां भेजीं और 9-4-97 को 30 प्रतियां भेजीं । इसी तरह 95-96 का सिविल का 11-6-97 को दो प्रतियां और 7-2-97 को 35 प्रतियां प्राप्त हुई हैं मंत्रि परिषद् के लिये 11-7-97 को 1450 प्रतियां प्लस 25 प्रतियां प्राप्त हुईं । इसी प्रकार से राजस्व प्राप्तियों में 1994-95 की 14-11-96 को 1500 प्रतियां प्लस 25 प्रतियां प्राप्त हुईं । 9-4-97 को 2 प्रतियां प्राप्त हुईं और राजस्व प्राप्तियों का वर्ष 1995-96 का 9-4-96 को 2 प्रतियां प्राप्त हुईं और 25-2-97 को सी० ए० जी० ने इसे वापस भेजने की अपेक्षा । 17-4-97 को 1525 प्रतियां प्राप्त हुईं । वाणिज्यिक की 22-4-97 को प्रत्येक की 2 प्रतियां प्राप्त हुई वर्ष 1994-95 और 1995-96 की और 24-4-97 को 60 प्रतिया, पूरी प्रतियां अभी नहीं प्राप्त हुईं हैं ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री अभी आपने जो उत्तर पढ़ा है उसके अनुसार कुछ वर्षों की पर्याप्त मात्रा में प्रतियां प्राप्त हुईं उसको सदन के पटल पर शीघ्र से शीघ्र क्यों नहीं रखा गया इसके लिये कौन दोषी हैं ?

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, जिस समय सदन आहूत किया गया था और पिछला जो हुआ है उस से पूर्व सी० ए० जी० के आदेशानुसार इसे वापिस मंगा लिया गया और अपेक्षित प्रतियां प्राप्त नहीं हुईं इसमें कोई अधिकारी दोषी नहीं है ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि किस वित्तीय वर्ष की सी० ए० जी० की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी गयी है और किस वर्ष से अब तक रखना बाकी रह गयी है ?

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, जो प्रश्न माननीय दिवाकर विक्रम सिंह जी ने पूछा है वर्ष 93-94 का सिविल और वर्ष 93-94 की राजस्व प्राप्तियां सदन के पटल पर रखी जा चुकी हैं और 1994-95 तथा 1995-96 का अभी रखना बाकी है ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि संविधान के अनुच्छेद 151 में दिया हुआ है कि सी० ए० जी० की रिपोर्ट प्राप्त हो तो राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करने के बाद वह विधान मण्डल के समक्ष रखी जायेगी । तो मैं यह जानना चाहता हूं कि संविधान के इस अनुच्छेद के तहत सरकार को जिस तारीख को यह प्रतिवेदन या रिपोर्ट प्राप्त हो जायेगी उसको कितने दिन के अन्दर स्वीकृत करके विधान सभा के समक्ष रखना पड़ेगा, यदि विधान सभा नहीं है तो क्या प्राविधान है और यदि है तो क्या प्राविधान है ?

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, विधान सभा यदि है और सत्र हुआ तो वह सदन के पटल पर रखी जायेगी ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, यह बता दें कि रिसीव करने के कितने दिन बाद ?

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, रिसीव होने के बाद यदि सत्र होगा ।

श्री अध्यक्ष–

मा० संसदीय कार्य मंत्री कोई समय सीमा निर्धारित है या नहीं ?

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, जैसे सदन के दो सत्रों के बीच में छः महीने से ज्यादा गैप नहीं होगा तो जब अगर एक सत्र बीत गया उसके बाद प्राप्त हुई है तो जैसे ही दूसरा सत्र शुरू होगा उसको रखना होगा ।

श्री अध्यक्ष–

क्या संविधान में या किसी नियमावली में कोई समय सीमा निर्धारित है या सत्र के दौरान कभी भी रखा जा सकता है ?

श्री बी० आर० वर्मा–

जब हाउस होगा उसमें सत्र के समय में किसी भी समय रखा जा सकता है ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, पहला सत्र अप्रैल में हुआ दूसरा अब चल रहा है और इस बीच रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है तो फिर सदन में क्यों नहीं रखी गयी ?

श्री अध्यक्ष–

अभी सत्र समाप्त नहीं हुआ है ।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

मान्यवर, सत्र 12 अगस्त तक चलेगा तो क्या इस बीच में रिपोर्ट रख देंगे ?

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, अनुच्छेद 151 में वर्णित है इसके तहत यह प्राविधान है कि मंत्री, मुख्य मंत्री और मंत्रि-परिषद् के अवलोकन के बाद महामहिम राज्यपाल के अनुमोदन से सदन में रखा जा सकता है । उसके तहत यह प्रक्रिया करके सदन के पटल पर रखने की पूरी कोशिश की जायेगी ।

श्री रंगनाथ मिश्र–

आप ने बताया कि सी० ए० जी० ने रिपोर्ट वापस ले ली वह फिर शासन के पास आ गई या नहीं ? यहां तक मुझे जानकारी है कि विधान परिषद् के पटल पर 22 जुलाई को रखी गयी तो फिर विधान सभा के पटल पर क्यों नहीं रखी गई उसके लिये कौन अधिकारी जिम्मेदार है ? अगर नहीं आयी है तो क्या मंगा लेंगे और कब तक ?

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, मैंने पहले बताया कि सिविल और राजस्व की रिपोर्ट आ गयी है वाणिज्यिक की अभी रिपोर्ट नहीं आयी है । यह सी० ए० जी० का अपना अधिकार है, हम उनसे अनुरोध कर सकते हैं । हमने पत्र लिखा है रिपोर्ट को देने और पहुंचाने की उसकी जिम्मेदारी है वह संवैधानिक बाडी है जितनी भी प्राप्त हो गयी है उसे हम इस सदन में सदन के पटल पर रख देंगे ।

प्रदेश में पंचायतों को अधिकार देने के लिए विभिन्न विभागों द्वारा जारी शासनादेश

**2–श्री जगदम्बिका पाल–

क्या पंचायती राज मंत्री को जानकारी है कि पंचायतों को अधिकार देने के लिये विभिन्न विभागों द्वारा शासनादेश जारी किये जा रहे हैं ? क्या उक्त शासनादेश सरकार की घोषणाओं एवं 73वें संविधान संशोधन के विपरीत हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इस दिशा में कोई कार्यवाही कर रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पंचायती राज राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री बालेश्वर त्यागी)–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैंने प्रश्न पूछा था कि क्या पंचायतों को अधिकार देने के लिये विभिन्न विभागों द्वारा शासनादेश जारी किये जा रहे हैं, उत्तर आया है जी हां । तो उसके संलग्नक आने चाहिये थे । दूसरे, अब तक उत्तर प्रदेश के कितने विभागों को पंचायतों के अधीन स्थानान्तरित करने के शासनादेश हो चुके हैं ? क्या उन्हें प्रशासनिक अधिकार दिये जायेंगे, वित्तीय अधिकार दिये जायेंगे, उस वित्तीय अधिकार को देने के संबंध में शासन ने क्या कार्यवाही की है, अगर कोई शासनादेश जारी हुए हैं तो बतायें ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो जिज्ञासा प्रकट की है, उसके संबंध में बताना चाहता हूं कि जैसे ही इस लोक प्रिय सरकार का गठन हुआ, उसी समय इस सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की थी कि हम संविधान के अनुच्छेद 73 के अनुरूप चुनी हुई पंचायतों को उनके अधिकार दिलायेंगे । उसी प्रतिबद्धता के अन्तर्गत लगभग 17 विभागों ने लगभग 30 शासनादेश इस संबंध में जारी कर दिये हैं और कुछ विभागों को वित्तीय अधिकार भी दे दिये गये हैं । शेष विभागों में भी शासनादेश जारी हो जायं, इसके लिये प्रयास किये जा रहे हैं ।

श्री सीताराम निषाद–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिन 17 विभागों ने शासनादेश जारी कर दिये हैं, उनके नाम क्या हैं और जिन विभागों को वित्तीय अधिकार दिये गये हैं, वे कौन-कौन हैं ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

मान्यवर, शासनादेशों का संकलन पंचायती राज विभाग द्वारा प्रकाशित किया जा चुका है । इसे माननीय सदस्यों को उपलब्ध करवा दिया जायेगा । जो शासनादेश जारी हो गये हैं, उन विभागों के नाम इस प्रकार हैं–कृषि, कृषिमृदा तथा जल संरक्षण, पशुधन, पशुधन मत्स्य विभाग, दुग्ध विकास, शिक्षा प्राथमिक, ग्रामीण उद्योग, वस्त्र उद्योग एवं हथकरघा, सिंचाई निजी लघु, पंचायती राज, ग्राम्य विकास, ग्रामीण जलापूर्ति तथा स्वच्छता, रेशम उद्योग, समाज कल्याण, खेलकूद तथा युवा कल्याण तथा महिला एवं बाल कल्याण ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, शासनादेशों का संकलन करके, इसकी पूर्ति माननीय सदस्यों को उपलब्ध करवा दें, जिससे उनको सुविधा भी होगी और साथ ही जानकारी भी ।

श्री बालेश्वर त्यागी–

मान्यवर, आपके निर्देशों का पालन किया जायेगा । मान्यवर जिन विभागों को वित्तीय अधिकार संबंधी शासनादेश जारी किये गये हैं, उसके बारे में बताना चाहता हूं पंचायती राज अनुभाग उ० प्र० द्वारा जारी शासनादेश में यह लिखा हुआ है कि इस प्रयोजन हेतु शासन से प्राप्त धनराशि चयनित ग्राम पंचायतों को उनके द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव एवं आगणन के आधार पर जिला पंचायत अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायतों के खाते में एक मुश्त एकाउन्ट पेई/बैंक ड्राफ्ट द्वारा स्थानान्तरित की जायेगी तथा उनकी सूचना जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत को दी जायेगी ।" इसी के अन्तर्गत कुछ विभागों को वित्तीय अधिकार

दिये गये हैं । मान्यवर, फिर यह कोई अंतिम प्रक्रिया नहीं है शासनादेशों की, यह तो एक सतत् प्रक्रिया है । अभी तो इन शासनादेशों के पालन में कुछ व्यवहारिक कठिनाइयां भी आ सकती हैं, उसी के अनुरूप उनमें संशोधन भी होगा ।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो शासनादेश विभिन्न विभागों से जारी होते हैं वह जिलों में जाकर ठन्डे बस्तों में बन्द हो जाते हैं तो क्या उस पर कार्यवाही कराने के लिये माननीय मंत्री जी उच्च स्तरीय बैठक सुनिश्चित करायेंगे ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

इन शासनादेशों के संबंध में अभी उत्तर प्रदेश के सारे मुख्य विकास अधिकारियों की एक बैठक आहूत की गयी थी और उस संबंध में एक शासनादेश शीघ्र ही निर्गत होने वाला है और उनको यह निर्देशित किया गया है कि जिन-जिन विभागों के काम पंचायतों को स्थानान्तरित हो गये हैं उन विभागों की पंचायतों की बैठकें करके वार्ता प्रारम्भ की जाय । बेसिक शिक्षा विभाग के सचिव को कहा गया है कि गोष्ठियां आयोजित कर लें । इस प्रकार से प्रक्रिया प्रारम्भ हो गयी है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग बैठ जायें । शासनादेश संकलित करके सभी सदस्यों को वितरित कर दिये जायेंगे ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

जनपद शाहजहांपुर में जहरीला आटा खाने संबंधी प्रकरण की जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जांच एवं मृतक आश्रितों को सहायता

*1–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री को जानकारी है कि दिनांक 1-1-97 को शाहजहांपुर जनपद में जहरीला आटा खाने से 14 लोगों की मृत्यु हो गयी थी ? क्या इस प्रकरण की जांच 20-1-97 को आयुक्त, बरेली मण्डल को सौंपी गयी थी ? यदि हां, तो इस जांच में क्या-क्या मुख्य तथ्य सामने आये और उन पर क्या कार्यवाही की गई ? शासन की घोषणा के बाद भी मृतकों के परिवार वालों को पर्याप्त धन की व्यवस्था क्यों नहीं की गयी ?

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री एज़ाज रिज़वी)–

जी हां ।

जी हां । इस विषय में जांच जिला मजिस्ट्रेट शाहजहांपुर के माध्यम से कराई गई ।

इस घटना में कुल 46 व्यक्ति जहरीला आटे के सेवन से अस्पताल में भरती हुये । 36 व्यक्ति ठीक हो गये । 10 व्यक्ति मर गये । उक्त के अतिरिक्त 2 बच्चों सहित 4 व्यक्ति मृत दशा में अस्पताल लाये गये । इस प्रकार कुल 14 व्यक्तियों की मृत्यु हुयी ।

जिला अस्पताल शाहजहांपुर के डा० आकाश श्रीवास्तव लापरवाही, उदासीनता तथा रोगियों के उपचार में अपेक्षित रुचि न लेने के दोषी पाये गये तथा श्री आर० पी० श्रीवास्तव, मुख्य खाद्य निरीक्षक को खाद्य अपमिश्रण अधिनियम 1954 के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने में शिथिलता बरतने का दोषी पाया गया ।

ग्राम हथौड़ा स्थित दुकानों का आटा परीक्षणोपरान्त विषाक्त पाया गया ।

दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु प्रमुख सचिव, चिकित्सा से अनुरोध किया गया है ।

इस घटना में मृत 14 व्यक्तियों में से 13 मृतकों के प्रकरणों में रुपया 50,000/- प्रति की दर से भुगतान किया जा चुका है । मृतक श्री बदले पुत्र श्री शंकर ग्राम–दुधौना सेहरामऊ दक्षिणी, तहसील–सदर जनपद शाहजहांपुर की आश्रित श्रीमती पौड़ी को प्रथम किस्त की धनराशि रु० 25,000/- का भुगतान किया जा चुका है । द्वितीय किस्त रुपया 25,000/- का वितरण श्रीमती पौड़ी पत्नी श्री बदले का अपने पते पर इस समय उपलब्ध न होने के कारण, शेष है ।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, यह बहुत ही गम्भीर मामला है । शाहजहांपुर में विषाक्त आटा खाने से 14 लोगों की मृत्यु हो गयी और मैंने इस संबंध में महामहिम राज्यपाल महोदय से कमिश्नर से जांच कराने के लिये आदेश कराये । जैसा कि माननीय मंत्री जी के उत्तर से स्पष्ट है, मैंने यह प्रश्न पूछा था कि क्या सरकार यह बतायेगी कि इस प्रकरण की जांच 20-1-97 को आयुक्त, बरेली मण्डल को सौंपी गयी थी, तो उसके उत्तर में यह आया कि जी हां इस विषय में जांच जिला मजिस्ट्रेट शाहजहांपुर के माध्यम से करायी गयी, तो मेरा पहला प्रश्न यह है कि चूंकि उस समय शासनादेश यह हो चुका था कि गेहूं की बढ़ती हुई कीमतों को देखते हुए सरकार सस्ते गल्ले की दुकान पर गेहूं उपलब्ध कराये इसलिये जिलाधिकारी भी इस परिधि में आते हैं । उन्होंने क्यों नहीं गेहूं सस्ते गल्ले की दुकान में उपलब्ध कराने की व्यवस्था की । मैंने जब कमिश्नर से जांच के लिये कहा था तो जिला मजिस्ट्रेट से जांच क्यों करायी गयी ? और जांच के मुख्य बिन्दु क्या थे, हमारा दूसरा प्रश्न है कि जब जिलाधिकारी के लिये शासनादेश था कि वह सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों पर से आटा वितरित करावें, तो क्यों नहीं करवाया और तीसरा प्रश्न है कि जो लोग दोषी हैं, उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी आप पहले और तीसरे प्रश्न का उत्तर दे दें, दूसरे प्रश्न का उत्तर मूल प्रश्न से नहीं आ रहा है ।

श्री एज़ाज रिज़वी–

महामहिम राज्यपाल को यह प्रकरण भेजा गया था, तो मंडलायुक्त को जांच के लिये यह भेजा गया था, लेकिन उनसे यह नहीं कहा गया था कि वह स्वयं ही जांच करें । मंडलायुक्त ने उसको जिलाधिकारी को सौंप दिया, जांच करने के लिये और जिलाधिकारी ने उसकी जांच की ।

श्री अध्यक्ष–

आपके उत्तर में विरोधाभास है । प्रश्न है कि क्या सरकार बतायेगी कि इस प्रकरण की जांच 20-1-97 को आयुक्त बरेली मण्डल को सौंपी गयी, तो इसका उत्तर आया है, जी हां, लेकिन दूसरे वाक्य में आपने कह दिया कि इस विषय में जांच जिला मजिस्ट्रेट, शाहजहांपुर के माध्यम से करायी गयी ।

श्री एज़ाज रिज़वी–

मंडलायुक्त को यह जांच भेजी गयी थी, लेकिन उन्होंने स्वयं जांच न करके जिलाधिकारी से करा ली ।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी, इसका उत्तर आप दिलवा दें ।

श्री एजाज रिजवी–

जो व्यक्ति दोषी पाये गये, अस्पताल के डाक्टर दोषी पाये गये, जिन्होंने उपचार में शिथिलता बरती और फूड इन्सपेक्टर को दोषी पाया गया, उनके खिलाफ कार्यवाही किये जाने के लिये स्वास्थ्य विभाग को लिख दिया गया है और थाने में अपराध पंजीकृत किया गया, उसकी अपराध सं० 1, 1997 है,

जिसमें 24-3-1997 को चार्जशीट लगा दी गयी है । इनके अतिरिक्त 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है । दो व्यक्ति जिनकी दुकानों से आटा खरीदा गया, उनके नाम हैं सत्य नारायण अग्रवाल और राकेश कुमार तीसरे रमा कान्त गेहूं विक्रेता हैं और दो व्यक्ति वह हैं जिनकी चक्की पर आटा पीसा गया था, उनके नाम हैं सलीम और सहाबुद्दीन । इस तरह से 5 व्यक्ति हैं ।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

जो पत्र था, वह क्या था ? क्या माननीय मंत्री जी उसको पटल पर रखेंगे ? अगर जिलाधिकारी 5 रुपये किलो आटा उपलब्ध करवा देते तो लोग 7 रुपये किलो आटा न खरीदते और उनकी मौतें न होती ?

श्री अध्यक्ष–

यह काल्पनिक प्रश्न है ।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

श्रीमन् प्रमुख सचिव चिकित्सा को लिखा गया संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिये लेकिन सात महीने हो गये अभी तक न तो किसी का निलम्बन हुआ और न किसी के खिलाफ कार्यवाही ही हुई । 14 लोग मर गये 36 लोग हास्पिटलाइज हो गये तो यह कार्यवाही की स्पीड है ।

श्री अध्यक्ष–

आप यह पूछिये कितने समय में सरकार कार्यवाही करेगी, तब मंत्री जी आपके प्रश्न का उत्तर देंगे ।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर समय सीमा निर्धारित करें और जितनी जल्दी हो सके उनके खिलाफ कार्यवाही करें ।

श्री एज़ाज रिज़वी–

मान्यवर, कार्यवाही किये जाने के लिये स्वास्थ्य विभाग को कह दिया गया है और आशा है कि जल्दी कार्यवाही होगी ।

श्री हुकुम सिंह–

श्रीमन् माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया था और उनके साथ जो उत्तर माननीय मंत्री जी का आया है उससे जुड़ा हुआ मेरा प्रश्न है जांच मण्डलायुक्त से होनी थी । और उन्होंने जिलाधिकारी को दे दिया और मंत्री जी उससे संतुष्ट हो गये । यदि जिलाधिकारी डी० एस० ओ० को और डी० एस० ओ० इन्सपेक्टर को जांच के लिये कह देता तो क्या आप सन्तुष्ट हो जाते ? जांच राज्यपाल महोदय ने मण्डलायुक्त को सौंपी थी । जिस अधिकारी ने स्वयं जांच न करके जिलाधिकारी को सौंप दी मंत्री जी ने क्यों नहीं मण्डलायुक्त के विरुद्ध कार्यवाही की । राज्यपाल महोदय के स्पष्ट आदेश थे जिनकी उपेक्षा की गई । माननीय मंत्री जी कैसे सन्तुष्ट हो गये इस बात से कि मण्डलायुक्त ने जांच न करके दूसरे को जांच सौंप दी । तो इसका क्या कारण है ?

श्री एज़ाज रिज़वी–

मान्यवर, मैंने पूर्व में स्पष्ट किया है कि मण्डलायुक्त को यह प्रकरण निर्देशित किया था यह नहीं था कि वह स्वयं जांच करें ।

[शुक्रवार दि० 25 जुलाई, 1997 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

पर्वतीय क्षेत्रों में कार्यरत सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों के शिक्षण/शिक्षणेतर कर्मचारियों को नियमित वेतन भुगतान

*1–श्री नारायण राम दास–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री को जानकारी है कि विगत कई महीनों से पर्वतीय क्षेत्रों में कार्यरत सहायता प्राप्त जूनियर हाई-स्कूलों के शिक्षण/शिक्षणेतर कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पा रहा है ? यदि

हां,तो क्या सरकार उन्हें अविलम्ब व नियमित रूप से वेतन दिलाये जाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तराखण्ड विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री मातवर सिंह कण्डारी)–

जी हां । शिक्षा निदेशक बेसिक से प्राप्त सूचना के अनुसार आयोजनेतर पक्ष की संस्थाओं को नियमित रूप से वेतन का भुगतान हो रहा है । आयोजनागत पक्ष की संस्थाओं के कर्मचारियों को वर्ष 1996-97 तक के वेतन का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष 1997-98 में प्रथम किस्त के रूप में रुपया 18.821 लाख अवमुक्त किया गया है ।

जी हां ।

वर्तमान वित्तीय वर्ष 1997-98 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष लेखानुदान की 6/12 भाग की धनराशि रुपया 18,821 लाख शासन द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है । शेष धनराशि की व्यवस्था शीघ्र की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री नारायण राम दास–

माननीय अध्यक्ष जी माननीय उत्तराखण्ड विकास मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है वह अपने आप में विरोधाभास लिये हुए है । प्रश्न इस प्रकार है विगत कई महीनों से पर्वतीय क्षेत्रों में कार्यरत सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों शिक्षण/शिक्षणेतर कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पा रहा है । जिसका आपने उत्तर दिया है ''जी हां'' यानी नहीं मिल रहा है । फिर उत्तर दिया है भुगतान हो रहा है तो मैं जानना चाहता हूं कि यदि भुगतान हो रहा है तो कब से हो रहा है कोई निश्चित समय बताने की कृपा की जाय ।

फिर इसी उत्तर में आगे कहा है कि वर्ष 1996-97 तक के वेतन का पूर्ण भुगतान कर दिया है । मैं जानना चाहता हूं कि कब तक का भुगतान कर दिया गया है और किस तारीख में किया गया है क्या उसकी सूची उपलब्ध होगी ? मेरा निवेदन है कि वेतन जैसे मामले में वेतनभोगी अध्यापकों को समय पर वेतन न मिले तो उनका जीना कठिन हो जाता है । खासकर पर्वतीय क्षेत्र में सहायता प्राप्त अध्यापकों की क्या स्थिति होगी इस बात की चिन्ता शिक्षा विभाग को होनी चाहिये ।

श्री अध्यक्ष–

आप अनुपूरक प्रश्न पूछें ।

श्री नारायण राम दास–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि विद्यालयों में अध्यापकों को वेतन किस तारीख को दिया गया है ?

श्री अध्यक्ष–

यह तो बहुत विस्तीर्ण प्रश्न है, सैकड़ों अध्यापक होंगे । किस-किस तारीख को किसको वेतन दिया गया यह बताना मुश्किल होगा । आप दूसरा प्रश्न करें ।

श्री नारायण राम दास–

दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि पूरे वर्ष भर के लिये वेतन भुगतान सुनिश्चित कराया जायगा ?

श्री मातवर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, उत्तरांचल में एक नान प्लान के अन्तर्गत विद्यालय आते हैं उनको शिक्षा निदेशक (बेसिक) द्वारा नियमित रूप से भुगतान किया जा रहा है । दूसरे प्लान के अन्तर्गत अशासकीय विद्यालयों का वेतन भुगतान किया जाता है । इसमें हम जून, 1997 तक 18,821 लाख रुपयों का भुगतान कर चुके हैं । हम

स्वीकार करते हैं कि उत्तरांचल में इस समय 59 विद्यालय हैं । एक विद्यालय पर 3 लाख 80 हजार रुपये का खर्च साल भर में आता है । इस प्रकार कुल 2 करोड़ 24 लाख 20 हजार रुपया चाहिए मगर हमारे पास बजट प्राविधान 37 लाख 72 हजार का है । जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा, 1 माह के अन्दर जो बकाया वेतन जून तक का है उसको हम अदा कर देंगे ।

डा० रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

मान्यवर, 6-6 महीने और 1-1 साल तक का सामूहिक वेतन देने की परम्परा पर्वतीय क्षेत्र में, जिसकी विषम भौगोलिक और आर्थिक परिस्थितियां हैं, चली आ रही है तो यह परम्परा कब तक टूटेगी? माननीय मंत्री जी ने बताया कि 59 विद्यालय हैं जिसके लिये 2 करोड़ से अधिक की धनराशि की जरूरत है । मैं जानना चाहता हूं कि वह कौन सी विषम परिस्थिति है जिससे 37 लाख 72 हजार का प्राविधान किया गया ? जो आपने प्राविधान किया है वह पिछले 6 महीनों के लिये किया होगा । क्या आप जो अगले 6 महीने हैं उनके लिये वेतन का प्राविधान करेंगे ताकि अध्यापकों को संकट न झेलना पड़े और समय पर उनको वेतन मिल जाय ।

श्री मातवर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया वह सही है । मैंने स्वीकार किया है कि बजट का प्राविधान कम है और खर्च ज्यादा आता है । इसलिये अनुपूरक मांगों द्वारा इस धनराशि को देने के लिये प्रयास किया गया है और जुलाई तक सारा पैसा हम दे देंगे ।

श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्र में दो व्यवस्थाएं लागू हैं एक तो अशासकीय और दूसरे मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं । कुछ सरटेन अवधि के लिये नान प्लान हेड में चले जाते हैं और शिक्षा विभाग वेतन देता है और कुछ विद्यालयों को एक सरटेन अवधि के लिये प्लान हेड में रखा जाता है और योजनागत मद से वेतन दिया जाता है, तो मैं जानना चाहता हूं कि यह जो 59 विद्यालय हैं जिनका जिक्र माननीय मंत्री जी ने किया है यह विद्यालय कितने वर्षों से प्लान हेड में हैं ? प्लान हेड से नान प्लान हेड में विद्यालयों को भेजने का क्या मानक है ! मान्यवर, यह प्रश्न इसलिये किया कि इसमें विसंगतियां हैं कि प्लान हेड से नान प्लान हेड में जाने के लिये जो मानक हैं उसमें कई विभाग संबंधित हैं । इन संबंधित विभागों में से कुछ विभागों ने कोताही बरती है समय से नान प्लान हेड में इनको नहीं भेजा । पता नहीं इन 59 विद्यालयों की क्या स्थिति है । क्या यह भी ध्यान दिया जायेगा कि भविष्य में फिर से ऐसी स्थिति न हो ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय चौहान जी, मानक क्या है ? कितने विद्यालय हैं ? प्लान और नान प्लान के बारे में स्वतंत्र रूप से अलग से प्रश्न कर लें । उत्तर पूर्ण और अच्छी तरह आ जायेगा ।

श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, मेरे प्रश्न का जवाब आने दीजिये ।

श्री अध्यक्ष–

इसकी कोई आवश्यकता नहीं है । यह मूल प्रश्न से हटकर है वरना मैं जवाब जरूर दिलवा देता ।

प्रदेश में आधे मूल्य पर अनाज देने की भारत सरकार की योजना एवं लाभान्वित परिवार

*2–श्री जगदम्बिका पाल तथा श्री विजय पाल सिंह–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन बिता रहे परिवारों के लिये भारत सरकार के निर्देश पर आधे मूल्य पर अनाज देने की योजना है ? यदि हां,

तो प्रदेश में इस योजना से कितने लाख परिवार लाभान्वित होंगे ? उक्त योजना के अन्तर्गत माह जून, 1997 में पूरे प्रदेश में कितना मी० टन गेहूं एवं चावल वितरित किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ऐज़ाज रिज़वी–

जी हां, यह योजना दिनांक 01 जून, 97 से लागू की गयी है ।

81.02 लाख परिवार लाभान्वित होंगे ।

इस योजना के अन्तर्गत 48,505.3 मी० टन गेहूं एवं चावल 19,551 मी० टन वितरित किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री जगदम्बिका पाल–

श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि मेरा जो प्रश्न है कि पूरे प्रदेश में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले जो परिवार हैं उनके लिये भारत सरकार द्वारा योजना चलाई जा रही है राशन देने की। माननीय मंत्री जी ने पूरे प्रदेश से 81 लाख परिवारों को चिन्हित किया है । मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि गरीबी की रेखा से नीचे चिन्हित करने का इनका क्या मानक है और किस एजेन्सी के माध्यम से चयन किया गया क्योंकि तमाम ऐसे परिवार हैं जिनकी कोठियां हैं, बड़े-बड़े मकान हैं वह इस योजना के अन्तर्गत राशन पा रहे हैं और गरीबों को नहीं मिल पा रहा है । पहली बात जो इन्होंने कही कि हमने 1 जून से आधे मूल्य पर अनाज देने की योजना लागू की है और इस योजना के अन्तर्गत 48,505.3 मीट्रिक टन गेहूं एवं चावल 19,551 मीट्रिक टन वितरित किया गया है । पूरे प्रदेश में यह कहां आधे मूल्य पर वितरित हो रहा है और इसके वितरित किये जाने के लिये क्या उपाय किये गये हैं, कृपया माननीय मंत्री जी बतायें । आज प्रदेश में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को गेहूं और अनाज देने की सही व्यवस्था होनी चाहिए ?

श्री ऐज़ाज रिज़वी–

माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उपस्थित किया है कि गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को किस प्रकार से चिन्हित किया गया है । मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि भारत सरकार की इस योजना और उनके दिशा निर्देशों के आधार पर संबंधित जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम सभाओं की खुली बैठक करके और उसमें राजस्व विभाग के अधिकारी और खण्ड विकास अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे और उनके सामने यह चिन्हीकरण किया जायेगा कि किस तरह से गरीबी की रेखा के नीचे लोग हैं । इस पर एक स्थिति ऐसी आयी थी कि ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय 8 हजार रुपये तक है उनको इसके अन्दर सम्मिलित किया जाय । इस आधार पर ग्रामों और नगरीय क्षेत्रों में जिलाधिकारियों के माध्यम से जैसा उन्होंने किया सिविल डिफेंस, राजस्व और कहीं पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों के माध्यम से यह चिन्हीकरण का कार्य कराया ।

श्री अध्यक्ष–

यह महत्वपूर्ण प्रश्न है मैं कई अनुपूरक के लिये समय दे दूंगा ।

श्री रामजग–

भारत सरकार ने कहा है कि वार्षिक आमदनी जिसकी 15 हजार रुपया है उसको आधी कीमत पर अनाज वितरित किया जायेगा । उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार के आदेशों की अवहेलना करके आठ हजार परिवारों को देने का निर्णय लिया है तो यह किस आधार पर किया है ?

श्री एज़ाज रिज़वी–

भारत सरकार ने दिशा निर्देश दिए उसमें यह बात कही गयी कि ऐसे समस्त गरीब रिक्शाचालक, कुली या जो श्रेणी चार के कर्मचारी हैं, दैनिक वेतन भोगी हैं उनको सम्मिलित किया जाए, लेकिन भारत सरकार के साथ-साथ जो योजना उनकी है लकड़वाला कमेटी के आधार पर संख्या निर्धारित कर दी यह बता दिया गया कि प्रदेश में अधिक से अधिक 95 लाख 48 हजार परिवार थे जो गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं । उनका चिन्हीकरण सितम्बर, 1996 से किया गया है । जिलाधिकारियों के माध्यम से चिन्हीकरण का काम कराया गया । अब तक की जो सूचना प्रदेश सरकार को मिली है उसके आधार पर कुल 81.02 लाख परिवारों को चिन्हित किया गया है ।

श्री हरिशंकर तिवारी–

भारत सरकार का पत्र शासन को मिला है सम्मानित जनप्रतिनिधियों को प्राप्त हुआ है उसके बाद क्या जिलाधिकारियों ने समितियों का गठन जिले में किया और गठन के बाद वितरण सुनिश्चित हो सका ? यदि नहीं हो सका तो ऐसे जिलाधिकारियों के खिलाफ जो चिन्हित परिवारों को नहीं किया गया है और यदि चिन्हित कर लिया गया है तो उसके बाद वितरण न करने पर दोषी अधिकारियों को दंडित करके, वितरण की व्यवस्था होगी ?

श्री एज़ाज रिज़वी–

मान्यवर, चिन्हीकरण का कार्य अभी भी जारी है यह प्रक्रिया चल रही है । जहां तक खाद्यान्नों के वितरण का प्रश्न है प्रदेश की पूर्व सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सस्ते गल्ले के माध्यम से गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सभी परिवारों को खाद्यान्न वितरण कराया जा रहा है, वितरण हो रहा है ।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर–व्यवधान)

श्री राम जग–

वितरण नहीं हो रहा है ।

श्री अध्यक्ष–

कृपया शान्त रहें ।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग बैठ जाएं ।

डा० वकार अहमद शाह–

अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि गल्ला कहां बंट रहा है ? कहीं भी गल्ला नहीं बंट रहा है । हमारे बहराइच जनपद में कहीं भी नहीं बंट रहा है । इस वितरण में किसी जनप्रतिनिधि का सदुपयोग किया गया है या नहीं ? तथा योजना बनाने में सांसदों/विधायकों का कोई योगदान लिया गया या नहीं ? कहीं कोई चेकिंग की गई है या नहीं ?

श्री राम जग–

माननीय मंत्री जी इस प्रश्न के संबंध में गम्भीर नहीं है इसलिये मैं और मेरा दल सदन का बहिष्कार करता है ।

(श्री राम जग अपने दल के साथ सदन त्याग कर चले गये)

श्री एज़ाज रिज़वी–

मान्यवर, यह पूरी योजना केन्द्र सरकार की है इसमें प्रदेश का कोई काम नहीं है ।

श्री केशो मेहरा–

मान्यवर, इस प्रश्न से पूरे सदन की भावनाएं जुड़ी हुई हैं यह प्रश्न दलगत प्रश्न से हटकर है। जिला पंचायत से लेकर स्थानीय निकाय के जो प्रतिनिधि हैं उनका सहयोग लेकर क्या इस योजना का पुनरीक्षण करने की कोई योजना है ?

श्री एज़ाज रिज़वी–

यह मूलतः भारत सरकार की योजना है। उनके दिशा निर्देश पर इस पर काम चल रहा है इस पर प्रदेश सरकार का कोई विशेष काम नहीं है।

श्री धर्मज्ञ मिश्र–

क्या इस योजना के द्वारा खाद्यान्न वितरण में सांसदों और विधायकों की कोई कमेटी बनाई गयी है उसी के अनुरूप वितरण किया जायेगा ?

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं चूंकि यह इस प्रदेश की गरीबी से जुड़ा हुआ सवाल है और जिस तरह से सभी माननीय सदस्यों की इस पर दिलचस्पी है, मैं अपनी निजी जानकारी के आधार पर यह बताना चाहूंगा कि किसी भी गरीब को सस्ती दर पर राशन नहीं उपलब्ध हो पा रहा है बल्कि बिचौलिये और बड़े-बड़े कोटेदार, ठेकेदार और अधिकारी खा रहे हैं। आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है, गरीब को लाभ नहीं मिला है। इसलिये आपके माध्यम से मंत्री जी से चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के किसी जिले को उदाहरण मानकर जांच कराने की कृपा करेंगे ?

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

यह प्रश्न प्रदेश के कम से कम 81 लाख लोग जो गरीबी की रेखा से नीचे हैं उनसे सम्बन्धित है। इसलिये महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रदेश के निर्वाचित जन प्रतिनिधि चाहे वह पंचायत स्तर के हों या संसद स्तर के हों चाहे इसके बीच में आने वाले बीच के स्तर के हो सभी की भावनाओं से जुड़ा है और मैं समझता हूं कि इस प्रश्न पर आधे घण्टे की चर्चा होनी चाहिए।

प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न का वितरण एवं जांच कर बी० पी० एल० परिवारों के चिन्हीकरण की जानकारी

*3–श्री लल्लू सिंह, श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया तथा श्री जय प्रकाश निषाद–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गरीब जनता को सस्ते दर पर राशन उपलब्ध कराने के लिये शासन क्या उपाय कर रहा है ? गरीबों की पहचान जिला पूर्ति कार्यालय द्वारा कैसे की गयी ? क्या इसमें जनप्रतिनिधियों की कोई भागीदारी है ? यदि हां, तो वह क्या है ? क्या यह सही है कि राशन कार्डों को बनाने में अनियमितता सम्बन्धी पत्र दिनांक 21-5-97 को मुख्य सचिव को श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया ने लिखा था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री ऐज़ाज रिज़वी–

दिनांक 01 जून, 97 से प्रदेश में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू की गयी है, जिसके अन्तर्गत गरीबी की रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों को 10 कि०ग्रा० खाद्यान्न आधे मूल्य पर वितरित किया जा रहा है।

गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों (बी० पी० एल०) की पहचान भारत सरकार द्वारा दिये गये विस्तृत दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत की गयी है, ग्रामीण क्षेत्रों में पहचान कार्य में

ग्राम पंचायत व ग्राम सभाओं को भी शामिल किया गया है । गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले चिन्हित परिवारों के चयन में रुपये 8000/- तक वार्षिक आय वाले परिवारों को ही रखा गया है ।

जी हां ।

उक्त शिकायती पत्र जिलाधिकारी, लखनऊ, गाजियाबाद को जांच के लिये संदर्भित कर दिया गया था, जांच में यह पाया गया बी० पी० एल० परिवारों का चिन्हीकरण नियमानुसार किया गया तथा इस कार्य में जनप्रतिनिधियों का भी यथा सम्भव सहयोग लिया गया, अतः इसमें कोई अनियमितता नहीं बरती गई ।

(खाद्य मंत्री द्वारा उत्तर पढ़ा गया)

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने के लिये खड़े होने पर व्यवधान)

एक सदस्य–

अध्यक्ष जी, यह प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसलिये इस पर चर्चा होनी चाहिए ।

श्री अध्यक्ष–

यह प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसमें कोई विवाद नहीं है, जब इस पर चर्चा होगी तो आप लोग अपने विचार रखियेगा । अब मैं प्रश्न संख्या–4 ले रहा हूं ।

प्रदेश में समस्त सरकारी विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, प्राधिकरणों एवं इलेक्ट्रानिक्स उत्पाद खरीदने सम्बन्धी शासनादेश के उल्लंघन के विरुद्ध कृत कार्यवाही की जानकारी

*4–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या अपट्रान की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने हेतु सभी सरकारी विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, प्राधिकरणों, स्वायत्तशासी संस्थाओं को अपट्रान या हिल्ट्रान से ही उनके इलेक्ट्रानिक्स उत्पाद खरीदने हेतु कोई शासनादेश 29 मार्च, 1996 को निर्गत किया गया है ? क्या उक्त शासनादेश का उल्लंघन विभागों द्वारा किये जाने की सरकार को जानकारी है ? सरकार इस हेतु क्या उपाय कर रही है ?

इलेक्ट्रानिक्स राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री विभूति प्रसाद निषाद)–

जी हां ।

प्रथम मण्डल, सिंचाई विभाग, मेरठ के अतिरिक्त शासनादेश के उल्लंघन किये जाने की कोई विशिष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

शासनादेश के उल्लंघन के विषय में कार्यवाही यथाविधि की जा रही है ।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि जो शासनादेश निर्गत हुआ था इलेक्ट्रानिक्स, अपट्रान और हिल्ट्रान विभागों में इलेक्ट्रानिक उपकरण क्रय करने में सिंचाई विभाग ने अनियमितता बरती है । यह भी कहा है कि शासनादेश का जो उल्लंघन किया गया है उसमें उनके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है । इसलिये मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सिंचाई विभाग द्वारा उपकरण क्रय करने में क्या अनियमितता बरती गयी, और यह मामला कब प्रकाश में आया और अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि जो वायरलेस सेट अपट्रान और हिल्ट्रान में बनते हैं, उनके पुलिस विभाग के आधुनिकीकरण के संबंध में जो योजना लागू की गयी उसमें, वायरलेस सेट क्रय करने की क्या योजना थी ? मेरी जानकारी है कि चूंकि पुलिस विभाग को अपट्रान और हिल्ट्रान से क्रय करने में कमीशन प्राप्त नहीं हो सकता है, इसलिये वायरलेस सेट उनसे नहीं क्रय किये गये बल्कि शासनादेश के विरुद्ध जाकर बाहर से उन्हें क्रय किया गया, इसलिये क्या मंत्री जी को इस बात की जानकारी है, यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री विभूति प्रसाद निषाद–

मान्यवर, सिंचाई विभाग मेरठ की जानकारी तो है लेकिन बाकी जिलों की जानकारी नहीं मिली है। मान्यवर, वायरलेस सेट क्रय करने के आदेश दिये गये थे। इस संबंध में सिंचाई विभाग मेरठ मण्डल में क्रय किये गये जिसके संबंध में सचिव को लिखा गया है कि सही जानकारी करके अवगत करायें जिससे कार्यवाही की जा सके।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि सिंचाई विभाग में क्या अनियमितता बरती है, उसका विवरण सदन में आप मंगवा लें ?

मान्यवर, मेरे पहले प्रश्न का उत्तर नहीं मिला है, इसलिये क्या मंत्री जी मेरी सूचना के आधार पर जांच करायेंगे कि पुलिस विभाग में वायरलेस सेट क्रय करने में शासनादेश का उल्लंघन किया गया और अपट्रान व हिल्ट्रान से न क्रय कर बाहर से क्रय किये गये ?

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, जहां तक सिंचाई विभाग के संबंध में जो जानकारी आयी है उसमें 19 जुलाई, 1997 को अपट्रान द्वारा जैसे ही जानकारी आई तो प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग को लिखा गया है कि अनियमितता के संबंध में पूर्ण जानकारी दें ताकि उसका परीक्षण कराकर दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की जा सके।

दूसरे प्रश्न के संबंध में जानकारी नहीं है कि अपट्रान या हिल्ट्रान से पुलिस विभाग ने वायरलेस सेट क्यों नहीं खरीदे। यदि माननीय सदस्य को जानकारी है तो वह हमें अवगत करा देंगे तो देख लिया जायेगा।

डा० रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हिल्ट्रान की स्थापना किस उद्देश्य की पूर्ति के लिये की गयी थी ? क्या पर्वतीय क्षेत्र के समग्र विकास के लिये और जो वहां बेरोजगार लोग हैं, उनको रोजगार देने तथा वहां की आर्थिकी को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से की गयी थी, तो क्या यह हिल्ट्रान अपने उद्देश्य में कहां तक सफल रहा है। दूसरी बात यह जानना चाहता हूं कि क्या यह मंत्री जी के संज्ञान में है कि वहां करोड़ों रुपये का घोटाला हुआ है, यदि हुआ है तो जिम्मेदार अधिकारियों को दण्डित किया गया है यदि नहीं तो कब तक दण्डित किया जायेगा ?

श्री अध्यक्ष–

यह मूल प्रश्न से अलग है।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, माननीय चौधरी साहब ने एक सवाल किया कि पुलिस विभाग में सुदृढ़ीकरण हेतु वायरलेस सेट खरीदे जाने का प्राविधान है। माननीय सदस्य ने सदन में जानकारी दिया तो कहा गया कि लिखकर दे दें। मैं जानना चाहूंगा कि माननीय सदस्य के इस कथन को मानते हुए क्या सरकार इसकी जांच करायेगी कि पुलिस विभाग में जो वायरलेस सेट खरीदे जाने थे, उनकी खरीद शासनादेश के अनुरूप नहीं की गयी है और यदि नहीं की गयी है तो उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, जैसा मैंने पहले ही अनुरोध किया था कि इसकी बाबत अपट्रान या जो दूसरी संस्था है, इन दोनों संस्थाओं से किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं आयी है कि वहां शासनादेश का उल्लंघन हुआ है। जो शासनादेश विभागों को निर्गत किये गये हैं, उसका कहीं पर अतिक्रमण हुआ है, इस तरह

का कोई तथ्य अब तक संज्ञान में नहीं आया । इसलिये मैंने कहा कि यह बहुत विस्तीर्ण सा है, कहां-कहां खरीदा गया कहां नहीं ? इसमें दो तरह की सीमायें निर्धारित की गयी हैं । जो इन संस्थाओं के उत्पाद हैं, उसकी बाबत एक शासनादेश लागू होता है और दूसरा जो असेम्बलिंग की जाती है, उसमें लागू होता है । जब तक तथ्यात्मक जानकारी नहीं होगी, तब तक कैसे .....

श्री अध्यक्ष–

आप इसको इस तरह ले लीजिये कि दो माननीय सदस्यों ने पुलिस विभाग द्वारा खरीददारी में शासनादेश का उल्लंघन होने की जानकारी दी । आप पुलिस विभाग से जानकारी कर लीजियेगा कि अपट्रान या हिल्ट्रान के द्वारा जो सेट/उत्पाद बनाये जाते हैं, उपलब्ध कराये जाते हैं, क्या उन्होंने उनसे खरीदा है ? यदि नहीं खरीदा, तो कहां से खरीदा ? आप माननीय सदस्यों की जानकारी के आधार पर इतनी बात पता कर लीजिये ।

श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अन्य माननीय मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री जी जिन गाड़ियों से चलते हैं, उसमें इन्स्ट्रूमेंट लगे हुये हैं, यह उनके संज्ञान में भी है । लेकिन जब माननीय श्याम देव राय चौधरी संज्ञान दे रहे हैं तो मंत्री जी छिपाकर दूसरी बात करते हैं । मैं जानना चाहता हूं कि पुलिस विभाग द्वारा जो अनियमितता हुई है, माननीय सदस्य की बात को संज्ञान में लेकर कोई कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

इसका उत्तर तो मैंने स्वयं दे दिया है ।

श्री सुरेन्द्र नाथ–

मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि अपट्रान-हिल्ट्रान से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है । मान्यवर, आपके संज्ञान में है कि हिल्ट्रान व अपट्रान दोनों ही उत्तर प्रदेश सरकार के स्वामित्व में हैं और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश सरकार के स्वामित्व का कोई संगठन ऐसी खरीदारी के बावत कोई शिकायत दर्ज ही नहीं कर सकता, इसके लिये तो माननीय सदन ही है । इसलिये अनुरोध करना चाहूंगा कि क्या कोई सदन की समिति बनाकर इस पूरे प्रकरण की जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य ने जो जानकारी दी है, उसके आधार पर पता कर लें । यह मैंने पहले ही कहा ।

प्रदेश में सस्ते गल्ले की नयी दुकानें खोले जाने की मांग

*5–श्री सूर्य प्रताप शाही तथा श्री शिव प्रताप शुक्ल–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनसंख्या और दूरी की अधिकता को देखते हुए प्रदेश में नये सरकारी सस्ते गल्ले के दुकानों को खोले जाने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो इस संदर्भ में सरकार की क्या नीति है ?

श्री एज़ाज़ रिज़वी–

वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी के साथ बराबर रहता हूं मैं इनका अनुयायी हूं । मान्यवर, अभी भी प्रदेश में अनेक स्थानों में ऐसी सस्ते गल्ले की दुकानें हैं जो 5-5, 7-7 किलोमीटर की दूरी पर हैं, और

निरन्तर जनसंख्या की भी वृद्धि हो रही है । अभी आपने स्वयं सदन को अवगत कराया कि 90 लाख से अधिक लोग जो गरीबी रेखा के नीचे के हैं उनको सस्ते गल्ले की दुकान से ही आधे दर पर वितरण किया जायेगा । तो ऐसी स्थिति में मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या जनता की असुविधा को देखते हुए, दूरी अधिक होने के नाते राशन की दुकान पर जब दूर का आदमी पहुंचता है तो वह कहता है कि हमने आवंटित कर दिया तो क्या माननीय मंत्री जी जनता की कठिनाइयों के समाधान के लिये राशन की दुकानें खोलने पर विचार करेंगे या कोई नीति बनायेंगे ?

श्री ऐज़ाज़ रिज़वी–

मान्यवर, हर ग्राम सभा में जहां पर 4 हजार यूनिट की जनसंख्या है वहां पर एक दुकान की व्यवस्था है नगरीय क्षेत्र में 2 हजार यूनिट पर दुकान दी गई है । ग्राम सभा में मैं समझता हूं कि उसमें यह व्यवस्था पर्याप्त है और शासन के विचार में ऐसी कोई योजना नहीं है ।

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सबसे पहले माननीय खाद्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि भारत सरकार ने 95 लाख की संख्या निर्धारित किया परन्तु उत्तर प्रदेश के खाद्य विभाग ने केवल गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले 89 लाख लोगों को लिया बाकी लोग उत्तर प्रदेश में गरीबी रेखा के ऊपर हो चुके हैं इसलिये मैं इन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं, मान्यवर, दूसरा यह है कि जनसंख्या इन्होंने बता दिया है और यह भी कहा है कि गांवों में दूरी अधिक नहीं है लेकिन मैं आपके सामने माननीय मंत्री जी के सामने जो बात हुई है उसे बताना चाहता हूं । अभी माननीय मंत्री जी गोरखपुर गये थे जिस प्रकार से लोगों की भीड़ कंगाल की तरह से आकर बैठी थी क्योंकि जनसंख्या के आधार पर दुकान नहीं है । वह लोग माननीय मंत्री जी के सामने गुहार कर रहे थे कि मुझे भी राशन देने की कृपा करें ।

तो मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि क्या ऐसे लोगों को भी राशन की दुकानों से राशन देने का काम करेंगे और दूसरा यह कि क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश की वर्तमान जनसंख्या क्या है तथा उत्तर प्रदेश में सप्लाई विभाग में राशन की यूनिट क्या है ?

श्री एज़ाज़ रिज़वी–

मान्यवर, जहां तक गरीबी की रेखा के नीचे की बात है तो वह प्रक्रिया जारी है । मैंने पूर्व के प्रश्न में इसका उत्तर दे दिया था ।

श्री सत्य प्रकाश सोनकर–

मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र चन्दौली में नौगढ़ में जहां पर मूसहर आदि लोग रहते हैं वहां पर एक भी कार्ड नहीं बना है ।

श्री अध्यक्ष–

मंत्री जी आप माननीय सदस्य की बात पर विचार कर लें ।

श्री एज़ाज़ रिज़वी–

मान्यवर, ठीक है ।

श्री जगदीश नारायण मुन्ना–

ग्राम सभाओं से जो प्रस्ताव आते हैं सस्ते गल्ले की दुकान के लिये क्या उन प्रस्तावों के आधार पर उप जिलाधिकारी/जिलाधिकारी प्रस्ताव मानने के लिये बाध्य हैं ?

श्री एज़ाज़ रिज़वी–

ग्राम सभा की खुली बैठक में उसी ग्राम सभा के अर्न्तगत दुकान दिये जाने के लिये प्रस्ताव किये जाते हैं, उन प्रस्तावों को शासन द्वारा जो दिशा निर्देश दिये गये हैं, उसके आधार पर मान्यता जिलाधिकारी देते हैं और दुकानें दी जाती हैं।

श्री अरिमर्दन सिंह–

मेरे जनपद में यह राशनकार्ड अभी तक नहीं बनाये गये हैं, क्या जनपद महोबा में इस प्रकार के कार्ड बनवाये जायेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

नये राशन कार्ड का इसमें प्रश्न नहीं है।

डा० रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्र में ग्राम सभा 30-40 कि०मी० के परिक्षेत्र में होती है, राशन के लिये जब व्यक्ति वहां पर दुकान पर जाता है तो पूरा दिन खराब हो जाता है। तो क्या इस स्थिति में पर्वतीय क्षेत्र में एक ग्राम सभा के अन्तर्गत दूरी के हिसाब से 5-5 किलोमीटर के स्तर पर राशन की दुकान उपलब्ध करायी जायेगी ?

श्री एज़ाज़ रिज़वी–

मान्यवर, जनसंख्या के आधार पर है, 4 हजार यूनिट पर एक दुकान दी जाती है, उससे संख्या बढ़ जाती है तो हम दूसरी दुकान खोल देते हैं।

डा० रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, वहां 4 हजार की जनसंख्या तो 200 कि०मी० परिधि में होगी।

श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, क्या कोई समय सीमा इस तरह की निर्धारित है कि इतनी अवधि के अन्दर वह दुकान परिवर्तित नहीं की जा सकती ? क्या ग्राम सभा दुबारा प्रस्ताव पारित करके दुकान परिवर्तित कर सकती है बिना शिकायत के ?

श्री एज़ाज़ रिज़वी–

ग्राम सभा का जो प्रस्ताव होता है, उसके आधार पर दुकान दी जाती है जो शिकायत होती है तो निलम्बित कर दिया जाता है तो उसके लिये पुनः प्रस्ताव किया जाता है।

श्री मुन्ना चौहान–

यदि कोई शिकायत नहीं होती है तो क्या ग्राम सभा शो मोटो प्रस्ताव कर सकती है ?

श्री एज़ाज़ रिज़वी–

ग्राम सभा से दूसरा कोई प्रस्ताव आता है तो उसके आधार को देखकर निर्णय होता है। वैसे ऐसा होता नहीं है। मान्यवर, जब एक बार आवंटित कर दिया जाता है तो उसके बाद जब तक शिकायत नहीं होती है, वही रहता है।

(प्रश्न संख्या–7 पर माननीय मंत्री जी ने प्रश्न का उत्तर पढ़ा और माननीय सदस्य ने कोई प्रश्न नहीं पूछा)

श्री अध्यक्ष–

चूंकि प्रश्न संख्या–2 पर चर्चा लगी हुई है, इसलिये प्रश्न संख्या–8 को भी उससे सम्बद्ध किया जाता है।

प्रश्नों का समय समाप्त हुआ ।

प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में चीनी वितरण के मानक की जानकारी

*6–श्री शिव सिंह चक–

क्या सरकार को जानकारी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में राशन वितरण प्रणाली शहरी क्षेत्रों से भिन्न हैं ? क्या यह सही है कि शहरी क्षेत्रों में प्रति यूनिट एक किलोग्राम चीनी का वितरण किया जाता है जबकि देहाती क्षेत्रों में ऐसा नहीं है ? क्या सरकार इस विरोधाभास को दूर कर देहाती क्षेत्रों में प्रति यूनिट एक किलोग्राम चीनी के वितरण की व्यवस्था करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री एज़ाज़ रिज़वी–

जी हां ।

ग्रामीण क्षेत्रों में चीनी का वितरण प्रति यूनिट प्रतिमाह 330 ग्राम की दर से किया जाता है ।

भारत सरकार से लेबी चीनी की सीमित मात्रा एवं शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या के अनुपातिक दृष्टिकोण के आधार पर ही शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में चीनी का वितरण प्रति यूनिट प्रतिमाह क्रमशः एक किग्रा० व 330 ग्राम निर्धारित किया गया है । चीनी वितरण का मानक परिवर्तित किये जाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

जनपद मेरठ के खेकड़ा कस्बे में स्थित हथकरघा इकाइयों द्वारा उत्पादित माल के विक्रय की प्रक्रिया की जानकारी

*7–श्री रूप चौधरी–

क्या लघु उद्योग मंत्री को जानकारी है कि कस्बा खेकड़ा (मेरठ) हथकरघा वस्त्रों के उत्पादन तथा निर्यात में प्रमुख स्थान रखता है तथा यहां निर्मित हथकरघा कपड़ा दुनिया के 120 देशों में निर्यात किया जाता है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि नागरिक सुविधाओं के अभाव में विदेशी खरीदारों ने यहां आना लगभग बन्द कर दिया है जिसके कारण यह उद्योग संकट में पड़ गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस दिशा में प्रभावी कदम उठा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

हथकरघा एवं रेशम उद्योग राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री बाबू लाल कुशवाहा)–

खेकड़ा (जनपद मेरठ) में 118 हथकरघा इकाइयां कार्यरत हैं । उत्पादन के क्षेत्र में सूती चादर, दरी, कुशन कवर, टेबुल कवर, टेपेस्ट्री इत्यादि प्रमुख उत्पादन हैं । इस क्षेत्र का उत्पादित माल ज्यादातर दिल्ली के निर्यातकों के माध्यम से विक्रय किया जाता है । चूंकि दिल्ली के नजदीक होने के फलस्वरूप निर्यातक इस जनपद से सीधे सम्पर्क स्थापित कर माल खरीद ले जाते हैं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

खेकड़ा से जो व्यक्ति सीधे निर्यात करते हैं उनके दिल्ली में कार्यालय खुले हैं तथा विदेशी खरीददारों से सम्पर्क हेतु खेकड़ा के पास स्थित राजधानी में उपलब्ध सुविधाओं का उपभोग करते हैं । शेष निर्यात दिल्ली की पार्टियों द्वारा किया जाता है तथा वे अपने स्तर पर विदेशी क्रेताओं से सम्पर्क करती हैं ।

नोट :–तारांकित प्रश्न संख्या–5 के पश्चात् प्रश्नों का समय समाप्त हुआ ।

जिला फिरोजाबाद में गरीबी की रेखा के नीचे चयनित लाभार्थी परिवारों को राशन उपलब्ध कराये जाने विषयक शासन की नीति

*8–श्री रघुबर दयाल वर्मा–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री को जानकारी है कि जिला फिरोजाबाद में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों को 1 जून, 1997 तक चिन्हित नहीं किया गया है ? यदि हां, तो 1 जून, 1997 से केन्द्र सरकार की नीति के अनुसार आधी कीमत पर उन्हें 10 किलो गेहूं/10 किलो चावल के वितरण की नीति को लागू न करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री एज़ाज़ रिज़वी–

जनपद फिरोजाबाद में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को दिनांक 01 जून, 1997 तक चिन्हित कर लिया गया है ।

चयनित लाभार्थी परिवारों को प्रति परिवार की दर से 7 कि०ग्रा० गेहूं व 3 कि०ग्रा० चावल आधे मूल्य पर माह जून, 97 के द्वितीय सप्ताह से वितरित किया गया है, अतः किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अतारांकित प्रश्न

1–श्री भारत सिंह रावत–

[चौथे मंगल में अता० प्र० सं० 184 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

उत्तर प्रदेश परिवहन निगम, जनपद फैजाबाद में कार्यरत भण्डारपाल श्री बी० के० ओझा के विरुद्ध गम्भीर शिकायतों की जांच एवं कृत कार्यवाही

2–श्री सतीश महाना–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० परिवहन निगम, जनपद फैजाबाद में कार्यरत किसी सहायक भण्डारपाल को 33 वर्ष की सेवा के उपरान्त भी कोई पदोन्नति नहीं दी गयी ? यदि हां, तो क्यों ? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि श्री ओझा को पदोन्नत न किये जाने के साथ ही इनको निलम्बन एवं निष्कासन पर प्रताड़ना दी गयी है ? इस सम्बन्ध में दोषी अधिकारी एवं कर्मचारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी तथा श्री ओझा को कब तक पदोन्नति प्रदान करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

परिवहन मंत्री (श्री रामवीर उपाध्याय)–

उत्तर प्रदेश परिवहन निगम जनपद फैजाबाद में कार्यरत भण्डारपाल श्री बी० के० ओझा के सेवा अभिलेख संतोषजनक न पाये जाने के कारण पदोन्नति के लिये उपयुक्त नहीं पाये गये ।

श्री ओझा के विरुद्ध गम्भीर शिकायतें पाये जाने पर क्षेत्रीय प्रबन्धक, झांसी द्वारा उन्हें निलम्बित किया गया । जांचोपरान्त दोषी पाये जाने पर इन्हें सेवा से पृथक किया गया । श्री ओझा के सेवा से पृथक आदेश के विरुद्ध प्रत्यावेदन देने पर इनकी लम्बी सेवाओं को ध्यान में रखते हुए मानवता के आधार पर सेवा का एक अवसर और प्रदान किया गया ।

इस प्रकरण में कोई अधिकारी एवं कर्मचारी दोषी नहीं है । इसलिये किसी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री ओझा 58 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर दिनांक 30-6-97 को सेवा निवृत्त हो गये हैं तथा सेवाकाल में इनके सेवा अभिलेख संतोषजनक न होने के कारण पदोन्नति के लिए उपयुक्त नहीं पाये गये ।

3–श्री अम्बिका चौधरी–

[चौथे गुरु में अता० प्र० सं०–14 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

वर्ष 1996-97 में श्री चन्द्र मोहन श्रीवास्तव, पूर्व अधिशासी निदेशक, कर्मचारी कल्याण निगम द्वारा खेतान पंखे की खरीद एवं रेट घटाने विषयक जानकारी

4–श्री जय प्रकाश, श्री श्याम लाल रावत, श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया तथा श्री जय प्रकाश निषाद–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री कृपया बतायेंगे कि कर्मचारी कल्याण निगम में वर्ष 1996-97 में कुल कितने खेतान पंखे किस दर से खरीदे गये ? क्या यह सत्य है कि पूर्व अधिशासी निदेशक श्री चन्द्र मोहन श्रीवास्तव ने बढ़े दाम पर (क्रय मूल्य से) माल सप्लाई हेतु अनुमोदित किया था ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि क्या इस मामले में डिपो के लाभांश के आदेश दिये गये थे ? यदि हां,तो क्यों और कम्पनी को रेट घटाने के आदेश न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री एज़ाज़ रिज़वी–

कर्मचारी कल्याण निगम में वर्ष 1996-97 में 22,000 से अधिक खेतान पंखे निम्नांकित दरों से खरीदे गये :—

48" प्रति रु० 740/- मात्र

56" प्रति रु० 790/- मात्र

42" प्रति रु० 710/- मात्र

टेबुल फैन प्रति रु० 910/- मात्र

जी हां।

जी हां।

डिपो प्रबन्धकों की मासिक बैठक में यह अवगत कराया गया कि पंखों पर व्यापार कर की छूट के बावजूद भी बाजार में खेतान पंखें निगम से अपेक्षाकृत कम दाम पर बिक रहे हैं। इस आधार पर तत्कालीन अधिशासी निदेशक ने केवल 48" पंखों के बिक्री मूल्य में निगम द्वारा निर्धारित लाभांश में 2% की कमी की थी। 48" पंखों के क्रय मूल्य में 10 रुपये की कमी कराये जाने हेतु निगम द्वारा कम्पनी को रेट घटाने के आदेश दिये गये थे।

5–श्री नारायण राम दास–

[चौथे मंगल में अता० प्र० सं० 187 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

चम्पावत पिथौरागढ़ के ग्राम तल्लीलमाई, तहसील व ब्लाक चम्पावत में पेयजल एवं विद्युतीकरण की व्यवस्था

6–श्री हरिशंकर तिवारी–

विधान सभा के तृतीय सत्र, 1995 के द्वितीय बुधवार को श्री हरक सिंह रावत, तत्कालीन सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अता० प्रश्न संख्या 154 के उत्तर के संदर्भ में क्या उत्तरांचल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पिथौरागढ़ के चम्पावत ब्लाक के अन्तर्गत ग्राम तल्लीलमाई में पेयजल एवं विद्युतीकरण की व्यवस्था की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इसके विलम्ब के लिये दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मातवर सिंह कण्डारी–

पेयजल योजना पर कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है, परन्तु विद्युतीकरण नहीं हुआ है ?

तल्लीलमाई राजस्व ग्राम नहीं है। नवीं पंचवर्षीय योजना में सभी ग्रामों के विद्युतीकरण का ही लक्ष्य है। प्रश्न नहीं उठता।

श्री के० सी० चतुर्वेदी, सेवानिवृत्त स्टेशन इन्चार्ज, उ० प्र० परिवहन निगम, इटावा द्वारा नान पेंशनेबुल के समस्त लाभ लिये जाने की जानकारी

7–श्री हरिशंकर तिवारी–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री के० सी० चतुर्वेदी, सेवानिवृत्त स्टेशन इन्चार्ज, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम, इटावा की पेंशन का कोई प्रकरण शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त प्रकरण में अब तक क्या कार्यवाही हुई ? पेंशन वितरण में विलम्ब के क्या कारण हैं ? क्या यह सही है कि उन्होंने इस आशय के कई प्रार्थना-पत्र निगम के अधिकारियों एवं शासन को प्रेषित किये हैं कि उनकी ओर से कोषागार में जमा की जाने वाली धनराशि को उनको मिलने वाली बकाया पेंशन से काट ली जाय ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

श्री के० सी० चतुर्वेदी, सेवानिवृत्त स्टेशन इंचार्ज, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के द्वारा नान पेंशनेबुल पद के समस्त लाभ प्राप्त किए जा चुके हैं। श्री चतुर्वेदी को पेंशन तभी अनुमन्य हो सकती है जब श्री चतुर्वेदी नान पेंशनेबुल पद के लाभ शासकीय/निगम कोष में जमा कर दें। परिवहन निगम के सेवा-निवृत्त कर्मियों को पेंशन लाभ देने का नीति विषयक प्रकरण शासन के विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हां।

श्री के० सी० चतुर्वेदी, सेवानिवृत्त कनिष्ठ केन्द्र प्रभारी, परिवहन निगम नान पेंशनेबुल के समस्त लाभ प्राप्त कर चुके हैं। श्री चतुर्वेदी से अनुरोध किया गया है कि वह नान पेंशनेबुल पद के लाभ शासकीय/निगम कोष में जमा कर दें तो उनके पेंशन प्रपत्र कार्यालय महालेखाकर, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को भेज दिये जायेंगे लेकिन श्री चतुर्वेदी के द्वारा उक्त औपचारिकताएं अभी तक पूर्ण नहीं की गईं।

प्रश्न नहीं उठता।

8–श्री नारायण राम दास–

[चौथे मंगल में अता० प्र० सं० 186 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

ए० आर० टी० ओ० (ई०), मुरादाबाद के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

9–श्री बाबू लाल कुरील–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा प्रेषित रजिस्टर्ड पत्र दिनांक 14-5-97 जो ए० आर० टी० ओ० (ई०), मुरादाबाद के विरुद्ध था, पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी कार्यवाही करने की समय सीमा निर्धारित करेंगे ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

सूचना एकत्र की जा रही है।

मोटरयान अधिनियम के अनुसार जनपद मुरादाबाद के चन्दौसी–राजघाट मार्ग पर प्राइवेट बसों की संचालन व्यवस्था की जानकारी

10–श्री बाबू लाल कुरील–

क्या परिवहन मंत्री अवगत कराने की कृपा करेंगे कि मुरादाबाद जनपद की चन्दौसी से राजघाट सड़क जो 48 कि०मी० है पर 63 बसों के (एम०वी० ऐक्ट, 1988 की धारा 71 के निर्देशानुसार) क्या

परमिट निर्धारित हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इसी धारा के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/भूतपूर्व लोक सेवकों को आवेदन हेतु किस अखबार में और कब विज्ञापन निकाले गये थे ? यदि नहीं, तो क्यों ? वर्ष 1994-95 में कितने परमिट्स हुये थे और किसने जारी किये थे ? क्या सम्पूर्ण मुरादाबाद जिला प्राइवेट बसों से अच्छादित है ? यदि नहीं, तो अनआच्छादित मार्गों पर बसे क्यों नहीं चलानी शुरू की गयीं ? क्या इन 63 बसों में से दूसरे मार्गों पर ट्रान्सफर करने का विचार है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उपरोक्त धारा 71 का उल्लंघन किस-किस अधिकारी ने किया है ? उनको क्या दण्ड दिये गये ? यदि दण्ड नहीं दिये गये, तो क्यों ? यदि दण्डित किया जायेगा, तो कब तक ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 71 के अनुसार किसी भी अराष्ट्रीयकृत प्राइवेट बस मार्ग पर परमिटों की अधिकतम सीमा के निर्धारण का प्राविधान नहीं है और न ही अराष्ट्रीयकृत प्राइवेट बस मार्गों पर परमिटों की संख्या निर्धारण के संबंध में संभागीय परिवहन प्राधिकरण ने कोई सीमित संख्या निर्धारित ही की है ।

इस धारा के अन्तर्गत परमिटों की अधिकतम सीमा के निर्धारण का प्राविधान न होने के कारण उदारनीति के अन्तर्गत प्रत्येक आवेदक को उसके आवेदन पर बिना किसी भेद-भाव के परमिट स्वीकृत किया जाता है । चूंकि सीमित संख्या का प्राविधान नहीं है, अतः मोटरयान अधिनियम की धारा–71–3 (सी) के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों/भूतपूर्व लोक सेवकों हेतु नहीं है ।

वर्ष 1994–95 में संभागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा 10 परमिट स्वीकृत किये गये थे, जिनमें से 6 परमिट उन वाहन स्वामियों को जारी किये गये थे जो इस हेतु आये थे ।

अराष्ट्रीयकृत प्राइवेट बस मार्गों पर प्राइवेट बसें संचालित हैं । राष्ट्रीयकृत मार्गों पर उ०प्र०रा०स०प० निगम द्वारा रोडवेज बसों का संचालन किया जाता है ।

एक बस मार्ग पर संचालित होने वाली बसों को किसी अन्य बस मार्ग पर ट्रान्सफर किये जाने का कोई प्राविधान मोटरयान अधिनियम, 1988 में नहीं है । यदि कोई वाहन स्वामी मार्ग पर बस नहीं चलाना चाहता है तो परमिट को समर्पण करके अथवा निरस्त करवाकर किसी अन्य बस मार्ग पर स्वेच्छानुसार आवेदन करके परमिट प्राप्त कर सकता है ।

उपरोक्त मार्ग पर धारा–71 का उल्लंघन कभी नहीं हुआ है । अतः दण्डित करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद मुरादाबाद में चन्दौसी–राजघाट मार्ग पर संचालित प्राइवेट बस मालिकों से यात्री कर की वसूली

11–श्री बाबू लाल कुरील–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या मुरादाबाद जनपद में चन्दौसी–राजघाट मार्ग जिसकी दूरी 48 किलोमीटर है, पर 63 बसें चलती हैं ? क्या इनमें से बसें प्रत्येक माह रेस्ट में रहती है और रेस्ट के समय का भी दिनांक 1-1-95 से रु० 4200 माहवार यात्री कर बस मालिकों से लिया जाता है ? क्या यह राशि 'मोटरगाड़ी यात्री-कर नियमावली 1962' के नियम 5 के अनुसार वसूली जाती है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उपरोक्त नियमावली के नियम 5 के उपनियम 3 में एफ० टी० आर० का फार्मूला है ? यदि हां, तो इसका प्रयोग यात्रीकर के प्रकरण में क्यों शुरू नहीं किया गया ? क्या बस मालिकों का शोषण किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या उपरोक्त नियमावली के नियमों के पालन करने के लिये निर्देश देंगे ? निर्देश कब तक दे दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

प्रश्नगत मार्ग पर 60 बसें एकमुश्त के आधार पर संचालित हैं ।

33 बसें प्रत्येक माह में खड़े रहने की कोई सूचना मार्ग यूनियन अथवा संचालित बसों के किसी वाहन स्वामी द्वारा नहीं दी गयी है ।

दिनांक 1-1-95 से (54+6) अधिकृत क्षमता वाली बसों से रु० 2816.00 यात्रीकर, रु० 704.00 अतिरिक्त यात्रीकर एवं रु० 176.00 बीमा अधिभार कुल रु० 3696/- मासिक यात्रीकर लिया जा रहा है, न कि रु० 4200/–

"जी हां ।"

एकमुश्त पर यात्रीकर अदा करने वाली बसों के लिए यात्रीकर की गणना इस फार्मूले से की जाती है । एकमुश्त समझौते के लिए वाहन स्वामी व कर अधिकारी दोनों की ही सहमति आवश्यक होती है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के अन्तर्गत डिपो द्वारा आपूर्तित दोपहिये वाहनों का मूल्य निर्धारण

12–श्री लल्लू सिंह, श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया तथा श्री जय प्रकाश निषाद–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के अन्तर्गत डिपो द्वारा आपूर्तित दो पहिये वाहनों का मूल्य प्रत्येक शहर में अलग-अलग होता है ? यदि हां, तो उसका क्या कारण है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि विभिन्न श्रेणी के वाहनों की दर में अलग-अलग कितने का अन्तर होता है ? सभी शहरों में मूल्य एक समान हो, इसके लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ? क्या मंत्री जी निगम एवं डीलर के मध्य जो शर्तें तय की गयी हैं, वह बतायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री एज़ाज़ रिज़वी–

जी नहीं । प्रत्येक शहर में मूल्य एक समान हैं ।

प्रत्येक कम्पनी के विभिन्न माडलों के दोपहिया वाहनों के मूल्यों में अन्तर होता है । उसका कोई निर्धारित मापदण्ड नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

संलग्न है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

(देखिये नत्थी 'क' पीछे पृष्ठ 138 पर)

जनपद आजमगढ़ की तहसील–फूलपुर, के ग्राम–कोहड़ा, में चीनी व मिट्टी के तेल के आवंटन में की गयी अनियमितता की जांच एवं कार्यवाही

13–श्री राम सेवक सिंह (इलाहाबाद)–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत तहसील फूलपुर के विकास खण्ड पवई में चीनी व मिट्टी के तेल के आवंटन में क्या जनसंख्या का ध्यान दिया गया है ? यदि हां, तो उक्त विकास खण्ड के ग्राम कोहड़ा की जनसंख्या अधिक होने पर भी ग्राम नरपतपुर जिसकी जनसंख्या कम है, से कोहड़ा ग्राम को कम आवंटन किस आधार पर किया जाता है ? क्या मंत्री जी उक्त अनियमितता की जांच कराकर दोषी व्यक्तियों को दण्डित करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री एज़ाज़ रिज़वी–

जी हां ।

मिट्टी के तेल के आवंटन में अनियमितता की गयी है । जिसकी जांच की गयी । दोषी व्यक्तियों को दण्डित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है ।

आजमगढ़ वाया अजमतगढ़ अमिला मार्ग पर बसों के संचालन की जानकारी

14–श्री राम प्यारे–

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि आजमगढ़ वाया अजमतगढ़ अमिला मार्ग होते हुए लगभग छः बसें विगत 40 वर्षों से विभिन्न स्थानों के लिये संचालित थीं जिसमें से वर्तमान समय में एक भी बस संचालित नहीं की जा रही है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ? यातायात सुविधा और जनता की कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए क्या मंत्री जी पुनः उक्त बसों का संचालन करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

6 बसें संचालित नहीं थीं । केवल 2 बसें संचालित थीं । वर्तमान में उन दोनों बसों के मार्ग परिवर्तित कर दिये गये हैं ।

मऊ जनपद सृजित हो जाने के पश्चात् अमिला कस्बा मऊ जनपद में स्थानान्तरित हो गया है । वहां की स्थानीय जनता की मांग पर तहसील घोसी होते हुये जनपद मऊ के लिये मऊ तथा दोहरीघाट डिपो की एक-एक सेवा मऊ तक संचालित हो रही है ।

वर्तमान में कोई सेवा अमिला से अजमतगढ़–आजमगढ़ तक संचालित नहीं हो रही है । आजमगढ़ डिपो की एक बस बोझी–अमिला घोसी होते हुये आजमगढ़ तक संचालित हो रही है । वर्तमान में अमिला–अजमतगढ़ होते हुये आजमगढ़ सीधी सेवा संचालित करने का प्रस्ताव नहीं है ।

जनपद मैनपुरी के विकास खण्ड बेवर में राशन कार्ड धारकों की संख्या एवं गांव पंचायत मानपुर हरी में चीनी के आवंटन की जानकारी

15–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जनपद मैनपुरी के विकास खण्ड बेवर में कितने राशन कार्ड धारक हैं ? क्या यह सच है कि उक्त ब्लाक में ऐसी बहुत सी गांव सभायें हैं जिनमें राशन कार्डों की संख्या कम होते हुए भी अधिक चीनी का आवंटन किया जाता है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार को ज्ञात है कि उक्त ब्लाक के गांव पंचायत मानपुर हरी में राशन कार्ड धारकों को निर्धारित मात्रा से कम चीनी आवंटित होने के कारण गांववासी चीनी की आपूर्ति से वंचित रह जाते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार चीनी का आवंटन आवश्यकतानुसार बढ़वाने की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री एज़ाज़ रिज़वी–

22,850 राशन कार्ड धारक हैं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बेवर ब्लाक के गांव पंचायत मानपुर हरी में प्रचलित राशन कार्डों की संख्या 237 है तथा यूनिट की संख्या 1,186 है, शासन द्वारा निर्धारित चीनी के वितरक मानक 330 ग्राम प्रति यूनिट की दर से गांव पंचायत को 4 कुन्टल चीनी का आवंटन किया जाता है, यह निर्धारित मानक के अनुरूप है ।

दिल्ली से कस्बा खेकड़ा (मेरठ) राज मार्ग पर बसों के संचालन की जानकारी

16–श्री रूप चौधरी–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कस्बा खेकड़ा (मेरठ) के लिए खेकड़ा से दिल्ली बस अड्डा तक चलने वाली परिवहन निगम की बसों की पूर्ववत् सेवा जारी है ? यदि हां, तो उक्त रूट पर वर्तमान में बसों के कितने चक्कर किस-किस समय हैं ? यदि नहीं, तो उक्त सुविधा को समाप्त किये जाने का कारण क्या हैं ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

जी हां ।

वर्तमान समय में दिल्ली से कस्बा खेकड़ा तक 2 बसों से पूर्ववत् 6 फेरे संचालित हो रहे हैं, जिसके प्रस्थान का समय निम्नवत् है :–

दिल्ली से	कस्बा खेकड़ा से
07.15	07.00
14.30	11.30
20.00	18.45

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फिरोजाबाद के टूंडला रेलवे स्टेशन से संचालित रोडवेज बसों की जानकारी

17–श्री शिव सिंह चक–

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि जनपद फिरोजाबाद के टूंडला रेलवें स्टेशन से चलने वाली रोडवेज बसों को बन्द कर दिया गया है, जिससे दैनिक यात्रियों को अत्यन्त कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ? क्या उक्त स्टेशन से रोडवेज की बस पुनः चलाने हेतु सरकार कोई कदम उठा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

जी नहीं ।

टूंडला रेलवे स्टेशन सेवायें संचालित हैं ।

18–श्री हरदेव सिंह तथा श्री सरवर अली खां–

[तीसरे शुक्र के लिए स्थगित]

राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अन्तर्गत दैनिक वेतन एवं संविदा पर रखे गये कर्मचारियों के पारिश्रमिक भुगतान में हुए व्ययाधिक्य के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

19–श्री हरदेव सिंह तथा श्री कमला प्रसाद रावत–

क्या पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री बतायेंगे कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के आय व्ययक की मद संख्या–02 आकस्मिक व्यवस्था के अन्तर्गत मजदूरी मद में दैनिक वेतन हेतु तथा संविदा पर कर्मचारियों

के पारिश्रमिक भुगतान हेतु वर्ष 1995-96, 96-97 एवं 97-98 में कितनी-कितनी राशि का पृथक-पृथक प्राविधान किया गया है ? इन प्राविधानों के सापेक्ष वर्ष 1995-96 व 96-97 तथा 97-98 में दिनांक 1-4-97 से 31-5-97 तक उक्त कर्मचारियों पर कितनी-कितनी धनराशि पृथक-पृथक व्यय की गयी है ? क्या दैनिक वेतन पर मजंदूरी एवं संविदा पर कर्मचारियों को भुगतान में व्ययाधिक्य हुआ है ? यदि हां, तो क्यों ? इसका क्या कारण है ? निर्धारित प्राविधान से अधिक भुगतान हेतु दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) श्री शिव चरण प्रजापति–

राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को वर्ष 1995-96 तथा 1996-97 में 02–आकस्मिक व्यवस्था के अन्तर्गत कर्मचारियों की मजदूरी मद में क्रमशः रु० 80,800 तथा रु० 74,800 की वित्तीय स्वीकृति जारी की गयी है । वर्ष 1997-98 में आयोग को अभी कोई स्वीकृति जारी नहीं की गयी है ।

शासन द्वारा जारी की गयी स्वीकृतियों में मजदूरी मद के अन्तर्गत मात्राकृत धनराशि के अनुसार व्यय करने के लिए आयोग बाध्य नहीं है क्योंकि उत्तर प्रदेश अन्य पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग अधिनियम, 1996 की धारा 12 (1) तथा 12 (2) में यह प्राविधान है कि राज्य सरकार आयोग को जैसा उचित समझेगी एक निश्चित धनराशि सहायक अनुदान के रूप में स्वीकृत करेगी तथा आयोग ऐसी स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दिये गये कृत्यों को सम्पादित करने के लिए, जैसा उचित समझेगी, कर सकता है । अतः उक्त प्राविधान को दृष्टिगत रखते हुए मजदूरी मद में कर्मचारियों को भुगतान करने में व्ययाधिक्य हुआ है, इसका निर्धारण नहीं किया जा सकता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

20–श्री हरदेव सिंह तथा श्री सरवर अली खां–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

21–श्री नेतराम सिंह–

[तीसरे सोम में अता० प्र० सं० 82 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद पौड़ी गढ़वाल में स्वीकृत अपूर्ण मोटर मार्ग के निर्माण की मांग

22–श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल में ऐसे कितने और कौन-कौन मोटर मार्ग अथवा हल्के वाहन मार्ग हैं जो अपूर्ण हैं ? इन मार्गों की स्वीकृति कब-कब हुई है और कितने किलोमीटर मार्ग अब तक निर्मित किये गये हैं ? कितने किलोमीटर मार्ग निर्माण करना अवशेष है ? इन मार्गों के अवशेष भाग का निर्माण कब तक किये जाने की योजना है ?

श्री मातवर सिंह कण्डारी–

जनपद पौड़ी गढ़वाल में 33 मोटर मार्ग तथा 39 हल्के वाहन मार्ग अपूर्ण हैं । विवरण संलग्न है ।

संबंधित विवरण संलग्न तालिका में उल्लिखित हैं ।

जून, 1997 तक 463 किलोमीटर मोटर मार्ग तथा 37 किलोमीटर हल्का वाहन मार्ग ।

191 किलोमीटर मोटर मार्ग तथा 104 किलोमीटर हल्का वाहन मार्ग ।

उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के अन्तर्गत अपूर्ण कार्यों को यथाशीघ्र पूर्ण करने का प्रयास जारी है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 139–141 पर)

देवरिया डिपो से चलने वाली रोडवेज बसों को छितौनी, खड्डा, कोटवा एवं धौरठ स्थान तक चलाये जाने की मांग

23–श्री दीप लाल भारती–

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि देवरिया डिपो से चलने वाली रोड़वेज की बसें अब देवरिया से छितौनी, खड्डा, मदनपुर, भेड़िहारी, कोटवा, पकड़ीयार, धौरठ तक गत सात माह से नहीं चल रहीं हैं ? यदि हां, तो क्या वे पुनः चलायी जायेंगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

जी नहीं । देवरिया डिपो से छितौनी, खड्डा, भेड़िहारी, कोटवा, धौरठ को चलने वाली निगम बसों का संचालन मार्च, 97 से बन्द है । देवरिया से पकड़ीयार एवं मदनपुर के लिए एक-एक निगम सेवा वर्तमान में संचालित है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

छितौनी, खड्डा, भेड़िहारी, कोटवा एवं धौरठ स्थान अराष्ट्रीयकृत मार्ग पर स्थित होने तथा अलाभकारी होने के कारण इनका संचालन प्रस्तावित नहीं है ।

उ० प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा हरदोई से कानपुर वाया सांडी रोडवेज बस संचालित करने की मांग

24–श्री गंगा सिंह चौहान–

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि उ० प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा हरदोई से कानपुर वाया सांडी रोडवेज बस चलायी जा रही थी ? क्या वर्तमान समय में उसे बन्द कर दिया गया है ? क्या यह सही है कि सांडी से हरदोई व कानपुर आने-जाने वाले हजारों यात्रियों को प्रतिदिन कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या उक्त बसें वाया सांडी चला दी जायेंगी ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

जी हां ।

जी हां ।

जी नहीं ।

साण्डी से हरदोई के लिए सेवायें उपलब्ध हैं । केवल कानपुर के लिए सेवा संचालित नहीं है ।

जी नहीं । क्योंकि उक्त मार्ग पर पूर्व संचालित सेवाओं की आय व लोड फैक्टर सन्तोषजनक नहीं पाया गया ।

25–श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

कस्बा रुधौली कला (जनपद बस्ती) बांसी मार्ग पर परिवहन निगम की संचालित बसों की जानकारी

26–श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

क्या परिवहन मंत्री को ज्ञात है कि कस्बा रुधौली कला (जनपद बस्ती) लगभग दस हजार की आबादी का कस्बा है जहां ब्लाक मुख्यालय, इण्टर कालेज, थाना और लगभग तीन कि०मी० की दूरी पर ग्राम पंचायत बहादुरपुर में भारत सरकार द्वारा नवोदय विद्यालय है व तीन कि०मी० की दूरी पर ग्राम पंचायत धन्सा के ग्राम अठदमा में भारत सरकार द्वारा स्थापित दूरदर्शन का प्रसारण केन्द्र भी है तथा यह कस्बा तहसील तथा जिला मुख्यालय बस्ती से तीस कि०मी० की दूरी पर है ? यदि हां, तो रुधौली से जनसाधारण को यातायात सुविधा उपलब्ध कराने हेतु उत्तर प्रदेश परिवहन निगम कौन-कौन से उपाय कर रहा है ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

रुधौली कस्बा बस्ती बांसी मार्ग के मध्य में स्थित है । इस मार्ग पर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की 26 अप एवं 26 डाउन सेवायें प्रतिदिन संचालित हैं ।

27–श्री रूप चौधरी–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

प्रदेश में जिला पूर्ति अधिकारियों के रिक्त पदों पर क्षेत्रीय खाद्य अधिकारियों की पदोन्नति की मांग

28–श्री जगदम्बिका पाल–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1992 में खाद्य तथा रसद विभाग में क्षेत्रीय खाद्य अधिकारियों की अन्तिम रूप से वरिष्ठता सूची जारी की गयी थी ? क्या उक्त वरिष्ठता सूची के आधार पर प्रदेश में रिक्त पड़े जिला पूर्ति अधिकारियों के पदों पर विभागीय पदोन्नतियां की गयी थीं ? क्या उपरोक्त वरिष्ठता सूची को स्टेट ट्रिब्यूनल ने बिना कारण के रद्द कर दिया था ? तदुपरान्त स्टेट ट्रिब्यूनल के उपरोक्त आदेश को क्रियान्वयन करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है ? यदि हां, तो उपरोक्त वर्ष 1992 की वरिष्ठता सूची में से वरिष्ठतम क्षेत्रीय खाद्य अधिकारियों को कब तक जिला पूर्ति अधिकारियों के रिक्त पदों पर पदोन्नतियां पूरी कर ली जायेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री एज़ाज़ रिज़वी–

जी हां ।

जी नहीं ।

जी नहीं ।

निर्देश याचिका संख्या–80/एफ/4/93-विजय शंकर पाण्डेय बनाम राज्य सरकार व अन्य में "माननीय न्यायालय द्वारा इस बिन्दु पर निर्णय दिया गया कि प्रोन्नति प्राप्त अधिकारियों को विनियमितीकरण की तिथि से ज्येष्ठता दी जानी चाहिए न कि तदर्थ रूप से तैनाती की तिथि से ।" इन्हीं कारणों से आदेश दिनांक 19 अप्रैल, 1994 द्वारा वरिष्ठता सूची को रद्द कर दिया गया है ।

जी हां ।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या–4215(एस एस)/94–अमरेन्द्र निगम बनाम राज्य सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 20-9-94 द्वारा क्षेत्रीय खाद्य अधिकारियों की ज्येष्ठता सूची बनाने के आदेश दिये गये हैं किन्तु उक्त सूची जारी न किये जाने के भी आदेश पारित किये गये हैं ।

माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के अनुपालन में जिला पूर्ति अधिकारियों के रिक्त पदों पर क्षेत्रीय खाद्य अधिकारियों को पदोन्नत किया जाना फिलहाल सम्भव नहीं है ।

राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा अन्य पिछड़े वर्ग की अनुसूची में जातियों को शामिल करने के संबंध में एवं निषाद/केवट तथा मुस्लिम मोची जाति के लोगों को आयोग द्वारा पिछड़े वर्ग में शामिल करने की जानकारी

29-श्री हरदेव सिंह तथा श्री कमला प्रसाद रावत-

क्या पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा अन्य पिछड़े वर्ग की अनुसूची में जातियों को शामिल करने के संबंध में मई/जून, 1997 में सुनवाई आयोजित की गयी है ? यदि हां, तो पांच सदस्यीय इस आयोग में कितने-कितने सदस्यों ने इन जातियों की सुनवाई की तथा आयोग के अध्यक्ष किस तिथि से किस तिथि तक लखनऊ मुख्यालय से बाहर तथा जातियों की सुनवाई से पृथक रहे ? आयोग के अध्यक्ष के लखनऊ मुख्यालय एवं सुनवाई से बाहर रहने के संबंध में क्या कोई लिखित सूचना मंत्री जी को प्राप्त हुई ? यदि हां, तो किस तिथि को ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सत्य है कि विज्ञापन के उपरान्त भी निषाद/केवट तथा मुस्लिम मोची जाति के लोगों को आयोग द्वारा कोई पत्र सुनवाई हेतु प्रेषित नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री शिव चरण प्रजापति-

जी हां ।

पांच सदस्यीय आयोग में उक्त सुनवाई के समय केवल एक सदस्य तथा अध्यक्ष थे । आयोग के बाकी तीन सदस्यों के पद रिक्त थे । इस सुनवाई के दौरान अध्यक्ष मुख्यालय तथा कैम्प कार्यालय में रहे ।

आयोग के अध्यक्ष के लखनऊ मुख्यालय से बाहर रहने के संबंध में मा० मंत्री जी को लिखित सूचना दी जायेगी ऐसा कोई प्राविधान उत्तर प्रदेश पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग अधिनियम, 1996 में नहीं है ।

निषाद, केवट तथा मुस्लिम मोची जाति के लोगों को आयोग द्वारा सुनवाई के पूर्व सार्वजनिक सूचना तथा व्यक्तिगत सूचना पत्र देकर सूचित किया गया था ।

उत्तराखण्ड क्षेत्र में स्वयं सेवी संस्थाओं को वर्ष 1996-97 में आर्थिक सहायता एवं उक्त संस्थाओं के नाम पते की जानकारी

३()-श्री अजय भट्ट-

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तराखण्ड क्षेत्र में कुल कितनी स्वयं सेवी संस्थाओं को वर्ष 1996-97 में आर्थिक सहायता प्रदान की गयी ? आर्थिक सहायता जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रदान की गयी थी ? क्या वास्तव में वे कार्य सम्पन्न हुए ? उक्त संस्थाओं के नाम व पते क्या हैं ?

श्री मातवर सिंह कण्डारी-

उत्तराखण्ड विकास विभाग के आय-व्ययक से उपलब्ध सूचनानुसार 65 स्वयं सेवी संस्थाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की गयी ।

उपयोग विधि पूर्ण नहीं हुई है ।

विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 142-144 पर)

जनपद फैजाबाद मुख्यालय से कुमारगंज, कुमारगंज खण्डासा, वाया हलियापुर–जगदीशपुर–लखनऊ–कानपुर के लिए पूर्व संचालित बसों की जानकारी

31–श्री मित्रसेन यादव–

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद मुख्यालय से कुमारगंज, कुमारगंज खण्डासा वाया हलियापुर–जगदीशपुर–लखनऊ–कानपुर के लिए पूर्व कुल कितनी बसें चलती थीं और वर्तमान में कौन-कौन बसें कहां-कहां के लिए चल रही हैं ? क्या यह सही है उपरोक्त स्थानों को चलने वाली सभी बसें वर्तमान में बन्द कर दी गयी हैं, जिससे सरकारी कर्मचारियों/यात्रियों के आवागमन में भारी कठिनाई हो रही है ? इन बसों को बन्द किये जाने का कारण क्या है ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

जी हां ।

7 बसें संचालित थीं वर्तमान में फैजाबाद जनपद मुख्यालय से निम्न सेवायें संचालित हैं :–

1–फैजाबाद–हलियापुर–कानपुर–1 बस ।

2–फैजाबाद–हलियापुर-जगदीशपुर–दिल्ली–2 बस ।

3–फैजाबाद–हलियापुर–जगदीशपुर–1 बस ।

उक्त मार्ग की सभी बसें बन्द नहीं हुई हैं बल्कि मार्ग पर यात्रियों की उपलब्धता आदि के अनुसार उक्त बसें संचालित हैं । निम्न स्तरीय आय के आधार पर सेवाओं की संख्या में कमी की गयी है ।

उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के कुमायूं गढ़वाल मण्डल में सरकारी बसों का किराया स्थानीय संगठनों के समतुल्य करने की मांग

32–श्री अजय भट्ट–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कुमायूं गढ़वाल मण्डल में चलने वाली सरकारी बसों का किराया वहां के स्थानीय परिवहन संगठनों, यथा कुमायूं मोटर ओनर्स यूनियन तथा गढ़वाल मोटर ओनर्स यूनियन के बसों के किराये से अधिक होने के कारण सरकारी राजस्व प्राप्ति में कमी हुई है ? क्या इस क्षति को रोकने हेतु सरकारी बसों का किराया भी स्थानीय परिवहन संगठनों के समतुल्य करने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

कुमायूं/गढ़वाल मण्डल में अधिकांशतया उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के नैनीताल तथा टनकपुर क्षेत्र द्वारा बसों का संचालन किया जाता है । विगत तीन वर्षों में इन क्षेत्रों में निगम की सकल आय निम्नलिखित रही है, जिससे स्पष्ट है कि राजस्व प्राप्ति में कमी नहीं हुई है :–

वित्तीय वर्ष	राजस्व की प्राप्ति (करोड़ रु० में)	
	नैनीताल	टनकपुर
1994-95	23.59	14.50
1995-96	27.73	16.86
1996-97	29.24	17.82

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ जनपद के ग्राम-बरावन कलां तक नगर बसों को संचालित करने की मांग

33–श्री दीप लाल भारती–

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ जनपद के ग्राम बरावन कलां नगर निगम की सीमा के अन्तर्गत होने के बाद भी वहां की जनता को नगरीय बस सुविधा उपलब्ध नहीं है ? क्या सरकार नगर बस बरावन कलां तक चलाने के लिए आदेशित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

जी हां ।

"जी नहीं" सन्निकटीय पर्याप्त सेवायें वहां के लिए उपलब्ध हैं ।

परिवहन निगम द्वारा वर्ष 1982 से दिनांक 18-6-97 तक विभाग द्वारा कैशियर/लिपिक संवर्ग में प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण एवं दी गयी नौकरी

34–श्री पारस नाथ यादव–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1982 से दिनांक 18-6-97 तक विभाग द्वारा कैशियर/लिपिक संवर्ग में कितने प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया है तथा उनमें से कितने प्रशिक्षणार्थियों को विभाग द्वारा नौकरी प्रदान की गयी है ? उसका आधार क्या था ? शेष प्रशिक्षणार्थियों को कब तक सेवा में सेवायोजित कर लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

वर्ष 1982 से वर्ष 1991 तक परिवहन निगम द्वारा कैशियर/लिपिक संवर्ग में 1849 शिशिक्षुओं को प्रशिक्षण दिया गया । वर्ष 1991 के बाद किसी शिशिक्षु को प्रशिक्षण नहीं दिया गया । 673 प्रशिक्षणार्थियों को विभाग द्वारा नौकरी प्रदान की गयी है ।

माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 12-1-95 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत इनके प्रकरण पर विचार किया गया । यथा समय नियमानुसार विचार किया जायेगा ।

कर्मचारी कल्याण निगम, सचिवालय डिपो में कार्यरत कर्मचारियों के विरुद्ध की गयी शिकायत पर जांच

35–श्री पारस नाथ यादव–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री जफर व मसरूर, सेल्स मैन, कर्मचारी कल्याण निगम ब्रान्च सचिवालय, लखनऊ के विरुद्ध मा० विधायक रामतेज यादव द्वारा दिनांक 6-6-97 को प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद को पत्र लिखकर शिकायत की गयी थी ? यदि हां, तो उक्त दोनों कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? उन दोनों कर्मचारियों का स्थानान्तरण कहां पर किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री एज़ाज़ रिज़वी–

जी हां । 4 जून, 1997 का पत्र प्राप्त हुआ था ।

जांच हेतु अपर निदेशक को निर्देशित कर दिया गया है । जांचोपरान्त उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ।

स्थानान्तरण नहीं किया गया है । जांच आख्या के आधार पर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी ।

मंत्रि-मण्डल के सदस्यों से परिचय कराये जाने का अनुरोध

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, जब माननीय मंत्रीगण उत्तर देने के लिए खड़े होते हैं तो माननीय सदस्यगण के समक्ष भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि कृपया माननीय मंत्रीगण का परिचय हो जाय।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, जब माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी आ जायेंगे तो मैं उनसे बात कर लूंगा।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 25 जुलाई, 1997 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल 36 सूचनायें प्राप्त हुईं। प्राप्त सूचनाओं में से शलाका के आधार पर अग्राह्य को छोड़ते हुए निम्नलिखित 7 सूचनायें स्वीकार की गईं।

(संलग्न सूचनायें पढ़ी हुई मानी गईं)

शिबली नेशनल कालेज, आजमगढ़ में की गई अवैध नियुक्तियों को रद्द करने एवं दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री फागू चौहान–

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्वपूर्ण विषय पर आकर्षित करना चाहता हूं कि प्रबन्धक, शिबली नेशनल कालेज, आजमगढ़ ने दिनांक 9-12-1995 को पंजीकृत डाक द्वारा संस्थान में अवैधानिक व अनियमित तौर पर नियुक्त चार प्रवक्ताओं को कुलपति महोदय, पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर द्वारा दिये गये अनुमोदन के विरुद्ध माननीय कुलाधिपति (राज्यपाल) महोदय के समक्ष संदर्भ किया जिसकी पत्रावली कार्यालय से गायब कर दी गयी और कोई कार्यवाही नहीं की गयी। इस सम्बन्ध में दिनांक 21-6-1997 को पुनः पंजीकृत डाक द्वारा सभी कागजात भेजे गये जिसमें अधिकांश कागजात गायब कर दिये गये। इन चार नियुक्तियों में जहां व्यापक भ्रष्टाचार की सम्भावना है, उसे जांच करायें और इतने बड़े संवैधानिक पद पर कार्यरत कार्यालय में कागजों की हेराफेरी करने, जिसमें संवैधानिक पद की गरिमा को नुकसान हो, वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार कार्यवाही करे।]

गोरखपुर मण्डल के सभी जनपदों में पाठ्य पुस्तकों के अभाव से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सूर्य प्रताप शाही–

[गोरखपुर मण्डल के जनपद कुशीनगर, देवरिया, महराजगंज तथा गोरखपुर में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम में मान्यता प्राप्त पुस्तकों का घोर अभाव हो गया है। शिक्षा सत्र प्रारम्भ होने के कारण छात्रों के प्रवेश के साथ पढ़ाई के लिये पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकता होती है किन्तु पाठ्य पुस्तकों के प्रकाशकों द्वारा घटिया पुस्तक छापने के कारण उसके विक्रय पर पाबन्दी लगाये जाने तथा नवीन छपी पुस्तकों की उपलब्धता न होने के कारण छात्रों का पठन-पाठन गम्भीर रूप से बाधित हो गया है। गोरखपुर के मान्यता प्राप्त प्रकाशक रमेश एवं सुरेश बुक डिपो सरकार की छवि धूमिल करने

नोट :–[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

की साजिश कर रहे हैं और पुस्तक विक्रेताओं को ब्लैक दरों के आधार पर पुस्तकों की मांग के मुकाबले बहुत कम सुलभ करा रहे हैं । जिससे विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोर कठिनाई है और उनमें आक्रोश है ।

फलतः आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में इस महत्वपूर्ण समस्या को सरकार के ध्यान में लाते हुये कुशीनगर, देवरिया तथा गोरखपुर जनपदों में अन्य मण्डलों से अविलम्ब पुस्तकें भिजवाकर वहां के छात्रों की समस्याओं के समाधान की मांग करता हूं ।]

(सदस्य श्री शिव प्रताप शुक्ल, श्री रवीन्द्र प्रताप चौधरी का नाम पुकारे जाने पर वे सदन में उपस्थित नहीं थे)

फतेहपुर जनपद में ग्राम खेमखरनपुर से गढ़ा मार्ग को लेपन स्तर तक निर्मित कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मुरली धर–

[मा० अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से नियम 301 के अन्तर्गत आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि जनपद फतेहपुर के ग्राम सभा गढ़ा लगभग 12 हजार आबादी की जनपद में सबसे बड़ी ग्राम सभा है । उक्त ग्राम सभा जमुना नदी के किनारे स्थित होने के कारण इस ग्राम की आने जाने हेतु डामर सड़क नहीं है । जिसके कारण बड़ी ग्राम सभा होते हुये भी विकास की धारा से अलग है । बीहड़ इलाकों में पुलिस को आने जाने में कठिनाई होती है जिसके कारण डकैत लोग इस मजबूरी का फायदा उठाते हुये आये दिन कोई न कोई जघन्य अपराध करते रहते हैं । उक्त ग्राम सभा में निवास करने वाली जनता अपने जानमाल को असुरक्षित महसूस करती है एवं गांव छोड़ने को मजबूर हो रही है । उक्त मार्ग में मिट्टी व गिट्टी पड़ चुकी है लेकिन डामरीकरण नहीं किया गया है ।

अस्तु मैं सरकार से मांग करता हूं कि ग्राम खेमखरनपुर से गढ़ा मार्ग जो जनहित में अत्यन्त उपयोगी है का लेपन स्तर तक निर्मित कराने की व्यवस्था,अतिशीघ्र की जाये ताकि इस क्षेत्र का समुचित विकास व जनता के जान माल की सुरक्षा हो सके ।]

शिक्षा अनुभाग–3 उत्तर प्रदेश शासन के दिनांक 30 नवम्बर, 91 के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा० राम बाबू हरित–

[महोदय, जनपद आगरा में कुकरमुत्तों की तरह अंग्रेजी माध्यम से चलने वाले माध्यमिक स्कूलों की बाढ़ सी आयी हुई है, कुछ स्कूलों ने पूर्णतः व्यवसायिक रूप धारण कर करोड़ों की सम्पत्ति भी अर्जित कर ली है, सेण्ट पीटर, सिम्सकिन स्कूल, आगरा पब्लिक स्कूल, सेण्ट ऐंथोनी, सेण्ट पाल आदि स्कूलों द्वारा शासनादेश सं० 2762/15-31-91-4/46/91 शिक्षा अनु०–3, दिनांक 30 नवम्बर, 1991 का अनुपालन नहीं किया जा रहा है ।

उप सचिव उ० प्र० द्वारा एस०सी०/एस०टी० छात्राओं के लिये 10% आरक्षण तथा फीस माफी आदि की व्यवस्था लागू कराने की जिम्मेदारी मण्डलीय शिक्षा उप निदेशक को दी थी लेकिन ये अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त होने के कारण इस सूचना को समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने के अलावा क्रियान्वित करने हेतु कोई सख्त भूमिका अदा नहीं करते ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

क्या सरकार उ० प्र० लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) आरक्षण विधेयक, 1994 को भी विद्यालयों में लागू करायेगी तथा शासनादेश न मानने वाले विद्यालयों का अनापत्ति सर्टीफिकेट निरस्त करते हुये उन्हें व्यवसायिक केन्द्र मानकर इन पर सभी तरह के सरकारी कर लागू किये जायेंगे ।

अतः आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि उपरोक्त समस्या का समाधान कर आवश्यक कार्यवाही करायें ।]

गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कतिपय अम्बेडकर गांवों की भूमि का अर्जन करने के प्रयास से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती गौरी देवी–

[मान्यवर, हमारे विधान सभा क्षेत्र 182, कौड़ीराम में जंगल खोराबार रानीडीहा और जंगल सिकरी ग्राम हैं । यह अम्बेडकर ग्राम हैं । इसकी 75 प्रतिशत आबादी अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति और दलित वर्ग की है । यहां के लोगों का मूल पेशा खेतिहर मजदूरी और खेती हैं । गोरखपुर विकास प्राधिकरण अपनी मुनाफाखोरी की प्रवृत्ति से इन गांवों की समस्त भूमि का अर्जन करने के प्रयास में लगा है अगर ऐसा होता है तो कई हजार अनुसूचित व पिछड़ी जाति के लोग बेरोजगार हो जायेंगे और रोट के लिए मोहताज हो जायेंगे ।

अतः सदन के संज्ञान में लाते हुये गोरखपुर विकास प्राधिकरण के इस प्रयास को रोकने के लिये शीघ्र प्रभावी कार्यवाही की मांग करती हूं ।]

श्री अध्यक्ष–

प्रतीक्षा सूची से निम्न दो सूचनायें ले रहा हूं ।

उ० प्र० राजकीय निर्माण निगम में बढ़ रही गम्भीर वित्तीय एवं प्रशासकीय अनियमितताओं के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री महराज सिंह यादव–

[मैं माननीय सदन का ध्यान उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम में बढ़ रही गम्भीर वित्तीय एवं प्रशासकीय अनियमितताओं की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं जिनके कारण निगम को करोड़ों रुपये की आर्थिक क्षति के साथ व्यवसायिक बदनामी तथा कर्मचारी–असन्तोष झेलना पड़ा हैं, जैसा कि निगम मुख्यालय से जारी परिपत्र संख्या–5227 एवं 5228 दिनांक 06-6-95 से प्रमाणित है । इसका मुख्य कारण निगम के आन्तरिक अंकेक्षकों की संख्या में की गयी भारी कटौती हैं । जिसे वर्ष 1990-91 में तत्कालीन मुख्य लेखाधिकारी ने शासन को प्रेषित अपनी रिपोर्ट में लिखा तथा निगम के निदेशक मण्डल ने भी अपनी विभिन्न बैठकों में तदनुसार निर्णय लिये । किन्तु कुछ नहीं हुआ ।

अतः इस सम्बन्ध में तुरन्त प्रभावी कार्यवाही हेतु मांग करता हूं ।]

(श्री तौफीक अहमद, सदस्य का नाम पुकारे जाने पर वे सदन में उपस्थित नहीं थे)

श्री अध्यक्ष–

शेष सूचनायें अस्वीकार की गयीं ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

[समय 12 बजकर 25 मिनट]

विभिन्न सूचनाओं के सम्बन्ध में जानकारी

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, मैं एक ही सूचना पांच दिन से लगातार दे रहा हूं। मगर वह नहीं आ पा रही है।

श्री अध्यक्ष–

आपकी सूचना शलाका में नहीं आ रही है। इसलिए नहीं आ पा रही है।

श्री मित्रसेन यादव–

मान्यवर, नियमतः हफ्ते में जिन माननीय सदस्यों की सूचनाएं ली गयी हैं उनको फिर नहीं लिया जाना चाहिए। अतः मेरा अनुरोध है कि आप बतायें कि जिन माननीय सदस्यों की सूचनाएं निरस्त की हैं उसके बदले में कौन सी सूचनाएं आप ले रहे हैं?

श्री अध्यक्ष–

यह संभव नहीं हो पायेगा। आप तो जानते ही हैं।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, 301 में कौन सी सूचनाएं ली जायेंगी यह अधिकार क्षेत्र आपका है। कार्य की सुगमता के लिए शलाका निकाली जाती है। इसमें आपके ऊपर कोई प्रतिबन्ध तो है नहीं। तो जितने लोग यहां पर उपलब्ध नहीं है उनकी जगह जो लोग उपलब्ध हैं उनकी सूचनाएं ले लें।

श्री अध्यक्ष–

जो अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये निदेश हैं उसके निर्देश संख्या–10 में यह बात स्पष्ट लिखी हुई है कि शलाका के आधार पर निकाली जायेगी। हम आपके परामर्श से कोई रास्ता निकाल लेंगे। आज दिनांक 25-7-97 को नियम–300 के अन्तर्गत 8 सूचनाएं प्राप्त हुईं। कुछ सूचनाएं ऐसी हैं जो प्रथम दृष्टया इसमें नहीं आती हैं। अगर आपकी अनुमति हो तो निरस्त कर दूंगा।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, आप उसकी ग्राह्यता पर तो सुन सकते हैं।

श्री अध्यक्ष–

जब वह प्रथम दृष्टया नहीं आती है तो क्या औचित्य। इस सदन का समय मूल्यवान है यह तो आप जानते ही हैं।

* श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, आपने देखा होगा कि कुछ वरिष्ठ सदस्य अपनी वरिष्ठता के आधार पर हावी होने की कोशिश करते हैं।

श्री अध्यक्ष–

वरिष्ठता नहीं, यह बात नहीं है हम उनका सम्मान करते हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । प्रत्येक दिन नियम–300 में ऐसी सूचनायें जो प्राग्दर्शन में दूर-दूर तक नियम–300 के अन्तर्गत नहीं आतीं, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि ऐसी सूचनाओं का आप अपने स्तर से निस्तारित कर दें जिससे नये सदस्यों को इस सदन में अपनी बात रखने को अवसर मिलेगा ।

श्री अध्यक्ष–

पहले भी यही प्रक्रिया थी ।

श्री जगदम्बिका पाल–

यह सरकारी वकील हैं ।

श्री मित्रसेन यादव–

मान्यवर, अपनी सूचना पर कहूं ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने सोचा कि शायद आप कोई व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते हैं ।

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

नियम 300 की बहुत सी सूचनायें प्रथम दृष्टाया उसमें नहीं आती हैं, हम लोग कहते हैं कि सदन का समय बहुमूल्य है । तो मैं कुछ सूचनाओं को अपने कक्ष में ही निरस्त कर दूं और कुछ की ग्राह्यता पर सुन लूं । एक सूचना पर कई माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर होते हैं । पहले यह प्रक्रिया थी कि एक माननीय सदस्य को सुना जाता था और बहुत हुआ तो दो सुन लिया जाता था । मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप ग्राह्यता पर अपने विचार बहुत संक्षेप में प्रकट करें । बजट पर भी चर्चा होनी है । माननीय सदस्यों को और विशेषकर नये सदस्यों को समय देने का प्रयास करूंगा । पहली सूचना कुं० रेवतीरमण सिंह जी की है ।

प्रदेश में नये जिला सृजन की घोषणा के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

कुंवर रेवती रमण सिंह–

श्रीमन् मैं आज नियम 300 के अन्तर्गत औचित्य का प्रश्न उठा रहा हूं । यह औचित्य का प्रश्न पूरे प्रदेश के जन जीवन से जुड़ा हुआ है और तात्कालिक भी है । मान्यवर, हम जो बात कह रहे हैं, वह नियम 300 के अन्तर्गत इस प्रकार से आयेगी, जो सवाल मैंने उठाया है, उसमें मैंने स्पष्ट किया है कि विधान सभा के द्वारा ऐसा नियम बनाना चाहिये जो इस तरह की प्रक्रिया हमारे प्रदेश में चल रही है कि रोज नये जिले बनाने की घोषणा हो रही है, नयी तहसीले बनाने की घोषणा कर दी जाती है, नये ब्लाकों के बनाने की घोषणा कर दी जाती है, तो इससे प्रदेश में अधिभार बढ़ रहा है । मान्यवर, एक व्यक्ति को यह शक्ति नहीं मिलनी चाहिये, जो मनमाने ढंग से जिला बनाने की घोषणा कर दे । मैंने कहा है कि यह अधिकार विधान सभा को होना चाहिये और विधान सभा द्वारा जब प्रस्ताव पारित हो जाये तब ही जिला बनाने की घोषणा की जानी चाहिये । मैंने इसलिये कहा कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति जर्जर हो रही है और हमारा प्रदेश गरीबी की रेखा के नीचे चला गया है ।

जब हमारा देश आजाद हुआ था, तो उत्तर प्रदेश चौथे या पांचवें स्थान पर था और आज नीचे से बिहार और उड़ीसा के बाद तीसरे नम्बर पर है । मान्यवर, आप स्वयं इस बात से परिचित हैं कि हमारे प्रदेश का आर्थिक ढांचा बहुत ही जर्जर हो गया है और विकास की योजनाओं पर खर्च करने के लिये पैसा नहीं है । कलराज मिश्र जी हैं, इनको बहुत कम पैसा मिला है, लोक निर्माण विभाग को बहुत कम पैसा मिला है । बिजली विभाग के पास पैसा नहीं है, फ्यूज के लिये पैसा नहीं है, इन्सलेटर के लिये पैसा नहीं है और पैसा न होने के कारण नये पावर हाउसेज नहीं लगाये जा पा रहे हैं, सिंचाई में कोई नयी योजना लागू नहीं की जा रही है । कोई योजना कार्यान्वित नहीं हो पा रही है जिससे प्रदेश का आर्थिक विकास हो सके । (व्यवधान)

श्री यशवन्त–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

इसमें व्यवस्था कहां है । मेरे कहने के बाद उठाइये ।

श्री यशवन्त–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद का उल्लंघन हो रहा है ?

श्री अध्यक्ष–

मैंने पहले ही कहा कि कृपया यह बताइये कि संविधान के किस अनुच्छेद का उल्लंघन हो रहा है ?

कुंवर रेवती रमण सिंह–

माननीय सदस्य यशवन्त कोई नये सदस्य नहीं हैं, दुबारा चुनकर आये हैं । इतनी टीका-टिप्पणी न करें । आज स्थिति क्या हो गयी है इसका ज्ञान माननीय अध्यक्ष जी और सभी माननीय सदस्यों को है कि हम आर्थिक रूप से कितने पिछड़ गये हैं । आज विकास के लिए हमारे पास कोई धन नहीं है । एक जिला बनाने में 4 से 5 अरब रुपया खर्च होता है । माननीय मुख्य मंत्री जी ने सरकार बनते ही 100 दिन के अन्दर आधा दर्जन जिलों की घोषणा कर दी इस तरह से पूरे प्रदेश में अरबों रुपये का अधिभार बढ़ गया, यह रुपया कहां से आयेगा ? जब हमें आजादी मिली थी, तब केवल 52 जिले थे आज 75 जिले हो गये हैं । आज से पहले जो जिले बनाये गये उनका विकास अभी तक नहीं हो पाया है । जब उनका विकास नहीं हो पाया है तो इन आधा दर्जन से ज्यादा जिलों का विकास कैसे होगा ? जो नये जिले बनाये हैं उनमें श्रावस्ती, कौशाम्बी, बलरामपुर, महामायानगर, गौतम बुद्ध नगर, ज्योतिबाफुले नगर, छत्रपति शाहू महराज नगर, इसी तरह जिलों के साथ तहसीलों का भी निर्माण हुआ है । जिसमें जखनिया (गाजीपुर), बिल्सी (बदायूं, शिकारपुर और डिबाई) (बुलन्दशहर), पिडहा (बनारस), कोरांव (इलाहाबाद), निजामाबाद, मेहनगर (आजमगढ़), मधुबन (मऊ) ठहरौली (झांसी), ऊंचाहार (रायबरेली) तथा जसवन्तनगर (इटावा) हैं ।

तो मैं जानना चाहता हूं कि इतने जिले और तहसील बनाने से प्रदेश पर जो अधिभार पड़ेगा वह कहां से आयेगा ? हमारे बजट में इनका कोई प्राविधान नहीं है । इस तरह से योजनायें लागू होती रहीं तो हमारा प्रदेश एक तो पहले से ही पिछड़ा हुआ है और पिछड़ जायेगा । जिला और तहसील बनाने के लिए बोर्ड आफ रेवेन्यू की एक कमेटी बनी हुई है उसके द्वारा इस पर पुनर्विचार होता है तब किसी जिले का पुर्नगठन होता है । आप स्वयं जानते हैं कि इलाहाबाद में एक नया जिला बनाया गया कौशाम्बी यदि बनाया ही जाना था तो इलाहाबाद को तीन भागों में बांटा जाना चाहिए था । गंगापार, यमुनापार और इलाहाबाद शहर जिसे सेन्ट्रली ऐडमिनिस्टर्ड जिला घोषित कर देते । मैं आग्रह करूंगा कि नियम–300 के अन्तर्गत इस पर चर्चा हो और जब तक विधान सभा द्वारा स्वीकृत न हो जाय तब तक नये जिले न बनाये जायं ।

श्री अध्यक्ष–

(डा० अशोक बाजपेयी के खड़े होने पर) माननीय कुंवर साहब ने पूरी बात कह दी है अब आप क्या कहेंगे ? (व्यवधान) अच्छा एक मिनट में अपनी बात कह लें ।

डा० अशोक बाजपेयी–

माननीय अध्यक्ष महोदय जैसा कुंवर साहब ने कहा एक जनपद बनाने में 4 से 5 अरब रुपया व्यय होता है अपने सौ दिनों के शासन काल में माननीय मुख्य मंत्री जी ने 7 जिलों का सृजन कर दिया यह 100 दिनों की उपलब्धियां अंपनी बतायी हैं और 35 अरब रुपया उत्तर प्रदेश की जनता पर और विधान सभा पर केवल एक व्यक्ति की स्वेच्छाचारिता से डाल दिया । जिला बनाने के लिए बोर्ड आफ रेवेन्यू की एक समिति है । उस पर डिस्ट्रिक्ट रिआर्गनाइजेशन कमेटी विधिवत विचार करती है । इसके लिए समय-समय पर आयोग गठित किये गये हैं । मैं आयोग की रिपोर्ट आपके समक्ष रखना चाहता हूं । एक रिपोर्ट कमीशन आन डिस्ट्रिक्ट लेबिल एडमिनिस्ट्रेशन वाल्यूम III है उसका हवाला देना चाहता हूं जो इस प्रकार है :–

साइज आफ दि डिस्ट्रिक्ट

फार अफीसिएन्ट एडमिनिस्ट्रेशन ए वाइएविल डिस्ट्रिक्ट यूनिट, नाइदर वैरी स्माल नार टू अनवेल्डी इज नेसेसरी इट बिल नाट बी एडवाइसेविल टु रिअर्गनाइज मेनी डिस्ट्रिक्ट्स बट दि केसेज आफ इलाहाबाद, बस्ती एन्ड मिर्जापुर डू रिक्वायर सीरियस कन्सीडरेशन ? क्लियरली दीज डिस्क्ट्स आर टु बिग टु फंक्शन एज इफीशिएन्ट एडमिनिस्ट्रेटिव युनिट्स एण्ड इट इज देयरफोर रिक्मेन्डड दैट दे बी बाइफरकेटेड इन्टू मैनेजिविल यूनिट्स ।

श्री अध्यक्ष–

हिन्दी भी कर दें ।

साइज आफ दि तहसील

एरिया आर पापुलेशन एलोन कैननाट बी दि क्राइटेरियन फार डिलिमिटेशन आफ तहसील बाउन्ड्रीज बट तहसील्स विच हैव ए वेरी लार्ज एरिया एस वेल एस ए लार्ज पापुलेशन आर नाट कन्ड्यूसिव टू इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन इन दि प्रजेन्ट स्ट्रक्चर ।

इसी से संबंधित एक और रिपोर्ट वैल्यूम–I जिलों के रिआर्गनाइजेशन के संबंध में है उसका एक उद्धरण देना चाहता हूं ।

देयर इज क्लियरली ए लिमिट आलदो देयर इज नो क्लियर लिमिट टु दि साइज आफ ए डिस्ट्रिक्ट । एपार्ट फ्राम दि एक्ट दैट इट इज इम्प्रक्टिकेवेल टू रिड्रा दि बाउन्ड्रीज आफ आल डिस्ट्रिक्ट्स इन दि प्रोविन्स इट इज नाट पासिबिल टु फाइन्ड ए फार्मूला व्हिच इनेबल्स वन टु फिक्स विथ प्रिसीजन दि आइडियल साइज आफ ए डिस्ट्रिक्ट ।

श्री अध्यक्ष–

आप इसका हिन्दी अनुवाद कर दीजिये ।

डा० अशोक बाजपेयी–

मैं अनुवाद कर दूंगा । मान्यवर, इसमें पेज 51 पर आगे कहा कि प्लानिंग रीजन्स इन दि ओल्ड मैसूर स्टेट सजेस्टेड दैट ए डिस्ट्रिक्ट विथ एन एरिया आफ मोर देन 4000 स्क्वायर माइल्स एन्ड ए पापुलेशन आफ वन मिलियन इज अनस्वीटेवल फार इफीशिएन्ट एडमिनिस्ट्रेशन कहा गया है कि जिले का क्षेत्रफल 4000 स्क्वायर किलोमीटर से अधिक होना चाहिये और उसकी पापुलेशन एक मिलियन से अधिक होनी चाहिये । इससे कम होने पर जिले का फारमूलेशन न किया जाय । मेरा निवेदन है कि कानूनों में इसकी स्पष्ट व्यवस्था नहीं की गयी है कि किस आधार पर एक नया जिला बनाया जायगा । आज उत्तर प्रदेश की गरीबी न देखकर केवल राजनीतिक कारणों से रोज एक नये जिले और तहसीलों के सृजन की घोषणा की जा रही है ।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें । आपकी सूचना संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है यह बतायें ?

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, माननीय सदस्य भाषण कर रहे हैं, संविधान या नियमावली का कहां पर उल्लंघन हो रहा है यह नहीं बता रहे हैं ।

डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, जो उत्तर प्रदेश लैंड रेवेन्यू ऐक्ट है इसमें बहुत अधिक अधिकार सरकार को दिये गये हैं और सरकार के ऊपर कोई दिशा निर्देश नहीं है कि कब वह किस जिले या तहसील की घोषणा कर दे। मैं चाहता हूं कि आप सरकार के उपर दबाव डालें जिससे कि इसके लिये निश्चित कानून बनाया जाय। लैंड रेवेन्यू ऐक्ट में असीमित अधिकार दिया गया है और उनको प्रयोग करके स्वेच्छाचारी सरकार जो होगी वह मनमाने ढंग से गरीबों का मजाक उड़ायेगी। यह सदन सबसे बड़ा है। सदन अनेक नियम और कानून बनाता है। प्रदेश की व्यवस्था सुचारु रूप से संचालित हो यदि इसके लिये हमारे ऐक्ट मौन रहे हैं और कानून में कोई व्यवस्था नहीं है तो यह हमारे सदन का दायित्व बन जाता है कि वह इस संबंध में विचार करे। आज जो मौजूदा परिस्थितियां हैं उसमें यह दायित्व और बढ़ जाता है कि हम ऐसा कानून बनायें जिससे स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगा सकें।

लैंड रेवेन्यू ऐक्ट 1901 की धारा 11 के अनुसार दि स्टेट गवर्मेन्ट मे क्रिएट न्यू आर एबालिश इक्सिस्टिंग डिवीजन्स आर डिस्ट्रिक्टस। इसमें असीमित अधिकार हैं, न इसमें कैबिनेट के एप्रूवल की जरूरत है न किसी सर्वेक्षण की आवश्यकता है। जब जो चाहेगा राजनीतिक कारणों से और राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिये एक नये जिले या तहसील की घोषणा कर देगा और 500 करोड़ रुपये का बोझ जनता पर बढ़ जायगा। आज प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को देने के लिये वेतन नहीं हैं, सारी विकास की योजनायें ठप्प हैं लेकिन रोज नये जिलों की घोषणा हो रही है। इसको कैसे विनियमित किया जाय इस पर हमको विचार करना होगा। मैं चाहता हूं कि आप ऐसी व्यवस्था दें जिससे एक स्पष्ट नीति बने और भविष्य में कोई मनमाने ढंग से इस तरह से जिले और तहसीलों का गठन न कर सके इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

मान्यवर, जैसा कुंवर रेवती रमण सिंह जी और माननीय बाजपेयी जी ने नियम–300 के अन्तर्गत इसको उठाया है। आपकी पीठ से भी यह पूछा गया कि संविधान के किस अनुच्छेद का इसमें उल्लंघन हो रहा है, नियमावली के किस नियम का उल्लंघन हो रहा है जिससे इस विधान सभा की कार्य प्रक्रिया विनियमित हो रही है। मान्यवर, इस बात का कोई जिक्र तक नहीं किया गया है केवल मात्र 300 का नाम लेकर अपनी बात कहने का माननीय सदस्य प्रयास कर रहे हैं।

(व्यवधान)

लोक कल्याण के लिये और नियम हैं। जो अविलम्बनीय हो उसको जिस नियम के अन्तर्गत देना है उसके तहत लाना चाहिए। नियम 300 जिस मकसद के लिये बनाया गया है उसको यह कहीं से भी टच नहीं करता है। अगर कोई नये सदस्य कहें तो थोड़ी देर के लिये क्षम्य भी किया जा सकता है, लेकिन जिनसे नये सदस्य सीखना चाहते हैं, जो सदन के वरिष्ठतम सदस्य हैं वह ऐसी बात कह रहे हैं। यह नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आता है। मान्यवर, जहां तक यह कहा गया है कि नये जिलों के सृजन के लिये। मान्यवर, नये जिलों के सृजन के लिये सरकार को अधिकार है और इसके लिये व्यवस्था दी गई है इसको ध्यान में रखकर सारी व्यवस्थाओं का पालन करके जन आकांक्षाओं, वहां के ऐडमिनिस्ट्रेशन और वहां की भौगोलिक दुरूहता को ध्यान में रखकर सरकार ने जो चीजों की आवश्यकता हुई है, उसको किया है। आज यह लोग टिप्पणी कर रहे हैं जिन्होंने सिरौली, गौसपुर जैसे जिलों में तहसीलें बनाई वह लोग ऐसी बात कर रहे हैं। मान्यवर, यह किसी भी दृष्टिकोण से नियम–300 की परिधि में नहीं आता है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय कुंवर रेवती रमण सिंह जी और डा० बाजपेयी की सूचना के पक्ष में तर्क सुनने तथा संसदीय कार्य मंत्री जी का उस पर उत्तर सुनने के बाद सन्तुष्ट हूं कि यह सूंचना नियम–300 के अन्तर्गत नहीं आती । यह नियम–300 के उप नियम (2) द्वारा बाधित है । यह सूचना निरस्त की जाती है । अगली सूचना श्री अवधेश प्रसाद, श्री राम सिंह सैंनी और श्री रामतेज यादव जी की है ।

बजट के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 203, 204 तथा 205 में दिये गए प्राविधानों के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

* श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, यह जो औचित्य का प्रश्न आपके संज्ञान में लाया गया है इसमें श्रीमन् आज उत्तर प्रदेश में वित्तीय संकट और संवैधानिक संकट पैदा हो गया है । यह बजट सत्र चल रहा है । बजट सत्र में तमाम विभागों के बारे में बजट पास किया जायेगा । जब बजट पास किया जायेगा तो उसी के अनुरूप यह पैसा विभागों और प्रदेश के कल्याण में खर्च होगा । इसके लिये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 203, 204, 205 तथा 206 में यह व्यवस्था है कि सरकार द्वारा जो बजट पेश होता है उसको किस तरह से वह खर्च करेगी । श्रीमन्, आज आप देख रहे होंगे कि आज पूरे प्रदेश में चिन्ता का विषय है । सारी सड़कें जो निर्माणाधीन हैं वह रुक गई हैं, विद्युत का काम ठप्प हो रहा है । कल्याणकारी योजनाएं ठप्प हो रही हैं । जो कन्सालिडेटेड फंड हैं, उसको किसी भी सरकार को, मुख्यमंत्री को खर्च करने का कोई अधिकार नहीं है । आज वह खर्च कहां किया जा रहा है ? आज अम्बेडकर पार्क में जिसमें पहले 70 करोड़ की व्यवस्था थी आज वह 150 करोड़ हो गया है । जब यह शंका हुई कि इसमें जांच बैठ गई, तो कल ही निर्णय कर लिया गया कि सरकारीकरण कर लिया जाए । इसी तरह से कानपुर में हो रहा है इसी तरह से पार्क बन रहे हैं । इसी तरह से परिवर्तन चौक बन रहे हैं । पूरा इतिहास आपका गौरव मानेगा, आपकी विद्वता की प्रशंसा करेगा । हजारों हजार साल तक इस सदन में आपकी बुद्धिमानी का इतिहास बनेगा इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं और आपका ध्यान संविधान के अनुच्छेद 204 (3) की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं आप इस पर ध्यान दें और जो वित्तीय संवैधानिक संकट पैदा हो गया है हमारी सरकार कटघरे में है इसलिए मैं कड़ाई के साथ आपकी व्यवस्था इसमें चाहूंगा ताकि प्रदेश की जनता ही नहीं देश की जनता भी आपकी सराहना कर सके । अनुच्छेद 204 (3) में लिखा है–सब्जेक्ट टु द प्रोविजन.....

श्री अध्यक्ष–

आप हिन्दी में पढ़ दें । आपके दाहिने हाथ उसमें हिन्दी में भी लिखा है ।

श्री अवधेश प्रसाद–

आर्टिकल 204 (3) में लिखा है–

204 (3)–सब्जेक्ट टु दि प्राविजन्स आफ आर्टिकल्स 205 एण्ड 206 नो मनी शैल बी वियड्रान फ्राम दि कन्सालिडेटेड फण्ड आफ दि स्टेट एक्सेप्ट अन्डर एप्रोप्रिएशन मेड बाई ला पास्ड इन एकार्डेन्स विथ दि प्राविजन्स आफ दिस आर्टिकल्स ।

हिन्दी में है (अनुच्छेद 204 और अनुच्छेद 206 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, राज्य की संचित निधि में से इस अनुच्छेद के उपबन्धों के अनुसार पारित विधि द्वारा किए गए विनियोग के अधीन ही

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कोई धने निकाला जाएगा अन्यथा नहीं । श्रीमन्, क्या प्रदेश के द्वारा अनुपूरक धन दिया गया, बजट दिया गया । इस प्रदेश को सड़क बनाने के लिए धन दिया गया इस प्रदेश की शिक्षा और सिंचाई आदि के लिए धन दिया गया ।

मान्यवर, आर्टिकल 205 देखें इसमें स्पष्ट व्यवस्था है, अनुच्छेद 205 में स्पष्ट व्यवस्था है अगर सरकार के सामने कोई ऐसी स्थिति पैदा होगी, किसी मद में ज्यादा पैसा खर्चा कर दिया गया, दूसरी मद में ज्यादा पैसा खर्चा करना चाहते हैं तो विधान सभा को बुलाया जाएगा, राज्यपाल की अनुज्ञा ली जाएगी । अगर सरकार की कोई मजबूरी है या लोक महत्व का प्रश्न है तो सरकार की तरफ से बात लिखी जाएगी कि इसलिए कन्सोलिडेटेड फण्ड से पैसा खर्चा किया गया । मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि डेढ़ सौ करोड़ रुपया अम्बेडकर पार्क, परिवर्तन चौक, शाहू जी मेला पर खर्चा किया जा रहा है तो क्या इस पैसे के लिए विधान सभा को आहूत करके पैसा लिया गया था ।

श्री अध्यक्ष–

आपकी बात आ गई है अब आप बैठें ।

श्री अवधेश प्रसाद–

यह बहुत ही गंभीर बात है । अगर इसमें आपके द्वारा रोक नहीं लगेगी, तो कैसे चलेगा ? आज सदन पास कर रहा है 7 करोड़ और खर्चा बनता है 70 करोड़ का,

श्री अध्यक्ष–

आपकी बात आ गई ।

श्री अवधेश प्रसाद–

इस पर रोक लगाई जाए । इस पर बन्धन लगाया जाए ।

श्री अध्यक्ष–

कृपया समाप्त करें ।

श्री अवधेश प्रसाद–

यह औचित्य का प्रश्न बनता है । इससे बड़ा वित्तीय संकट नहीं है । आप संविधान के अनुच्छेद 205 और 206 को भी देख लें उसमें व्यवस्था है । मैं इसको भिजवा देता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

मेरे पास है ।

श्री अवधेश प्रसाद–

यह जो प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई है उसको संविधान की मूल मंशा के अनुरूप खर्च किया जाना चाहिए । बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की ने जो संविधान बनाया था उसकी व्यवस्थाओं को चकनाचूर किया जा रहा है । मान्यवर, इस पर चर्चा करवा लें ।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, यह जो वित्तीय संकट प्रदेश के सामने लाया गया है यह बड़ा लोक महत्व का प्रश्न है । उत्तर प्रदेश के अधिकारियों/कर्मचारियों को तनख्वाहें नहीं दी जा रही हैं, सड़कें नहीं बनवाई जा रही है, पुरानी सड़कों की मरम्मत नहीं हो रही है पीने के पानी के लिए इण्डिया मार्क टू हैण्ड पम्प नहीं लगवाए जा रहे हैं, भवनों का निर्माण नहीं हो रहा है ऐसी स्थिति में नये जिले बनाए जा रहे हैं उसमें बेकार खर्च

किया जा रहा है । आपके संज्ञान में यह बात इसलिए जरूरी है कि नए-नए पार्क और ऐसे पार्क बन रहे हैं जिससे जनता को कोई फायदा नहीं होगा उनको इससे रोटी नहीं मिलेगी, वह उसमें गेहूं नहीं बो सकेंगे तो यह बेकार का काम किया जा रहा हैं । हर विभाग में पी० एल० 27 होता है उससे माननीया मुख्यमंत्री जी पैसा मंगवाकर पार्क बनवा रही हैं । कहीं पार्क बनवाए जा रहे हैं कहीं शाहू जी मेला लगवाया जा रहा है । इस तरह से आम जनता का पैसा बेकार खर्च किया जा रहा है ।

मैं आपके संज्ञान में इसलिए लाना चाहता हूं क्योंकि आप ही हमारे अधिकारों के संरक्षक हैं यह सरकार जो फिजूलखर्ची कर रही है, इस पर बन्धन लगाना होगा । चारों तरफ फिजूलखर्ची हो रही है, बिजली नहीं मिल रही है, हमारे जनपद बहराइच, विधान सभा कैसरगंज इलाहाबाद, फैजाबाद, मेरठ, सहारनपुर आदि में बिजली नहीं दी जा रही है, बिजली के लिए लोग परेशान हैं जिस धन से बिजली किसानों को दी जानी चाहिए, नहरों में पानी पहुंचाया जाना चाहिए जिससे इस समय धान की रोपाई हो सके लेकिन उसे फिजूल खर्च किया जा रहा है । यह जो भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का नापाक गठबन्धन है इसको कटघरे में लाने के लिए मैंने निवेदन किया है इसकी ग्राह्यता पर आप सुन लें यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकार इससे कटघरे में खड़ी हो जाएगी सरकार के मंत्री लाल बत्ती लेकर जगह-जगह फिजूलखर्ची कर रहे हैं इसलिए इस पर बल दिया जा रहा है । फिजूल खर्ची को रोका जावे । मुख्यमंत्री द्वारा भष्टाचार जातिवाद एवं जबरन तबादलों की जांच हो तबादलों में भष्टाचार हुआ है ।

श्री अध्यक्ष–

इस सूचना पर मैंने श्री अवधेश प्रसाद जी व राजतेज यादव एडवोकेट जी को सुना उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 203, 204, 205 तथा 206 का उल्लेख अपने भाषण में किया ..

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

मान्यवर, इस पर सरकार का पक्ष मुझे भी रखने दें ।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, माननीय सदस्यों ने उदाहरण देकर संविधान के अनुच्छेद 203, 204, 205 तथा 206 का जिक्र किया । कहीं पर संविधान का कोई उल्लंघन नहीं हो रहा है जहां तक कन्सालीडेटेड फण्ड की बात है यह सदन की अनुमति से खर्च होगा, तो उसके लिए बजट लाया गया है, बजट में प्राविजन है उसके तहत खर्च हो रहा है, आगे जो बजट पास होगा उसके अनुरूप खर्च होगा । इसके लिये मान्यवर, कन्टेजेन्सी फण्ड होता है अगर आवश्यकता पड़ती है तो उससे पैसा ले करके खर्च किया जाता है । जहां तक माननीय सदस्यों की पीड़ा अम्बेडकर पार्क, परिवर्तन चौक, अम्बेडकर मेला तथा शाहू जी मेले के बारे में है तो मैं आपके माध्यम से स्पष्ट शब्दों में माननीय सदस्यों को बता देना चाहता हूं ।

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, संविधान के विरुद्ध खर्च किया जा रहा है, जो भी खर्च होना चाहिए वह विधि सम्मत ढंग से होना चाहिए, यह इनके घर का पैसा नहीं है ।

श्री अध्यक्ष–

अवधेश प्रसाद जी आप बैठ जायं, माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी को अपनी बात कहने दें ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, कानून के तहत ही खर्च हो रहा है, संविधान के किसी अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं किया जा रहा है । आज इनको पीड़ा हो रही है, इनको पीड़ा उस समय नहीं होती है जब करोड़ों रुपया [x x x] जिनकी बदौलत आज करोड़ों इन्सानों को इन्सानियत की जिन्दगी जीने का अवसर मिला है उनके इतिहास को कायम करने के लिए, स्वर्णिम अध्याय को जोड़ने के लिए, उनके नाम पर स्मारक बनाने का काम यह सरकार कर रही है तो इनको पीड़ा हो रही है । यह नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आता है इसलिये इसको आप निरस्त कर दें ।

(विपक्ष के कई माननीय सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

इस सूचना पर श्री अवधेश प्रसाद, श्री राम तेज यादव एडवोकेट तथा संसदीय कार्यमंत्री जी को सुनने के बाद इसमें भारतीय संविधान का अनुच्छेद 203, 204, 205 तथा 206 का कोई भी ऐसा उल्लंघन नहीं हुआ है जिससे इस सदन का कार्य विनियमित किया जाय, बजट पर चर्चा के दौरान इन सभी बिन्दुओं पर चर्चा हो सकती है इसलिये इस सूचना को निरस्त किया जाता है ।

(व्यवधान)

* श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । यह एक लोकतांत्रिक देश है यहां पर सभी धर्मों का समान रूप से आदर करने के लिए हमारे अनुच्छेद 14 में इसका प्रोविजन भी है । हो सकता है कि किसी का आदर्श मूर्ति पूजा में हो, किसी का नमाज में हो । मान्यवर, [× × ×] अपमान करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी वाले इस अपमान को सरकार में रहने के नाते भले ही सहन कर लें लेकिन मान्यवर, यह सदन इसको सहन नहीं करेगा ।

श्री अध्यक्ष–

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री प्रमोद कुमार–

मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूं यह भावनाओं से जुड़ा हुआ प्रश्न है इसको गंभीरता से लिया जाना चाहिए । [x x x] तथा कानून व्यवस्था के लिये अगर खर्च किया जा रहा है तो यह सरकार अगर अनादर का भाव रखती है तो मान्यवर, आप भी आंख खोल लीजिए । अगर यह धर्म को लेकर के इस तरह का अनादर और अपमान का भाव रखते हैं तो सरकार चलाने के लिये यह भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी हो सकती है कि [x x x] सुन रहे हैं, मेरी कोई मजबूरी नहीं है, हम इसकी घोर निन्दा करते हैं ।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

(घोर व्यवधान)

नोट :–[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष–

इस सूचना के बारे में अब किसी को नहीं सुना जायेगा। यह सदन भावनाओं को उकसाने के लिए नहीं है। (व्यवधान) आप लोग बैठ जायें। (व्यवधान)

कुंवर रेवती रमण सिंह–

(व्यवधान के मध्य) शासन का उत्तर संतोषजनक नहीं है इसलिये हम और हमारा दल सदन का बहिष्कार करता है।

(समाजवादी पार्टी के सभी सदस्य सदन से उठकर चले गये)

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, मंत्री जी की भावनायें जिस तरह से यहां आयी हैं इस यदि किसी की भावनाओं को चोट पहुंची हो तो आप देखकर कार्यवाही से निकलवा दें।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, मैं दोनों पक्षों की तरफ से यदि कोई आपत्तिजनक बात आई है और भावनाओं को भड़काने की बात आई है तो कार्यवाही देखकर निकलवा दूंगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग बैठ जायें। दूसरी सूचना पर श्री मित्रसेन जी यदि आपको कुछ कहना है तो कहें।

दिनांक 26 एवं 27 जुलाई, 97 को कानपुर विश्वविद्यालय में शाहू जी मेले के आयोजन के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री मित्रसेन यादव–

मान्यवर, नियम 300 के अन्तर्गत जो सूचनाएं होती हैं वह संविधान के अनु० और नियमावली के नियमों के विनियमित होने पर औचित्य का प्रश्न बनता है। मैंने जिस प्रश्न को प्रस्तुत किया है वह महामहिम राज्यपाल और सरकार के मध्य है। मान्यवर, प्रदेश के विश्वविद्यालय आटोनामस बाडी है और महामहिम राज्यपाल उसके कुलाधिपति होते हैं। मान्यवर, कानपुर विश्वविद्यालय जो अब शाहू जी महाराज के नाम से जाना जाता है इसके परिसर में शाहू जी का मेला दिनांक 26 और 27 जुलाई को लगाया जा रहा है। यह मेला जो लगने जा रहा है वह इनकी पार्टी विशेष का मेला है। विश्वविद्यालय आटोनामस बाडी है और उसके नियंत्रक महामहिम राज्यपाल कुलाधिपति हैं, इन्होंने इस मेले के आयोजन पर रोक लगाया तो उस मेले को अब इन्होंने सरकारी मेला घोषित किया है।

कानपुर में गलीकूचों में इस मेले का प्रचार किया जा रहा है कि यह मेला बहुजन समाज पार्टी आयोजित कर रही है। तो इस मेले को आटोनामस बाडी के परिसर में लगाने का औचित्य नहीं है। यह सरकार सारे नियमों को तोड़कर जो चाहती है वित्तीय और प्रशासनिक काम करती जा रही है। यह सरकार शाहू जी का सरकारी मेले का नामकरण देकर अपनी पार्टी का मेला लगा रही है जिससे उसमे सरकारी धन का दुरुपयोग कर रही है। इसलिये वहां अव्यवस्था व्याप्त है। मैं चाहता हूं सारे काम रोककर इस पर चर्चा करायें।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

मान्यवर, माननीय मित्रसेन जी ने नियम 300 के अन्दर आपका ध्यान आकर्षित किया है । उन्होंने कहा है कि सरकारी पैसे का दुरुपयोग अपनी पार्टी के हित में, अपने हित में प्रदेश में किया जाना न्यायसंगत नहीं है । मान्यवर, मैं समझता हूं कि यह पूरे प्रदेश की जनता की जन भावनाओं का हित करने वाला कदम नहीं है । मान्यवर, महामहिम राज्यपाल महोदय सारी इन्स्टीट्यूशन के कुलाधिपति होते हैं और उनके द्वारा कानपुर विश्वविद्यालय में मेला आयोजित करने पर रोक लगाई गई । महामहिम राज्यपाल के निदेश पर सब कुछ चलता है । मैं समझता हूं कि इस सरकार द्वारा किसी पार्टी विशेष का मेला लगाना अथवा किसी के नाम पर आयोजित करना न्यायोचित नहीं है ।

जिस तरह अखबारों में विज्ञापन प्रकाशित हुआ है कि वहां पर छत्रपति साहू जी महाराज मेला आयोजित किया जा रहा है, इसमें किसी पार्टी विशेष का नाम दिया जा रहा है, इनकी जो सहयोगी भाजपा है, उनके किसी नेता का नाम इसमें नहीं है । किन शर्तों के अधीन वह सरकार की साझेदारी किये हुये हैं, यह तो वह जानें । लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस प्रकार मितव्ययिता की अनदेखी करना उचित नहीं है । माननीय मित्रसेन जी ने बड़ी गंभीरता से इस प्रश्न को उठाया है, मैं उस पर बल देता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि इस औचित्य के प्रश्न को स्वीकार करें और जिस तरह से यह वित्तीय इर्रेगुलेरटीज हो रही है, उनको रोकने का काम करें ताकि जो सड़कों की समस्या है, बिजली, पानी की समस्या है, उसमें यह पैसा लग सके जिससे उत्तर प्रदेश के जनमानस की समस्याओं का निदान हो सके । मैं पुनः मित्रसेन जी द्वारा रखे औचित्य के प्रश्न पर बल देता हूं ।

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

मान्यवर, छत्रपति शाहू जी महाराज की जयन्ती के अवसर पर जहां तक मेले का सवाल है, इस मेले के सिलसिले में माननीय सदस्य को कुछ भ्रम हो गया है । साहू जी महाराज का जन्म 26 जुलाई, 1874 को हुआ था । उनकी जयन्ती के अवसर पर दो कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं ।

(इस समय 1 बजकर 10 मिनट पर अधिष्ठाता श्री लाल जी वर्मा पीठासीन हुए)

एक तो फूलबाग, कानपुर के मैदान पर 26 तारीख को बहुजन समाज पार्टी की तरफ से एक रैली आयोजित की गई है और दूसरा छत्रपति शााहू जी महराज विश्वविद्यालय, कानपुर में ही सरकार की तरफ से एक मेले का आयोजन किया गया है । यह दोनों दो कार्यक्रम हैं, इसमें हो सकता है, माननीय सदस्य को कुछ भ्रम पैदा हो गया हो । जो यूनिवर्सिटी के अन्तर्गत मेले का आयोजन किया गया है, वह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है, उसका उद्घाटन प्रदेश की मुख्यमंत्री करेंगी और उसका समापन भी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री करेंगी और उसमें सांस्कृतिक विभाग द्वारा तथा अन्य दूसरे विभागों द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार की उपलब्धियों के बारे में विशेषकर सूचना विभाग द्वारा प्रदर्शनी भी लगाई जायेगी, इसलिये मान्यवर, कदापि यह कोई राजनीतिक मेला नहीं है ।

मान्यवर, शाहू जी महाराज सामाजिक क्रान्ति के अग्रदूत रहे हैं । दिनांक 26 जुलाई, 1902 को अपने राज्य में वह पहले आदमी थे, जिन्होंने 50 प्रतिशत आरक्षण लागू किया था, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी माना । ऐसे क्रान्तिकारी पुरुष के नाम पर इनको चिढ़ हो रही है । जिन लोगों ने सामाजिक परिवर्तन के लिये काम किया है, ऐसे महापुरुषों की याद स्थली बनाने के लिये, उनके छिपाये गये इतिहास को जन-जन तक पहुंचाने के लिये यह सरकार कटिबद्ध है और यह सरकार ऐसे एक मेले को नहीं, जब पूरे देश में इसकी सरकार बनेगी, हर प्रदेश में बनेगी तो पूरे देश में हजारों मेले इन सामाजिक परिवर्तन के पुरोधाओं के नाम पर लगायेगी ।

मान्यवर, इसलिये यह सरकारी मेला है, सरकार यह मेला आयोजित कर रही है । इसलिये यह भ्रम दूर हो । यह नियम 300 के अन्तर्गत कहीं भी नहीं आता है । जिस महापुरुष ने संस्कृति के बदलाव के लिए काम किया है (व्यवधान)

श्री मित्रसेन यादव–

मान्यवर, यह अखबार आप देख लीजिए इसमें दिया गया है

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

समाचार पत्रों का संज्ञान सदन में नहीं लिया जाता है ।

(अनेक सदस्यों द्वारा बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान बना रहा)

श्री राम विशुन आजाद–

मान्यवर, चन्द्र शेखर आजाद जी एक महान क्रान्तिकारी और सेनानायक थे (व्यवधान) क्या उनके नाम पर भी सरकार मेला लगवायेगी ?

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग बैठ जाइये ।

मैंने नियम 300 में माननीय मित्रसेन यादव और गौरी शंकर जी को पक्ष तथा माननीय संसदीय कार्यमंत्री को इसके विपक्ष में सुना यह कहीं भी औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है इसलिये निरस्त किया जाता है ।

(श्री रंगनाथ मिश्र का नाम पुकारे जाने पर घोर व्यवधान)

आप लोग बैठें, मैंने माननीय रंगनाथ मिश्र जी को बुला लिया है इसके अतिरिक्त औचित्य के प्रश्न की सभी सूचनाएं अस्वीकार की जाती हैं ।

श्री राम विशुन आजाद–

[x x x]

श्री अधिष्ठाता–

पीठ की व्यवस्था पर कोई प्रश्न नहीं सुना जायेगा । जो सदस्य बिना इजाजत बोल रहे हैं वह कार्यवाही का भाग नहीं बनेगा ।

(घोर व्यवधान)

भदोही जनपद को दी जाने वाली धनराशि के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री रंगनाथ मिश्र–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं नियम 300 के औचित्य के प्रश्न के माध्यम से कहना चाहता हूं कि भदोही तथा पडरौना जनपद के 1994-95 के बजट में उस समय तत्कालीन सरकार ने 5 करोड़ रुपये का प्राविधान किया था, जिसमें जिले के मुख्यालय हेतु भवन तथा भूमि के अर्जन के लिए पैसे की व्यवस्था की थी और उस बजट में प्राविधान करने के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री ने जाकर भदोही जनपद को

नोट :–[x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

उद्घाटन किया । लेकिन जो अफसोस की बात है वह यह है कि सदन में जो बात आती है बजट में जिसका प्राविधान होता है उससे जनता के बीच संदेश जाता है कि विधान सभा में कोई बात सरकार द्वारा कही गई है तो उसका पालन होगा । वर्ष 94-95 में प्राविधान होने के बाद भी 5 करोड़ रुपया नहीं दिया गया । 1995 में मायावती जी जब मुख्य मंत्री थीं तब भी मैंने औचित्य का प्रश्न उठाया था कि जो धन भदोही के लिए आवंटित है उसे देना चाहिए । तत्कालीन संसदीय कार्य मंत्री ने इसी स्थान से खड़े होकर कहा कि हम इसका परीक्षण करा रहे हैं । यदि बजट में प्राविधान है तो ढाई करोड़ रुपया जिला मुख्यालय के निर्माण हेतु दिया जायेगा । अभी गोरखनाथ पाण्डेय जी का तारांकित प्रश्न था उसमें कहा गया कि जनपद के लिए पैसा नहीं दिया गया है ।

मान्यवर, यदि इस सदन के अन्दर ऐसे ही बात की जायेगी तो इसकी विश्वसनीयता क्या रह जायेगी और आपकी पीठ पर भी आक्षेप आयेगा । मान्यवर, जो भी इस बजट में प्राविधान किया जाये उसका अक्षरशः पालन होना चाहिए तभी सदन की मर्यादा बनेगी । मान्यवर, इस पर सदन में चर्चा करायें और निर्देश जारी करें जो भी बजट में प्राविधान हो संसदीय कार्य मंत्री द्वारा घोषणायें की जायें उसका अक्षरशः पालन हो । जो ढाई करोड़ रुपये वर्ष 94-95 के बजट में निर्धारित है उसको दिलवायें ।

(व्यवधान)

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

मान्यवर, जिस गंभीर बिन्दु की ओर माननीय सदस्य ने ध्यान दिलाया है, मैं कहना चाहता हूं कि यह सरकार किसी चीज को छिपाना नहीं चाहती है । जो 24 जुलाई को सवाल पूछा गया, जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था से स्पष्ट तौर पर अवगत कराया गया । यह सरकार बजट में जो प्राविधान कर रही है जिस-जिस मद के लिए कर रही है यह सदन उस बजट को जिस रूप में पास करेगा उसके अनुरूप यह सरकार पैसा खर्च करेगी । हो सकता है कि पहले की सरकारें कहती कुछ हों और करती कुछ हों लेकिन यह पहली सरकार होगी बसपा–भाजपा की जो कहेगी उसका पालन करेगी । इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए । यह औचित्य का प्रश्न मान्यवर नहीं बनता है ।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने इस प्रश्न पर माननीय सदस्य व संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना, यह कहीं से भी औचित्य का प्रश्न नहीं है, इसलिए इसे निरस्त करता हूं ।

श्री रंगनाथ मिश्र–

जो ढाई करोड़ रुपया वर्ष 94-95 में आरक्षित था उसे देंगे या नहीं ?

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, जिसकी तरफ माननीय सदस्य ने सदन का ध्यान आकृष्ट किया है इस प्रकरण को हम गंभीरता से ले रहे हैं इस प्रकार के बारे में नियमानुसार विधि सम्मत जो भी हो सकता है वह कार्यवाही हम करवायेंगे ।

श्री अधिष्ठाता–

यह औचित्य का प्रश्न नहीं है इसलिए निरस्त किया गया ।

[समय 1 बजकर 25 मिनट]

माननीय सदस्यगण, शुरू में ही जब औचित्य के प्रश्नों की ग्राह्यता के बारे में माननीय अध्यक्ष जी ने एक विचार रखा था कि आज 3-4 सूचनाओं को सुन लिया जाय और शेष सूचनाओं की ग्राह्यता पर नहीं सुना जायेगा । सभी लोगों ने उस विचार से उस समय सहमति व्यक्त की थी । आप लोग भी

जानते हैं कि कल माननीय नेता विरोधी दल का भाषण पूरा नहीं हो पाया था और अन्य माननीय सदस्य भी अपना विचार रखना चाहते हैं । इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप इस पर जोर न दें । आगे की मद लेने दें । यदि आप लोग आवश्यक समझें तो अपनी सूचना को कल दे सकते हैं, माननीय अध्यक्ष जी उस पर विचार कर लेंगे ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, मैंने जो सूचना दी है वह नियम के अन्तर्गत आती है ।

श्री अधिष्ठाता–

आपकी सूचना दूर-दूर तक नियम–300 के अन्तर्गत नहीं आती है ।

प्रदेश में भा०ज०पा० तथा ब० स० पा० की सरकार छः छः महीने तक चलाए जाने के बारे में औचित्य का प्रश्न

* श्री प्रमोद कुमार–

माननीय अधिष्ठाता जी, मेरा एक अनुरोध है । इस समय एक संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया है, जिस कारण प्रतीक्षा नहीं की जा सकती है । अगर सदन कल होता तो मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध कर लेता परन्तु शनिवार व रविवार को हाऊस नहीं है, इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि 7-8 मिनट का समय आप निर्धारित कर लें । 2-2 मिनट में माननीय सदस्य अपने विचार रख लेंगे ।

श्री अधिष्ठाता–

मेरा भी एक निवेदन है कि एक ही माननीय सदस्य बोलेगा और दो मिनट में अपनी बात पूरी कर लेगा ।

(श्री राम औतार शाक्य जी का नाम पुकारे जाने पर वह सदन में उपस्थित नहीं थे ।)

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

माननीय अधिष्ठाता जी, भारत का संविधान के अनुच्छेद 154/2 में स्पष्ट उल्लेख है–"मंत्रि-परिषद् राज्य की विधान सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी ।"

इस समय प्रदेश में दो दलों की गठबन्धन सरकार है परन्तु ज्यों-ज्यों सत्ता हस्तान्तरण का समय नजदीक आता जा रहा है त्यों-त्यों दोनों दलों के बीच मत-भेद बढ़ते जा रहे हैं । यह पहली बार हुआ है कि एक दल विशेष के लोगों ने सामूहिक रूप से मुख्य मंत्री से कहा कि उनके विभाग के अधिकारी उनकी उपेक्षा कर रहे हैं । अधिकारीगण जानबूझकर प्रश्नों का उत्तर गलत दे रहे हैं, इसका कारण यह है कि ताकि उस दल विशेष के मंत्रियों की सदन में उपेक्षा हो सके और उनकी पार्टी की छवि व साख खराब हो सके । मान्यवर, मंत्रिमंडल की सामूहिक जिम्मेदारी होती है । एक दल विशेष के मंत्रियों की मुख्य मंत्री के प्रति जो वफादारी थी, जो कर्तव्य था, वह टूटा । माननीय मुख्य मंत्री जी ने आदेश में लिखा है कि एक दल विशेष के लोगों ने मुझ पर दबाव डाला है, इसलिए मैं उन अधिकारियों को हटा रही हूं । मान्यवर, कल माननीय श्री कल्याण सिंह जी के घर पर एक दल विशेष के मंत्रियों व विधायकों की बैठक हुई, मेरी निश्चित जानकारी है कि उसमें कल्याण सिंह जी ने कहा कि हम समर्थन वापस ले रहे हैं । अब सवाल है कि सदन कल रहेगा कि नहीं रहेगा ? धारा–356 कल लागू हो जायेगी । बजट

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

पास होगा कि नहीं इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि मेरे औचित्य के प्रश्न को स्वीकार कर लें और उसमें कार्यवाही करें ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मेरी भी एक बात सुन लें । मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा । मान्यवर, यह जो प्रश्न मैं आपके समक्ष और इस सम्मानित सदन के समक्ष रख रहा हूं वह मैं समझता हूं कि औचित्य की परिधि में आता है । मान्यवर, नियम–300 आप देखें । उसमें यह लिखा हुआ है अगर किसी कार्य से सदन का कार्य विनियमित होता है तो यह प्रश्न उठाये जायेंगे । मान्यवर, स्पष्ट तौर से इसमें जो आदेश दिये गये हैं इस आधार पर दिये गये हैं । जिन अधिकारियों के स्थानान्तरण किये गये हैं माननीय मंत्री जी जो इस सदन में पूरक और अनुपूरक प्रश्न पूछे जाते हैं, उसका गलत उत्तर हमको दे रहे हैं जिससे हम गुमराह हो रहे हैं और हमारी छवि बाहर खराब हो रही है । तो मैं यह कहना चाहता हूं कि पहली बार इस तरह के आरोप वरिष्ठ सचिवों के ऊपर लगाया गया है । आज चाहे राय सिंह जी हों, चन्द्रपाल जी हों, चेम्बर साहब हो यह जो प्रमुख सचिव हैं इनके ऊपर आरोप लगाया है । ये लोग पूरक और अनुपूरक प्रश्न में हम लोगों का सहयोग नहीं कर रहे हैं । मान्यवर, स्थानान्तरण की दो नीतियां होती हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय पाल साहब आपकी बात आ गयी है अब आप कृपया बैठ जायें ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं । एक तो स्थानान्तरण के आधार पर और दूसरी शिकायत के आधार पर ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें । माननीय अध्यक्ष जी ने इस पर पहले ही निर्णय दे दिया था । आप लोगों ने उस पर सहमति भी दी थी । फिर क्यों उस व्यवस्था को तोड़ रहे हैं ।

श्री जगदम्बिका पाल–

बस एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा । मान्यवर, यह भाजपा और बसपा की गठबन्धन की सरकार है । क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं उनके सचिवों को हटाया जा रहा है । बसपा के मंत्रियों के सचिवों को नहीं हटाया जा रहा है । इसलिए मेरा अनुरोध है कि यह औचित्य के प्रश्न में आता है ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं भी एक बात कहना चाहूंगा । बस दो मिनट भारत के संविधान के अनुच्छेद 164 (2) देखिये । उसमें लिखा है कि मंत्रि परिषद् राज्य की विधान सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी । विधान सभा में माननीय सदस्य प्रश्न पूछते हैं और उस प्रश्न का उत्तर माननीय मंत्रिगण देते हैं । माननीय मंत्रिगणों को सदन में उत्तर देने के लिए जो पत्रावली मिलती है वह विभाग से बनकर आती है सचिव उसमें हस्ताक्षर करते हैं और फिर मंत्री उसमें हस्ताक्षर करते हैं । माननीय मंत्री जी उस उत्तर को देने के लिए चाहें वह सहमत हों या न हों बाध्य होते हैं । माननीय मंत्रीगणों ने यह कहा है कि सचिव हमको सहयोग नहीं कर रहे हैं । इसलिए हम विधान सभा की कार्यवाही में ठीक ढंग से उत्तर नहीं दे पा रहे हैं ।

एक सदस्य–

यह कैसे जाना ?

श्री प्रमोद कुमार–

मेरा घर और माननीय कल्याण सिंह का घर एक ही जगह है । आप सुनना चाहें तो आप मेरे साथ चाय पी लें, और सुन लें, उनके यहां की आवाजें हमारे यहां पर सुनाई पड़ती हैं । अगर कोई माननीय मंत्री अपने सचिव की शिकायत करता है, तो माननीय मुख्य मंत्री जी एक काम कर सकती थीं, यह उनके विवेक पर है जिस अधिकारी को चाहें, उसको रखें और जिसको न चाहें उसको न रखें । सदन में माननीय लोक पति त्रिपाठी जी वरिष्ठ सदस्य बैठे हैं, आप उनसे पूछ लें । मुख्य मंत्री ने कभी नहीं लिखा होगा कि इसको इसलिये हटाया जा रहा है कि मंत्री की इच्छा है और अगर इच्छा है भी तो, यह नहीं लिखा गया है, लिखा गया है कि प्रशासनिक आधार पर किया गया है । मान्यवर, 5 दिन सदन चला तो कौन सा उत्तर सही है और कौन सा उत्तर सही नहीं है, यह कैसे पता चल सकता है ? जो भारतीय जनता पार्टी और बसपा का नाजायज गठबन्धन है, वह तलाक की ओर जा रहा है, अब यह चलने वाला नहीं है । इस प्रकार से मान्यवर, यह नियम 300 के अन्तर्गत आता है, आप इसको स्वीकार कर लें, इसी में आपकी भलाई है और पूरे सदन की भलाई है ।

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

जिस स्थानान्तरण के बारे में माननीय सदस्य कह रहे हैं, उसका आदेश मेरे हाथों में है । यदि माननीय सदस्य देखना चाहें तो उनको दिखा दूंगा ।

एक सदस्य–

उसको पढ़ दीजिये ।

श्री प्रमोद कुमार–

अगर माननीय मंत्री जी की इच्छा है, तो इसको आप स्थगित कर दें और पत्रावली को मंगा लें और देख लें ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, जहां तक प्रशासनिक मामलों में औचित्य के प्रश्न का मामला है, इस संबंध में मैं आपकी पीठ से दिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों के संकलन 1979-84 के पृष्ठ 211 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । दिनांक 22 मार्च, 1984 को औचित्य का प्रश्न उठाते हुये श्री पंचानन राय ने कहा, "इस सदन में अनेक बार इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो गड़बड़ियां हैं, उनकी बात उठी । सरकार ने प्रशासनिक सेवा के एक वरिष्ठ अधिकारी श्री पंडिता को जांच अधिकारी नियुक्त किया था और इसकी जांच चल रही थी लेकिन उसी बीच में सरकार ने एक दूसरा जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया । तो मैं इस बात का औचित्य जानना चाहता हूं कि जांच अधिकारी को क्यों बदला गया ? इसका क्या औचित्य था ?

संसदीय कार्य एवं शिक्षा मंत्री श्री अम्मार रिजवी ने कहा जांच अधिकारी को बदलने का कारण कोई और नहीं है सिवा इसके कि जो जांच अधिकारी नियुक्त हुये थे श्री पंडिता वह यू० पी० सीमेंट कारपोरेशन के चेयरमैन हैं उनके पास काम ज्यादा है इसलिये वह कार्य ठीक से देख नहीं पाते थे ।

श्री अध्यक्ष ने निर्णय दिया, "भविष्य में माननीय सदस्य कृपया इस बात का ध्यान रखें कि इस तरह के सवाल जो प्रशासनिक हों, उन्हें तो औचित्य के प्रश्न के रूप में यहां न लाने की कृपा करें । मैं इस औचित्य के प्रश्न को अस्वीकार करता हूं ।"

श्री अधिष्ठाता–

मैंने जैसा पहले ही कहा आपका प्रश्न से संबंधित है ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, जहां तक मंत्रि-परिषद् की गोपनीयता और मंत्रि-परिषद् के दो सदस्यों में मतभेद का संबंध है उस पर औचित्य का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है और कोई भी मंत्रि-परिषद् की फाईल है या कोई मीटिंग है जो गोपनीयता है उसके बारे में 22 मार्च, 84 को इसी सदन में बात उठी थी इस पर भी यदि आप कहें तो मैं उसे पढ़ दूं । (व्यवधान) तो इसमें आप देखें साफ कहा है गोपनीयता के बारे में औचित्य का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है, तो यहां पर जो माननीय सदस्य उठा रहे हैं वह आपकी पीठ से दिये गये निर्णय हैं उसके तहत नहीं उठाया जा सकता । यह अधिकार माननीय सदस्यों को नहीं है । जैसा कि आपकी पीठ से पूर्व में निर्देश दिए जा चुके हैं ।

इस समय भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के मंत्रियों में पूर्ण सामंजस्य है दोनों पार्टियों का गठबन्धन पूरे सामंजस्य और भरोसे से चल रहा है । पूरा विश्वास के साथ चल रहा है । जो रुके हुए विकास के कार्य पड़े हुए थे आज वे पूरी तरह से चल रहे हैं । माननीय सदस्यों की परेशानी यह है कि जब यहां वह कोशिश करने पर सरकार नहीं बना पाए और यह सरकार बन गई इसकी परेशानी है आज जो सरकार चल रही है वह ठीक ढंग से चल रही है, इसकी वजह से दर्द हो रहा है और उसी की अभिव्यक्ति किसी न किसी रूप में कर रहे हैं ।

श्री लोकपति त्रिपाठी–

माननीय, यह निहायत दुख का विषय है कि संसदीय कार्य मंत्री जी ने कुछ हवाला दिया सम्मानित प्रमोद कुमार सम्मानित पाल साहब ने जो प्रश्न उठाया वह उससे बिल्कुल भिन्न है । इसमें आपको अधिकार है आप पत्रावली देख सकते हैं मंत्रि-मण्डल के निर्णय और पत्रावली सदन के पटल पर नहीं रखेंगे । लेकिन अध्यक्ष को अधिकार है मंत्रि-परिषद् के जो निर्णय हुए हैं जिसका हवाला दिया गया है वह चेम्बर में आप मंगा लें और हर दल के नेता देख लें ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय नरेश चन्द्र अग्रवाल, माननीय प्रमोद कुमार, माननीय जगदम्बिका पाल और माननीय लोकपति त्रिपाठी एवं उसके समन्वय माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के बाद जो उन्होंने उसके विपक्ष में तर्क दिए उससे यह औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है । इसलिए इसे निरस्त किया जाता है ।

(श्री विनोद मणि के खड़े होने पर)

माननीय विनोद मणि जी आपका औचित्य का प्रश्न यह नहीं बनता क्योंकि यह प्रश्नों से संबंधित है । (व्यवधान) आप एक मिनट बोल लें ।

द्वितीय सत्र 1997 के प्रथम बुधवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 49, 102, 103 का उत्तर न मिलने और अतारांकित प्रश्न संख्या–6 का सही उत्तर न मिलने के बारे में औचित्य का प्रश्न

* श्री विनोद मणि–

मान्यवर, प्रश्नों के संबंध में मेरा औचित्य का कोई भी प्रश्न यदि सदन के संज्ञान में आ जाता है तो वह सदन की सम्पत्ति बन जाती है और प्रत्येक सदस्य का अधिकार है कि वह संबंधित मंत्री से सही

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

और स्पष्ट बात प्राप्त करें । मैं प्रश्न के माध्यम से कहना चाहता हूं मेरा प्रश्न संख्या अतारांकित प्रश्न 49, 102, 103 और 6 द्वितीय सत्र का है उसका उत्तर मुझे अभी तक नहीं मिला और किसी दूसरी तिथि को स्थानान्तरित कर दिया गया । प्रश्न संख्या 6 का उत्तर मिला है और वह भी गलत मिला है । प्रश्न संख्या 6 में मैंने सवाल किया था आनन्दनगर गणेश शुगर मिल की काफी जमीन धन्ना सेठों को पैसा लेकर बेच दी गई । यह जमीन गरीबों को नहीं बांटी गई । भारी पैसा लेकर मिल की जमीन को इन लोगों को आवंटित कर दिया गया । इसलिए यह मेरा औचित्य का सवाल बनता है किसी भी माननीय सदस्य को उसके सवाल का सही उत्तर आना चाहिए ।

श्री अधिष्ठाता–

आपकी सारी बात आ गई आप कहते हैं कि उत्तर नहीं मिला उत्तर मिल चुका है इसमें सिग्नेचर हैं ।

* श्री विनोद मणि–

मैं आपके संज्ञान में यह प्रश्न लाकर निवेदन करता हूं कि मेरे इस सवाल को औचित्य का प्रश्न मानकर गंभीरता पूर्वक विचार करके अपनी पीठ से निर्देश जारी करने का कष्ट करें ।

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो औचित्य का प्रश्न उठाया है उस संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि आपकी पीठ से पूर्व में जो निर्णय दिये गये हैं, 1969 से 1978 तक उसके संकलन के पेज 67 पर देखने की कृपा करें । इसके क्रम सं० 27 पर लिखा है "प्रश्नों के विषय में कोई औचित्य का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है" । 5 अप्रैल, 1978 को श्री शम्भूनाथ चौधरी ने कहा–मान्यवर, मैं औचित्य का प्रश्न उठाना चाहता था प्रश्नों के बारे में । इस पर श्री अध्यक्ष ने व्यवस्था दी–मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप जानते हैं कि प्रश्नों के बारे में कोई औचित्य का प्रश्न नहीं उठता । श्रीमन्, इसी तरह से मैं एक दूसरा निर्णय जो आपकी पीठ से दिया गया है उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

अध्यक्ष पीठ से दिये गये निर्णय 1985-89 का जो संकलन है उसके पेज 224 पर क्रम संख्या 531 को आप देखने की कृपा करें । इसमें कहा गया है दिनांक 3 मार्च, 1989 को श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी एक अल्पसूचित प्रश्न "क्या सरकार गेहूं का समर्थन मूल्य 300 रुपये प्रति कुंटल करने की सिफारिश केन्द्र सरकार से करेगी" के संबंध में नियम 300 के अन्तर्गत औचित्य का प्रश्न उठाना चाहते थे । मान्यवर, इस पर आपकी पीठ से रूलिंग दी गयी थी और तत्कालीन उपाध्यक्ष जी ने कहा था आप नियमावली के नियम 27 को देख लीजिये । प्रश्न के संबंध में औचित्य का कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है । नियम में साफ लिखा हुआ है" ।

आपकी गरिमामयी पीठ से इस संबंध में रूलिंग दी गयी है जिनको मैंने अभी बताया है । इसलिये मेरा निवेदन है कि यह औचित्य के प्रश्न के अन्तर्गत नहीं आता है इसको आप निरस्त करने की कृपा करें ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुन लिया, यह नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आता है । इसको अस्वीकार किया जाता है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री विनोद मणि–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया है ।

(श्री धर्मज्ञ मिश्र के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

मुकदमा कायम करना और जेल भेजना यह बता दें कि नियम 300 में कहां आता है ?

श्री धर्मज्ञ मिश्र–

विधान सभा के सदस्य के ऊपर बी० डी० ओ० का शैडो गोली तान रहा है, राइफल तान रहा है तो आप ही बता दें कि यह किस नियम के अन्तर्गत आयेगा ?

श्री अधिष्ठाता–

आप एक मिनट में अपनी बात कहें ।

श्री धर्मज्ञ मिश्र, सदस्य, विधान सभा पर चार अपराधिक मुकदमें कायम कर जेल भेजे जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री धर्मज्ञ मिश्र–

एक मिनट में कैसे अपनी बात कह पाऊंगा । मान्यवर, जो यह भाजपा और बसपा पार्टी की सरकार है, यह जो मिलीजुली सरकार है वह कहती है कि हमने जनता की सुरक्षा की गारन्टी ली है और मान्यवर, सुरक्षा की गारन्टी नहीं है । विधान सभा के सदस्यों की सुरक्षा की गारन्टी नही ले पा रहे हैं । हरदोई जिले में 9 अप्रैल, 1997 को शाम साढ़े सात बजे अवस्थी जी के घर डकैती पड़ी । मान्यवर, यह स्थान पुलिस थाने से मात्र 15-20 कदम की दूरी पर है । साढ़े सात बजे डकैती पड़ी उस समय बिजली नहीं थी । गृहस्वामी की पत्नी की हत्या कर दी गई और उसके बाद घर में लूट-पाट की ।

श्री अधिष्ठाता–

आपकी सुरक्षा से संबंधित सूचना है या फिर किसी दूसरे मसले को उठा रहे हैं ।

श्री धर्मज्ञ मिश्र–

मान्यवर, मैं सुरक्षा की बात ही उठा रहा हूं । 9 अप्रैल को यह घटना होती है और 10 तारीख को हरदोई में शिक्षा सलाहकार समिति की बैठक विकास भवन में आयोजित थी । मैं जब 10 तारीख को उस बैठक में भाग लेने के लिये हरदोई पहुंचा तो वहां पर हजारों आदमी इकट्ठा थे और नारे लगा रहे थे । जब मैं मीटिंग के बारे में पता करने के लिये मुख्य विकास अधिकारी के यहां पहुंचा तो वहां फाटक बन्द थे । मैंने कहा कि 11.00 बजे मीटिंग थी तो वहां गनर दरबान ने मेरी तरफ गन तान दी फाटक बन्द है नहीं खुलेगा । मीटिंग निरस्त हो गयी थी । वहां पर पूरे जिले की पुलिस लगी हुई थी ।

सारे शहर के लोग वहां मौजूद थे और 9 तारीख की घटना को लेकर शोकाकुल थे । मीटिंग नहीं हुई मैं प्रदेश पार्टी द्वारा जो प्रदर्शन कार्यक्रम था उसमें जिला समाजवादी पार्टी कार्यालय चला आया । वहां पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष एवं राम पाल वर्मा विधायक बाबू खां अशोक यादव और हजारों समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे । पार्टी के विधायकों और कार्यकर्ताओं ने शान्तिपूर्वक गिरफ्तारी दी । शहर के कोतवाल ने गिरफ्तार किया और बन्द किया गया देहात की कोतवाली में जहां 10-12 फुट की हवालात थी उसमें बन्द कर दिया गया मान्यवर, और लोगों को तो रिहा कर दिया लेकिन मेरे ऊपर चार-चार मुकदमें लगाये गये और मेरे साथ 22 अन्य लोगों के ऊपर मुकदमा कायम करके जेल भेज

दिया गया । मान्यवर, उत्पीड़न के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ बोल रहे थे । वहां पर डकैती और हत्या की घटना हुई थी ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें । आपकी बात आ गई है ।

(व्यवधान)

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल जी आप इस विषय में क्या बोलन चाहते हैं ? मिश्रा जी ने इस विषय में पूरी बात कह दी है । आप कृपया बैठ जायं ।

(व्यवधान)

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

[x x x]

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

लिखा नहीं जाएगा । माननीय अग्रवाल जी मैं कतई इजाजत नहीं दूंगा । माननीय सदस्य की पूरी बात आ गई है ।

श्री धर्मज्ञ मिश्र–

इस मामले की जांच होनी चाहिए । इस तरह से घटनायें हो रही हैं यह माननीय सदस्यों की सुरक्षा का प्रश्न है । कहते हैं 10.5 मिनट पर आग लगी जबकि मैं 11.00 बजे पहुंचा था । जीप तोड़ दी । मेरे ऊपर भी चार मुकदमें कायम कर दिए गए हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

आपकी पूरी बात आ गई है आप बैठ जाएं । सदन नियमों से चलेगा । अग्रवाल जी बैठ जाएं मैं आपको इजाजत नहीं दूंगा ।

श्री धर्मज्ञ मिश्र–

यह विधान सभा की गरिमा का मामला है । माननीय सदस्यों की सुरक्षा का मामला है ।

(श्री धर्मज्ञ मिश्र और श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल तथा अन्य सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आप सब बैठ जाएं । कृपया शान्ति बनाए रखें ।

(घोर व्यवधान)

श्री चन्द्र पाल सिंह यादव–

यह माननीय सदस्यों की सुरक्षा का मामला है इसमें जितने माननीय सदस्य बोलना चाहें उनको बोलने देना चाहिए । विधायक को पुलिस बन्द करेगी और आप बोलने का मौका नहीं देंगे । अग्रवाल जी के क्षेत्र का मामला है आप उनको सुन लें ।

नोट :–[x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अधिष्ठाता–

इस तरह मैं कतई इजाजत नहीं दूंगा ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

[x x x]

श्री अधिष्ठाता–

आप पूरे सदन के साथ ज्यादती कर रहे हैं । आप आरोप लगा रहे हैं । यह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा ।

(व्यवधान)

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, मैं आपका इस ओर ध्यान खींचना चाहता हूं कि माननीय सदस्य के साथ घटना हुई ।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने उनको पूरा सुन लिया है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

आपने उन्हें कृपापूर्वक सुना, धन्यवाद, लेकिन एक माननीय सदस्य को डेढ़ महीने जेल में रहना पड़ा उन्होंने कोई आपराधिक काम नहीं किया ।

श्री अधिष्ठाता–

दूसरा कोई नियम होता तो सुन लिया जाता, इस नियम में सुनना संभव नहीं है । (घोर व्यवधान)

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

आप अपनी रुलिंग दे रहे हैं बात नहीं सुन रहे हैं ।

श्री कुंवर रेवती रमण सिंह–

यह श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल जी के क्षेत्र की घटना है सब सदस्य तो बोल नहीं रहे हैं इनके क्षेत्र में यह घटना घटित हुई है आप सुन लेंगे तो आपका और सरकार का ज्ञानवर्धन हो जाएगा और सरकार उसमें कार्यवाही करेगी जिससे माननीय सदस्यों के साथ भविष्य में अनुचित कार्यवाही नहीं होगी । इसमें जो दोषी लोग हैं उनको दंडित किया जाना चाहिए ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

यह नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आता है इसलिए इसको निरस्त किया जाता है ।

(श्री अधिष्ठाता के इस निर्णय से असंतुष्ट होकर डा० वकार अहमद शाह, श्री विनोद मणि, श्री अरिमर्दन सिंह, श्री अवधेश प्रसाद, श्री चन्द्रपाल सिंह यादव, श्री धर्मज्ञ मिश्र, श्री सुधाकर, श्री सतीश शर्मा तथा श्री वीरेन्द्र सिंह सदन के वेल में आकर नारे लगाने लगे । कुछ सदस्य रिपोर्ट्स की टेबुल पर चढ़कर कागज के गोले बनाकर अध्यक्ष पीठ की तरफ फेंके व वहीं से नारे लगाते रहे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया ।)

नोट :–[x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रमों का निर्धारण का प्रस्ताव

(व्यवधान के मध्य)

श्री अधिष्ठाता–

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी बैठक दिनांक 24 जुलाई, 1997 में सदन के दिनांक 25 जुलाई, 1997 से दिनांक 12 अगस्त, 1997 तक के उपवेशनों के कार्यक्रम को निम्नलिखित संशोधित रूप में लिये जाने की सिफारिश की है :–

जुलाई, 1997	
25 शुक्रवार	(1) निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण– (क) उत्तर प्रदेश मंत्री और राज्य विधान मण्डल अधिकारी और सदस्य सुख-सुविधा विधि (संशोधन) विधेयक, 1997 (आधा घण्टा) (ख) उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1997 (आधा घण्टा) (ग) उत्तर प्रदेश रुड़की विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1997 (आधा घण्टा) (घ) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1997 (आधा घण्टा) (2) वित्तीय वर्ष 1997-98 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा ।
26 शनिवार 27 रविवार	बैठक नहीं होगी ।
28 सोमवार	(1) निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण– (क) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 1997, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ–(आधा घण्टा) (ख) उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1997, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ–(आधा घण्टा) (ग) उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1997 (आधा घण्टा) (घ) उत्तर प्रदेश जल-सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1997 (आधा घण्टा) (2) वित्तीय वर्ष 1997-98 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा ।
29 मंगलवार	वित्तीय वर्ष 1997-98 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा ।

30 बुधवार
31 गुरुवार

वित्तीय वर्ष 1997-98 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

अगस्त, 1997

1 शुक्रवार

(1) वित्तीय वर्ष 1997-98 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

(2) 5.00 बजे अपराह्न

विधायी कार्य ।

2 शनिवार

(1) वित्तीय वर्ष 1997-98 के आय-व्ययक की अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

(2) नियम 103 के अन्तर्गत श्री रंगनाथ मिश्र, सदस्य, विधान सभा के निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुत किया जाना एवं उस पर एक घण्टे की चर्चा :–

"इस सदन का निश्चित मत है कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में खोले गये पर्सनल लेजर एकाउन्ट के संचालन पर तत्काल रोक लगाई जाय और उसमें जमा धनराशि का उपयोग निर्दिष्ट प्रयोजनों हेतु किया जाय ।"

(3) प्रदेश में चीनी मिलों द्वारा गन्ना उत्पादक किसानों को गन्ने के मूल्य का भुगतान न किये जाने तथा गन्ने की पेराई की समस्या से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री सूर्य प्रताप शाही, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर चर्चा–दो घण्टा ।

(4) 5.00 बजे अपराह्न

विधायी कार्य ।

3 रविवार

बैठक नहीं होगी ।

4 सोमवार
5 मंगलवार
6 बुधवार

वित्तीय वर्ष 1997-98 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

7 गुरुवार
8 शुक्रवार
9 शनिवार
10 रविवार

बैठक नहीं होगी ।

11 सोमवार

वित्तीय वर्ष 1997-98 के आय-व्ययक की अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

12 मंगलवार (1) वित्तीय वर्ष 1997-98 के आय-व्ययक की अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

(4-00 बजे अपराह्न तक)

(2) 4.00 बजे अपराह्न

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1997 का सदन की अनुज्ञा से पुरः स्थापन उस पर विचार एवं उसका पारण ।

[समय 2 बजकर 5 मिनट]

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

मैं प्रस्ताव करता हूं कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश जिसकी सूचना आज माननीय अधिष्ठाता द्वारा सदन में दी गई है से यह सदन सहमत है ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश जिसका प्रस्ताव माननीय संसदीय कार्यमंत्री ने किया है, से यह सदन संहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

मैं 15 मिनट के लिए सदन स्थगित करता हूं ।

(इस समय 2 बजकर 5 मिनट पर श्री अधिष्ठाता ने सदन की कार्यवाही 2 बजकर 20 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी ।)

(2 बजकर 20 मिनट पर मार्शल ने सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 2 बजकर 45 मिनट तक लिए बढ़ा दिया है ।)

(2 बजकर 45 मिनट पर श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री धर्मज्ञ मिश्र से संबंधित प्रकरण पर विपक्ष के सदस्यों द्वारा अभद्र प्रदर्शन किए जाने पर क्षोभ की अभिव्यक्ति

महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री (श्री हरी किशन)–

मान्यवर, मैं सन् 1972 से विधायक के रूप में हूं, मुझे 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं और विभिन्न स्थानों पर, इस पक्ष से, उस पक्ष से मैं अपने दायित्वों का निर्वाह करता रहा हूं, पीठ पर भी बैठा हूं । यहां हर प्रकार से परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं, विपक्ष ने अपने दायित्व का निर्वाह भी किया है । एक से एक ऐसे शीर्षस्थ नेतृत्व का मैंने कार्यकाल देखा है जो सदन में नेता विरोधी दल के रूप में रहे और सक्रिय रूप से भाग लेते रहे । आज के संदर्भ में मुझे आपका ध्यान आकर्षित करना है । यह ठीक है कि विपक्ष अपने दायित्व का निर्वाह करे, अगर ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न हो तो वेल के अन्दर भी लोग आ जाते हैं, अपने-अपने स्थानों पर खड़े होकर प्रदर्शन भी करते हैं, कभी-कभी आगे बढ़कर नारे भी लगाते हैं, परन्तु जिस प्रकार का अशोभनीय प्रदर्शन यहां पर आज हुआ है, उससे मुझे बड़ा कष्ट हुआ है । आप जानते हैं, मैं अधिक बोलता नहीं हूं, लेकिन आज मुझे बोलने पर मजबूर होना पड़ा ।

आपके माध्यम से माननीय सदस्यों से इतना निवेदन करना चाहूंगा कि कम से कम सदन की मर्यादा रखें, अपनी मर्यादा रखें और लोकतंत्र की सुरक्षा करें । मैं किसी के अधिकार की ओर उंगली नहीं उठा रहा हूं, जिस प्रकार से चाहें, करें, लेकिन इस तरह के कृत्यों पर नियंत्रण रखें, धन्यवाद ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, सन् 1980 से मैं भी इस विधान सभा का सदस्य हूं। मैंने हरदम उस पीठ का सम्मान किया है साथ ही उस पीठ से हरदम यह अपेक्षा भी की है कि वह हमको संरक्षण दे। हम गलती करें तो गलती को जरूर इंगित करें, लेकिन जब हम अपने अधिकारों की बात करें तो कम से कम उस पीठ को संयम बरतना चाहिये। आज मुझे बहुत तकलीफ हुई। अधिष्ठाता मंडल के एक सदस्य ने...

श्री अध्यक्ष–

पीठ पर तो आक्षेप न करें।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, आपसे एक निवेदन है कि अधिकार अधिष्ठाता मण्डल में आपको दिये गये हैं लेकिन कम से कम उस अधिकारों में अगर इधर के सदस्यों को भी सम्मिलित करें तो शायद ज्यादा अच्छा न्याय इस पीठ से होगा और कोई आरोप लगाने की स्थिति नहीं उत्पन्न होगी।

श्री जय नारायन तिवारी–

माननीय अध्यक्ष महोदय, अधिष्ठाता मण्डल या जो भी आपके द्वारा अध्यक्ष पीठ पर बैठता है वह सदन को सुचारु रूप से संचालित करने की व्यवस्था करता है। हम सदस्यों का नैतिक दायित्व बनता है कि वह अध्यक्ष पीठ पर बैठे हुए किसी भी व्यक्ति को जिसका कि अधिष्ठाता मण्डल में चयन हो चुका है, उस पीठ के द्वारा दी गयी व्यवस्था का समादर करे आदर करे और माननीय नरेश चन्द्र अग्रवाल जी हमारे वरिष्ठ साथी हैं उनको अध्यक्ष पीठ पर इस तरह से बार-बार लांक्षन लगाने का कोई हक नहीं बनता है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय अधिष्ठाता के ऊपर अगर कोई आक्षेप लगाया गया है तो वह मैं कार्यवाही मंगा कर देखूंगा और उसे निकाल दूंगा। यह उचित नहीं है व्यवस्था से कोई सहमत हो सकता है कोई असहमत हो सकता है लेकिन इसके पीछे कोई दुर्भावना नहीं रहती है। इसलिए मैं तो सबसे अपेक्षा करूंगा कि सहयोग देते रहें तो अच्छा रहेगा जो सूचना मुझे मिली है और जो आज इस सदन में हुआ, खेदजनक है।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, जो सदन में हुआ कदाचित यह होना नहीं चाहिए और अगर इस तरह की बात से हमारे गार्डों को असुविधा हुई है तो उसका मुझे खेद है। एक बात का और आग्रह करूंगा कि अगर सम्मानित सदन के हमारे जो सदस्य हैं उनके साथ जिला प्रशासन...

श्री अध्यक्ष–

अभी तो मैं सदन में जो कुछ हुआ है उसकी बात कर रहा हूं दोनों को मिलाइये नहीं।

इस सदन में जो सुरक्षाकर्मी तैनात रहते हैं। माननीय सदस्यों की सुरक्षा के लिए यहां व्यवस्था की जाती है और यह सहायता करने के लिए है अभी उनकी जो पेटी है वह टूटी हुई मुझे दिखाई गई तो ऐसा तो नहीं होता, मैं किससे कहूं कि खेद प्रकट करे।

श्री धर्मज्ञ मिश्र–

मान्यवर, सदन में जो भी हुआ कोई हम लोगों की ऐसी भावना नहीं थी कि किसी प्रकार का झंझट हो परन्तु जब पूरी बात नहीं सुनी जायेगी तब जोश आवेश में हम लोग वहां पहुंच गये जब पहुंच गये तो

वहां कोई ऐसी बात नहीं हुई और न किसी प्रकार का झंझट हुआ है । अब कैसे पेटी टूट गई हम लोग नहीं जानते । अगर ऐसी कोई बात नहीं थी तो खेद प्रकट करता ।

श्री अवधेश प्रसाद–

जो भी आदरणीय सदन में अधिष्ठाता महोदय की पीठ पर आसीन होते हुए हुआ ये बड़े खेद का विषय है । इसके पीछे कोई भावना नहीं थी । जहां तक कर्मचारियों का सवाल है हम सब उनका सम्मान भी करते हैं और उनके प्रति सहिष्णु भी रहते हैं । मान्यवर, जो भी हुआ उसके लिए खेद व्यक्त करता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, आपका ध्यान मैं आकर्षित करना चाहूंगा, लेकिन ध्यान आकर्षित करने से पहले मैं फिर एक बार इस सदन से अपेक्षा करता हूं, निवेदन भी करता हूं, आग्रह भी करता हूं कि कभी-कभी वातावरण में उत्तेजना आती है, कभी-कभी माननीय सदस्यों की भावनाएं किसी प्रश्न के साथ जुड़ जाती हैं लेकिन इस सदन की कार्यवाही को इस प्रदेश की 14 करोड़ जनता कहीं प्रत्यक्ष और कहीं अप्रत्यक्ष रूप से देख रही है ।

प्रायः हम सबके पास इस बात की शिकायत आती है कि सदन के बाहर माननीय सदस्यों का सम्मान जिस मात्रा में होना चाहिये, नहीं होता । मैं किसी को दोष भी नहीं देना चाहता हूं । यदि हम अपने व्यवहार को सम्मानपूर्ण ढंग से इस सदन में प्रदर्शित करेंगे तो निश्चय ही सदन के बाहर भी एक सम्मानपूर्ण वातावरण बनाने में हमारा यहां का व्यवहार सहायक होगा । बहुत अच्छी बात है कि आज यहां खेद प्रकाश हुआ और इस सदन में सही भावना से इस घटना को लिया है । हम क्षुब्ध तो हैं और आशा करते हैं कि इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी ।

मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से यह अपेक्षा करूंगा कि एक माननीय सदस्य ने अपनी बात कही है कृपया आप और माननीय सदस्य मेरे कक्ष में एक सुविधानुसार समय व तिथि निर्धारित कर आ जायें जो उनकी समस्यायें हों उनका निराकरण करने का प्रयास हम सब कर लेंगे । इससे सदन में अच्छा वातावरण बन जायेगा । इस प्रकरण को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं । माननीय मिश्र जी की सूचना नियम 300 में अंतिम सूचना थी । अब मैं आगे की कार्यवाही को ले रहा हूं ।

माननीय नेता सदन के कक्ष के आगे तैनात सुरक्षा कर्मियों द्वारा विधायकों से उचित व्यवहार करने के निर्देश

* श्री इकबाल महमूद–

मान्यवर, माननीय नेता सदन को सिक्योरिटी मिली हुई है उनके कक्ष से आगे माननीय नेता विरोधी दल का कक्ष भी है जो हमारी पार्टी के नेता हैं । हम वहां पर जब जाते हैं तो उनकी सिक्योरिटी से हम लोगों को बड़ा अपमानित होना पड़ता है । तो आप से अनुरोध करूंगा कि इस तरह की व्यवस्था कर दें कि वहां पर कम से कम विधायकों के साथ आने जाने में जो टोका टाकी होती है वह न हो ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी इसे देख लीजिए, माननीय सदस्यों के आवागमन में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए इस परिसर में आने जाने का अधिकार माननीय सदस्यों को है माननीय सदस्यों को बाधा न हो और अनावश्यक टोका टाकी न हो ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

अब मैं मद संख्या 7 लेता हूं।

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (संशोधन) विधेयक, 1997 †

महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री (श्री हरी किशन)–

मान्यवर, मैं आप की अनुमति से उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (संशोधन) विधेयक, 1997 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (संशोधन) विधेयक 1997 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री हरी किशन–

मान्यवर, आपकी अनुमति से मैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (संशोधन) विधेयक, 1997 को पुरःस्थापित करता हूं।

नियम 311 की नियम 56 में परिवर्तित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

कार्य-स्थगन प्रस्ताव में कुछ मेरे पास आये हैं इनके संबंध में भी आप से निवेदन है कि बजट पर चर्चा होनी है, कल बहुत अच्छे वातावरण में काफी देर तक सदन में बैठ कर हम लोगों ने कार्यवाही में भाग लिया, अनेक माननीय सदस्यों को बजट की चर्चा में भाग लेना है मैं ये जरूर चाहूंगा कि जो भी सूचनाएं हैं, जिनमें एक से अधिक माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर हैं, 5 सूचनाएं ग्राह्यता के लिए सुनी जाती हैं और नियमानुसार 5 पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है तो जिन 5 सूचनाओं को सुनना है मुझे इतनी अनुमति दे दें कि मैं 2 माननीय सदस्यों को सुन लूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

आप लोग बैठें मैं अभी बता ही रहा हूं इसमें पहली सूचना प्रदेश के किसानों को गन्ने मूल्य का भुगतान न कराये जाने के संबंध में उत्पन्न स्थति से संबंधित है। अब इस पर दो तारीख को 2 घण्टे की चर्चा लगी हुई है दूसरे विभाग के बजट पर और बजट की सामन्य चर्चा में भी चर्चा के अवसर उपलब्ध हैं, आप इसका उल्लेख कर सकते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए इस विषय पर आप संक्षिप्त में अपनी बात रखें तो उचित रहेगा।

नियम 311 के अन्तर्गत दो सूचनायें प्राप्त हुई थीं, जिसे मैंने नियम 56 में परिवर्तित कर दिया है। माननीय सदस्य सर्वश्री जगदम्बिका पाल, प्रमोद कुमार, नरेश चन्द्र अग्रवाल, समरपाल सिंह, कौकब हमीद, सुवाष चन्द्र श्रीवास्तव, राम आसरे पासवान, रामजग व श्री राधेश्याम जी की पहली सूचना है, दूसरी सर्वश्री समरपाल सिंह, दयाशंकर वर्मा, विजेन्द्र आर्य, गजेन्द्र कुमार मुन्ना व श्री राजपाल सिंह जी की है। माननीय सदस्य अब स्वयं तय कर लें कि अधिक से अधिक दो सदस्य बोलें या फिर तीन सदस्य बोलें। मैं एक दल से एक सदस्य को ले लेता हूं। 3.00 बज गया है। माननीय नेता विरोधी दल को भी अपना भाषण देना है।

नोट :–† दिनांक 26 अगस्त, 1997 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, इस पर दो घण्टे की चर्चा पहले से ही लगी है । इसलिए प्राग्दर्शन में ही यह नियम–56 के अन्तर्गत नहीं आता है । इसलिए इसे अग्राह्य कर दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय श्री वर्मा जी की आपत्ति अपनी जगह पर है । कार्य-स्थगन पर उसी दिन सुना जाता है । चर्चा दो तारीख को लगी है । मुख्य उद्देश्य भी यही है कि माननीय सदस्य इस विषय पर चर्चा करना चाहते हैं । इस समय माननीय सदस्य 2-2 मिनट में अपनी बात समाप्त कर दें परन्तु तीन से अधिक माननीय सदस्य इस पर न बोलें ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, प्रदेश में लगभग 25 प्रतिशत किसान आज भी अपनी जमीन में गन्ना इसलिए बोते हैं क्योंकि उसे कैश-क्राप माना जाता है ।

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है । नियमावली के नियम 58 (6) में लिखा है "प्रस्ताव में कोई ऐसा विषय नहीं लाया जा सकता जो पहले से सदन के विचारार्थ निर्धारित किया जा चुका है ।" इसलिए मान्यवर, इस विषय को नियम–56 में नहीं लाया जा सकता है । क्योंकि इस पर पहले से ही चर्चा के लिए समय निर्धारित है । इसलिए ऐसे विषय पर यहां पर चर्चा करने से सदन का कीमती समय भी बर्बाद होगा । केवल वरिष्ठ सदस्यों का सम्मान हो सके, इसलिए इस पर उनको सुन लिया जाय तो मेरे हिसाब से जो नये माननीय सदस्य आये हैं, उनको चर्चा का अवसर नहीं मिल पायेगा । [x x x]

श्री रंगनाथ मिश्र–

मान्यवर, यह बहुत ही लोक महत्व का प्रश्न है । इसमें हम सभी सदस्यों की रुचि है । हम भी कुछ कहना चाहेंगे ।

[समय 3 बजकर 5 मिनट]

इसे नियम–56 में स्वीकार करके मात्र विपक्ष के लोगों को मौका देंगे यह उचित नहीं होगा ।

श्री अध्यक्ष–

पहले तो इस भ्रम को दूर कर दीजिये कि यह सूचना स्वीकार हो गयी और जो माननीय वर्मा जी ने नियम 58 (2) में यह कहा है कि एक ही प्रस्ताव द्वारा एक से अधिक विषय पर चर्चा नहीं होगी तो उस उपबन्ध को ध्यान में रखते हुए कैसे यह ग्राह्य होगा इस पर आप बतायें ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, मैं इसी के बारे में कहना चाहता हूं । मान्यवर, प्रदेश के एक करोड़ किसान गन्ने के काश्तकार हैं और पिछले सत्र में भी इस बात पर बहस हुई थी कि गन्ना किसानों का गन्ना चीनी मिल मालिकों ने ले लिया है और उसके मूल्य के भुगतान के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई नियम नहीं बनाया है जिससे किसानों को राहत मिल सके । जो भी मुख्य मंत्री हुए उन्होंने झूठी प्रशंसा की इस सदन में कि 30 जून तक गन्ना किसानों का भुगतान करा दिया जायेगा । आज भी उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों का 432 करोड़ 45 लाख रुपये के मूल्य का भुगतान बकाया है ।

नोट :– [x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की थी, मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि उस घोषणा के समाप्त होने के बाद से चीनी मिल मालिकों के ऊपर जो बकाया है, बकाये को भुगतान न करने पर कितने मिल मालिकों को जेल भेजा गया या किसानों को राहत देने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनायी गयी । पिछले वर्ष जितना बकाया था उससे ज्यादा इस सरकार का बकाया है । श्रीमन्, वर्ष 1995-96 में उत्तर प्रदेश के किसानों का 3.हजार 456 रुपया...

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । मान्यवर, यहां पर कोई चर्चा नहीं हो रही है, इन्हें आपने सिर्फ ग्राह्यता पर सुना है ।

श्री अध्यक्ष–

आप सिर्फ ग्राह्यता पर बोलें ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, मैं तीन चीजें माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा–(1) गन्ना किसानों के बकाये के लिए सरकार ने वसूली के लिए क्या कार्यवाही की है ? (2) क्या गन्ना किसानों का जो बकाया है उस पर ब्याज दिलाने की व्यवस्था करेंगे, (3) क्या सरकार यह आदेश जारी नहीं कर सकती कि जितना गन्ना किसानों का मूल्य बाकी है, यदि सरकारी कोई देय है, तो जब तक उनके मूल्य का भुगतान नहीं हो जाता तब तक रिकवरी नहीं होगी ।

मान्यवर, इन तीन चीजों पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी जवाब दे दें । आज इन तीन चीजों की वजह से उनके बच्चों का एडमीशन नहीं हो पा रहा है, नया गन्ना वह बो नहीं सकता क्योंकि उसके पास खाद नहीं है, बीज नहीं है और दवा नहीं है । उसमें छूट नहीं दे रहे हैं । आज किसान गन्ना बो नहीं पाया है । आज उत्तर प्रदेश जो सबसे ज्यादा चीनी पैदा करता था क्योंकि गन्ना पैदा नहीं हो पाया है, इसलिए वह नीचे जा रहा है । अतः मान्यवर, इसकी अविलम्बनीयता और लोकमहत्व को देखते हुए इसे नियम–56 में ग्राह्य करने का कष्ट करें ।

* श्री समर पाल सिंह–

मान्यवर, आपने मुझे इस अति महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया है इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, यह बहुत ही लोक महत्व का और अविलम्बनीय प्रश्न है और लाखों गन्ना किसानों के भाग्य से जुड़ा हुआ प्रश्न है ।

श्रीमन्, इसको ग्राह्य करना इसलिये भी आवश्यक है, क्योंकि प्रदेश के जो गन्ना किसान हैं, सरकार की घोषणा के बाद भी उनका 400 करोड़ रुपया बकाया है । जिन किसानों का बकाया है, वह अपने लड़कों की पढ़ाई नहीं करा सकते हैं, अपनी लड़की की शादी नहीं कर सकते हैं और यही नहीं अगली फसल के लिये उनके पास पैसा नहीं है, खाद, बीज और सिंचाई के लिये उनके पास पैसा नहीं है । किसानों के गन्ने का मूल्य का भुगतान न होने से उनकी अगली फसल प्रभावित होगी । मान्यवर, जब यह सरकार पदारूढ़ हुई तो घोषणा की गयी कि गन्ना किसानों के मूल्य का भुगतान किया जायेगा, लेकिन आज तक नहीं हुआ । जब पेराई का सत्र समाप्त हो गया, तो कहा गया कि 30 जून तक भुगतान कराया जायेगा ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, 30 जून निकल गया है और एक महीना हो रहा है, लेकिन आज गन्ना किसानों के बकाया धन का भुगतान नहीं हो पाया है । किसानों को सरकारी बकाया देना रहता है, कोआपरेटिव का बकाया देना होता है, तो जब तक उनको गन्ने का मूल्य नहीं मिलेगा, तब तक कैसे उसका भुगतान करेगा । किसानों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, उनको परेशान किया जा रहा है, आप ऐसा कोई प्रबन्ध करें कि उनके साथ अत्याचार न हो । सबसे बड़ी बात यह है कि नियमों का उल्लंघन हो रहा है । आप नियम बना दें कि 15 दिन के अन्दर भुगतान करना पड़ेगा । पूंजीपतियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है । मेरा आग्रह है कि जिन किसानों का मूल्य बकाया है, उनको उस पर ब्याज दिया जाये । इसके अलावा मैं कहना चाहता हूं कि हाई कोर्ट का एक आदेश आया है कि गन्नों का समर्थन मूल्य घोषित करने का अधिकार प्रदेश सरकार को नहीं है । उस समय लोक प्रिय सरकार नहीं थी, अब लोकप्रिय सरकार आ गयी है ।

मान्यवर, अगर प्रदेश सरकार को गन्ने का समर्थन मूल्य घोषित करने का अधिकार नहीं मिलता है, तो अगले साल गन्ने की बुरी हालत हो जायेगी । कलेन्डर तैयार कर लिया गया है और पर्चियां तैयार कर ली गयी है और वह सब बेइमानी हो जायेगी । मोदी नगर मिल 71 रुपये गन्ने का मूल्य दे रही है ।

इसलिए मैं चाहूंगा कि जो अध्यादेश भेजा है वह इसी सत्र के अन्दर माननीय सदन में आकर पास होकर केन्द्र को भेज दिया जाय और उस पर दबाव डालकर इसे कराया जाय क्योंकि सितम्बर में समर्थन मूल्य की घोषणा होने वाली है इससे पहले-पहले किसानों के गन्ने के मूल्य की घोषणा हो जानी चाहिए कि एक जैसा मूल्य सभी को मिलेगा । यह अधिकार सरकार अपने हाथ में ले यह अविलम्बनीय लोकमहत्व का है और तात्कालिक भी है । अभी अगर यह काम नहीं किया गया तो अगले साल अफरा-तफरी मच जाएगी । पूंजीपतियों द्वारा किसानों की लूटखोरी इसलिए आज ही सदन का काम रोक कर इस पर चर्चा कराई जाए ।

श्री अध्यक्ष–

(श्री सतीश शर्मा के खड़े होने पर) सतीश शर्मा जी के हस्ताक्षर नहीं हैं । (व्यवधान) ऐसे आप कैसे बोल लेंगे मैं अनुमति नहीं देता । (व्यवधान) जिनके हस्ताक्षर हैं वह इस प्रकार हैं श्री जगदम्बिका पाल, श्री प्रमोद कुमार, श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री समरपाल सिंह, श्री कौकब हमीद, श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव, श्री रामआसरे पासवान, श्री रामजग, श्री राधेश्याम और दूसरे में श्री समरपाल सिंह, श्री दयाशंकर, श्री विजेन्द्र आर्य, श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना और श्री राजपाल सिंह के हस्ताक्षर हैं ।

* श्री रामआसरे पासवान–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे लोक महत्व के प्रश्न पर बोलने का अवसर दिया । प्रदेश का 25 प्रतिशत किसान गन्ना बोता है ।

श्री अध्यक्ष–

पासवान जी आप ग्राह्यता पर अपने विचार व्यक्त करें ।

श्री रामआसरे पासवान–

मान्यवर, प्रदेश के करोड़ों किसानों का 432 करोड़ 45 लाख रुपये मिल मालिकों पर बाकी है । इस तरह से किसानों का पैसा लेकर वह बैठे हुए हैं और सरकार की तरफ से उन्हें पैसा दिलाने के लिए कोई कार्यवाही नहीं हो रही है । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बतायें कि इस संबंध में क्या कार्यवाही की

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

गई है । कब तक गन्ना मंत्री जी किसानों का भुगतान करा देंगे । हमारे यहां बस्ती में खलीलाबाद मिल पर साठ करोड़ रुमया किसानों का बाकी है वह उसे दबाये बैठे हैं । किसान को नई फसल के लिए खाद आदि के लिए पैसे की जरूरत है, बच्चों के स्कूल खुल गये हैं उनकी पढ़ाई के लियें पैसों की जरूरत है और जिनसे कर्ज लिया है उसको वापस करने के लिए पैसे की जरूरत है । सरकारी कर्जे की वसूली के लिये उत्पीड़न हो रहा है और दूसरी तरफ मिल मालिक 432 करोड़ 45 लाख रुपया लेकर बैठे हैं । ऐसे पूंजीपतियों के खिलाफ सरकार कार्यवाही नहीं करती है तो मेरी मांग है कि उन्हें सूद सहित पैसा दिलाया जाये । इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

मेरी बात सुनने के लिए आपने अवसर दिया मैं आपका आभारी हूं । यह लोकमहत्व का सवाल इसलिये है कि केवल करोड़ों किसानों की ही बात नहीं बल्कि करोड़ों किसानों के साथ जुड़े करोड़ों लोगों की बात है । क्योंकि यह केवल किसान का ही मामला नहीं है, उसके बहुत से परिवार जुड़े हुए हैं क्योंकि रोटी किसानों के भरोसे पर जुड़ी हुई है । उसमें दुकानदार भी जुड़े हैं क्योंकि जब तक किसान का पेमेंट नहीं होगा किसान किसी का पेमेंट नहीं कर सकता । वह कृषि मजदूर भी नहीं रख सकता, अपने बच्चों के कपड़े नहीं सिला सकता, उनके लिये कपड़ा नहीं खरीद सकता । इस तरह से बहुत सारे लोग उससे जुड़े हुए हैं । हमारी सरकार किसानों की बात करती है लेकिन् उनके काम की कोई बात नहीं करता है । यह सरकार किसानों के बकाया का भुगतान नहीं करा पा रही है और उल्टे किसानों पर रिकवरी जारी हो रही है । इसी तरह उसके द्वारा बिजली का पेमेंट करना है । सोसायटीज का जो कर्ज उसने लिया है उसकी रिकवरी एस० डी० एम० और तहसीलदार द्वारा निरीह रूप से हो रही है । उसे जेलों में ठूंसा जा रहा है ।

किसान की बात सुनने वाला कोई नहीं है । आज सरकार बता दे कि किसी भी पूंजीपति को जेल में बंद किया गया हो । किसी मिल मालिक को बंद किया गया हो । क्योंकि सरकार पूंजीपतियों के हाथों में है । मिल मालिकों और पूंजीपतियों का सम्बन्ध डी० एम० और एस० एस० पी० और मंत्रियों से रहता है । किसान से किसी का संबंध नहीं है । इसलिए यह लोकमहत्व का सवाल है । इस पर अभी सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा करायें ।

* श्री राम जग–

माननीय अध्यक्ष जी, यह विषय अविलम्बनीय लोक महत्व का है क्योंकि पूरे प्रदेश का गन्ना किसान अपनी तमाम दिक्कतों और परेशानियों के बावजूद गन्ना बोता है और चीनी मिलों को उसने गन्ना दिया है लेकिन उसका बकाया आज चीनी मिलों पर पड़ा हुआ है । 4 अरब रुपये से ज्यादा बकाया चीनीं मिलों पर है । मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की थी और गन्ना मंत्री जी ने घोषणा की थी कि गन्ना मूल्य का भुगतान किया जायगा लेकिन गन्ना किसानों को उनका गन्ना मूल्य नहीं मिला । गन्ना किसान गन्ना इसलिये बोता है कि उसको अपनी बेटी की शादी करनी है, उसको अपना मकान बनवाना है अपने बच्चों को पढ़ाना है और अपने परिवार का विकास करना है लेकिन प्रदेश सरकार की गलत नीति के कारण आज तक गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं किया गया है । किसान पर जो सरकारी बकाया है उसकी वसूली में किसानों के ट्रैक्टर खींचे जा रहे हैं, किसान को हवालात में बंद किया जा रहा है । किसान का निश्चित रूप से उत्पीड़न हो रहा है । दूसरी तरफ इस सरकार ने किसी एक भी चीनी मिल मालिक को न तो गिरफ्तार किया है और न बकाया अदा करने के लिये उस पर दबाव डाला है । इसलिये हमारा यह कहना है कि यह बड़ा महत्वपूर्ण अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है इस पर आप सदन का कार्य रोककर चर्चा करायें ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री सुवाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मान्यवर, एक मिनट का समय दे दें ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, जो एक दिन दो घंटे की चर्चा है उसकी जगह पर आज चर्चा हो रही है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य संक्षेप में अपनी बात कह रहे हैं ।

श्री सुवाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मान्यवर, मैं आभार प्रदर्शित करना चाहता हूं कि आपने मुझे इस विषय की ग्राह्यता पर बोलने का मौका दिया । मान्यवर, इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर चर्चा आवश्यक है । मान्यवर, आज पूरे प्रदेश के किसानों में अफरा तफरी मची है । आपको जानकारी है कि राज्य सरकार गन्ने की कीमत तय करती है लेकिन इस वर्ष चीनी मिल मालिक उच्च न्यायालय गये और राज्य सरकार द्वारा निर्धारित गन्ना मूल्य के विरुद्ध एक मुकदमा दाखिल किये और चीनी मिलों के मालिकों के पक्ष में माननीय उच्च न्यायालय ने एक स्थगन आदेश पारित कर दिया । इससे सम्पूर्ण किसानों के सामने एक संकट पैदा हो गया है । पिछले पेराई सत्र में जो गन्ने की आपूर्ति की गयी है उसका 432 करोड़ रुपये से ज्यादा किसानों का पिछले पेराई सत्र का बकाया है । जो निजी क्षेत्र की चीनी मिलें हैं वह मनमाने ढंग से काम कर रही हैं और राज्य सरकार को ठेंगा दिखाते हुए अपनी मर्जी के अनुसार गन्ने की कीमत का भुगतान कर रही हैं । यह समस्या तात्कालिक इसलिये है कि आज पूरे प्रदेश का किसान गन्ना मूल्य न मिलने से परेशान है । आप जानते हैं कि गांव के जो किसान हैं उन पर सरकारी कर्ज बकाया है जिनके रिकवरी सर्टीफिकेट जारी होते हैं और किसानों को तहसील की हवालात में बन्द होना पड़ता है दूसरी तरफ किसान का पैसा किसान को नहीं मिल पा रहा है और प्रदेश की 117 चीनी मिलों पर 432 करोड़ रुपया गन्ना किसानों का बाकी है उनके विरुद्ध राज्य सरकार आज तक कोई कार्यवाही नहीं कर रही है ।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

श्री सुवाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मान्यवर, एक मिनट और आपका समय लेना चाहता हूं । 117 चीनी मिलों में पूर्वी उत्तर प्रदेश में ज्यादा राज्य चीनी निगम की ही चीनी मिलें हैं जिन पर 80 करोड़ रुपया गन्ना किसानों का बकाया है । सरकार इसके लिये जवाबदेह है इसलिये यह 80 करोड़ रुपये का तत्काल भुगतान कराया जाय । यह जो भाजपा और बसपा के गठबंधन की सरकार है किसान हित में बड़े-बड़े दावे करती है ।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें । मैंने इसीलिये कहा था कि इसे चर्चा में कहें ।

श्री सुवाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मान्यवर, इसीलिये मेरा निवेदन है कि इसकी तात्कालिकता है, इसे ग्राह्य करें और सदन के नियमों को निलम्बित करके इस विषय पर चर्चा करायें ।

* श्री सतीश शर्मा–

मान्यवर, इस प्रदेश के करोड़ों किसानों से सम्बन्धित समस्या पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । मान्यवर, इस सूचना की ग्राह्यता इसलिये आवश्यक है कि किसान परिवार के साथ-साथ और भी बहुत से परिवार जुड़े हैं । किसान राज्य सरकार से, प्रदेश सरकार से अपनी कृषि से संबंधित अच्छे बीज, खाद और अच्छे यंत्र के लिये कोई भी जो लोन लेता है तो सरकार उससे ब्याज वसूल

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

करती है और पेमेन्ट की अदायगी न करने पर उन्हें जेल में ठूंस दिया जाता है। जब इन किसानों को गन्ने के मूल्य का भुगतान नहीं मिलेगा तो किस तरह से अपनी कृषि के लिये अच्छे बीज, खाद और यंत्र खरीद सकते हैं, इसके लिये पैसा कहां से लायेंगे। तो मान्यवर, चूंकि किसान के ऊपर हर कर्ज का ब्याज लिया जाता है तो उसका भुगतान जो नहीं हुआ है उसे उसका भी ब्याज मिलना चाहिए। जब तक इनका भुगतान न हो जाय इनके देनदारी की वसूली नहीं होनी चाहिए। मान्यवर, मैं इन्हीं शब्दों के साथ इसे ग्राह्य किये जानें व चर्चा कराये जाने की मांग करता हूं।

सिंचाई एवं गन्ना विकास मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)–

मान्यवर, मैं तो आभारी होता अगर दो तारीख का कार्यक्रम आप आज ले लेते। सबको पूरी तरह से जवाब दे देते, जो यह घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। मान्यवर, अभी दो-तीन प्रश्न उठाये गये हैं। पहला यह कि ब्याज दिलवाया जाय, दूसरा कि जिन गन्ना किसानों का बकाया है उनकी वसूली रोक दी जाय। मान्यवर, 85 से लेकर आज तक सभी लोग रहे हैं। मान्यवर, यह इस सदन का सौभाग्य रहा है कि यहां के हर दल की यहां सरकार रही है। बकाये वाली जो बात है उसके संबंध में कहना चाहता हूं कि 15 जुलाई को कभी भी शत प्रतिशत भुगतान नहीं हुआ है। यह एक भी उदाहरण दे दें कि ब्याज का भुगतान किसी सरकार ने किया है, जिनके ऊपर बकाया हो उनकी वसूली रोक दी गयी हो।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया शांत हो जायं।

* श्री समरपाल सिंह–

मान्यवर, कहीं भी नियम ऐसा नहीं है कि किसी का उदाहरण दें.....

(व्यवधान)

*श्री योगेन्द्र सिंह–

मान्यवर, हमें भी तो मौका दीजिये। इन्होंने कहा कि अगर ब्याज माफ किया हो तो बतायें। मान्यवर,.....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया बैठ जायं। इसीलिये मैंने कहा था कि चर्चा में विस्तारपूर्वक बात आ जायेगी। जब 2 तारीख को चर्चा होगी तब आप कहियेगा। आप कृपया बैठ जायं।

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि किसानों को गन्ना मूल्य का भुगतान 15 दिन के अन्दर मिलना चाहिए अगर उसका बकाया है तो 15 दिन के अन्दर मिल जाना चाहिए। लेकिन मान्यवर, यह सरकार पूर्व के पापों को ढो रही हैं। आप कहेंगे कैसे ?

(व्यवधान)

(सत्तापक्ष के माननीय सदस्यों ने मेजें थपथपाई)

श्री समरपाल सिंह–

पाप नहीं ढो रही है पूंजीपतियों से मिली हुई है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया उत्तर सुन लें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री समरपाल सिंह–

जिस पर से 10 करोड़ रुपया बकाया है उसको संरक्षण दे रही है ।

(व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश सिंह–

पुराने पाप को ढो रहे हैं ऐसा क्यों कहा पिछले वर्ष का तीन सौ करोड़ रुपया फरवरी, 1997 तक बकाया था यह तीन सौ करोड़ रुपया हमने दिलवाया है चीनी बेचकर । आज की तिथि में 391 करोड़ 60 लाख रुपया दिया गया है । अगर 300 करोड़ न देना होता तो 91 करोड़ रुपया होता था ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

इसीलिये मैंने कहा था कि चर्चा में कहते ।

श्री ओम प्रकाश सिंह–

किसानों का बकाया दिलाया जाय ।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

आपने अपनी जेब से तो दिया नहीं कोई.....

श्री अध्यक्ष–

वह कब कह रहे हैं जेब से दिया ?

(व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश सिंह–

हमने देखा कि चीनी मिलों की नीयत देने की नहीं है तो हमने आठ मिलों के विरुद्ध आर० सी० जारी की है । उसका परिणाम यह हुआ कि बुलन्दशहर और अकौता चीनी मिल पर 28 करोड़ रुपया बाकी था आज एक भी पैसा बाकी नहीं है ।

(व्यवधान)

एक सदस्य–

यह [× × ×] है।

श्री ओम प्रकाश सिंह–

झूठ कैसे है आप बुलन्दशहर वालों से पूछ लें ।

(व्यवधान)

धनौरा में 12 करोड़ रुपया बाकी था इस समय 1 करोड़ 51 लाख बकाया है । निजी मिलों के ऊपर 24 तारीख तक 11.25 परसेन्ट बकाया है भुगतान के प्रति जागरूक नहीं होते थे ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

उत्तर आ जाने दीजिए ।

श्री ओम प्रकाश सिंह–

सहकारी मिल का भुगतान कराने के लिये शासन के खाते से 53 करोड़ रुपया दिया गया है ।

श्री राम आसरे पासवान–

खलीलाबाद बस्ती में बाकी है ।

श्री ओम प्रकाश सिंह–

दो तारीख को सब बता दूंगा ।

नोट :– [× ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अध्यक्ष–

इसीलिए मैंने कहा था कि दो तारीख को चर्चा हो जायेगी तो सब पूछ लीजियेगा ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

यह सत्य से परे बात कह रहे हैं । यह सरकार पूंजीपतियों की पक्षधर है सरकार की किसान विरोधी नीति के कारण मैं और मेरा दल सदन का बहिर्गमन करता है ।

(कुंवर रेवती रमण सिंह अपने दल के साथ सदन से बाहर चले गये)

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

सरकार की इस नीति के विरोध में मैं और मेरा दल सदन का बहिर्गमन करता है ।

(श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल अपने दल के साथ सदन से उठकर चले गये)

श्री रामजग–

सरकार की इस नीति के विरोध में मैं और मेरा दल सदन का बहिर्गमन करता है ।

(श्री रामजग अपने दल के साथ सदन से बाहर चले गये)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग उत्तर भी नहीं सुनना चाहते ।

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जो चिन्ता व्यक्त की गयी है कि अगले साल बड़ी दुर्दशा होगी अगले साल जरा भी दुर्दशा नहीं होगी यह फर्जी पर्ची और फर्जी सट्टे का काम चलता था जिसको विरोधियों ने संरक्षण दिया था । इसीलिये आज यह बेचैन हैं । क्योंकि बिचौलिए समाप्त हो रहे हैं एक भी गन्ना किसान का शोषण नहीं होगा ।

श्री समर पाल सिंह–

[× × ×]

श्री अध्यक्ष–

श्री समर पाल सिंह जी मंत्री का उत्तर भी नहीं सुन रहे हैं इसे लिखा नहीं जाएगा ।

श्री समर पाल सिंह–

सरकार की इस नीति के विरोध में मैं और मेरा दल सदन का बहिर्गमन करता है ।

(श्री समर पाल सिंह अपने दल के साथ उठकर सदन से चले गये)

(श्री राम आसरे पासवान भी अपने दल के साथ सदन को त्याग कर चले गये)

श्री ओम प्रकाश सिंह–

राष्ट्रपति शासन के दौरान मूल्य निर्धारित किये गये थे । उस समय यह स्वीकार किया गया था कि मिल मालिक 62 रुपये तक गन्ना पेराई के समय 4 रुपया बन्द होने के समय और 4 रुपये पेराई सत्र शुरू होने के बाद देंगे । हमने वार्ता करके निश्चिय किया कि सारा पैसा पेराई सत्र शुरू होने से पहले देना पड़ेगा । यह हमारी किसानों के साथ हमदर्दी है । अगले सत्र में हम मिलें समय से पहले चलायेंगे । गन्ने का भुगतान समय से होगा तथा एक-एक का गन्ना पेरा जायेगा । जहां तक इसकी ग्राह्यता का सवाल है यह लोक महत्व का तो है लेकिन गन्ने के भुगतान का प्रश्न कोई एक दिन का प्रश्न नहीं है यह लम्बी प्रक्रिया है इसलिये अविलम्बनीयता इसमें नहीं है इसमें तात्कालिकता भी नहीं है ।

श्री अध्यक्ष–

इस सूचना पर माननीय सदस्यों को तथा माननीय मंत्री जी को सुनने के बाद मैं समझता हूं कि नियम 56 में यह सूचना नहीं आती है इसीलये इसे निरस्त किया जाता है ।

दूसरी सूचना श्री अमरमणि की है ।

नोट :– [× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

(माननीय सदस्य के उपस्थित न होने पर)

तीसरी सूचना श्री दीपक कुमार की है ।

(माननीय सदस्य के उपस्थित न होने पर)

चौथी सूचना श्री धर्मज्ञ मिश्र की है ।

(माननीय सदस्य के उपस्थित न होने पर)

पांचवीं सूचना श्री रघुबर दयाल वर्मा की है ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

मैं आपका बहुत ही गम्भीर प्रश्न की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । फिरोजाबाद, शिकोहाबाद, मक्खनपुर यहां सबसे बड़ा कांच का तथा चूड़ी उद्योग का केन्द्र है । लाखों लोग इसमें काम करते हैं तथा उसमें करोड़ों रुपया लगा हुआ है । इस उद्योग ने अच्छी तरक्की की है लाखों लोग बाहर से आकर यहां रोजगार कमाते हैं 30-1-1997 को प्रदूषण पर्यावरण विभाग उत्तर प्रदेश सरकार ने एक आदेश दिया कि यह फिरोजाबाद, शिकोहाबाद, मक्खनपुर उद्योग भोगांव मैनपुरी में स्थापित होगा । इस आदेश से उद्योगों के मालिक बेचैन हैं । सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में यह तय हुआ था कि उन्हें गैस की आपूर्ति की जाएगी । इस आपूर्ति के संबंध में गैस एथारिटी ने ऐसे नियम बना दिये हैं कि गैस एरिया और नान गैस एरिया पूरा तकनीकी परीक्षण कराएं इस तरह का हैबक खड़ा कर दिया गया है कि उद्योग फिरोजाबाद से बाहर करो इस तरह का उन पर दबाव पड़ रहा है कि इन्डस्ट्री उखाड़ो और भोगांव ले जाओ । श्रीमन्, बहुत बड़ी विकट स्थिति पैदा हो गयी है । माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक निर्णय ईट-भट्ठों के मामले में दिया है, ऐतिहासिक इमारतों या ताजमहल की परिधि को 20 किलोमीटर रखा है । फिरोजाबाद कारखाने का धुआं दक्षिण की तरफ जाता है और मान्यवर, दक्षिणायन से कोई हवा नहीं चलती है जिसके कारण उसका धुआं ताजमहल की तरफ नहीं जाता है । ऐसी परिस्थिति में 72 किलोमीटर का ताज ट्रेपिजयम जोन बना देने से लगभग 1 करोड़ आबादी प्रभावित होती है । मान्यवर, यह इतना गम्भीर मसला है, इस प्रकार एक करोड़ लोग बरबादी के कगार पर खड़े हैं ।

मान्यवर, जिस प्रकार से ईंट-भट्टों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है और उसकी परिधि 20 किलोमीटर निर्धारित की है उसी प्रकार से ताजमहल का भी होना चाहिये था और फिरोजाबाद उसमें नहीं आता । सबसे बड़ी गलती यह हुई है कि सुप्रीम कोर्ट में उद्योग विभाग ने कोई भी हलफनामा दाखिल नहीं किया । उद्योग विभाग निठल्ला रहा और उद्योग विभाग ने आगरा, फिरोजाबाद को बर्बाद करके रख दिया । उद्योग विभाग की यह प्राइमरी ड्यूटी बनती है कि वह सुप्रीम कोर्ट जाय । इसलिये श्रीमन्, मैं अनुरोध करूंगा कि यह लाखों लोगों के जीवन का प्रश्न है, फिरोजाबाद के परम्परागत उद्योग का प्रश्न है और उसको बचाने का प्रश्न है, इस ओर सरकार ध्यान दे । फिरोजाबाद के मजदूर भोगांव नहीं जा सकते और मजदूरों की जिन्दगी की कोई सुरक्षा नहीं है । यदि ये कारखाने फिरोजाबाद से भोगांव जायेंगे तो फिर करोड़ों रुपया कहां से आयेंगे ? क्या सरकार इसकी व्यवस्था करेगी ? मान्यवर, यह प्रश्न अत्यन्त लोक महत्व का और अविलम्बनीय है इसलिये मेरा अनुरोध है कि इसको कार्यस्थगन के रूप में स्वीकार कर चर्चा करायी जाय ।

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

ताज ट्रेपिजयम जोन की बावत माननीय उच्च न्यायालय का 30-12-86 को एक आदेश हुआ है । माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार ही जितने कोयला उपयोग करने वाले उद्योग थे उन पर उच्च न्यायालय ने कहा कि या तो ये लोग गैस का उपयोग करें तब इन उद्योगों को चलने दिया जाय अन्यथा इन्हें स्थानान्तरित कर दिया जाय और अगर यह दोनों नहीं करते हैं तो इन्हें बन्द कर दिया जाय । माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन करना हर सरकार की जिम्मेदारी है । आज जो

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सबसे बड़ा चिन्तनीय विषय पूरे विश्व के समक्ष प्रदूषण का है, उस प्रदूषण को ध्यान में रख करके माननीय उच्च न्यायालय ने यह निर्देश दिया है । 292 इकाइयों ताज ट्रेपिजयम जोन के अन्तर्गत आती थी, 292 में 243 इकाइयों ने गैस के लिये आवेदन दिया, 163 इकाईयों को 3 एस० ई० एम० डी० से अधिक गैस की आवश्यकता है 82 को 3 एसी०ई०एम०डी० से कम गैस की आवश्यकता है । 292 में से 40 इकाइयों ने अन्यत्र जाने के लिये भूखण्ड हेतु आवेदन दिया और चालीसों इकाइयों को यू० पी० एस० आई० डी० सी० ने भूखण्ड एलाट कर दिया है । इस समय कोई आवेदन शेष नहीं है । जहां तक मान्यवर, गैस देने का मामला है, 245 आवेदन पत्रों में से 105 इकाइयों के आवेदन पूर्ण कर लिये गये हैं । जिसमें 58,300 क्यू० एम० टी० गैस की बुकिंग कर ली गयी है ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, फिरोजाबाद को बसाने का पहला काम है । गैस आप दे रहे हैं लेकिन उसमें अनियमितता हो रही है और गेस वाले 10-10 लाख रुपये मांग रहे हैं इसलिये मैं चाहता हूं कि मंत्री जी इसकी जांच करायें और वहां के उद्योगों को गैस दिलायें ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि जहां तक गैस का संबंध है तो यह भारत सरकार के पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय से संबंधित है ।

जहां तक माननीय सदस्य की जो चिन्ता है उसमें यह सही है कि ताज ट्रेपिजयम जोन के अन्तर्गत जो फैक्ट्रियां बन्द हो गई हैं उससे उनमें काम करने वाले कर्मचारियों को असुविधा हो गई है । इस बारे में यह सरकार उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार मिलकर वहां के विकास के लिये काम कर रही है और इस संबंध में दो विशेष योजनाएं बनायी है । मान्यवर, एक योजना जिसके बारे में इसी बजट में 100 करोड़ रु० ताज ट्रेपिजयम जोन के लिये रखा है ।

मैं सदन को बताना चाहता हूं कि ताज ट्रेपिजयम जोन के लिये एक बड़ी योजना भारत सरकार से मिलकर बनाने के संबंध में विचार हो रहा है और उसका परीक्षण करा रहे हैं । यह योजना 7 हजार करोड़ रुपये की है जिससे वहां लोगों का जीवन स्तर बदल जायेगा । मान्यवर सरकार इसमें कार्य करने के लिये तत्पर है । इसलिये इस सूचना की अविलम्बनीयता नहीं है, अतः नियम 56 में आप उसे अग्राह्य करने का कष्ट करें ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, मंत्री जी से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि मंत्री जी उद्योग विभाग से आप कहें कि वह सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करे, इसका आप हमें आश्वासन दें ।

श्री अध्यक्ष–

श्री रघुवर दयाल वर्मा जी ने जो कहा है मंत्री जी उस पर आप विचार कर लें ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा और संसदीय कार्यमंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं ।

श्री मित्रसेन यादव–

मान्यवर, आपने 5 सूचनायें स्वीकार कीं, अपने नियमों के लिहाज से, उसमें 3 ऐसे सदस्यों की थीं, जो उपस्थित नहीं थे ।

श्री अध्यक्ष–

अभी नहीं लिया । पहली निर— हो गई । दूसरी में त्रिपाठी जी का नाम पुकारा, तीसरी में दीपक कुमार का, चौथी में धर्मज्ञ मिश्र का, वह भी अनुपस्थित थे । लेकिन मैंने अनुपस्थित होने के कारण तत्काल रूप से निरस्त करने का निर्देश इसलिये नहीं दिया, क्योंकि मुझे मालूम था कि अभी सब लोग लाबी से निकलकर आयेंगे और निवेदन करेंगे ।

श्री अमर मणि–

मान्यवर, आज पूरे प्रदेश में सुनियोजित तरीके से गरीब जनता की गाढ़ी कमाई को ठगा जा रहा है । हमारे यहां देहातों में, छोटे बाजारों में, कहीं डी० एस० आई० फाइनेंस, कहीं एम० फाइनेंस, कहीं राप्ती गंगा फाइनेंस, कहीं सहारा इंडिया, कहीं कुबेर फाइनेंस, इस तरह की तमाम फाइनेंस कम्पनियां खुल गई हैं । उसमें 2-4 इम्प्लाई हो जाते हैं, मेज कुरसी लगाकर बैठ जाते हैं, बोर्ड लगा देते हैं और घूम-घूम कर टाई-पैन्ट पहनकर यह गरीब जनता को उत्प्रेरित करते हैं कि 2, 5, 10, 100 जमा करो एक मुश्त 5 लाख मिलेगा, किसी में दो लाख मिलेगा, किसी में 1 लाख मिलेगा, इस तरह के तमाम लुभावने सब्जबाग दिखाकर इन योजनाओं में वह लोगों को फंसाते हैं । जब वह गरीब व्यक्ति इनके लुभावनी योजनाओं में आ जाता है और खोमचे वाले, रिक्शा वाले, पान वाले, रोज की मजदूरी करने वाले लोग जब अपना पेट काटकर 5-10-25 रुपया जमा करते हैं तो जब इनको पैसा पाना होता है तो वह फाइनेन्स कम्पनी गायब हो जाती है, वहां ताला बन्द हो जाता है और फाइनेन्स कम्पनी का कहीं कोई पता नहीं लगता ।

इस तरह पूरे प्रदेश में मान्यवर, नियोजित तरीके से तमाम नान बैंकिंग चिटफण्ड कम्पनियां खुल गई हैं, जिनके आय-व्यय का कोई ब्योरा प्रदेश सरकार के पास नहीं है । प्रदेश सरकार का कोई नियंत्रण भी इन पर नहीं है, सरकार कोई जांच भी नहीं करती है, लाइसेन्स इन्हें मिला है कि नहीं, इसको खोलने का इनको अधिकार है अथवा नहीं, यह सब भी नहीं देखा जाता । जिसका नतीजा यह होता है कि गरीबों की गाढ़ी कमाई का, उनके खून पसीने की कमाई का पैसा लेकर यह कम्पनियां भाग जाती है । कुछ दिन पूर्व एक राप्ती हाउसिंग कम्पनी गोरखपुर में खुली, अरबों रुपया इसने हजम कर लिया । बाद में दोनों अलग-अलग हो गये । एक कहता है दूसरे की जिम्मेदारी है और दूसरा कहता है कि उसकी जिम्मेदारी है । इस तरह से तमाम कुकुरमुत्ते की तरह फाइनेन्स कम्पनियां चल रही हैं । इसी तरह प्लान्टेशन के नाम पर वैष्णव प्लान्टेशन, हरियाली प्लान्टेशन के नाम पर भी गरीब जनता को ठगा जा रहा है । जो पूरे प्रदेश में सुनियोजित तरीके से ठगी का काम चल रहा है, इसको रोका जाना चाहिए । यह विषय अविलम्बनीय लोक महत्व का है, गरीब जनता की गाढ़ी कमाई का सवाल है, इसका महत्व भी है और हम चाहते हैं कि आप इसे गंभीरता से लें । आज कहीं भी चले जायें । किसी न किसी फाइनेन्स कम्पनी का बोर्ड लगा हुआ है और उनके स्लोगन्स लिखे हुए हैं कि 5 रुपया जमा करने पर 5 लाख देंगे और 100 रुपया जमा करने पर 10 लाख रुपया देंगे ।

मान्यवर, इतना पैसा इन फाइनेंस कम्पनी वालों के पास है कि हमारे यहां इनके मालिक हेलीकाप्टर से जाते हैं और उसको आई० जी०, डी० आई० जी० रिसीव करते हैं, हमें आपको नहीं रिसीव करेंगे लेकिन जो ठगी वाली कम्पनियां हैं उनका प्रचार-प्रसार हो रहा है । इसलिए मैं चाहता हूं कि इसको दिखवा लें और इस पर चर्चा कराई जाय ।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

श्री अमर मणि–

मान्यवर, हमारे यहां बी० एस० फाइनेन्स लि० सोनौली बाजार में 10 लाख रुपये गरीब जनता का लेकर भाग गया । हमसे जनता ने कहा कि चलकर आप हमारा पैसा दिलवा दो तो हम उनके घर गये और मैंने उनसे कहा कि सेठ जी ये लोग बहुत गरीब हैं आप इनका पैसा दे दें । आपके पास गाड़ी बंगला है अगर आप एक गाड़ी भी बेच देंगे तो गरीब जनता को पैसा मिल जायेगा तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं दूंगा न्यायालय से लो । तो मान्यवर, 10 रुपये या 100 के लिए जनता न्यायालय में नहीं जायेगी । मैं आज इस सदन में माननीय मंत्री जी से और इस सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस पर व्यवस्था दें, इस पर चर्चा करें ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, जिस लोक महत्व के प्रश्न को माननीय सदस्य ने सदन के सामने रखा है यह कम्पनी या ऐसी जो भी फाइनेंसिंग कम्पनी होगी, जो नियमानुसार काम नहीं कर रही है, जिस वैधानिक व्यवस्था के तहत उनको काम करना चाहिए उस अनुरूप काम नहीं कर रही हैं। यह दूसरी सरकारों में भले होता रहा होगा परन्तु इस सरकार में ऐसा नहीं होगा। यह मैं माननीय सदस्य को सुनिश्चित कर रहा हूं।

(व्यवधान)

पहले मेरी बात को सुन लें आप संतुष्ट हो जायेंगे। जिस एक फाइनेंस कम्पनी के बारे में सदस्य ने जानकारी दी है कि 10 लाख रुपये लेकर भाग गया है और नहीं दे रहा है तो यह और जितनी भी इस तरह की फाइनेंस कम्पनियां होंगी जो नियम विरुद्ध काम कर रही हैं, जो दूसरे लोगों के उत्पीड़न का काम कर रहीं हैं, पैसा लेकर भाग गयी हैं, इस तरह के जितने भी मामले संज्ञान में आयेंगे, प्रकाश में आयेंगे और जिसके बारे में माननीय सदस्य ने बताया है इसके पूरे तथ्यों की जांच कराकर इसके बारे में गम्भीर कार्यवाई करने के बारे में सरकार गम्भीरता से विचार करेगी।

मान्यवर, इसकी तात्कालिकता नहीं है यह नियम 56 में नहीं आता है इसको निरस्त करने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष–

मानीनय अमर मणि त्रिपाठी और संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात् इस सूचना को निरस्त करता हूं। लेकिन माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी इस पर विचार कर लें, वैसे तो संविधान की सातवीं अनुसूची की पहली सूची में जो आइटम संख्या 43 है इसमें तो केन्द्र सरकार को अधिकार है कि जो बैंक कम्पनी या फाइनेंस कम्पनी हैं उसके बारे में कानून बनाने का अधिकार है लेकिन सातवीं अनुसूची की दूसरी सूची के क्रम संख्या 26 और 30 जिसमें है राज्य के भीतर व्यापार और वाणिज्य, माल का उत्पादन प्रदाय और वितरण, बाजार और मेले, साहूकारी और साहूकार, कृषि ऋणता से मुक्ति, इस संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदेश सरकार को है तो इस पर विचार कीजिये जो वित्तीय कम्पनियां अपने को कहती हैं तो इसके बारे में भी अनुसूची सात की सूची दो क्रमांक 26 और 30 पर जिन विषयों का उल्लेख हैं उनमें कोई कानून बनाकर विनियमित कर सकते हैं कि नहीं उसमें बहुत से गांवों के गरीब लोगों का पैसा लूटा जा रहा है।

[समय 4 बजकर 5 मिनट]

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, आपने और माननीय सदस्यों ने जो चिन्ता व्यक्त की है इसमें जो वैधानिक स्थिति है उसे देख लेंगे।

श्री अध्यक्ष–

क्या सरकार इन कम्पनियों के बारे में कानून बना सकती है या नहीं, इसको देख लें।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, आपका आदेश शिरोधार्य करेंगे।

श्री अध्यक्ष–

दीपक कुमार जी की अगली सूचना है।

वह उपस्थित नहीं हैं मैं इसे निरस्त करता हूं।

अगली सूचना श्री धर्मज्ञ मिश्र जी की है।

श्री धर्मज्ञ मिश्र–

मान्यवर हमारे यहां लम्बे समय से पुलों और सड़कों की मांग चली आ रही है। वहां पर लोगों ने एक क्षेत्रीय जन आन्दोलन समिति बना ली है और उस समिति द्वारा डेढ़ वर्ष से इसके लिये आन्दोलन किया जा रहा है। डेढ़ वर्ष से लोग सई नदी पर पुल निर्माण हेतु क्रमिक अनशन पर बैठे हुए हैं।

15 अगस्त को 17 लोग आत्मदाह करने जा रहे हैं । जिस पर विचार करना बहुत आवश्यक है । मान्यवर, मेरे क्षेत्र में तमाम नदियां हैं,गंगा जी की बाढ़ से तमाम गांव कट जाते हैं । जो सड़कें बनाई गई हैं उन पर पुल नहीं बने हैं अकड़ियां नाले पर पुल नहीं बना है, कल्याणी नदी पर पुल नहीं है । इस तरह से 17 पुल/पुलियों की जरुरत है । करोड़ों रुपया हर वर्ष बाढ़ पर खर्च किया जा रहा है । मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र में 20-20 साल से सड़कें बनी हुई हैं,उन पर पुलियां नहीं बनी हुई हैं, खड़ंजा उखड़ गया है, सड़कें उखड़ गयी हैं, वहां पर पुल बनाये जायें ताकि जो आत्मदाह करने की योजना बना रहे हैं उनकी जान की रक्षा हो सके । वहां पर तत्काल सरकार द्वारा ध्यान दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मिश्र जी को सुनने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि यह नियम 56 के अन्तर्गत ग्राह्य करने योग्य नहीं है ।

इसके अतिरिक्त 5 सूचनायें हैं जिन पर शासन का ध्यान आकृष्ट होता है । श्री राम नरेश यादव,श्री जगदम्बिका पाल, श्री सतीश शर्मा, श्री प्रमोद कुमार व श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल की उत्तर प्रदेश हरियाणा सीमा पर दोनों प्रदेशों के बीच भूमि विवाद के कारण हुए खुले संघर्ष से उत्पन्न स्थिति के संबंध में इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं । दूसरी सूचना श्री मित्रसेन यादव, श्री सीताराम निषाद, श्री राम औतार शाक्य, श्री अम्बरीश कुमार श्री राम सिंह सैनी व श्री मुन्ना चौहान की प्रदेश में प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर तक की राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तकों की कमी से कारण छात्रों एवं अभिभावकों को हो रही कठिनाई के संबंध में ।

श्री मित्रसेन यादव–

मान्यवर, यह पूरे प्रदेश से संबंधित है प्राइमरी और माध्यमिक की किताबें बाजार से गायब हैं पाठ्य पुस्तकें न मिलने के कारण स्कूल के छात्रों को बहुत परेशानी हो रही है । जब हम लोग पढ़ा करते थे तो देखा यह जाता था बोर्ड के इक्जाम में पास होते थे तो जो जूनियर छात्र थे वे किताबें लेकर पढ़ करते थे, आज पुरानी किताबों पर रोक लगा दी गयी है, जब पाठ्यक्रम नहीं बदला गया तो प्रतिबंधित क्यों कर दिया गया जो पाठ्य पुस्तकें छापी जा रही है घटिया किस्म के कागजों पर छापी जा रही है ।

*श्री राम विशुन आजाद–

ये सब आतंकवादी हैं । इसलिये मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी को सदन में आकर माफी मांगनी चाहिये । इस पर मैं चर्चा की मांग करता हूं । चन्द्रशेखर जी ने कहा था "बड़े शौक से सुन रहा था जमाना, हम ही सो गये दास्तां कहते कहते । किसी मजलूम के हक को दिला देना बगावत है, समझो हम भी बागी हैं, बगावत काम है मेरा, मिटा दो जुल्म की हस्ती, यही अरमान है मेरा । चन्द्रशेखर जन कल्याण का उपाध्यक्ष होने के नाते मेरा यह नैतिक दायित्व है कि मैं अपनी बात यहां पर कहूं । आज मुख्य मंत्री जी ने प्रदेश की करोड़ों जनता की भावनाओं पर कुठाराघात किया है । इसलिये माननीय मुख्य मंत्री जी जब तक इस बारे में सदन में आकर माफी मांग नहीं लेती हैं, तब तक यह प्रदेश की जनता उन्हें माफ नहीं करेगी । यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और प्रदेश ही नहीं हिन्दुस्तान की जनभावना से जुड़ा हुआ यह प्रश्न है । आज कानपुर में साहू जी का मेला लगाया जा रहा है और अम्बेदकर की प्रतिमायें लगायी जा रही हैं, यदि इस सरकार की नीयत साफ होती तो हमारे जो अन्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं,उनके नाम पर कहीं भी कोई मेला नहीं लगाया जा रहा है और न उनकी प्रतिमायें लगायी जा रही हैं । यह सब इसलिये हो रहा है क्योंकि इस सरकार के मन में उन लोगों के प्रति कोई आदर नहीं है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय श्री राम विशुन जी आपने अपनी बात कह दी है, कृपा करके आप बैठ जायं । अब आप जो बोल रहे हैं, वह नहीं लिखा जायेगा ।

श्री राम विशुन आजाद–

[x x x]।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, माननीय सदस्य जी ने चन्द्रशेखर जी का नाम लिया है तथा अन्य आजादी के दीवानों का नाम लिया है, जिनकी कुर्बानी की बदौलत हमें आजादी मिली है,उन सभी के प्रति उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री सुश्री मायावती जी और उनकी यह सरकार पूर्ण सम्मान करती है और पूरा आदर करती है। जिस विद्यालय के बारे में माननीय सदस्य ने घटना का जिक्र किया, इस नाम का कोई ऐसा विद्यालय नहीं है, जिसका नाम परिवर्तित करके दूसरा नाम रखा गया हो। आजादी के दीवानों के प्रति यह सरकार कितनी संवेदनशील है, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है, कि यह पहली सरकार है जिसने जनरल डायर को लन्दन में जाकर गोली मारी थी, उन्हीं के नाम पर ऊधम सिंह जिला बनाया गया है। इसलिये मान्यवर, जो मिथ्या आरोप लगाये गये हैं, वे सब निराधार हैं, गलत हैं और असत्य हैं, इसलिये मैं इन सब आरोपों का खण्डन करता हूं।

श्री अध्यक्ष–

इस सूचना पर शासन का ध्यान आकर्षित किया जाता है। माननीय यादव जी, आपकी समस्या हल हो जायेगी मैं इसमें शासन का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं। मैं मानता हूं महत्वपूर्ण सूचना है।

श्री मित्रसेन यादव–

मान्यवर, इसमें दो मिनट सुन लीजिये। यह अत्यन्त ही महत्वपूर्ण सूचना है।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, मेरा एक सुझाव है। आपने स्वयं यह कहा कि यह अत्यन्त महत्वपूर्ण सूचना है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप कृपया इस पर एक घंटे की चर्चा स्वीकार कर लें।

श्री अध्यक्ष–

मैंने पढ़ लिया है। माननीय मंत्री जी भी यहां पर बैठे हुए हैं मैं इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट करा रहा हूं।

बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री रवीन्द्र शुक्ल)–

मान्यवर, मैं एक बात कहना चाहता हूं। मान्यवर, मैं पिछली किताब और वर्तमान किताब दोनों को लाया हूं। मान्यवर, पिछली किताब का एक भी पन्ना पढ़ने लायक नहीं है। मान्यवर, आप तो अवगत ही होंगे कि कुछ वर्षों से मुद्रक और सरकार.....

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी मेरी पहले एक बात सुन लें। मैं चाहूंगा कि चूंकि इस पर मैंने सरकार का ध्यान आकृष्ट करा दिया है आपका वक्तव्य आ जाय और उस वक्तव्य के बाद अपेक्षा करूंगा कि जो माननीय सदस्य जिज्ञासा व्यक्त करेंगे उसको आप सुन लेंगे और उसका उत्तर दे देंगे।

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

ठीक है, मान्यवर, मैं उत्तर दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष–

आठवीं सूचना श्री राम विशुन आजाद, श्री चन्द्रनाथ सिंह, श्री दीपक कुमार व श्री उदयराज यादव की चन्द्रशेखर आजाद महाविद्यालय (इटावा) का नाम परिवर्तन करने के संबंध में है।

नोट [xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राम विशुन आजाद–

मान्यवर, इटावा में माननीय मुख्य मंत्री जी ने चन्द्रशेखर महाविद्यालय का नाम परिवर्तित कर दिया है और चन्द्रशेखर आजाद को आतंकवादी कहा जिससे उत्तर प्रदेश और हिन्दुस्तान की जनता के साथ कुठाराघात किया गया । वैसे तो मुख्य मंत्री जी हमेशा से महापुरुषों का अपमान कर रही हैं । इन्होंने तो सिर्फ एक ही महापुरुष को माना है । चन्द्रशेखर आजाद जी एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और इन्होंने ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी थी । आज मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस तरह का अपमान महापुरुषों का हो रहा है । मान्यवर, आज देश आजाद हुआ तो वह इन्हीं के प्रयासों से हुआ । इन महापुरुषों के मन में जैसे सुभाष चन्द्र बोस, आजाद भगत सिंह, ठाकुर रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला, एम० पी० या एम० एल० ए० बनने की लालसा नहीं थी, लालसा थी तो सिर्फ देश आजाद कराने की । मान्यवर, इन्होंने बापू जी के नेतृत्व में आजादी की लड़ाई लड़ी और अपने प्राणों की आहुति दे दी और देश को आजाद कराया । आज उन्हीं की वजह से हम लोग यहां सदन में बैठे हुए हैं । माननीय मुख्य मंत्री जी दलित महिला के रूप में यहां पर बैठी हुई हैं और बापू जी का सपना पूरा हुआ है । मान्यवर, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अम्बेदकर के नाम पर लाखों रुपया खर्च किया जा रहा है । अगर अम्बेदकर जी के नाम पर अस्पताल खुलवा देते, दलितों के गांव में विद्युतीकरण करा देते तो हम यह सोचते कि यह अम्बेदकर जी की भावनाओं को मानते हैं । लेकिन इन्होंने उनकी भावनाओं को न मानकर उनका अपमान किया है । परिवर्तन चौक बनवाने में करोड़ों रुपया खर्च कर दिया, सुभाष चौराहे का नाम बदल दिया । उस व्यक्ति ने देश को आजाद कराया था और अपने प्राणों की आहुति दी थी । माननीय मुख्य मंत्री जी कहती हैं....

* श्री महराज सिंह यादव–

मान्यवर, इटावा में 120 शैय्याओं का अस्पताल है, उसका नाम अम्बेदकर जी के नाम से है, डिग्री कालेज जो है उसका नाम चन्द्र शेखर आजाद जी के नाम से था, उसको बदल कर अम्बेडकर कर दिया गया है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा है कि इस विद्यालय का नाम नहीं बदला गया है । अगर उनकी गलत सूचना है, तो उसके लिये नियमों में प्राविधान है ।

नियम 56 के अन्तर्गत जो सूचनायें चयनित नहीं की गयी हैं, उनको अस्वीकार कर दिया गया है। ये सूचनाएं सर्वश्री बच्चा पाठक, चन्द्र पाल सिंह, डा० अशोक बाजपेई, राम तेज यादव एडवोकेट, गौरी शंकर एडवोकेट, अवधेश प्रसाद, श्याम किशोर यादव, अमर मणि, विनोद मणि, राम नक्षत्र, चन्द्र नाथ सिंह, सीता राम निषाद, अफजाल अहमद, अशोक कुमार सिंह, अखिलेश सिंह, गजेन्द्र कुमार मुन्ना, समर पाल सिंह, दया शंकर वर्मा, राज पाल सिंह, विजेन्द्र आर्य, विनय कुमार पाण्डेय, हरि शंकर तिवारी, श्याम सुन्दर शर्मा, राज पाल सिंह, दया शंकर, समर पाल सिंह, राम नक्षत्र, गजेन्द्र कुमार मुन्ना, समर पाल सिंह, विनोद मणि की हैं ।

उत्तर प्रदेश मंत्री और राज्य विधान मण्डल अधिकारी और सदस्य सुख सुविधा विधि (संशोधन) विधेयक, 1997

* लोक निर्माण एवं पर्यटन मंत्री (श्री कलराज मिश्र)–

मान्यवर, आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मंत्री और राज्य विधान मण्डल अधिकारी और सदस्य सुख सुविधा विधि (संशोधन) विधेयक, 1997 पर विचार किया जाये ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, आज तक की जो स्थिति है, उसमें माननीय मुख्य मंत्री, मंत्री, राज्य मंत्री, जो भी मंत्री की श्रेणी में हैं और इसके साथ ही साथ विधान मण्डल के सदस्य और विधान सभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और विधान परिषद् के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन, इन सब लोगों के निवास की व्यवस्था दी है, लेकिन 90 में जो कानून आया था, तो तीनों के लिये अलग-अलग व्यवस्थायें थी, लेकिन जो आवास हैं वह सुनिश्चित नहीं हैं और अगर उसमें कोई दूसरा व्यक्ति रहने लगता है, तो उसको हटाने में कठिनाई हो रही है, इसलिये राज्य सरकार ने जो मंत्रि मण्डल के सदस्य होंगे, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन और विधान मण्डल के सदस्य जो भी होंगे, सबको आवास की व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्य (इस समय 4 बजकर 19 मिनट पर अधिष्ठाता श्री दिवाकर विक्रम सिंह पीठासीन हुए) सरकार को वहन करनी पड़ती है। इस समय 44 मंत्रि मंडल के सदस्य हैं, उनमें केवल 18 मंत्रि मंडल के सदस्यों को आवास दे पाये हैं बाकी के आवास उनके नाम से हैं, लेकिन अधिसूचित निर्देश न होने के कारण उन आवासों को खाली कराने में कठिनाई का अनुभव हो रहा है।

खाली कराने की जो प्रक्रिया है वह अभी सीमित रहती है। इसलिए अनुभव किया गया कि जिस तरीके से 90 के अन्दर आवास की व्यवस्था की गयी है अब हम अधिसूचित निर्देश के आधार पर आवास को सुनिश्चित करेंगे। अधिसूचित निर्देश के आधार पर आवास में जो टाइप-6 के आवास हैं और जहां मंत्रिमण्डल के सदस्य रह रहे हैं कभी भी वह मंत्रिमण्डल के सदस्यों के लिये होगा और साथ ही साथ जो विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं तथा विधान परिषद् के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन हैं उन सब लोगों के लिये टाइप–6 के मकान अथवा जहां मंत्रिमण्डल के सदस्य रहते हैं उनके लिये अधिसूचित होंगे। और जब आवासों की आवश्यकता पड़ेगी उनको आवास दिलाया जा सकेगा।

इसी तरह से विधान मण्डल के सदस्यों के लिये भी सुनिश्चित आवास हैं। हमारे 425 विधान सभा के सदस्य हैं और 139 विधान परिषद् के सदस्य हैं। इस समय विधान मण्डल के सदस्यों के 823 आवासों की व्यवस्था है। 156 टाइप–6 के मकान हैं और जो भी मंत्री जहां रह रहे हैं वे आवास उसमें बनाये जायेंगे इसमें इसकी व्यवस्था की जायेगी। इसके लिये अधिसूचना बाकायदा जारी होगी। उसके आधार पर व्यवस्थित तरीके से आवासों की व्यवस्था की जा सकती है। यही मान्यवर, मुख्य रूप से इस विधेयक को प्रस्तुत करने का उद्देश्य था। साथ ही साथ अलग-अलग मंत्रिमण्डल के सदस्यों, विधान मण्डल के सदस्यगण और अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन इनके लिए तीन अलग-अलग कानून थे। अब तीनों को एक कर दिया गया है। ताकि कोई दिक्कत न आये। यही आपके विचार के लिये यहां प्रस्तुत किया गया है। 90 में अलग-अलग हिसाब से कानून बने थे, एक-एक के हिसाब से बने थे, इन सबको एक में कर दिया है। इसीलिए यह विधेयक सदन में प्रस्तुत किया गया है। मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्यगण इस विधेयक को पारित करें और उन माननीय सदस्यगण से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं जिन्होंने संशोधन प्रस्तुत किया है उसे वापस ले लें तो कृपा होगी।

* श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश मंत्री और राज्य विधान मण्डल अधिकारी और सदस्य सुख सुविधा विधि (संशोधन) विधेयक, 1997 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें। मान्यवर, इसका नाम सुख सुविधा विधेयक जरूर है अगर इसे मैं असुविधा कहूं तो कोई खास बात नहीं होगी। यह इसलिये मैं कह रहा हूं कि हर सरकार में हर व्यक्ति अपनी कुछ मूल प्रवृत्तियों को लेकर आता है, उसकी कुछ निजी परम्पराएं होती हैं। आज नेता सदन कु० मायावती हैं वह अपनी मूल प्रवृत्तियों को लेकर आ रही हैं। लेकिन जब वह मुख्य मंत्री

---

* वक्ता नें भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के रूप में बैठ गयीं तो उन्हें मूल प्रवृत्तियों और व्यक्तिगत मान्यताओं को छोड़ना पड़ेगा । इसलिये छोड़ना पड़ेगा क्योंकि वह आज 13 करोड़ जनता की मुख्य मंत्री हैं । यह ठीक है कि विधान मंडल के सदस्यों को फायदा मिले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष को सुविधा मिले, चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन को सुविधा मिले । मैं आपका ध्यान एक बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कुछ निवास देश की आजादी से जुड़े हुए जो हैं उनके नाम से हैं,और उनसे संबंधित संस्थाओं के नाम से जुड़े हुए हैं । मैं आपका ध्यान 7(क) की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं उसमें आपने व्यक्ति का इस्तेमाल किया है ।

आपने संस्था शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है । व्यक्ति शब्द का विश्लेषण किया है इस संशोधन विधेयक में । जिन्होंने देश के लिये कुरबानी दी है उनके नाम से निवास आवंटित हैं तो इसमें संस्था शब्द का इस्तेमाल होना चाहिए था । मैं जानना चाहता हूं कि आपकी प्राथमिकतायें क्या होंगी । धन आप अपनी इच्छा पर खर्च करते हैं अम्बेदकर पार्क पर 50 करोड़ 100 करोड़ खर्च हो सकते हैं । अम्बेदकर मेला लगाने पर करोड़ों रुपये खर्च हो सकते हैं, परिवर्तन चौक पर खर्च हो सकते हैं लेकिन उत्तर प्रदेश के विधायकों, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निवास बनाने के लिये आप कोई पैसा नहीं खर्च करेंगे । आपका दारुलशफा पुराना हो गया है यह बाबा आदम के जमाने का है इसमें कोई सुख सुविधा या कोई माडीफिकेशन नहीं किया गया है । आप नये आवास क्यों नहीं बनाते हैं उसके लिये आपके पास पैसा क्यों नहीं है । मैं कहना चाहता हूं कि आपकी नीयत ठीक नहीं है आप व्यक्तिगत दुश्मनी के आधार पर आर्डिनेन्स ला रहे थे लेकिन महामहिम राज्यपाल ने उसकी स्वीकृति नहीं दी । आप मंत्री से नाराज हो गयीं, लात मार कर निकाल दिया, सामान फेंक दिया, वह दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं । आप विधायकों, मंत्रियों से बड़ी हमदर्दी रखते हैं लेकिन इसमें भूतपूर्व मंत्रियों या भूतपूर्व विधायकों को समावेश कर लिया गया होता और उनको भी 10–15 हजार रुपये के कूपन दे दिये होते तो बेहतर होता । मैं अपने इस संशोधन पर बल देता हूं ।

श्री अम्बरीष कुमार–

माननीय अध्यक्ष जी, लोक निर्माण मंत्री जी द्वारा जो बिल रखा गया है और उस पर जो माननीय शाक्य जी ने संशोधन रखा है मैं उस संशोधन का समर्थन करते हुए कहना चाहता हूं कि यह जो बिल रखा गया है यह जनप्रतिनिधियों के सम्मान के साथ एक खिलवाड़ है । मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जब सरकारी अधिकारियों का ट्रांसफर होता है या नयी पोस्टिंग होती है या वह रिटायर होते हैं और आवास खाली नहीं करते हैं तो उसके लिये पब्लिक प्रोमिसेज ऐक्ट के अन्तर्गत उनको नोटिस दी जाती है अगर वह उसके बाद खाली नहीं करते हैं तो किसी कांपीटेंट कोर्ट के आदेश के बाद कब्जा लेने की कार्यवाही की जाती है। रेंट कंट्रोल के अन्तर्गत भी यही बातें की जाती हैं और कांपीटेंट कोर्ट के आदेश के बाद ही खाली कराते हैं । जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे खाली कराने के लिये पहले से ही कानून हैं उसके लिये किसी नये कानून की आवश्यकता नहीं है । अगर आवश्यकता थी तो विधिक आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद ही यह कानून लाया जाना चाहिए । जब आप साधारण आदमी को, सरकारी कर्मचारियों को ऐसे नहीं निकालते तो फिर जन प्रतिनिधियों के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों ? मंत्री जी ने बताया कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधायकों के लिये आवास नहीं है और खाली कराने के जो कानून हैं वह टाइम कन्ज्यूमिंग हैं तो माननीय मंत्री जी अगर आपकी यही चिंता प्रदेश के करोड़ों लोगों के लिये होती जिनके मकान दो-दो रुपये किराये पर हैं और वह सालों से उन्हें खली नहीं करा सके हैं। इसके लिये उन्हें सुप्रीम कोर्ट तक में वाद लड़ना पड़ता है ।

मान्यवर, उस प्रक्रिया को, उस व्यवस्था को सुधारने का काम किया होता । मंत्रियों, विधायकों की ही नहीं पूरे प्रदेश की जनता के बारे में चिन्ता की होती तो हम तहे दिल से इसका समर्थन करते लेकिन जो कानून बनाना है उसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्रियों का तो उल्लेख किया है परन्तु नेता विरोधी दल जो नेता सदन के समकक्ष होते हैं जिनको आज तक मकान नहीं मिला । मकान तो नहीं मिला परन्तु कहीं

जिक्र तक आपने नहीं किया । मैं चाहूंगा कि इस पर भी विचार करें । मैं पुनः अपने प्रस्ताव पर बल देता हूं । कोई जल्दी नहीं है । मैं एक बात बताना चाहता हूं । एक प्रकरण हाई कोर्ट में था । मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं । वहां सरकार को मुंह की खानी पड़ी थी । एक नेता को बेइज्जत करके निकाला गया । शायद यह उसी तिलमिलाहट का नतीजा है कि यह बिल लाया गया है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसे आप प्रवर समिति को सौंप दें । सदन के सभी दलों के नेता उसमें सम्मिलित हों एक महीने में उस पर विचार करके वह अपनी रिपोर्ट दे दें । इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः अपनी बात पर बल देता हूं ।

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मंत्री जी द्वारा जो उत्तर प्रदेश और राज्य विधान मण्डल अधिकारी और सदस्य सुख सुविधा विधि (संशोधन) विधेयक, 1997 जो इस माननीय सदन के समक्ष रखा गया है इस पर जो संशोधन का प्रस्ताव अन्य सदस्यों ने दिया है और मैंने भी दिया है, उस पर मैं बल देते हुए संक्षेप में निवेदन करना चाहता हूं कि इस माननीय सदन में सदस्य चुनकर आने के बाद ही मंत्री और उसमें सभी तरह के उपमंत्री, राज्यमंत्री शामिल हैं, बनते हैं । कभी-कभी ऐसी दुर्घटनायें हो जाती हैं कि बिना विधायक बने लोग मंत्री और मुख्य मंत्री हो गये लेकिन सामान्य तौर से सदस्य चुने जाने के बाद ही मुख्य मंत्री, मंत्री, राज्य मंत्री होने का अवसर प्राप्त होता है ।

जब कोई सदस्य विधान सभा का चुनकर आता है तो पहले दिन इस विधान सभा के इस माननीय सदन में आने के समय पांच पुस्तकें पकड़ाई जाती हैं जिसमें सुख सुविधा से संबंधित एक पुस्तक दी जाती है । स्वाभाविक है कि सामान्य से विशिष्ट नागरिक होने के बाद इस पंचायत में आने पर हर सदस्य सुख सुविधा से सम्बन्धित इन प्राविधानों को भली प्रकार देखता समझता है । श्रीमन्, ऐसी स्थिति में जब सुख सुविधा से संबंधित जो वह पुस्तक दी जाती है, इसमें जब हम लोगों ने देखा कि प्राविधान इस बात के हैं कि जो सदस्य चुनकर आता है, मंत्री, मुख्यमंत्री या ऐसे ही पदों पर होता है तो उनको आवास दिये जाने की व्यवस्था राज्य सरकार करेगी और इसके साथ-साथ पद से हट जाने पर उन्हें 15 दिन की नोटिस देकर उनको ऐसे आवासों से बाहर किया जा सकेगा । जब यह कानून का प्राविधान इसमें पहले से ही है तो जैसा अम्बरीष जी ने बताया कि सरकारी आवासों को खाली कराने का कानून अलग से भी प्राविधान है । तो इस प्रकार के कानून बनाने की क्या आवश्यकता है मान्यवर, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना । अगर माननीय सदस्यों की सुख सुविधा का ध्यान ही रखना है तो उसके लिये आपको अलग से एक स्पष्ट आवास नीति लाने की जरूरत है ।

आप जो विधेयक लाये हैं उसमें इसका कहीं उल्लेख नहीं किया है । सदस्यों के लिये एक स्पष्ट आवास नीति रखें जिससे किसी भी सदस्य को भेद भाव का अनुभव न हो । चार-चार पांच-पांच बार चुनकर आने वाले वरिष्ठतम् सदस्य हैं जिनके यहां हम कुछ सीखने के लिये जाते हैं कोई आवास नीति न होने के कारण उनको ऐसे कक्ष दे दिये जाते हैं कि बड़ी कठिनाई होती है । दारुलशफा की छोटी सी कोठरी में जिसमें क्षेत्र के लोगों के आने के बाद ऐसी स्थिति आ जाती है कि चार-चार घंटे लाइन में शौचालय के लिये इंतजार करना पड़ता है । क्षेत्र के लोग आ जाते हैं उनको इस काम के लिये भी सदस्य को वरीयता देनी पड़ती है ।

श्री अधिष्ठाता–

और माननीय सदस्यों को भी बोलना है ।

श्री अम्बिका चौधरी–

जो बातें इसमें छूट गयी हैं वह कह रहा हूं। या तो इस तरह कर दें कि वरिष्ठता का क्रम हो जाए जिस तरह सांसदों के लिये होता है। पहली बार चुनकर आए तो फ्लैट दिया जायेगा दुबारा चुनकर आयेंगे तो फ्लैट और दो कमरे दिये जायेंगे तीसरी बार चुनने पर कुछ और है तो इस तरह से होना चाहिए। कई तरह के आवास विभिन्न विधायक निवासों में हैं। पार्क रोड और ओ० सी० आर० के फ्लैट जिस तरह हैं यदि वैसा सभी विधायकों को देना सम्भव न हो तो जिसको दारुलशफा या रायल होटल के छोटे कक्ष दिये जाते हैं उन्हें एक साथ दो कक्ष दिये जायें ? हमने प्रारूप देखा मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत मंत्री, मुख्य मंत्री, राज्य मंत्री का जिक्र है किन्तु नेता विरोधी दल का जिक्र नहीं है।

श्री कलराज मिश्र–

नेता विरोधीदल एक मंत्री के स्तर के होते हैं।

श्री अम्बिका चौधरी–

अध्यक्ष, विधान सभा को क्या सुविधा है लोगों ने पढ़ा होगा। उपाध्यक्ष विधान सभा को क्या सुविधा है आपने पढ़ा होगा लेकिन नेता विरोधी दल का दर्जा मंत्री का है यह कहने से काम नहीं चलता है इन सभी लोगों का जिक्र करना और नेता विरोधी दल का न करना इससे आपकी नीयत का पता चलता है। मैं मौजूदा नेता विरोधी दल के लिये चिन्तित नहीं हूं लेकिन शीघ्र ही आपको इधर आना पड़ेगा और आपकी ही चिन्ता में नेता विरोधी दल के लिए भी विशिष्ट रूप से चिन्हित आवास की आवश्यकता अनुभव करता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री अम्बिका चौधरी–

विभिन्न राजनीतिक दलों को दिये गये कार्यालय, विभिन्न संस्थाओं को आवंटित भवन इस कानून की परिधि में नहीं आयेंगे इसका भी स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए तभी आपकी नीयत साफ लगती।

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें।

श्री अम्बिका चौधरी–

इस संशोधन विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाना चाहिए। सम्यक् रूप से विचारोपरान्त सभी सदस्यों की भावना को जानकर अच्छे रूप में लाया जाए। ताकि किसी सदस्य को इसमें शंका न हो और यह संशोधन सर्वसम्मति से पारित हो जाए। ऐसी स्थिति बनाई जाए आप संशोधन को स्वीकार कर लें। एक महीने बाद प्रवर समिति की रिपोर्ट आने के बाद इसे पारित करें इसे सर्वसम्मति से पारित करें।

श्री रंगनाथ मिश्र–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश मंत्री और राज्य विधान मण्डल अधिकारी और सदस्य सुख-सुविधा विधि (संशोधन) विधेयक, 1997 पर विचार हो रहा है। मैं इस पर बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर,

निश्चित रूप से जो विधेयक लाया गया है यह जनहित में है और यह तात्कालिक आवश्यकता के रूप में है । इसको पास होना चाहिए । जो हमारा संशोधन विधान मण्डल दल के बन्धु लाये हैं विरोध होने के नाते आलोचना करना इनका धर्म है अगर वह इस उद्देश्य से आलोचना करते हैं तो ठीक है लेकिन जो सही बातें हैं उनको भी स्वीकार करना चाहिए । अगर मंत्रियों को फ्लैट, आवास नहीं मिलेंगे तो वह प्रदेश की जनता जो आयेगी उसका काम कौन करेगा । कभी बाद में आपके मंत्री भी होंगे तो यह काम आयेगा । मान्यवर, कुछ आशंकाएं आज हमारे विपक्ष के मित्रों ने व्यक्त की हैं कि इसका दुरुपयोग होगा और इससे जबरदस्ती सामान उठाकर बाहर फेंक दिया जाएगा और ज्यादतियां होंगी लेकिन ऐसी कोई मंशा नजर नहीं आ रही है । अगर कोई कानून बनता है कोई अधिसूचना जारी होती है तो बाद में उसी के अनुसार व्यक्ति अपना मन बना लेता है और उसके अनुसार व्यवहार भी करता है यह सामान फेंकने की घटना को रोकने के लिये यह व्यवस्था की गयी है और हो सकता है कि आपने जो कुछ किया है वही याद आ रहा है । आपने मसूद साहब का सामान फेंक दिया था वह शिक्षा मंत्री थे अगर कोई कानून बना होता तो शायद आपको आधी रात को सामान फेंकने की कोई जरूरत न पड़ती । इसलिए कम से कम शीशे के महल में रहने वाले दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते हैं । दूसरी तरफ एक आशंका जाहिर की गयी है कि आजादी से जुड़े हुए लोगों के नाम से जो आवंटन हुए हैं ऐसे लोग आजादी के नाम से जुड़े हुए लोग हैं तो निश्चित रूप से मैं चाहूंगा कि मंत्री जी या शासन में बैठे हुए लोग उसके लिए अलग से व्यवस्था करेंगे लेकिन यदि वह मंत्री या विधायक के आवास के रूप में रह रहे हैं तो निश्चित रूप से यह स्वीकार करना चाहिए कि वह मंत्री का आवास है उसके लिये अलग से एलाट होना चाहिए । हमारे विरोधी दल के भाइयों की आदत रही है जब यह शासन में रहे हैं तो नाजायज तरीके से जबरदस्ती मकान हथियाने का काम किये हैं, हो सकता है कि उसी भावना से इनको डर लग रहा हो उसको खाली करने में इनको पीड़ा हो सकता है । मैं समझता हूं कि अगर इनके सामान को फिकवाने की जरूरत पड़ी तो मंत्री जी रहम करेंगे ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य अपनी बात पीठ को सम्बोधित करके करें । आपस में बात न करें ।

(व्यवधान)

श्री रंगनाथ मिश्र–

जब हम विधायक चुनकर आते हैं तो जिलाधिकारी के प्रमाण-पत्र के अनुरूप अपना आवास ले लेते हैं । पहले दो चार साल पहले जब विधायक चुनकर आते थे तो एक दूसरे का ताला तोड़ते थे उसके बाद विधान सभा में मारपीट करते थे । सरकार ने जो बदनुमा दाग था उसको समाप्त करने का संकल्प किया है ।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग आपस में बात न करें पीठ को सम्बोधित कर अपनी बात करें । श्री मिश्रा जी अपनी बात समाप्त करें ।

श्री रंगनाथ मिश्र–

इस प्राविधान से जो विधायक का आवास है वह उसे मिल जायेगा और जो मंत्री का आवास है वह मंत्री को मिल जायेगा । इसलिये मेरा निवेदन है कि इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित होने दें और अपना संशोधन प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस विधेयक पर बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, श्री रामऔतार जी ने प्रवर समिति को सौंपने का जो प्रस्ताव किया है मैं उसका समर्थन करता हूं । इसमें बहुत सारी विसंगतियां छूट गयीं हैं । श्रीमन्, यदि आपने कोई ऐसा प्राविधान किया होता जैसा पार्लियामेंट में है । पार्लियामेंट में एक कमेटी बनी है इसमें यह निश्चित होता है कि जिस तरह की सीनियारिटी मेंम्बर की होती है उसी हिसाब की आवासीय व्यवस्था की जाती है । पार्लियामेण्ट में जैसे दलों के नेताओं और वरिष्ठ सांसदों की जो व्यवस्था होती है आपने इस तरह का कोई उल्लेख इस विधेयक में नहीं किया है इसलिये इसको प्रवर समिति को सौंपे जाने की आवश्यकता है ताकि सम्यक रूप से विचार हो सके । जिन चीजों का उल्लेख होना चाहिये वह आपने नहीं किया है । उत्तर प्रदेश विधान सभा सदस्यों की जो हस्तपुस्तिका है उसके अध्याय–5 में लिखा है कि –''विधान मण्डल के ऐसे सदस्यों को जिन्हें लखनऊ में निवास गृह नहीं दिया गया है उन्हें रु० 300/- प्रतिमास आवास भत्ता देय होगा'' लेकिन अगर ज्यादा पर उस सदस्य ने मकान ले रखा है तो क्या उसको देंगे, नहीं देंगे, कम है तो मिलेगा । एक माननीय सदस्य के लिये 300/- फ्लेट रेंट की आवास की व्यवस्था का प्राविधान किया गया है । मैं जानना चाहता हूं कि ए ब्लाक, बी ब्लाक, सी ब्लाक, दारुलशफा, पार्क रोड जिनका उल्लेख किया है, उनमें कोई भी कक्ष इस तरह का है ? मैं 20 सालों से विधायक हूं एक कक्ष मिलता था तो उसके लिये डेढ़ सौ रुपये का अलग से प्राविधान किया जाता था । जो अधिकारी हैं जिनको टाईप–4 का आवास है उसमें 3-4 बेड रूम और उनके साथ अटैच बाथरूम है । लेकिन विधायक को एक कमरे में बन्द कर दिया जाता है, उसके लिये एक बाथरूम है, दरवाजा न हो तो क्षेत्र से आने वाले लोग यह कहें कि आप अपना काम करें, हम अपनी बात कह लेते हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय गौरी शंकर एडवोकेट जी, इस पूरे बिल में सम्मानित विधायकों के बारे में कोई बात नहीं आयी है ।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

मान्यवर, इसमें विधायक निवासों का जिक्र हैं, कदाचित व्यस्तता के कारण आप नहीं देख सके हैं इसमें ए, बी, सी, ब्लाक दारुलशफा, ओ० सी० आर० आदि का जिक्र है ।मैं निवेदन कर रहा था कि आपने यहां पर जो व्यवस्था की है उसमें एकरूपता होनी चाहिये । एक विधायक प्रोटोकाल में चीफ सेक्रेटरी से ऊपर माना जाता है उसको 16 कमरे और विधायक को आप क्या दे रहे हैं ? उसको भी देख लीजिये, विधायक का स्टेट्स होता है लेकिन उसको ऐसा आवास मिलता है कि जिसमें वह ठीक से राहत की सांस न ले सके । टाईप–फोर, फाइव व सिक्स के भी आवास हैं, अगर कोई मंत्री टाईप–फोर के आवास में रह रहा है तो उसे आप मंत्री आवास कैसे मान लेंगे ? आप इसको लाये लेकिन आपकी पैनी नजर से ये चीजें कैसे छूट गयीं ? इस विधेयक में व्याप्त विसंगतियों को दूर करने के लिये अगर

आपकी सदाशयता नजर आती तो निश्चित रूप से प्रवर समिति को भेजने की वकालत नहीं करते इसमें कदाशयता छिपी हुई है । पूर्वाग्रह से या जिससे आप व्यक्तिगत रूप से खुश नहीं है उसको 15 दिन की नोटिस देकर सड़क पर लाना चाहते हैं । आपके पास पी० पी० एक्ट है और भी प्रोसीजर हैं, धारा–4 , 7 में भी नोटिस जाती है । धारा 4, और 7 का प्राविधान आपके पास है । उसके बाद आगे पीड़ित व्यक्ति न्याय में जा सकता है । यह भारतीय संविधान के अनुरूप नहीं है कि कोई व्यवस्था परफेक्ट हो इसलिये पीड़ित व्यक्ति को दूसरी जगह कोर्ट में जाने से कैसे रोका जा सकता है ? मान्यवर, सरकार का जुडीशियरी में कोई विश्वास नहीं है । पार्लियामेण्टरी कमेटी के हिसाब से इसमें कोई उल्लेख नहीं किया है जिससे आपको सहमति दी जा सके । नेता विरोधी दल का इसमें कोई जिक्र नहीं किया है ।मैं चाहता हूं कि मंत्री जब उत्तर दें तो मंत्री, उपमंत्री आदि के संबंध में किस स्तर का जिक्र हुआ है जिसमें नेता विरोधी दल आते हों इसके संबंध में आप बता देंगे । मान्यवर, नेता विरोधी दल के स्तर का इसमें कोई जिक्र नहीं किया गया है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप बैठ जायें चूंकि काफी बातें कह चुके हैं ।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

मान्यवर, जल्दी में यह विधेयक लाया गया है इसलिये सभी चीजों पर पूरी तरह से ध्यान नहीं दिया गया है । इसलिये मैं प्रस्तुत संशोधन विधेयक का विरोध करता हूं और चाहता हूं कि इसे प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय ।

अन्त में मैं एक शेर पढ़ते हुए प्रस्तुत विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने पर बल देता हूं ।

"हक के सौदाई हैं, कातिल को मसल डालेंगे ।
गरदिशे वक्त भी आयी तो कुचल डालेंगे ।
हमने जिस दौर को चाहा है बदल डाला है,
और जिस दौर को चाहेंगे बदल डालेंगे ।"

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि श्री मिश्रा जी ने जो विधेयक अभी प्रस्तुत किया है, वह चर्चा में है, मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया । मान्यवर, मैंने सभी माननीय सदस्यों को आपको भी गम्भीरता से सुना । मान्यवर, मुझे इस विधेयक के संबंध में दो शंकाएं हैं । एक तो यह निवेदन है कि जो भी सत्ता दल में बैठे उसे इतने अनियंत्रित अधिकार न हो कि वह अपनी पार्टी के नाम जितनी सम्पत्ति चाहे उसको कर ले । इसलिये अनियंत्रित अधिकार नहीं होना चाहिये जिसे इसमें जोड़ना चाहिये । चूंकि जो भी दल सत्ता में बैठ जाता है वह अपनी पार्टी के नाम, मन चाही सम्पत्ति कर लेता है जिससे सरकारी सम्पत्ति का दुरुपयोग होता है, उसे रोकना चाहिये ।

मान्यवर, मेरी दूसरी आपसे प्रार्थना है कि यह सत्य है कि विधायकों, मंत्रियों को आवास मिलना बहुत जरूरी है । लेकिन एक शंका है, आज आप तय कर दीजिये कि अमुक-अमुक निवास में फला व्यक्ति रहेगा । नहीं मालूम हुआ कभी किसी की सत्ताधारी दल से तू तू मैं मैं हो गई, तो तुरन्त आदेश हो गया कि आप यह आवास खाली कर दीजिये, यह शंका जन्म ले रही है । वैसे आपकी जो भावना है, मैं उससे सहमत हूं, लेकिन इस शंका का उतार जरूर मिलना चाहिये क्योंकि विद्वेष के आधार पर किसी भी व्यक्ति को बेदखल करने की नीति नहीं रहनी चाहिये, यही मेरा सुझाव है, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री अधिष्ठाता–

शाक्य जी, आप कुछ कहना चाहेंगे ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, मैं अपने संशोधन प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री कलराज मिश्र–

मान्यवर, सम्मानित सदस्यों ने जो अपनी आशंकायें व्यक्त की हैं, मैं इस विधेयक को प्रस्तुत करने के बाद और इस विधेयक में जो बातें रखी गई हैं, के आधार पर मैं कह सकता हूं कि वह सब निर्मूल हैं । विधेयक बड़ा सीमित है क्योंकि इसके पहले ही कानून बन गया था, मंत्री आवास, विधायक निवास, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति यह कानून पहले ही बन गया था । लेकिन प्रत्यक्ष व्यवहार में देखने पर यह अनुभव हुआ कि अगर उस आवास में जाकर कोई निवास करना शुरू कर दिया तो उसको हटाने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता था और संबंधित व्यक्ति को मकान नहीं दे पाये । उसी का परिणाम है कि आज भी तमाम मंत्रीगण आवास विहीन हैं । उनको संबंधित आवास मिल नहीं पाये हैं इसलिये कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिये कि केवल मात्र आवास आवंटित हो, इतना ही नहीं, आवास भी हम उसको निर्दिष्ट करें । हम चाहते हैं कि चाहे विधायक आवास हो, मंत्री आवास हो, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उप सभापति आवास हो, हम निर्दिष्ट कर दें कि यह उनके नाम से रहेगा । केवल मात्र इतना है इस विधेयक में । केवल अभिसूचित आदेश है ये और इसे व्याख्यापित किया गया है । बहुत सी शंकायें माननीय सदस्यों ने व्यक्त कीं, वह सब निर्मूल हैं ।

मुझे तो बड़ा आश्चर्य जनक लगा, हमारे माननीय राम औतार शाक्य जी, इस विधेयक के बारे में कम बोलकर, इस सरकार की मुख्यमंत्री के बारे में ज्यादा बोलना शुरू कर दिये, इसका कोई औचित्य नहीं है । यदि वह इस विषय पर सीमित रहते तो ज्यादा अच्छा होता । हमारे माननीय सदस्य अम्बरीष जी, गौरीशंकर जी, इन लोगों ने कुछ बातें रखीं, वर्मा जी ने भी कुछ बातें रखीं, कुछ शंकायें भी व्यक्त कीं । अम्बरीष जी ने कहा कि प्रदेश के पिछड़ेपन को दूर करने के लिये यह करोड़ों रुपया खर्च होता तो बहुत अच्छा होता । मान्यवर, यह सामान्य बजट का विषय है, इसमें कोई सन्देह नहीं, लेकिन मैं इतना बताना चाहता हूं कि यह बजट में आयेगा, उसका अभी मैं जिक्र नहीं करना चाहता । मंत्रि परिषद् के निर्णय से आप लोगों को जरूर जानकारी हुई होगी । यह पहली सरकार है, जिसने निर्बल आवास की योजना शुरु की है और 5, 10, 15 रुपये के आधार पर मकान देने की योजना चलाई है । इससे बढ़कर और क्या क्रान्तकारी योजना हो सकती है ? मैं ज्यादा गहराई में नहीं जाना चाहता, अपने को सीमित रखना चाहता हूं । गौरीशंकर जी से विनम्र निवेदन करता हूं कि वह बड़े पुराने हैं, अच्छे जानकार भी हैं लेकिन इतना तो जरूर माननीय गौरीशंकर जी इस विधेयक को देखने के बाद अनुभव किये होंगे कि सीमित विधेयक है । समय-समय पर विधान मंडल के सदस्यों के बारे में, मंत्रियों के बारे में सुख सुविधा की जरुरत होती है, विधेयक आता है । आपको अगर अनुभव हुआ है तो सुझावात्मक तौर पर संबंधित अधिकारी को लिखें ।

(श्री गौरी शंकर एडवोकेट के खड़े होने पर व्यवधान)

मान्यवर, इस विधेयक को सकारात्मक दिशा में लें, नकारात्मक न लें । यह किसी प्रकार विद्वेषकारी नहीं है । विधेयक का उद्देश्य बहुत स्पष्ट है, मंशा स्पष्ट है । अगर आप आज्ञा करें तो उद्देश्य भी पढ़ दूंगा ।

श्री गौरीशंकर एडवोकेट–

मान्यवर, आप विधेयक पास करा रहे हैं और कह रहे हैं कि बहुत ही सकारात्मक दृष्टि से देंखें। मान्यवर, इक्जीक्यूट तो कोई करेगा आप तो लोक निर्माण विभाग के मंत्री हैं राज्य सम्पत्ति विभाग के मंत्री हैं नहीं।

श्री कलराज मिश्र–

गौरीशंकर जी मंत्रिमंडल के सम्मानित सदस्य भी रहे हैं, जो भी निर्णय होता है वह सामूहिक निर्णय होता है तो उसमें सबकी सामूहिक भागीदारी होती है। सामूहिक निर्णय होने के बाद उसका कार्यान्वयन होता है इसलिये मैं माननीय गौरीशंकर जी से विनम्र आग्रह करूंगा उनकी जिसमें स्वयं भागीदारी रही हो, उसके प्रति अन्याय न करें और इसीलिये मैंने कहा कि यह बड़े सकारात्मक दृष्टि से विधेयक लाया गया है, सीमित विधेयक है और सीमा के अन्दर रहते हुए हमने इस पर विचार किया है। हमने नियम भी निर्दिष्ट किये हैं हमने यह भी बताया है कि मंत्रियों के लिये कौन सा आवास होगा मंत्रियों के लिये आवास है, 156 टाइप–सी जिसमें मंत्री रहते हैं।

(श्री गौरीशंकर एडवोकट द्वारा अपनी बात कहने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

पहले मंत्री जी की बात खत्म हो जाने दीजिये ये शिष्टाचार नहीं है।

श्री कलराज मिश्र–

इसके बड़े सीमित उद्देश्य हैं और यह निर्दिष्ट किया हुआ है मंत्रियों के लिये, विधायकों के लिये, सभापति–उपसभापति के लिये नेता विरोधी दल की बात कही गई है। नेता विरोधी दल को अभी मंत्री स्तर की सुविधा प्राप्त है उनको उसी हिसाब से लिया जाता है। जब मंत्री की बात कही जाती है तो स्वाभाविक रूप से नेता विरोधी दल उसमें समाहित हैं। इसलिये अलग से उल्लेख करने का औचित्य नहीं है यह हमेशा इसी प्रकार से रहा है। मैं चाहूंगा कि हमारे मित्रों ने कई बातें कहीं हैं वह विषय से परे है इसलिये मैं चाहूंगा इस सदन से कि इस विधेयक को पारित करें।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय शाक्य जी, आप अपना प्रस्ताव वापस ले रहे हैं।

श्री राम औतार शाक्य–

मैं अपने संशोधन पर बल देता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मंत्री और राज्य विधान मण्डल अधिकारी और सदस्य सुख सुविधा विधि (संशोधन) विधेयक, 1997 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे। समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मंत्री और राज्य विधान मण्डल अधिकारी और सदस्य सुख सुविधा विधि (संशोधन) विधेयक, 1997 पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्डशः विचार

खण्ड–2 से खण्ड–4 तक खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश मंत्री और राज्य विधान मण्डल अधिकारी और सदस्य सुख सुविधा विधि (संशोधन) विधेयक, 1997

उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1981 उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 और उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) अधिनियम, 1952 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

चूंकि उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1981 में अन्य बातों के साथ-साथ यह व्यवस्था है कि प्रत्येक मंत्री जिसमें मुख्यमंत्री और उप मंत्री भी सम्मिलित हैं अपनी पदावधि पर्यन्त और उसके पश्चात् पन्द्रह दिन की अवधि के लिये बिना किराये का भुगतान किये लखनऊ में निवास स्थान का, जिसे विहित मानदण्ड के अनुसार सरकारी व्यय पर सुसज्जित और अनुरक्षित किया जायेगा, उपयोग करने का हकदार होगा ;

और चूंकि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों और पेंशन) अधिनियम, 1980 में अन्य बातों के साथ-साथ यह व्यवस्था है कि प्रत्येक सदस्य, जिसमें संसदीय सचिव भी सम्मिलित हैं, अपनी सदस्यता की अवधि पर्यन्त और ऐसी अग्रतर अवधि के लिये जैसी कि विहित की जाय, लखनऊ में बिना किराये के भुगतान के ऐसे आवास का, जैसा उसे उपलब्ध कराया जाय, उपयोग करने का हकदार होगा ;

और चूंकि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) अधिनियम, 1952 में अन्य बातों के साथ-साथ यह व्यवस्था है कि अध्यक्ष, सभापति, उपाध्यक्ष और उप सभापति प्रत्येक अपनी पदावधि पर्यन्त लखनऊ में बिना किराये का भुगतान किये सुसज्जित निवास स्थान पाने का हकदार होगा ;

और चूंकि राज्य सरकार का यह कर्तव्य है कि वह मंत्रियों, विधायकों, विधान सभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष और विधान परिषद् के सभापति एवं उप सभाप्पति को लखनऊ में निवास स्थान उपलब्ध कराये ;

और चूंकि मंत्रियों, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति और विधायकों को समय से निवास-स्थान की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये यह समीचीन समझा गया कि कतिपय आवासों को मंत्री-आवास, अध्यक्ष-आवास, उपाध्यक्ष-आवास, उप सभापति-आवास और विधायक आवास के रूप में विनिर्दिष्ट किया जाय ;

भारत गणराज्य के अड़तालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम 1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मंत्री और राज्य विधान मण्डल अधिकारी और सदस्य सुख सुविधा विधि (संशोधन) अधिनियम, 1997 कहा जायेगा ।

2–उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1981 की धारा 4 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :– उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 1981 में नई धारा 4–क

कतिपय आवासों के संबंध में विशेष उपबन्ध

4–क 1–उत्तर प्रदेश मंत्री और राज्य विधान मण्डल अधिकारी और सदस्य सुख-सुविधा विधि (संशोधन) अधिनियम के 1997 के प्रारम्भ के दिनांक को और से, राज्य सरकार, धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन किसी मंत्री को समय पर निवास स्थान की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दृष्टि से अधिसूचित आदेश द्वारा राज्य सरकार के राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रण और प्रबन्ध के अधीन किसी टाइप–छः आवास को या ऐसे आवास को जो किसी समय किसी मंत्री के अध्यासन में था मंत्री-आवास के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकती है और इस प्रकार विनिर्दिष्ट कोई आवास केवल मंत्री को आवंटित किया जायेगा और किसी अन्य व्यक्ति को नहीं किया जायेगा ।

(2) यदि धारा 4 की उपधारा (1–क) में निर्दिष्ट मंत्री से भिन्न किसी व्यक्ति के अध्यासन में किसी आवंटन आदेश के आधार पर या अन्यथा उपधारा (1) के अधीन मंत्री-आवास के रूप में विनिर्दिष्ट कोई आवास हो तो राज्य सरकार, या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी ऐसे व्यक्ति के आवंटन आदेश को, यदि कोई हो, रद्द कर सकता है और लिखित नोटिस द्वारा ऐसे व्यक्ति से ऐसी नोटिस की उस पर तामील किये जाने के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर उक्त आवास को खाली करने की अपेक्षा कर सकता है, और यदि ऐसा व्यक्ति उक्त आवास को उक्त अवधि के भीतर खाली करने में विफल रहता है तो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिकृत कोई अधिकारी उक्त आवास का कब्जा ले सकेगा और इस प्रयोजन के लिये ऐसे बल का प्रयोग कर सकेगा जो उन परिस्थितियों में आवश्यक हों ।

3–उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम 1980 की धारा 16 के पश्चात निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी अर्थात् :– उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 1980 में नई धारा 16–क बढ़ाया जाना

कतिपय आवासों के संबंध में विशेष उपबन्ध

16–क (1)–उत्तर प्रदेश मंत्री और राज्य विधान मण्डल अधिकारी और सदस्य सुख-सुविधा विधि (संशोधन) अधिनियम के 1997 के प्रारम्भ के दिनांक को और से, राज्य सरकार, धारा 16 की उपधारा (1) के अधीन किसी सदस्य को समय पर आवास की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दृष्टि से अधिसूचित आदेश द्वारा राज्य सरकार के राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रण और प्रबन्ध के अधीन विधायक निवास संख्या–1 ए-ब्लाक, दारुलशफा, विधायक निवास–2, बी० ब्लाक दारुलशफा, विधायक निवास–3, ओ० सी० आर० विधायक निवास संख्या–4, रायल होटल, विधायक निवास संख्या–5, मीराबाई मार्ग, विधायक निवास संख्या–6, पार्क रोड नामक कालोनी या भवन में किसी आवास को विधायक आवास के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकती है और इस प्रकार विनिर्दिष्ट कोई आवास केवल सदस्य को आवंटित किया जायेगा और किसी अन्य व्यक्ति को नहीं किया जायेगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1952 में नई धारा 4–क का बढ़ाया जाना

(2) यदि धारा 16 की उपधारा (1–क) में निर्दिष्ट सदस्य से भिन्न किसी व्यक्ति के अध्यासन में किसी आवंटन आदेश के आधार पर या अन्यथा उपधारा (1) के अधीन विधायक-आवास के रूप में विनिर्दिष्ट कोई आवास हो तो राज्य सरकार, या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी ऐसे व्यक्ति के आवंटन आदेश को, यदि कोई हो, रद्द कर सकता है और लिखित नोटिस द्वारा ऐसे व्यक्ति से ऐसी नोटिस की उस पर तामील किये जाने के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर उक्त आवास को खाली करने की अपेक्षा कर सकता है, और यदि ऐसा व्यक्ति उक्त आवास को उक्त अवधि के भीतर खाली करने में विफल रहता है तो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी उक्त आवास का कब्जा ले सकेगा और इस प्रयोजन के लिये ऐसे बल का प्रयोग कर सकेगा जो उन परिस्थितियों में आवश्यक हो ।

4–उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) अधिनियम, 1952 की धारा 4 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :–

कतिपय आवासों के संबंध में विशेष उपबन्ध निवास स्थान

4–क (1) उत्तर प्रदेश मंत्री और राज्य विधान मण्डल अधिकारी और सदस्य सुख-सुविधा विधि (संशोधन) अधिनियम, 1997 के प्रारम्भ के दिनांक को और से, राज्य सरकार, धारा 4 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति को समय पर की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दृष्टि से अधिसूचित आदेश द्वारा राज्य सरकार के राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रण और प्रबन्ध के अधीन किसी टाइप–छः आवास को या ऐसे आवास को जो किसी समय किसी अध्यक्ष या किसी सभापति या किसी उपाध्यक्ष या किसी उपसभापति के अध्यासन में था, अध्यक्ष–आवास या सभापति–आवास या उपाध्यक्ष-आवास या उप सभापति–आवास के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकती है और इस प्रकार विनिर्दिष्ट कोई आवास केवल धारा 4 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति को आवंटित किया जायेगा और किसी अन्य व्यक्ति को नहीं किया जायेगा ।

(2) यदि धारा 4 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति के अध्यासन में किसी आवंटन आदेश के आधार पर या अन्यथा उपधारा (1) के अधीन अध्यक्ष आवास या सभापति-आवास या उपाध्यक्ष–आवास या उप सभापति–आवास के रूप में विनिर्दिष्ट कोई आवास हो तो राज्य सरकार, या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी ऐसे व्यक्ति के आवंटन आदेश को, यदि कोई हो, रद्द कर सकता है और लिखित नोटिस द्वारा ऐसे व्यक्ति से ऐसी नोटिस की उस पर तामील किये जाने के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर उक्त आवास को खाली करने की अपेक्षा कर सकता है, और यदि ऐसा व्यक्ति उक्त आवास को उक्त अवधि के भीतर खाली करने में विफल रहता है तो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी उक्त आवास का कब्जा ले सकेगा और इस प्रयोजन के लिये ऐसे बल का प्रयोग कर सकेगा जो उन परिस्थितियों में आवश्यक हों ।

[समय 5 बजकर 10 मिनट]

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से खण्ड 4 तक खण्ड 1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री कलराज मिश्र–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मंत्री और राज्य विधान मण्डल अधिकारी और सदस्य सुख सुविधा (संशोधन) विधेयक, 1997 पारित किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मंत्री और राज्य विधान मण्डल अधिकारी और सदस्य सुख सुविधा (संशोधन) विधेयक, 1997 पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) अध्यादेश, 1997 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1997

श्री अमरमणि–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करता हूं "यह सदन उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) अध्यादेश, 1997 का अननुमोदन करता है ।

मान्यवर, जमींदारी विनाश की आवश्यकता 1950 में इसलिये पड़ी कि जब हिन्दुस्तान गुलाम था, ब्रितानिया हुकूमत के अधीन था, हिन्दुस्तान के गरीब मेहनतकश मजदूरों का शोषण हो रहा था, मेहनतकश मजदूर बाग लगाते थे और बाग मालिकान जमींदार होते थे, मेहनतकश लोग खेती करते थे लेकिन दोनों टाईम उनको भोजन मयस्सर नहीं हो पाता था जंगे आजादी की लड़ाई हुई अंग्रेजों को हिन्दुस्तान से बाहर जाना पड़ा लेकिन इस हिन्दुस्तान की सरजमीं पर गुलामी यथावत् बनी रही । जमींदार गांव में पूरी तरह से शोषण करते थे । गांधी जी का सपना था पूर्ण स्वराज । गांधी जी चाहते थे कि हिन्दुस्तान की इस सरजमीं पर जंगे आजादी के लिये आजादी के दीवानों ने जो खून बहाया है उसकी सही मंशा सफल हो उसके लिये हमारी सरकारों ने 1950 में जमींदारी विनाश अधिनियम पास किया जिसके अन्तर्गत 18 एकड़ सिंचित और 25 एकड़ असिंचित भूमि की सीमा बांध दी थी । हजारों-हजार एकड़ की भूमि,मान्यवर, आप भी उसी जिले में रहते हैं आप जानते हैं, आपकी सदाशयता है और जनता आपको मानती भी है, तो तमाम ऐसे जमींदार जो गरीबों का खून चूसते थे उसकी सीमा बांध दी । बड़े-बड़े भू-स्वामी जैसे राजा सौरतगढ़ के पास काफी जमीन है, जिनके पास जमीन थी उसकी सीमा बांध दी । यह सरकार कहती है कि हमने केवल कागजों पर ही पट्टे दिये और वास्तविकता में हमने दिये हैं तो यह गलत बात कह रहे हैं । अभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी कल कह रहे थे कि हमारी सरकार ने कब्जा दिलाने का काम किया तो मैं इनकी कथनी और करनी में अन्तर बता रहा हूं ।

मान्यवर, रेहरा गांव में एक गरीब व्यक्ति को 1980 में पट्टा मिला परन्तु उसको कब्जा नहीं मिल पाया । हम कमिश्नर के पास गये और कमिश्नर ने मौके पर जाकर कब्जा दिलाया और दूसरे ही दिन एक दरोगा, एस० डी० एम० और कलेक्टर ने वहां जाकर उससे कब्जा वापस ले लिया और फिर उस

जमींदार के पक्ष में जमीन करा दी । तो यह इनकी कथनी और करनी में अन्तर है । रघुनाथपुर में राजा आजम खां साहब के पास हजारों एकड़ जमीन है उनका सवाल उठाया

श्री अधिष्ठाता–

माननीय त्रिपाठी जी आप विषय से हटकर बोल रहे हैं । कृपया विषय पर ही बोलें क्योंकि समय बहुत ही सीमित है ।

श्री अमरमणि–

मान्यवर, मैं विषय पर ही बोल रहा हूं । तो इस प्रकार हमने जमींदारों के खिलाफ लड़ाई लड़ी तमाम सरकारों ने लड़ी, दल पर नहीं, बल्कि पूरे देश और प्रदेश में एक स्वच्छ भावना से आवाज उठायी और जमींदारी सिमट गयी, वास्तव में स्वराज आया और गरीबों को उनका हक मिला । यह अलग बात है कि जाति और धर्म पर वह बट गये और इधर उधर हो गये लेकिन सिर उठाकर चलने का अधिकार खटिया पर बैठने का अधिकार हमने दिया । हमारे यहां एक बाबू पुरुषोत्तम जी हैं उनके पास हजारों-हजार एकड़ भूमि है । इस सरकार का ध्यान नहीं गया । महात्मा जी ने सपना देखा था एक आत्मनिर्भर भारत की स्थापना का और एक उन्नतशील भारत की स्थापना का । जमींदारी एबोलिशन ऐक्ट के माध्यम से जमींदारों पर अंकुश लगाकर और उनसे जमीन लेकर गरीब जनता को उस पर काबिज किया था और गरीब जनता के बीच उस जमीन का वितरण किया गया था, जिसके कारण एक सामाजिक समरसता आई ।आज विडम्बना की बात यह है कि गांधी जी को गाली देने वाले, गांधी जी को गोली मारने वाले व गांधी जी को कपूत कहने वाले लोग एक साथ बैठकर सत्ता पर काबिज हैं । गांधी जी की जो मूल भावना थी, उसे ये लोग सफल नहीं होने देना चाहते हैं । इसलिये मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे मेरे संकल्प में अपना सहयोग दें ।

राजस्व राज्य मंत्री (श्री अशोक यादव)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1997 पर विचार किया जाय ।

मान्यवर, इस बिल के माध्यम से हमने जमींदारी एबोलिशन ऐक्ट की धारा 122, 123 व 157 में कुछ संशोधन किये हैं । अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति जिनके पास कोई ग्राम समाज की जमीन है या किसी खातेदार की जगह पर वह 30 जून, 1985 को काबिज थे तो अब उसके स्थान पर 30 जून, 1995 कर दिया गया है । इस बिल की धारा 157 में यह परिवर्तन किया गया है, पहले जो व्यवस्था थी उसके तहत जिलाधिकारी से परमीशन लेकर के अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के लोग अपनी जमीन को बिक्री कर देते थे, अब उस व्यवस्था के क्रम को बदला गया है । क्रम यह किया गया है कि पहले भूमिहीन खेतिहर मजदूर, सीमान्त कृषि फिर लघु सीमान्त कृषक । इसलिये मेरा माननीय सदस्यों से आग्रह है कि वह इसे अनुमोदित करें ।

* श्री बाबूराम यादव–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1997 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो यह बिल प्रस्तुत किया है, इससे सरकार के घमण्ड का पता लगता है । हमारे मित्र त्रिपाठी जी कह रहे थे कि इसमें ऐसी व्यवस्था है, जमींदारी विनाश अधिनियम बना, उसमें जो व्यवस्थाएं थी, उनको बहुत सोच समझकर गरीबों के हितों में लाया गया था, लेकिन मान्यवर, यह सरकार तो दलितों की हमदर्द बनती है लेकिन दलितों को मिटाने का काम कर रही है । इस संशोधन पर अगर माननीय मंत्री जी दृष्टिपात करेंगे तो पता चलेगा कि इससे कितना गरीबों को नुकसान हो रहा है । आपने बताया कि धारा 122 का संशोधन है, लेकिन मान्यवर, धारा 122 का संशोधन नहीं है बल्कि धारा 122 की उपधारा 4–च का संशोधन है । धारा 122 में संशोधन नहीं हुआ है । मैं कहना चाहता हूं कि यह संशोधन गरीबों के लिये बहुत ही कष्टकर है और इसलिये कष्टकर है कि जब कभी बाढ़ आती थी, जब कभी कोई और दैवी आपदा आती थी तो जो गरीब लोग थे, उनको बड़े लोग अपने यहां आश्रय देते थे । मैंने देखा है कि बाढ़ में, बरसात में, जलभराव में गरीबों की झोपड़ियां अपनी जगह में बनवा देते हैं और जब वह आपदा समाप्त हो जाती है तो वह अपने स्थान पर चले जाते हैं । सरकार ने यह संशोधन लाकर इस दया के हक को छीन लिया है । इनको नहीं पता है कि इस संशोधन के बाद आज से कोई गरीबों को अपने दरवाजे पर नहीं टिकने देगा और इसलिये नहीं टिकने देगा कि कहीं वह जमीन उसके नाम न हो जाए ।

मान्यवर, दूसरा संशोधन और भी खतरनाक है । आप जल्दी में हैं । आपका कहना है कि विधेयक के इधर-उधर न हों । मैं कहना चाहता हूं कि धारा 122 की उप धारा 4 (च) में जो संशोधन है उससे उत्तर प्रदेश में संदेश जाएगा कि अगर किसी दलित को टिका लिया तो वह जमीन उसकी हो जाएगी । और संकट में कोई उसकी मदद नहीं करेगा । भारतीय परम्परा की दुर्गति हो जाएगी लेकिन मान्यवर, इस विधेयक में वह बदबू आ रही है, यह गरीबों की हिमायत करने वाला नहीं है । दूसरा संशोधन धारा 157 (क) में किया गया है । इसमें पहले यह व्यवस्था थी कि अगर कोई भी दलित अपनी भूमि का विक्रय करेगा, बिल करेगा, दान देगा या अपनी जमीन को किसी तरह से हस्तान्तरित करेगा तो उसको पहले जिलाधिकारी से परमीशन लेनी होगी और वह जमीन दलित को ही बेच सकेगा । इसमें यह व्यवस्था पहले से ही थी । श्रीमन्, जो संशोधन आया है वह ऐसा संशोधन आया है कि मुझे उस पर तरस आती है । जो गरीब दलित हैं वह मटियामेट हो जाएंगे इस तरह की इसकी भावना है । अब कोई भी दलित चाहे कितने ही संकट में हों, अपना गांव छोड़कर दूसरी जगह जाना चाहता हो तो उसकी जमीन को दलित के अलावा कोई नहीं लेगा वह जमीन दलित को ही बेच सकता है । पहले यह था कि जो $3\frac{1}{8}$ एकड़ वाले है वह परमिशन से किसी को अपनी जमीन बेच सकते थे उसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि जो बाजार भाव था जमीन का वह उसे मिल जाता था । अब चूंकि दलित को ही जमीन बेचनी है और वह दलित बीमार है, एक्सीडेंट हो गया है, लड़का मर रहा है उसका इलाज कराना है उसके लिये उसके पास पैसा नहीं है और अपनी जमीन बेचना चाहता है तो दूसरे दलित कहेंगे कि इतने रुपये

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

में नहीं लेंगे । इस तरह से वह वंचित हो जायेगा उस आवश्यक आवश्यकता से जिसके लिये वह जमीन बेचना चाहता है । अगर खुली बिक्री कर दी जाती तो निश्चित रूप से उसका परिवार बच सकता था । अब उसको पूरी तरह से वंचित कर दिया गया है । (लाल बत्ती होने पर) मैं दो तीन बातें कह कर खत्म करूंगा । एक सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि जो बड़े पैसे वाले लोग हैं वही फायदा लेंगे ।

हालांकि कैटैगराइज किया है भूमिहीन मजदूर, सीमांत कृषक और लघु कृषक इनको कर सकते हैं लेकिन सारे सम्मानित सदस्य जानते हैं भूमिहीन मजदूर कभी भी जमीन खरीदने की हिम्मत जुटा नहीं सकता है । सीमांत और लघु कृषक इनकी जमीन खरीदने लायक नहीं है क्योंकि जमीन कोई पैसे वाला ही लेगा । इससे तो जिसके पास थोड़ी बहुत जमीन है वह भूमिहीन हो जायेगा, बरबाद हो जायेगा ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें और भी माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं ।

बाबूराम यादव–

दलितों में बड़े लोगों के लिये यह बिल लाया गया है । दूसरी बात यह मैं कहना चाहता हूं जब संकट के समय कोई गांव छोड़ना चाहता है कुछ ऐसे भी गांव है जहां एक ही दलित परिवार है अगर वह किसी कारण से अपनी रोटी-रोजी की तलाश में अच्छी जगह जाना चाहता है तो उसकी जमीन को कोई नहीं खरीद सकता है । इस बिल में कहीं उसकी व्यवस्था नहीं है । हमारे गांव में एक ही दलित परिवार है अगर वह बम्बई, कलकत्ता काम करने के लिये जाना चाहता है तो उसके लिये इस विधेयक में क्या व्यवस्था की गई है । संवर्ण और बैकवर्ड को वह जमीन मिल नहीं सकती तो वह जमीन छोड़ करके ही जाएगा और एक पैसा भी उसे नहीं मिल पाएगा । (व्यवधान) [x x x]

श्री अधिष्ठाता–

समय का ध्यान रखें आधे घण्टे का समय इसके लिये निर्धारित है केवल 5 मिनट अब शेष रह गये हैं इसलिये अब समाप्त करें ।

श्री बाबूराम यादव–

[x x x] (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

व्यक्तिगत आक्षेप न लगायें, वह कार्यवाही का भाग नहीं होगा ।

श्री बाबूराम यादव–

तो एक करोड़ की उस जमीन को अगर वह बेचना चाहेगी यहां छोड़कर कलकत्ता या मद्रास में जाना चाहेंगी तो कौन दलित होगा जो उनकी एक करोड़ की जमीन खरीद सकेगा ? मान्यवर, इन चीजों पर विचार कर लें इस पर पूरी तरह से विचार हो जाय इसलिये मेरी गुजारिश है कि इसे प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो एक महीने के अन्दर अपनी रिपोर्ट दे दे और उस पर विचार करने के बाद इसको पारित करें ।

(श्री सीताराम निषाद को पुकारे जाने पर ।)

डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । अभी माननीय बाबूराम जी ने कहा कि [x x x] आपने कहा कि यह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा । मैं इस पर व्यवस्था चाहता हूं कि इसमें कौन सी बात असंसदीय है ?

नोट :–[xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने यह कहा है कि व्यक्तिगत आक्षेप इस कार्यवाही का भाग नहीं होगा ।

श्री बाबूराम यादव–

मान्यवर, यह आक्षेप नहीं है, यह कार्यवाही का भाग बनना चाहिये ।

श्री अधिष्ठाता–

कार्यवाही देखकर इस पर कार्यवाही कर ली जायगी, इस पर निर्णय ले लिया जायगा ।

श्री सीताराम निषाद–

माननीय अधिष्ठाता जी, जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा 122 ख–4 (च) और 123 के संबंध में मैं निवेदन करना चाहूंगा । मैं समझता था कि यह सरकार इस तरीके का संशोधन लायेगी जिससे गरीब को जो लाभ मिलने वाला है वह सही मानों में मिल सकेगा । आप 122 ख–4(च) को देखें इसमें 3 जून, 1995 के पहले कब्जे के आधार पर भूमिधरी का अधिकार देने की व्यवस्था की गयी है इसकी प्रक्रिया क्या होगी यह मैं जानना चाहता हूं ? यह बताना चाहिये था कि किस प्रक्रिया के अन्तर्गत इसका लाभ उठा सकेंगे ? कोई इसकी सीमा बांधनी चाहिये थी कि इतने दिन के अन्दर राजस्व विभाग उसकी पड़ताल करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि किस कृषि भूमि पर जो सार्वजनिक प्रयोजन की नहीं है उस पर किस अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का कब्जा था और उसका रिकार्ड बनाकर सो-मोटो कार्यवाही से भूमिधरी का अधिकार मिल जाता तो अच्छी बात होती । लेकिन ऐसा संशोधन नहीं लाया गया है जिसकी वजह से गरीब लोगों के कब्जे में जो जमीन है उससे उनको जबरदस्ती बेदखल किया जायगा और उस गरीब को मुकदमा दायर करना पड़ेगा ।

सरकार को गरीब से हमदर्दी है तो यह व्यवस्था करनी चाहिये थी कि सो-मोटो कार्यवाही करके इंदराज कर दिया जाता । धारा 123 की बात मैं कहना चाहता हूं । किसी जमीन जिस पर गरीब का मकान बना है यदि वह जमीन किसी के खाते में दर्ज है तो उसको आबादी दर्ज कर दिया जायगा, यह कानून पहले से बना है लेकिन अभी तक उसका इसलिये पालन नहीं हुआ कि इसकी प्रक्रिया नहीं दी गयी है । मकान की परिभाषा नहीं दी गयी है । मैं अपेक्षा करता हूं कि माननीय राजस्व मंत्री इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे । आज हो क्या रहा है कि यदि कहीं किसी गरीब का मकान बना है और वह जो किसी का बाग या चक दर्ज है तो उसके खिलाफ लोग उसे परेशान करते हैं । उसका दरवाजा बन्द कर देते हैं । अगवाड़ा पिछवाड़ा बन्द कर देते हैं उसको बस अपने उतने ही हिस्से में कैद होकर रहना पड़ता है, तो जो मकान की परिभाषा है उसमें संशोधन करने की आवश्यकता है । उसकी अपर टेनेंट लैंड, कोल्हू, उपली कंडा पाथने की जगह सब रकबे की जगह मिलाकर आबादी दर्ज करनी चाहिये थी । ऐसी परिभाषा करनी चाहिये थी ।

मैं कहना चाहता हूं कि जब यह सरकार गरीबों की बात करती है तो उत्तर प्रदेश की नदियों से लगी जमीन तलहटी, कछार में रहने वाले लाखों मछुआ समुदाय के लोग जो गरीब हैं और भुखमरी की कगार पर पहुंच जाते हैं अपने जीवन यापन के लिये वहां पर बोरों धान, तरबूज, खरबूजा, रबी, जायद

खरीफ की फसल पैदा करते हैं । किन्तु वह जमीन उनके नाम नहीं है जो भूमि माफिया हैं वह जब फसल तैयार होती है तो उनको बेदखल कर देते हैं उनकी सारी कमाई बर्बाद हो जाती है । सामाजिक न्याय का ढिढोरा पीटने वाली सरकार उन लाखों गरीब मछुआरों की तरफ ध्यान क्यों नहीं देती है ? यह लोग सैकड़ों वर्ष से नदी के किनारे तलहटी, कछार, गंगबरार में बोरो धान तरबूज. खरबूजा, रबी, खरीफ और जायद की फसल पैदा करते हैं उनको बेदखल न किया जाय । बल्कि बन्दोबस्त करके उनको पट्टे दे दिये जाने चाहिये । लेकिन मान्यवर, ऐसा नहीं किया गया है जिससे प्रतीत होता है कि यह सरकार उन पिछड़े गरीब लोगों का भला नहीं चाहती है । गरीबों को जमीन मिलनी चाहिये लेकिन उन्हें नहीं मिल पा रही है । डा० अम्बेडकर की मूर्ति लगाने के नाम पर ग्राम सभा की जमीन हड़पी जा रही है गरीबों का हक मारा जा रहा है । मान्यवर, मैं इन्हीं शब्दों के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि इसे प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, मैं इस पर बल देता हूं ।

श्री राम जग–

मान्यवर, यह जो उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1997 लाया गया है निश्चित तौर पर यह.....

(व्यवधान)

इस प्रकार के संशोधन पिछले कई सालों में किसी न किसी रूप में जरूर लाया गया है और यह जमींदारी अधिनियम की धारा 122 (ख) 4 (छ) निश्चित तौर पर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को हक दिलाने के लिये जैसे पहले 85, 87 और 95 में लाया गया । कानून बनाने के लिये संशोधन होते हैं लेकिन इसमें निश्चित तौर पर यह कहना चाहता हूं कि जमीन की जो परिभाषा की गई थी मंगल देव विशारद रिपोर्ट में जंगल के नाम पर जमीन पर खेती हो रही है, तालाब के नाम पर उसमें खेती हो रही है, नदी के नाम पर उसमें खेती हो रही है । आपने कोई ऐसी व्यवस्था की होती, कोई ऐसा संशोधन लाये होते कि जो खेती योग्य जमीन है जिस पर खेती होती है जो 132 के नाम पर जंगल पोखरी तालाब के नाम से दर्ज है । आप 132 के नाम पर लाभ से वंचित करते हैं । अगर आप संवेदनशील हैं संशोधन लाना चाहते थे तो 132 के नाम पर जो जमीन है अगर खेती होती है तो उससे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों को लाभ होता । जो संशोधन लाया गया है निश्चित रूप से विरोध नहीं है लेकिन खामियों को दूर करने के लिये इसे प्रवर समिति को सौंप दिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय अमरमणि जी हैं ।

(कोई उत्तर न आने पर) मा० बाबूराम जी यादव आप उत्तर भाषण देंगे ।

एक सदस्य–

गरीब और पिछड़े लोगों के लिये माननीय मंत्री जी क्या कर रहे हैं ?

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य मंत्री जी को लिखित रूप में दे दें वह कार्यवाही करेंगे ।

श्री मित्रसेन यादव–

मान्यवर, एक मिनट का समय दे दें ।

श्री अधिष्ठाता–

समय बहुत हो गया है अभी दो बिल और आने हैं ।

श्री बाबूराम यादव–

माननीय वर्मा जी को दर्द है कि इस बिल के माध्यम से सरकार की आलोचना हो रही है यह बिल घमंड में लाया गया है । सब खत्म हो जाए बस यह अकेले रहें । गरीब लोगों के लिये इसमें कोई व्यवस्था नहीं रखी गई है । कुछ तय नहीं किया गया इसलिये यह विधेयक प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाए जो एक महीने में अपनी रिपोर्ट दे । मैं इस पर बल देता हूं ।

श्री अशोक यादव–

मा० त्रिपाठी जी इस समय मौजूद नहीं हैं उसके बाद मा० बाबूराम यादव जी हैं बड़े सम्मानित सदस्य हैं और मैं इस सदन को थोड़ा याद दिलाना चाहता हूं पहले की सरकार में यह खुद राजस्व मंत्री रहे हैं । मुझे बहुत खुशी होती अगर अपने जमाने में कुछ ऐसा संशोधन मा० बाबूराम जी लाए होते ।

(सत्ता पक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाई)

मा० बाबूराम जी बड़े अग्रज भाई हैं । मा० बाबूराम जी को मैं उस प्रकरण में नहीं लाना चाहता हूं अभी एक बात कही गई । एक करोड़ का बाग खरीदा गया । माननीय मंत्री जी आपके जमाने में बहुत सी चीजें खरीदी बेची गई आपने कहा यह बिल्कुल घमंड में लाया गया है इस बिल से बदबू आ रही है । 157 क में खाली छूट देना चाहते थे । 157 क में खाली छूट दे दी जाती तो जो दबंगी से जमीन पर पहले कब्जा होता था उसी तरह से फिर कब्जा होने लगता । दलितों की रक्षा करने के लिये ऐसा किया गया है । डा० अशोक बाजपेयी जी ने सवाल उठाया । श्री सीताराम निषाद जी ने कहा कि मकान की परिभाषा इस बिल में नहीं है । अभी इससे पहले हमारे सारे माननीय सदस्यगण अपने मकान की परिभाषा का जिक्र कर रहे थे । जब 425 के मकानों की व्यवस्था अभी तय नहीं हो पाई है तो लाखों मकानों की व्यवस्था तय होने में समय लगेगा । निषाद जी ने कहा मछुआरों के लिये कोई व्यवस्था की जाय । मैं सदस्य का ध्यान इस पर आकर्षित करना चाहता हूं । यह व्यवस्था अनुसूचित जाति और जनजाति सबके लिये हैं । किसी एक वर्ग के लिये कोई अलग से एक्ट का प्राविधान कभी किसी विधेयक में नहीं होता है । इस पर माननीय सदस्यों ने भी अपनी मंशाएं जाहिर की हैं । मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करते हुए कि ऐसी कोई नई बात नहीं कही गई है जो लगातार 30 जून, 1985 तक व्यवस्था थी उसको बढ़ाकर 95 तक कर दिया गया है । आप सबसे निवेदन है कि इस बिल को पारित करने की कृपा करें ।

(श्री अमरमणि का नाम पुकारे जाने व अनुपस्थित होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

क्या आप अपना संकल्प वापस लेते है ?

श्री बाबूराम यादव–

मैं अपने संकल्प पर बल देता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) अध्यादेश 1997 का अननुमोदन करता है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1997 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1997 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्डशः विचार

खण्ड–2 से खण्ड–6 तक खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1997

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के अड़तालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, 1997 कहा जाएगा ।

(2) यह दिनांक 23 मई, 1997 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1951 की धारा 122-ख का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 में, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 122-ख में, उपधारा (4–च) में शब्द और अंक "30 जून, 1985" के स्थान पर शब्द और अंक "3 जून, 1995" रख दिये जायेंगे ।

धारा 123 का संशोधन

3–मूल अधिनियम की धारा 123 में, शब्द और अंक "30 जून, 1985", जहां कहीं भी आए हों, के स्थान पर शब्द और अंक "3 जून, 1995" रख दिये जायेंगे ।

4–मूल अधिनियम की धारा 157–क के पश्चात् निम्नलिखित धारा जोड़ दी जाएगी, अर्थात् :–

धारा 131-ख के अधीन भूमिधर हुए अनुसूचित जातियों के सदस्यों द्वारा प्रतिबंध

"157 कक–(1) धारा 157-क में किसी बात के होते हुए और धारा 153 से 157 में दिये गये प्रतिबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, किसी अनुसूचित जाति के किसी व्यक्ति को, जो धारा 131-ख के अधीन भूमिधर हुआ है, किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को विक्रय, दान, बन्धक या पट्टे पर भूमि अन्तरित करने का अधिकार नहीं होगा, और ऐसा अन्तरण यदि कोई अन्तरण पर हो, निम्नलिखित अधिमान के क्रम में होगा :–

नयी धारा 157-कक का बढ़ाया जाना

(क) भूमिहीन खेतिहर मजदूर;

(ख) सीमान्त कृषक;

(ग) लघु कृषक;

(घ) खण्ड (क), (ख) और (ग) में निर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न कोई व्यक्ति।

(2) उपधारा (1) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति के पक्ष में अन्तरण नीचे दिये गये अधिमान के क्रम से होगा। यदि खण्ड (क) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति उपलब्ध नहीं है तो उक्त उपधारा के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति को और यदि खण्ड (ख) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति भी उपलब्ध नहीं है तो उक्त उपधारा के खण्ड (ग) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति को और यदि खण्ड (ग) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति भी उपलब्ध नहीं है तो उक्त उपधारा के खण्ड (घ) में निर्दिष्ट व्यक्ति को अन्तरण उसी अधिमान के क्रम में किया जा सकता है :–

(क) प्रथमतः उसी गांव के निवासी को जिसमें भूमि स्थित है;

(ख) द्वितीयतः यदि खण्ड (क) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति उपलब्ध नहीं है तो किसी अन्य गांव के निवासी को जो उस पंचायत क्षेत्र के भीतर है जिसमें वह गांव समाविष्ट है जिसमें भूमि स्थित है;

(ग) तृतीयतः यदि खण्ड (क) और (ख) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति उपलब्ध नहीं है तो किसी गांव के निवासी को जो उस पंचायत क्षेत्र से लगा हुआ है जिसमें वह गांव समाविष्ट है जिसमें भूमि स्थित है।

(3) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई अनुसूचित जाति का व्यक्ति उपलब्ध नहीं है तो भूमि किसी अनुसूचित जन-जाति के व्यक्ति को उपधारा (1) और (2) में दिये गये अधिमान के क्रम में अन्तरित की जा सकती है।

(4) इस धारा के अधीन कोई अन्तरण संबंधित असिस्टेन्ट कलक्टर की पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं किया जायेगा ।

स्पष्टीकरण–इस धारा के प्रयोजनों के लिये, –

(1) "खेतिहर मजदूर" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसकी जीविका का मुख्य साधन खेती संबंधी मजदूरी हो;

(2) "भूमिहीन" का तात्पर्य ऐसे अन्तरिती से है जो स्वयं, या जिसकी पत्नी या पति, जैसी भी स्थिति हो, या अवयस्क बच्चे और जहां अन्तरिती अवयस्क है, उसके माता-पिता के पास भी भूमिधर या असामी के रूप में कोई भूमि न हो और अन्तरण के दिनांक से ठीक दो वर्ष पूर्व की अवधि में भी इस रूप में कोई भूमि न रही हो;

(3) "पंचायत क्षेत्र" का वही तात्पर्य है जो संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 में उसके लिये दिया गया है;

(4) "सीमान्त कृषक" का तात्पर्य किसी ग्राम में निवास करने वाले ऐसे व्यक्ति से है जिसके पास एक हेक्टेयर असिंचित भूमि से अनधिक कृषि भूमि हो; और जिसकी जीविका का मुख्य साधन कृषि भूमि या ऐसी भूमि पर शारीरिक श्रम द्वारा प्राप्त आय हो और उसमें असामी के रूप में या साझीदार के रूप में खेती करने वाला व्यक्ति सम्मिलित हैं;

(5) "लघु कृषक" का तात्पर्य गांव में निवास करने वाले ऐसे व्यक्ति से है जिसके पास एक हेक्टेयर से अधिक किन्तु दो हेक्टेयर से अनधिक असिंचित भूमि हो, और जिसकी जीविका का मुख्य साधन कृषि भूमि या ऐसी भूमि पर शारीरिक श्रम द्वारा प्राप्त आय हो और उसमें असामी के रूप में या साझीदार के रूप में खेती करने वाला व्यक्ति सम्मिलित हैं;

टिप्पणी–इस स्पष्टीकरण के खण्ड (4) और (5) के प्रयोजनों के लिये–

(क) एक हेक्टेयर सिंचित भूमि दो हेक्टेयर असिंचित भूमि के बराबर होगी;

(ख) "सिंचित भूमि" और "असिंचित भूमि" का तात्पर्य वही होगा, जो उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 में उनके लिये क्रमशः दिया गया है ।"

नई धारा 157-खख का बढ़ाया जाना

5–मूल अधिनियम की धारा 157-ख के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात् :–

धारा 131-ख के अधीन भूमिधर हुए अनुसूचित जन-जातियों के सदस्यों द्वारा अन्तरण पर प्रतिबन्ध

"157खख––(1) धारा 157-ख में किसी बात के होते हुए और धारा 153 से 157 में दिये गये प्रतिबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति को, जो 131-ख के अधीन भूमिधर हुआ है, किसी अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को विक्रय, दान, बन्धक या पट्टे पर भूमि अन्तरित करने का अधिकार नहीं होगा और ऐसा अन्तरण, यदि कोई हो, निम्नलिखित अधिमान के क्रम में होगा :–

(क) भूमिहीन खेतिहर मजदूर;

(ख) सीमान्त कृषक;

(ग) लघु कृषक;

(घ) खण्ड (क), (ख) और (ग) में निर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न कोई व्यक्ति ।

(2) उपधारा (1) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति के पक्ष में अन्तरण नीचे दिये गये अधिमान के क्रम से होगा । यदि खण्ड (क) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति उपलब्ध नहीं है तो उक्त उपधारा के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति को और यदि खण्ड (ख) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति भी उपलब्ध नहीं है तो उक्त उपधारा के खण्ड (ग) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति को और यदि खण्ड (ग) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति भी उपलब्ध नहीं है तो उक्त उपधारा के खण्ड (घ) में निर्दिष्ट व्यक्ति को अन्तरण उसी अधिमान के क्रम में किया जा सकता है :–

(क) प्रथमतः उसी गांव के निवासी को जिसमें भूमि स्थित है;

(ख) द्वितीयतः यदि खण्ड (क) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति उपलब्ध नहीं है तो किसी अन्य गांव के निवासी को, जो उस पंचायत क्षेत्र के भीतर हो जिसमें वह गांव समाविष्ट है जिसमें भूमि स्थित है;

(ग) तृतीयतः यदि खण्ड (क) और (ख) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति उपलब्ध नहीं है तो किसी गांव के निवासी को, जो उस पंचायत क्षेत्र से लगा हुआ है जिसमें वह गांव समाविष्ट है जिसमें भूमि स्थित है ।

(3) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति उपलब्ध नहीं है तो भूमि किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति को उपधारा (1) और (2) में दिये गये अधिमान के क्रम में अन्तरित की जा सकती है ।

(4) इस धारा के अधीन कोई अन्तरण संबंधित असिस्टेन्ट कलेक्टर की पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण–इस धारा के प्रयोजनों के लिये 'खेतिहर मजदूर', 'भूमिहीन', 'पंचायत क्षेत्र', 'सीमान्त कृषक' और 'लघु कृषक' का तात्पर्य वही होगा जो धारा 157-कक में क्रमशः उनके लिये है ।"

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 3 सन् 1997 — निरसन और अपवाद

6–(1) उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) अध्यादेश 1997 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी, मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–6 तक, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाएं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अशोक यादव–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1997 पारित किया जाय ?

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1997 पारित किया जाए ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश रुड़की विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1997

उच्च शिक्षा एवं प्राविधिक शिक्षा मंत्री (डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश रुड़की विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1997 पर विचार किया जाय ।

मान्यवर, वर्तमान सरकार प्राविधिक शिक्षा की गुणवत्ता, दक्षता के लिये कृतसंकल्प है हम सब इस बात से अवगत हैं कि हमारा रुड़की विश्वविद्यालय प्रदेश में ही नहीं देश के इंजीनियरिंग के क्षेत्र में एक उत्कृष्टतम विश्वविद्यालय है । इस संशोधन विधेयक के माध्यम से हम उसकी कार्यशैली में सुधार की दृष्टि से और उसके सिंडिकेट और सीनेट को कम करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रहे हैं। हमारे देश के अन्दर जितने आई० आई० टी० चलते हैं उसी के समरूप रुड़की विश्वविद्यालय की

कार्यशैली को करने जा रहे हैं । वहां का एकैडेमिक वातावरण ठीक हो उसके लिये विश्वविद्यालय में विद्या परिषद्, वित्त समिति और पुनर्विलोकन समिति के गठन करने का प्राविधान है । इसी तरह से अगर विश्वविद्यालय के अधिकारियों को किसी धन या सम्पत्ति की हानि के लिये अधिभार का प्राविधान इस विधेयक के माध्यम से करने की व्यवस्था कर रहे हैं ।

मान्यवर, पुनः यह कहना चाहता हूं कि हमारे सम्मानित सदस्य यहां पर उपस्थित हैं, कल मैंने उच्च शिक्षा के संबंध में एक विधेयक प्रस्तुत किया था और हमारी वर्तमान सरकार का पूरा प्रयास है कि उच्च शिक्षा में सुधार किया जाय और हमारे प्रदेश के जो इन्जीनियरिंग छात्र हैं वह अन्य प्रदेशों से आगे बढ़ सकें । इसी दृष्टि से इसकी सम्पूर्णता पर विचार करके 1948 के बाद रुड़की विश्वविद्यालय में वर्किंग ठीक हो, इसके लिये एक विधेयक लाया गया है । मैं सभी सम्मानित सदस्यों से अुनरोध करूंगा कि वे इस विधेयक का समर्थन करें ।

श्री अम्बरीश कुमार–

मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश रुड़की विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1997 को इस सदन की प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ।

मान्यवर, अभी जो बिल माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है यह बहुत ही विचारणीय है । रुड़की विश्वविद्यालय जिसका पहले नाम "थामसन कालेज आफ सिविल इन्जीनियरिंग" था, यह पूरे भारतवर्ष में ही नहीं एशिया में अभियांत्रिकी इन्जीनियरिंग की एक मात्र संस्था थी । जिसके कारण पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश आज समृद्ध है । जब गंगा नहर बनायी जा रही थी उसी के समकालीन यह कालेज बना था । एक विचारणीय प्रश्न यहां पर यह है कि आज हम तुलना कर रुड़की विश्वविद्यालय का स्तर आई० आई० टी० के समकक्ष लाना चाहते हैं जो सम्भवतः स्वतंत्र भारत में पार्लियामेंट के एक एक्ट द्वारा 1952 में अस्तित्व में आयी थी । एक बिन्दु यह उठता है कि जो संस्था एशिया की एकमात्र ऊंची संस्था थी और जिसका विश्व में नाम था आखिर उसके स्तर में गिरावट क्यों आयी ? दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर मैं माननीय मंत्री जी से अपील करना चाहता हूं कि यह केवल एक पार्टी का प्रश्न नहीं है, सरकार द्वारा प्रस्तुत बिल का प्रश्न नहीं है रुड़की विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का गौरव है और उत्तर प्रदेश के गौरव को बहाल करने का प्रश्न है तो दलगत राजनीति से अलग रहते हुए इसके कारणों की विस्तृत जांच करने के लिये एक कमेटी गठित होनी चाहिये । एक कम्प्रेहेंसिव बिल आये और प्रवर समिति में विचार हो ।

यह जो बिल प्रस्तुत कर रहे हैं उसमें प्रशासनिक ढांचे और शिक्षक वर्ग के ढांचे को सुधारने की ही बात है और इसमें इस संस्था को आई० आई० टी० के समकक्ष लाने की बात कही गयी है । अभी कुछ महीने पहले शायद अप्रैल माह में रुड़की विश्वविद्यालय के शिक्षणेतर कर्मचारी आन्दोलन की राह पर थे, कुछ उनकी समस्यायें थीं, मांगें थीं कि जब शिक्षकों को यू० जी० सी० का वेतनमान दिया जा रहा है तो यहां के शिक्षणेतर कर्मचारियों को उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारियों का वेतनमान क्यों दिया जा रहा है, यह विसंगति क्यों है ? इन विसंगतियों पर ध्यान आकृष्ट करने के लिये इन कर्मियों ने आन्दोलन का सहारा लिया । माननीय मंत्री जी इस बात से आप सहमत होंगे कि जब शिक्षण संस्थाओं में आन्दोलन का वातावरण बनता है, चाहे छात्र हों और चाहे शिक्षक हों, शिक्षणेतर कर्मचारी हों तो वहां का एकेडेमिक वातावरण प्रभावित होता है । मान्यवर, इसमें मैं कहना चाहता हूं कि एक प्रवर समिति बना दें जो सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद यह बिल यहां लाएं, तो मैं समझता हूं उससे आप अपने प्रदेश के गौरव को बचा सकते हैं और रुड़की विश्वविद्यालय की खोई हुई प्रतिष्ठा को आप बचा सकेंगे और तब

उसे आप आई० आई० टी० के समकक्ष ही नहीं बल्कि उसकी पुरानी जो प्रतिष्ठा थी वह बहाल हो सकेगी ।

इन शब्दों के साथ मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि उत्तर प्रदेश के हित में विचार करके इसे प्रवर समिति को सौंपने पर अपनी सहमति देंगे ।

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

मान्यवर, मैं प्राविधिक शिक्षा मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन विधेयक का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । वास्तव में यह महत्वपूर्ण बात संशोधनकर्ता ने रखा है कि रुड़की विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग का विश्वविद्यालय है जिसकी भारतवर्ष में ही नहीं अपितु एशिया में वह अपना एक स्थान रखता है । मान्यवर, इधर वैज्ञानिकों की बढ़ोत्तरी हुई है और आई० आई० टी० जैसे अन्य विश्वविद्यालय स्थापित हुए हैं । रुड़की विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा को देखते हुए मंत्री जी ने इस संशोधन विधेयक के जरिये इसमें कुछ सुधार लाने का प्रयास किया है । मान्यवर, बहुत दिनों से यह मांग की जा रही थी कि लेक्चरार को असिस्टेंट प्रोफेसर, रीडर को एसोशिएट प्रोफेसर के रूप में जाना जायेगा । इससे वहां के शिक्षकों की मांग जो बहुत दिनों से चली आ रही थी वह पूरी होगी और आई० आई० टी० और इसमें कोई अन्तर नहीं होगा । चूंकि आई० आई० टी० के लोग अपने को ऊपर समझते थे ।

मान्यवर, मंत्री जी ने बिल रखते समय ही कहा है कि सिनेट और सिंडीकेट में सदस्यों की संख्या को कम करके 130 और 125 की संख्या में रखा जायेगा, ताकि वैज्ञानिक भी वहां बैठकर विचार-विमर्श कर सकें । मान्यवर, अब वैज्ञानिकों को भी रखा जायेगा और जो उच्च शिक्षा प्राप्त वैज्ञानिक होंगे उनको बाहर से लाकर वहां रखा जायेगा जिससे दक्षता में वृद्धि हो । इस तरह कर्मचारियों और विश्वविद्यालय के हितों की बात इसमें रखी गयी है । मान्यवर, मंत्री जी ने जो बिल रखा है उससे रुड़की विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा बढ़ेगी और उसके स्वरूप एवं उसकी दक्षता में वृद्धि होगी ।

श्री समरपाल सिंह–

मान्यवर, रुड़की विश्वविद्यालय की जब स्थापना हुई थी तो केवल भारतवर्ष के अन्दर ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के अन्दर इसका नाम था । यहां से जो पढ़कर छात्र निकले, उन्होंने विदेशों में हमारे देश का नाम रौशन किया, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से इस विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा में गिरावट आई है, इसमें सुधार की आवश्यकता है ।आज जो विधेयक यहां लाया गया है, इस विधेयक के माध्यम से रुड़की विश्वविद्यालय के प्रबन्ध में कोई सुधार होगा, ऐसी कोई संभावना नहीं है । इसके 2-3 कारण हैं क्योंकि इस विधेयक के माध्यम से रुड़की विश्वविद्यालय को सरकार एक विभाग के रूप में स्थापित करने का प्रयास कर रही है, इससे सरकारी हस्तक्षेप बढ़ेगा और निश्चित रूप से उसके कामकाज में दखलन्दाजी होगी, जिससे स्तर नीचे गिरेगा । आज इसी कारण से तमाम आई० आई० टी० इससे आगे निकल गई ।

दूसरी बात मान्यवर कहना चाहता हूं कि यहां शिक्षा और अनुसंधान का जो कार्य हो वह विश्व स्तर का हो, वह तभी संभव है जब यहां सुधार हो, इसके लिये जरूरी है कि पूरे सोच विचार के बाद इस विधेयक को लाया जाय, विचार-विमर्श करके लाया जाय । एक बात और कहना चाहता हूं कि किसी भी विश्वविद्यालय के सफल संचालन के लिये 3 स्तम्भ होते हैं । नं० 1 छात्र, उसके बाद शिक्षक और तीसरे शिक्षणेतर कर्मचारी । इसमें जो वहां के कर्मचारी हैं, नान टीचिंग स्टाफ है, उनके वेलफेयर के लिये कोई प्राविधान नहीं रखा गया है । नान टीचिंग स्टाफ जब तक फ्रस्ट्रेशन में रहेगा, अगर उसका ठीक से गुजारा नहीं होगा तो इससे शिक्षा का कार्य भी प्रभावित होगा । एक बात और कहना चाहूंगा

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कि यह जो गठन किया गया सीनेट और सिंडीकेट का, वित्त समिति का, इसके संबंध में मैं पहले ही कह चुका हूं, यह सरकार की दखलन्दाजी बढ़ाने का प्रयास है ।मान्यवर, इस विश्वविद्यालय का पूरा खर्चा उत्तर प्रदेश सरकार वहन करती है लेकिन इस विश्वविद्यालय में ऐसा कोई प्राविधान नहीं है, जिससे उत्तर प्रदेश के छात्रों को प्रवेश के मामले में कोई प्राथमिकता दी जाय । इसका भी इसमें समावेश होना चाहिये । दूसरे प्रदेशों में जो विश्वविद्यालय हैं, वहां पर उस प्रदेश के छात्रों को प्रवेश में प्राथमिकता दी जाती है ।

हमारे प्रदेश के छात्र प्रवेश के लिये इधर-उधर भटका करते हैं । मैं चाहता हूं कि इस विश्वविद्यालय में उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों का कोटा फिक्स किया जाय, जिससे उनका प्रवेश हो सके । अन्यथा इसको केन्द्र सरकार को दे दिया जाय, केन्द्र सरकार इसका खर्चा वहन करे । एक बात और कहना चाहता हूं कि माननीय् मंत्री जी, इसके प्रबन्ध तंत्र में क्षेत्रीय विधायकों का भी योगदान होना चाहिये । उनको भी इसमें शामिल किया जाना चाहिये, ऐसा भी इस विधेयक में प्राविधान किया जाय । माननीय सदस्य अम्बरीष कुमार जी ने जो प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन करते हुए उस पर बल देता हूं ।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, अभी इसका समर्थन भी हुआ संशोधन का और विरोध भी हुआ । मैं एक बात माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जिस बात की तरफ समरपाल जी का संकेत था और जब हम इसका स्तर बढ़ाना चाहते हैं तो धन की कमी जरूर आड़े आती है और इस सदन में चर्चा भी हो रही है पार्क की, कहीं किसी जगह का कि वहां पर सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च हो रहा है । अगर संकल्प शक्ति के साथ यह तय कर लें कि जितनी आवश्यकता है उसको पूरा करेंगे और इसके सम्मान और गौरव को बढ़ाकर फिर इसको वापस उसी स्थिति में पहुंचाना है जहां पर था तो इसके लिए उचित यह होगा कि प्रवर समिति में इसको भेज दें सब चीजों पर विचार हो जाय चाहे किसी भी मद से काटकर क्यों न देना पड़े इसको धन दिया जाय तो मैं समझता हूं कि इस बिल की सार्थकता होगी और जिस उद्देश्य को लेकर मंत्री जी ने यहां पर बिल रखने की कृपा की है वह सार्थक हो जायेगा इस पर विचार करें और ह जो संशोधन प्रवर समिति में भेजने का है इसको स्वीकार करें, दलगत भावना से ऊपर उठकर अपना परिचय दें यही मैं कहना चाहता हूं ।

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मान्यवर, सम्मानित सदस्यों ने अपने विचार रखे सुझाव रखे, उसके संदर्भ में मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार का प्रयास है कि रुड़की विश्वविद्यालय की जो स्थिति पहले थी जो गरिमा पहले थी उससे आगे बढ़ाने के लिए सरकार कृत संकल्पित है । सिविल इंजीनियरिंग, आर्कीटेक्चरल इंजीनियरिंग आदि की शिक्षा का स्तर ऊंचा है । मान्यवर, जहां तक राजनीति की बात कही गई है मान्यवर, माननीय सदस्य अवगत होंगे कि यह विधेयक है, कोई भी विश्वविद्यालय हो महामहिम कुलाधिपति उसके सर्वोच्च अधिकारी होते हैं, जो कुलपति की नियुक्ति है वह भी उनके द्वारा होती है । सरकार का उसके एकेडमिक में भी कहीं कोई हस्तक्षेप नहीं होता है । यह मैंने कल भी कहा था कि विश्वविद्यालय की स्वायत्तता बरकरार रहनी चाहिए हर विश्वविद्यालय स्वतंत्र है ।

मान्यवर, कर्मचारियों और शिक्षकों के हितों के लिए ध्यान आकृष्ट किया गया । मैं बताना चाहता हूं कि पिछले 4 महीने के अन्दर चाहे इंजीनियरिंग कालेज हो या रुड़की विश्वविद्यालय हो हमने कई कदम कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए उठायें हैं । इंजीनियरिंग कालेज के बारे में बताना चाहता हूं कि इंजीनियरिंग कालेजों में शिक्षकों के कैरियर एडवांसमेन्ट के उद्देश्य से समयमान वेतनमान की अनुमन्यता

हेतु निर्धारित अवधि में संबंधित शिक्षक के एम०टेक० होने की दशा में दो वर्ष तथा पी०एच०डी० होने की दशा में 4 वर्ष की छूट अनुमन्य की है । जहां तक रुड़की विश्वविद्यालय के बारे में बताया गया, रुड़की विश्वविद्यालय में पुस्तकालयाध्यक्ष/उप पुस्तकालयाध्यक्ष/सहाक पुस्तकालयाध्यक्ष का वेतनमान पुनरीक्षित करते हुए क्रमशः प्रोफेसर रु० 4500–7300, रीडर रु० 3700–5700 तथा प्रवक्ता रु० 2200–4000 निर्धारित किया गया । मान्यवर, हमने बताया कि शिक्षणेतर कर्मचारी जो हैं और शिक्षक हैं या सभी के बारे में हमारी सरकार उनकी जो भी सेवा शर्तें हैं उसका सुधार करने के लिए कृतसंकल्प हैं । उसके लिए हमने कई कदम उठाये हैं उचित अवसर पर माननीय सदन को उसके बारे में अवगत कराएंगे । मान्यवर, माननीय सदस्य को शायद मालूम होगा कि आई०आई०टी० में जो ग्रेड दिए जा रहे हैं, वही रुड़की में दिए जा रहे हैं । आई०आई०टी० के समकक्ष रुड़की विश्वविद्यालय बने इसीलिए छोटा सा संशोधन विधेयक लाए हैं । जहां तक शिक्षणेतर कर्मचारियों की बात है, जो भी इंजीनियरिंग कालेज वगैरा हैं, उस प्रश्न पर हम विचार कर रहें हैं और निश्चित रूप से उसका उत्तर समय पर देंगे । अन्त में पुनः निवेदन करूंगा कि रुड़की विश्वविद्यालय देश का ही नहीं विश्व का एक गौरवमयी संस्थान है । जो आपका प्रस्ताव है उसे कृपया वापस ले लें । और इस विधेयक का समर्थन करें ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय अम्बरीष कुमार जी अपना प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ।

श्री अम्बरीष कुमार–

मैं इस पर बल देता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश रुड़की विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1997 को इस सदन की प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें। समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिए जाएंगे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश रुड़की विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1997 पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्डशः विचार

खण्ड–2 से खण्ड–17 तक खण्ड–1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश रुड़की विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1997

रुड़की विश्वविद्यालय ऐक्ट, 1947 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

चूंकि इंजीनियरिंग और विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में रुड़की विश्वविद्यालय की एक शानदार विरासत और परम्परा रही है और उसने एक प्रतिष्ठित स्थिति प्राप्त कर ली है;

और चूंकि विश्वविद्यालय को उत्कर्ष के केन्द्र के रूप में विकसित करने की दृष्टि से उसकी विद्या परिषद् और वित्त समिति का गठन करने और उसकी सिनेट

और सिंडीकेट को पुनर्गठित करने के लिए और विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली को सुकर तथा दक्षतर बनाने के लिए रुड़की विश्वविद्यालय ऐक्ट में अन्य संशोधन करना आवश्यक हो गया है;

अतएव अब, भारत गणराज्य के अड़तालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता हैं :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश रुड़की विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1997 कहा जायेगा ।

(2) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करे ।

संयुक्त प्रान्त ऐक्ट संख्या 9 सन् 1948 की धारा 2 का प्रतिस्थापन

2–रुड़की विश्वविद्यालय (यूनिवर्सिटी) ऐक्ट, 1947 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात् :–

परिभाषायें

"2–इस ऐक्ट में––

(क) 'विद्या परिषद्' का तात्पर्य विश्वविद्यालय की विद्या परिषद् से है ;

(ख) 'शैक्षणिक विभाग (एकेडेमिक डिपार्टमेन्ट)' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के किसी शिक्षण विभाग से है जिसमें ऐसा शिक्षण दिया जाता है जिसकी परिणति स्नातक या स्नातकोत्तर डिग्री या डिप्लोमा में होती है ;

(ग) 'शैक्षणिक केन्द्र' का तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित किसी ऐसे विद्यालय, केन्द्र, प्रयोगशाला, संस्थान या ऐसी ही किसी संस्था से है जिसमें अनुसंधान, शिक्षण या प्रशिक्षण का कार्य किया जाता हो, किन्तु जो खण्ड (ख) के अधीन न आता हो ;

(घ) 'अध्ययन बोर्ड' का तात्पर्य किसी शैक्षणिक विभाग या शैक्षणिक केन्द्र के अध्ययन बोर्ड से है जो रेगुलेशन के अनुसार गठित किया गया हो ;

(ङ) 'संकायाध्यक्ष' का तात्पर्य रेगुलेशन के अनुसार नियुक्त किसी संकायाध्यक्ष से है ;

(च) 'निदेशक या समन्वयकर्त्ता' का तात्पर्य रेगुलेशन के अनुसार इस रूप में नियुक्त शैक्षणिक केन्द्र के निदेशक या समन्वयकर्ता से है ;

(छ) 'वित्त समिति' का तात्पर्य विश्वविद्यालय की वित्त समिति से है ;

(ज) 'शैक्षणिक विभागाध्यक्ष' का तात्पर्य रेगुलेशन के अनुसार नियुक्त किसी शैक्षणिक विभाग के अध्यक्ष से है ;

(झ) 'छात्रालय' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिये विश्वविद्यालय द्वारा पोषित या मान्यता प्राप्त निवास की इकाई से है ;

(ञ) 'रजिस्टर्ड ग्रेजुएट' का तात्पर्य धारा 20 के अधीन सिंडीकेट द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार रजिस्टर्ड ग्रेजुएट से है;

(ट) 'रेगुलेशन' का तात्पर्य धारा 21 के अधीन सिंडीकेट द्वारा बनाये गये रेगुलेशन से है;

(ठ) 'नियम' का तात्पर्य धारा 20 के अधीन सिंडीकेट द्वारा बनाये गये नियम से है;

(ड) 'अध्यापक (टीचर)' का तात्पर्य प्रोफेसर, एसोसियेट प्रोफेसर, असिस्टेन्ट प्रोफेसर, रीडर, लेक्चरर या ऐसे अन्य व्यक्ति से है जो विश्वविद्यालय में शिक्षण का कार्य करता हो;

(ढ) 'विश्वविद्यालय' का तात्पर्य इस ऐक्ट के अधीन स्थापित रुड़की विश्वविद्यालय से है।"

धारा 3 का संशोधन

3–मूल अधिनियम की धारा 3 में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्––

"(1) विश्वविद्यालय के चांसलर, वाइस-चांसलर, प्रो-वाइस-चांसलर, यदि कोई हो और सिनेट, सिंडीकेट, विद्या परिषद् और वित्त समिति के सदस्य जो विश्वविद्यालय में तत्समय ऐसे पद धारण कर रहे हों, रुड़की विश्वविद्यालय नामक एक निगमित निकाय गठित होगा।"

धारा 4 का संशोधन

4–मूल अधिनियम की धारा 4 में,––

(एक) खण्ड (2) में, उपखण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात्––

"(क) जिन्होंने विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की हो या कुछ शिक्षा विश्वविद्यालय में और कुछ किसी ऐसी संस्था में प्राप्त की हो जिसको विश्वविद्यालय ने इस निमित्त स्वीकृति प्रदान की हो ; या

(कक) जिन्होंने विश्वविद्यालय में या विश्वविद्यालय द्वारा इस निमित्त स्वीकृत किसी संस्थान में अनुसंधान कार्य किया हो ; या";

(दो) खण्ड (6) में शब्द "प्रोफेसरों" के पश्चात् शब्द "एसोसियेट प्रोफेसरों, असिस्टेन्ट प्रोफेसरों" बढ़ा दिये जायेंगे।

(तीन) अन्त में निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्––

"परन्तु विश्वविद्यालय राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना किसी स्थावर सम्पत्ति का अन्तरण, बिक्री, दान, बन्धक या तीस वर्ष से अधिक अवधि के लिये पट्टे के रूप में नहीं करेगा।"

धारा 7-क का बढ़ाया जाना

5–मूल अधिनियम की धारा 7 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्––

"7–क–(1) विश्वविद्यालय के सम्पूर्ण कार्य का पुनर्विलोकन करने के विश्वविद्यालय की लिये विश्वविद्यालय की एक पुनर्विलोकन समिति विश्वविद्यालय की होगी।

पुनर्विलोकन समिति

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट समिति में नौ सदस्य होंगे जो चांसलर द्वारा, उन व्यक्तियों में से जिन्होंने इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी या विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त की हो, नामजद किये जायेंगे।

(3) पुनर्विलोकन समिति के सदस्य चांसलर के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेंगे और ऐसी सुविधायें और मानदेय प्राप्त करेंगे जैसा नियमों द्वारा निर्धारित किया जाय।

(4) उपधारा (1) के अधीन रहते हुए, उसमें निर्दिष्ट समिति उत्तर प्रदेश रुड़की विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1997 के प्रारम्भ के दिनांक से प्रत्येक तीन वर्ष की समाप्ति पर विश्वविद्यालय के शैक्षिक कार्य का स्वतंत्र रूप से पुनर्विलोकन करेगी और अपनी रिपोर्ट चांसलर को प्रस्तुत करेगी जो उस पर ऐसी कार्यवाही कर सकेगा जैसी वह ऐक्ट के अधीन समीचीन और आवश्यक समझे ।''

धारा 10 का प्रतिस्थापन

6–मूल अधिनियम की धारा 10 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात्––

वाइसचांसलर

''10–(1) चांसलर, वाइसचांसलर की नियुक्ति न्यूनतम तीन ऐसे इंजीनियरों, वैज्ञानिकों या प्रौद्योगिकीविदों की सूची में से करेगा जिन्हें कोई ऐसी कमेटी मनोनीत करे जिसमें इंडियन नेशनल अकेडेमी आफ इंजीनियर्स के प्रेसीडेन्ट या इंस्टीट्यूशन आफ इंजीनियर्स (इंडिया) के प्रेसीडेन्ट और राज्य सरकार के नियुक्त किये हुए दो अन्य सदस्य सम्मिलित हों। वाइसचांसलर ऐसे निबन्धनों पर ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए अपने पद पर आरूढ़ रहेगा, जैसी नियमों द्वारा निर्धारित की जाये ।

(2) जहां छुट्टी पर जाने या रोगग्रस्त होने या किसी अन्य कारण से वाइसचांसलर का पद अस्थायी रूप से खाली हो जाय, और

(एक) ऐसी रिक्ति दो मास से अनधिक की अवधि के लिये है, वहां प्रो-वाइस-चांसलर यदि कोई नियुक्त हो, या यदि कोई प्रो-वाइस-चांसलर न हो या प्रो-वाइस-चांसलर भी अनुपस्थित हो तो विश्वविद्यालय का ज्येष्ठतम प्रोफेसर दो मास की अवधि की समाप्ति तक या वाइस-चांसलर के पद की रिक्ति भरने तक या प्रो-वाइस-चांसलर, यदि कोई हो, के कार्यभार ग्रहण करने तक, इनमें जो भी पहले हो, वाइस-चांसलर की शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्य का पालन करेगा ?

(दो) ऐसी रिक्ति दो मास से अधिक अवधि के लिये है, वहां चांसलर किसी उपयुक्त इंजीनियर, वैज्ञानिक या प्रोद्योगिकीविद को वाइस-चांसलर के पद पर छः मास से अनधिक अवधि के लिए जो समय-समय पर एक वर्ष की कुल अवधि तक के लिये, जिसमें मूल आदेश में नियत अवधि भी है, बढ़ाई जा सकती है, नियुक्त कर सकता है ।''

धारा 11 का संशोधन

7–मूल अधिनियम की धारा 11 में,––

(क) उपधारा (1) में, शब्द ''सिंडीकेट का मेम्बर और उसका चेयरमैन होगा और'' के स्थान पर शब्द ''सिंडीकेट का मेम्बर और विद्या और वित्त समिति का चेयरमैन होगा और'' रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (3) में शब्द ''सीनेट और सिंडीकेट'' के स्थान पर शब्द ''सिनेट, सिंडीकेट, विद्या परिषद् और वित्त समिति'' रख दिये जायेंगे ।

धारा 12 का प्रतिस्थापन

8–मूल अधिनियम की धारा 12 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात्––

प्रो-वाइस–चांसलर

''12–(1) वाइस-चांसलर, यदि वह आवश्यक समझे, विश्वविद्यालय के दस ज्येष्ठतम प्रोफेसरों में से एक को प्रो-वाइस-चांसलर नियुक्त कर सकता है ।

(2) प्रो-वाइस-चांसलर, प्रोफेसर के रूप में अपने कर्तव्यों के अतिरिक्त अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा ।

(3) प्रो-वाइस-चांसलर, वाइस-चांसलर के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेगा ।

(4) प्रो-वाइस-चांसलर ऐसी सुविधायें और ऐसा मानदेय प्राप्त करेगा, जैसा नियमों द्वारा निर्धारित किया जाय ।

(5) प्रो-वाइस-चांसलर ऐसी विषयों में, जैसे वाइस-चांसलर द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किये जायं, वाइस-चांसलर की सहायता करेगा, ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जैसे वाइस-चांसलर द्वारा सौंपे या प्रत्यायोजित किये जायें और वाइस-चांसलर की अनुपस्थिति में वाइस-चांसलर की शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करेगा ।''

धारा 13 का संशोधन

9–मूल अधिनियम की धारा 13 में, शब्द ''सिनेट और सिंडीकेट के सेक्रेटरी की हैसियत से काम करेगा'' के स्थान पर शब्द ''सिनेट, सिंडीकेट, वित्त समिति और विद्या परिषद् के सेक्रेटरी की हैसियत से काम करेगा और नियमों द्वारा निर्धारित रीति से नियुक्त किया जायेगा ।'' रख दिये जायेंगे ।

धारा 15 का संशोधन

10–मूल अधिनियम की धारा 15 में, खण्ड (2) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात्––

''(2–क) विद्या परिषद्' ;

(2–ख) वित्त समिति ।''

धारा 16 का प्रतिस्थापन

11–मूल अधिनियम की धारा 16 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात्––

''16–(1) सिनेट में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्––

सिनेट

श्रेणी–एक–पदेन-सदस्य :––

(एक) चांसलर ;

(दो) वाइस-चांसलर ;

(तीन) प्रो-वाइस-चांसलर, यदि कोई हो ;

(चार) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, प्राविधिक शिक्षा विभाग या उसके द्वारा नामजद व्यक्ति जो संयुक्त सचिव स्तर से कम का न हो ;

(पांच) समस्त संकायाध्यक्ष ;

(छः) समस्त शैक्षणिक विभागों के अध्यक्ष और समस्त शैक्षणिक केन्द्रों के निदेशक या समन्वयकर्ता ;

(सात) रजिस्ट्रार ;

श्रेणी–दो–आजीवन सदस्य :––

(आठ) तीन से अनधिक व्यक्ति, जिनको चांसलर नाम से इस कारण आजीवन सदस्य नियुक्त करे कि उन्होंने इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिक विज्ञान या शिक्षा में विशिष्टता प्राप्त की है या उनकी प्रशंसनीय सेवा की है ;

(नौ) ऐसे समस्त व्यक्ति जिन्होंने विश्वविद्यालय को या उसके उद्देश्यों के लिये कम से कम दस लाख रुपये दान दिया है ;

(दस) ऐसे समस्त व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश रुड़की विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1997 के प्रारम्भ के दिनांक को आजीवन सदस्य हों ;

श्रेणी–तीन–संसद और राज्य विधान मण्डल के प्रतिनिधि :–

(ग्यारह) लोक सभा के दो सदस्य, जिन्हें लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा नामजद किया जायेगा;

(बारह) राज्य सभा का एक सदस्य, जिसे राज्य सभा के सभापति द्वारा नामजद किया जायेगा;

(तेरह) राज्य विधान सभा के चार सदस्य जिन्हें उसके द्वारा निर्वाचित किया जायेगा ;

(चौदह) राज्य विधान परिषद् के दो सदस्य जिन्हें उसके द्वारा निर्वाचित किया जायेगा;

श्रेणी–चार–रजिस्टर्ड ग्रेजुएट :–

(पन्द्रह) विश्वविद्यालय के रजिस्टर्ड ग्रेजुएटों के दस प्रतिनिधि, जिन्हें नियमों द्वारा निर्धारित रीति से निर्वाचित किया जायेगा;

श्रेणी–पांच–अध्यापकों के प्रतिनिधि :–

(सोलह) विश्वविद्यालय के तीस अध्यापक, उनके सिवाय जो किसी अन्य हैसियत में उसके पहले से सदस्य हों, जो अपने में से निर्वाचित किये जायेंगे । अध्यापकों की विभिन्न श्रेणियों की संख्या और उनके निर्वाचन की रीति ऐसी होगी जैसी नियमों द्वारा निर्धारित की जाय :

परन्तु इस प्रकार एक बार निर्वाचित सदस्य की सदस्यता उस अवधि के दौरान जिसके लिये वह इस प्रकार निर्वाचित किया गया था, केवल इस कारण से समाप्त नहीं हो जायेगी कि उसे अध्यापकों की किसी उच्चतर श्रेणी में नियुक्त कर दिया गया था ;

श्रेणी–छः–शिक्षणेतर कर्मचारियों के प्रतिनिधि :–

(सत्रह) विश्वविद्यालय के शिक्षणेतर कर्मचारियों के चार प्रतिनिधि, जिन्हें वाइसचांसलर द्वारा नामजद किया जायेगा;

श्रेणी–सात–राज्य सरकार द्वारा नामजद किये जाने वाले अन्य सदस्य, जो निम्नलिखित विशेष हितों या क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हों, अर्थात् :–

(अठारह) इन्स्टीट्यूशन आफ इंजीनियर्स (इंडिया) का एक प्रतिनिधि;

(उन्नीस) सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों, निगमों, अनुसंधान, रक्षा (डिफेन्स) या अन्य संगठनों के छः प्रतिनिधि;

(बीस) निजी क्षेत्र के उद्योगों या संगठनों के तीन प्रतिनिधि;

(इक्कीस) रेलवे और राज्य सरकार के सिंचाई और लोक निर्माण विभागों के एक-एक प्रतिनिधि;

(बाईस) विश्वविद्यालय के आस-पास के औद्योगिक संगठनों के दो प्रतिनिधि;

(तेईस) विश्वविद्यालय के आस-पास के अनुसंधान संस्थाओं के दो प्रतिनिधि;

(चौबीस) विश्वविद्यालय के विभिन्न शैक्षिक विषयों (डिसिप्लिन) के वृत्तिक निकाओं के दो प्रतिनिधि ;

(पच्चीस) राज्य के विश्वविद्यालयों, संस्थानों और महाविद्यालयों के, जिनमें इंजीनियरिंग या टेक्नोलाजी में डिग्री पाठ्यक्रम हो, क्रमशः वाइसचांसलरों, डाइरेक्टरों और प्रिन्सिपलों में से तीन प्रतिनिधि ;

(2) उपधारा (1) में, निर्दिष्ट श्रेणी तीन, चार, पांच और सात के किसी सदस्य की पदावधि तीन वर्ष होगी और उक्त उपधारा में निर्दिष्ट श्रेणी छः के सदस्य की पदावधि, एक वर्ष होगी जो, यथास्थिति, उसके निर्वाचन या नामजद किये जाने के पश्चात सिनेट की प्रथम बैठक होने के दिनांक से प्रारम्भ होगी ।

(3) कोई व्यक्ति जो सिनेट का सदस्य (चाहे निर्वाचन या नामजदगी द्वारा) कोई पद विशेष धारण करने के आधार पर हुआ हो, इस बात के होते हुये भी कि उसकी पदावधि, यदि कोई हो, समाप्त नहीं हुई है, ऐसे पद विशेष पर न रह जाने पर ऐसा सदस्य नहीं रह जायेगा ।''

धारा 18 का प्रतिस्थापन

12–मूल अधिनियम की धारा 18 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात्–

''18–(1) सिंडीकेट विश्वविद्यालय की इक्जीक्यूटिव बाडी होगी ।

सिंडीकेट

(2) सिंडीकेट में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्–

(क) वाइसचांसलर ;

(ख) प्रो–वाइस-चांसलर, यदि कोई नियुक्त हों,

(ग) तीन विभागाध्यक्ष और शैक्षणिक केन्द्रों का एक निदेशक या समन्वयकर्ता, जो नियमों द्वारा निर्धारित रीति से चक्रानुक्रम से विद्या परिषद् द्वारा नामजद किये जायेंगे ;

(घ) छात्र कल्याण का संकायाध्यक्ष ;

(ङ) अध्यापकों के नौ प्रतिनिधि, सिवाय उनके जो किसी अन्य हैसियत में सिंडीकेट के पहले से सदस्य हों, जिन्हें सिनेट द्वारा निर्वाचित किया जायेगा । अध्यापकों की विभिन्न श्रेणियों की संख्या और उनके निर्वाचन की रीति ऐसी होगी जैसी नियमों द्वारा निर्धारित की जाय ;

(च) चार व्यक्ति जिन्हें सिनेट द्वारा अपने ऐसे सदस्यों में से जो विश्व-विद्यालय की सेवा में न हों, निर्वाचित किया जायेगा ;

(छ) सुविख्यात इंजीनियरों और वास्तुविदों (आर्किटेक्टों) में से दो व्यक्ति जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हों, जिन्हें नियमों द्वारा निर्धारित रीति से चांसलर द्वारा नामजद किया जायेगा ;

(ज) सुविख्यात शिक्षाविदों और वैज्ञानिकों में से दो व्यक्ति जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हों, जिन्हें नियमों द्वारा निर्धारित रीति से चांसलर द्वारा नामजद किया जायेगा ;

(झ) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, प्राविधिक शिक्षा विभाग या उसके द्वारा नामजद व्यक्ति जो संयुक्त सचिव स्तर से कम का न हो ।

(3) उपधारा (2) के खण्ड (ग), (ङ), (च), (छ) और (ज) में निर्दिष्ट सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष होगी जो यथास्थिति, उसके निर्वाचन या नामजद किये जाने के पश्चात् सिनेट की प्रथम बैठक होने के दिनांक से प्रारम्भ होगी ।

(4) कोई व्यक्ति जो सिनेट का सदस्य (चाहे निर्वाचन या नामजदगी द्वारा) कोई पद विशेष धारण करने के आधार पर हुआ हो, इस बात के होते हुये भी, कि उसकी पदावधि यदि कोई हो, समाप्त नहीं हुई है, ऐसे पद विशेष पर न रह जाने के कारण ऐसा सदस्य नहीं रह जायेगा ।''

धारा 19 का संशोधन

13–मूल अधिनियम की धारा 19 में, उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप धारा रख दी जायेगी, अर्थात् ।

''(3) सिंडीकेट अध्यापकों की संख्या और अर्हताओं और एक्जामिनरों को देय फीस के सम्बन्ध में विद्या परिषद् की संस्तुति पर विचार किये बिना कोई विनिश्चय नहीं करेगा ।''

नई धारा 19-क, 19-ख, 19-ग, और 19-घ का बढ़ाया जाना

14–मूल अधिनियम की धारा 19 के पश्चात् निम्नलिखित धारायें बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात्–

''19–क–(1) विद्या परिषद्, विश्वविद्यालय की प्रमुख शैक्षणिक निकाय विद्या परिषद् होगी ;

(2) विद्या परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्–

श्रेणी–एक–पदेन सदस्य :–

(एक) वाइसचांसलर;

(दो) प्रो-वाइस-चांसलर, यदि कोई नियुक्त हो;

(तीन) समस्त शैक्षणिक विभागों के विभागाध्यक्ष;

(चार) समस्त शैक्षणिक केन्द्रों के निदेशक या समन्वयकर्ता;

(पांच) पुस्तकालयाध्यक्ष;

(छः) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा नामजद एक व्यक्ति;

(सात) भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग का एक नामजद व्यक्ति;

(आठ) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, प्राविधिक शिक्षा विभाग, या उसके द्वारा नामजद व्यक्ति, जो संयुक्त सचिव के स्तर से कम का न हो;

(नौ) समस्त संकायाध्यक्ष;

(दस) रजिस्ट्रार;

श्रेणी–दो–अध्यापकों के प्रतिनिधि :–

(ग्यारह) विश्वविद्यालय के पांच ज्येष्ठतम प्रोफेसर;

(बारह) प्रत्येक शैक्षणिंक विभाग से दो अध्यापक, जो ज्येष्ठताक्रम में, चक्रानुक्रम से, वाइसचांसलर द्वारा नामजद किये जायेंगे :

परन्तु केवल ऐसे लेक्चरर नामजदगी के लिए पात्र होंगे जिन्हें लेक्चरर के रूप में या समकक्ष क्षमता में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव हो;

श्रेणी–तीन–चांसलर के नामजद व्यक्ति :–

(तेरह) वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों, टेक्नालाजिस्टों, इंजीनियरों और वास्तुविदों (आर्किटेक्टों) में से चांसलर द्वारा नामजद पांच से अनधिक व्यक्ति;

(चौदह) विश्वविद्यालयों, संस्थानों और महाविद्यालयों के, जिनमें इंजीनियरिंग या टेक्नालाजी में डिग्री पाठ्यक्रम हो,क्रमशः वाइसचांसलरों, निदेशकों और प्रिंसिपलों में से चांसलर द्वारा नामजद पांच से अनधिक व्यक्ति;

श्रेणी–चार–औद्योगिक या वाणिज्यिक संगठनों के प्रतिनिधि :–

(पन्द्रह) राज्य सरकार द्वारा नामजद किये जाने वाले औद्योगिक या वाणिज्यिक संगठनों के दो प्रतिनिधि;

(3) उपधारा (2) के खण्ड (बारह), (तेरह), (चौदह) और (पन्द्रह) निर्दिष्ट किसी सदस्य की पदावधि तीन वर्ष होगी जो उसकी नामजदगी के पश्चात् विद्या परिषद् की प्रथम बैठक होने के दिनांक से प्रारम्भ होगी ।

(4) कोई व्यक्ति जो विद्या परिषद् का सदस्य (चाहे निर्वाचन या नामजदगी द्वारा कोई) पद विशेष धारण करने के आधार पर हुआ हो, इस बात के होते हुये भी कि उसकी पदावधि, यदि कोई हो, समाप्त नहीं हुई है, ऐसे पद विशेष पर न रह जाने के कारण ऐसा सदस्य नहीं रह जायेगा ।

विद्या परिषद् की शक्ति और कर्तव्य

19–ख–विद्या परिषद् इस ऐक्ट, नियमों और रेगुलेशनों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये

(क) समस्त शैक्षणिक विषयों से संबंधित उपबन्धों को रेगुलेशन में सम्मिलित किये जाने के लिये सिंडीकेट को संस्तुति करेगी;

(ख) विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों के प्रवेश और विश्वविद्यालय की परीक्षाओं का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करेगी;

(ग) शैक्षणिक विभाग और शैक्षणिक केन्द्रों के सृजन या उत्सादन या आमेलन या विभाजन के लिए प्रस्तावों पर विचार करेगी और सिंडीकेट को उनकी सिफारिश करेगी;

(घ) विश्वविद्यालय में किये जा रहे या दिये जा रहे शिक्षण, शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसन्धान के स्तर का नियंत्रण, विनियमन और अनुरक्षण करेगी;

(ङ) अध्ययन बोर्ड के कार्य संचालन का समन्वयन करेगी और विश्वविद्यालय में शिक्षण और परीक्षा की प्रणाली के सम्बन्ध में उनके प्रस्तावों की समीक्षा और अनुमोदन करेगी;

(च) पी०एच०डी० अभ्यर्थियों के एक्जामिनरों की सिफारिशों की संवीक्षा और उनका अनुमोदन करेगी;

(छ) अध्यापकों की संख्या और उनकी अर्हताओं और एक्जामिनरों को देय फीस के संबंध में सिंडीकेट को सलाह देगी;

(ज) अन्य विश्वविद्यालयों और संस्थाओं के प्रमाण-पत्रों, डिप्लोमाओं और डिग्रियों की मान्यता के संबंध में जैसा कि नियमों और रेगुलेशनों में निर्धारित है, अनुमोदन करेगी;

(झ) ऐसे विषयों पर विचार करेगी और अपनी सिफारिशें देगी जो सिनेट या सिंडीकेट द्वारा उसको निर्दिष्ट किये जायं;

(ञ) शैक्षणिक विषयों के संबंध में समस्त ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगी, जो इस ऐक्ट नियमों और रेगुलेशनों के उपबन्धों के समुचित कार्यान्वयन के लिए आवश्यक हों;

(ट) विश्वविद्यालय की शिक्षण पद्धति में सेवायोजक संगठनों द्वारा बदलाव की अपेक्षाओं का निर्धारण करने के लिए उनसे सम्पर्क बनाये रखेगी ।

19-ग (1) वित्त समिति में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात्—

वित्त समिति

(क) वाइसचांसलर;

(ख) प्रो-वाइस-चांसलर, यदि कोई हो;

(ग) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, वित्त विभाग या उसके द्वारा नामजद व्यक्ति जो संयुक्त सचिव के स्तर से कम का न हो;

(घ) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, प्राविधिक शिक्षा विभाग या उसके द्वारा नामजद व्यक्ति जो संयुक्त सचिव के स्तर से कम का न हो;

(ङ) सिंडीकेट के संकल्प द्वारा नामजद किये जाने वाले पांच व्यक्ति जिनमें से दो सिंडीकेट के सदस्यों से भिन्न ऐसे व्यक्ति होंगे जिनकी शिक्षा और वित्त में रुचि हो;

(च) मुख्य लेखा अधिकारी;

(छ) रजिस्ट्रार ।

(2) खण्ड (ङ) में निर्दिष्ट सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष होगी जो उसकी नामजदगी के पश्चात् वित्त समिति की प्रथम बैठक होने के दिनांक से प्रारम्भ होगी :

परन्तु कोई व्यक्ति जो सिंडीकेट का सदस्य होने के आधार पर सदस्य हुआ हो इस बात के होते हुए भी कि उसकी पदावधि यदि कोई हो, समाप्त नहीं हुई है, सिंडीकेट का सदस्य न रह जाने के कारण ऐसा सदस्य नहीं रह जायेगा ।

वित्त समिति की शक्ति और कर्तव्य

19-घ (1) वित्त समिति इस ऐक्ट, नियमों और रेगुलेशनों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का सम्पादन करेगी :-

(क) विश्वविद्यालय के वार्षिक बजट को बनाना और उसके लिए निधि का आवंटन ।

(ख) सहायता अनुदान से भिन्न अतिरिक्त आय के स्रोतों को उत्पन्न करना;

(ग) विश्वविद्यालय निधि का विनियोजन करने के लिए विश्वविद्यालय को सलाह देना;

(घ) ऐसे अन्य विषय जो उसे सिंडीकेट द्वारा निर्दिष्ट किये जायं ।

(2) वित्त समिति की ऐसी अन्य शक्तियां और कर्तव्य होंगे जो नियमों के अधीन उसे सौंपे जायं ।"

धारा 28 और 29 का प्रतिस्थापन

15-मूल अधिनियम की धारा 28 और 29 के स्थान पर निम्नलिखित धारायें रख दी जायेंगी, अर्थात्--

"28-उत्तर प्रदेश रुड़की विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1997 के संक्रमणकालीन प्रारम्भ होने पर-

उपबन्ध

(एक) राज्य सरकार, यथाशक्य शीघ्र किन्तु ऐसे प्रारम्भ से एक वर्ष के पश्चात् नहीं, धारा 19-क के उपबन्धों के अनुसार विद्या परिषद् के गठन के लिए कार्यवाही करेगी और जब तक विद्या परिषद् का इस प्रकार गठन न हो जाय, तब तक विद्या परिषद् के कृत्यों का पालन सिंडीकेट द्वारा किया जायगा;

(दो) सिनेट के सदस्य (उनमें भिन्न जो विश्वविद्यालय के अफसर या आजीवन सदस्य हों) ऐसे सदस्य के रूप में पद पर नहीं रहेंगे और राज्य सरकार यथाशक्य शीघ्र किन्तु ऐसे प्रारम्भ से एक वर्ष के पश्चात् नहीं, धारा–16 के उपबन्धों के अनुसार सिनेट के पुनर्गठन के लिए कार्यवाही करेगी और जब तक ऐसा पुनर्गठन न हो जाय तब तक सिनेट में पदेन सदस्य, आजीवन सदस्य और सिंडीकेट के ऐसे सदस्य होंगे जो खण्ड (तीन) के अधीन राज्य सरकार द्वारा नामजद किए गये हों;

(तीन) वाइस-चांसलर और प्रो-वाइस-चांसलर से भिन्न सिंडीकेट के सदस्य, ऐसे सदस्य के रूप में पद पर नहीं रहेंगे और राज्य सरकार, यथाशक्य शीघ्र, किन्तु ऐसे प्रारम्भ से एक वर्ष के पश्चात् नहीं, धारा 18 के उपबन्धों के अनुसार सिंडीकेट के पुनर्गठन के लिए कार्यवाही करेगी और जब तक ऐसा पुर्नगठन न हो जाय तब तक सिंडीकेट में वाइस-चांसलर, प्रो-वाइस-चांसलर, छात्र-कल्याण का संकायाध्यक्ष, सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, प्राविधिक शिक्षा विभाग और ऐसे सदस्य होंगे जो धारा 18 की उपधारा (2) के खण्ड (ग), (ङ), (च), (छ) और (ज) में निर्दिष्ट श्रेणियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए राज्य सरकार द्वारा नामजद किये गये हों।

अधिभार

29–(1) चांसलर के सिवाय, विश्वविद्यालय का कोई अफसर विश्वविद्यालय के किसी धन या सम्पत्ति की हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोजन के अधिभार का देनदार होगा, यदि ऐसी हानि, दुर्व्यय का दुरुपयोजन ऐसे अफसर के रूप में कार्य करते हुए उसकी उपेक्षा या कदाचरण का प्रत्यक्ष परिणाम हो;

(2) अधिभार की प्रक्रिया और ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोजन में अन्तर्ग्रस्त धनराशि की वसूली की रीति ऐसी होगी, जैसी राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित आदेश द्वारा निर्धारित की जाय।"

धारा 31 का प्रतिस्थापन

16–मूल अधिनियम की धारा 31 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात्–

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

"31–(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों के कार्यान्वयन में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार उत्तर प्रदेश रुड़की विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1997 के प्रारम्भ होन से दो वर्ष की अवधि के भीतर, अधिसूचित आदेश द्वारा, ऐसे उपबन्ध कर सकती है जो अधिनियम, 1997 द्वारा यथासंशोधित इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो, और जो उसे कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो।

(2) उपधारा (1) के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष, यथाशक्य शीघ्र रखा जायेगा और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (1) के उपबन्ध उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे उत्तर प्रदेश के किसी अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के संबंध में लागू होते हैं।"

धारा 32 का संशोधन — 17–मूल अधिनियम की धारा 32 में शब्द "सिंडीकेट या सिनेट" के स्थान पर शब्द "सिनेट, सिंडीकेट, वित्त समिति या विद्या परिषद्" रख दिये जायेंगे ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 17 तक, खण्ड 1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश रुड़की विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1997 पारित किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश रुड़की विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1997 पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1997

उच्च शिक्षा एवं प्राविधिक शिक्षा मंत्री -(डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1997 पर विचार किया जाय ।

मान्यवर, 1973 के विश्वविद्यालय अधिनियम में कानपुर विश्वविद्यालय का नाम जो 1995 से श्री शाहू जी महराज के नाम से है, में संशोधन करने का प्रस्ताव इस विधेयक में है । अब यह "छत्रपति शाहू जी महराज कानपुर विश्वविद्यालय कानपुर" कर दिया जाय, यह प्रस्ताव इस छोटे से विधेयक में है, यह संक्षिप्त प्रस्ताव है, जिसके लिए विधेयक प्रस्तुत किया गया है ।

श्री अमर मणि–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1997 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ।

(समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे)

मान्यवर, जब से यह सरकार आयी है तब से रोज नये जिले, रोज नये जिलों का नामकरण प्रासांगिक नहीं अप्रासांगिक तरीके से किया जा रहा है जैसे महामाया नगर वहां का रख दिया गया जहां से महामाया का कोई संबंध नहीं है ।

[समय 6 बजकर 15 मिनट]

मान्यवर, आप भी उसी जिले से आते हैं, जहां से भगवान बुद्ध ताल्लुक रखते हैं । जब माननीय मुख्या मंत्री जी हमारे जनपद का शिलान्यास करने गयी थीं तो उस समय जिले के विधायकों ने कहा था कि आपके नाम से "महामाया" नाम मेल खाता है और बुद्ध जी की माता हमारे जनपद की भी रहने वाली थीं परन्तु वहां पर यह नाम नहीं रखा । महराजगंज महराजगंज ही रहा । 5–7 सौ कि०मी० दूर जाकर

इस नाम को रखा, जो प्रासंगिक ही नहीं है । अब ऐसे ही शाहू जी महराज, पेरियार साहब व झलकारी देवी, जिनका कोई प्रसंग ही नहीं है, बिल्कुल अप्रासंगिक हैं, उनके नाम पर जगहों का नाम रखा जा रहा है । आप भी सीमावर्ती जनपद के रहने वाले हैं ।

नेपाल के राजा को श्री श्री पांच को सरकार वीरेन्द्र वीर विक्रम शाह शाह देव जी कहा जाता है । हमने कहा इतना बड़ा नाम तो इस पर उन्होंने कहा कि राजा का नाम इतना ही बड़ा होना चाहिए। उसी तरह से इस बिल में छपवाया गया है "छत्रपति" इस शब्द को लाने के लिए यह संशोधन लाया गया है । आज इस तरह से नामों को रखकर जो अप्रासंगिक हैं, जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचायी जा रही है और इतिहास को तोड़ा व मरोड़ा जा रहा है । हमारे आजादी के दीवाने, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी तथा और बड़े-बड़े लोग जिनका योगदान हिन्दुस्तान की आजादी के लिए रहा है, जिन्हें फांसी के फन्दे पर लटका दिया गया था, इनके नाम पर यदि कोई नाम रखा जाता तो वह प्रासंगिक होता । अब यह शाहू जी क्या हैं और इनकी स्थिति क्या है । अब जैसे नेता सुभाष चन्द्र बोस के नाम पर कलकत्ता में स्टेडियम बना है, वह प्रासंगिक है । क्योंकि वह कलकत्ता के रहने वाले भी थे और बंगाल के लोगों की भावना उनसे जुड़ी हुई हैं । वैसे भी बोस जी एक राष्ट्रीय नेता हैं, उनके नाम पर कोई भी चीज कहीं पर भी बन सकती है पर ये पेरियार साहब क्या हैं ? हमने आजादी के इतिहास को पढ़ा और उससे पहले के भी इतिहास का अध्ययन किया ।

मोहन जोदड़ो से लेकर इस हुकुमत के इतिहास को पढ़ा परन्तु ये पेरियार महोदय कौन हैं ? इसका पता नहीं चल पाया । इसलिए यह जो स्टार रह गया था "छत्रपति" जी का, उसे चलाने के लिए यह संशोधन विधेयक में लाया गया है ताकि एक जातीय उन्माद लोगों में पैदा हो । आज चाहे आगरा में हो या बस्ती में हो, पहले तो हिन्दू-मुस्लिम का झगड़ा होता था क्योंकि दोनों की पूजा पद्धति अलग-अलग थी परन्तु आज वर्णों में झगड़ा कराये जाने का काम हो रहा है । शिया-सुन्नी दंगा, अहीर यादव का झगड़ा व कुर्मी-कुर्मी का झगड़ा कराया जा रहा है । इसलिए मेरा कहना है कि ऐसे नामों को रखने की कोई सार्थकता नहीं है । इस नाम को जोड़ने से केवल जातीय भावना का उन्माद पैदा करना है और इसके पीछे कोई भावना नहीं हो सकती है ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय त्रिपाठी जी, अब आप समाप्त करें । आपकी बात आ गयी है ।

श्री अमर मणि–

जो स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी थे, जिन्होंने देश की आजादी में अपने प्राणों की आहुति दे दी, फांसी के फन्दे चूम लिए उनके नाम से रखते लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया है केवल एक धार्मिक उन्माद फैलाने का काम यह सरकार कर रही है ।

डा० अशोक बाजपेयी–

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं सोच रहा था कि माननीय मंत्री जी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं, आज कोई ऐसा प्रस्ताव लायेंगे जो 96 में भूल गया हो उसमें सुधार करेंगे और उस विद्यालय की गरिमा को बढ़ायेंगे, लेकिन घोर निराशा हुई । कोई और मंत्री होता तो मैं यह अपेक्षा कर भी सकता था लेकिन इनसे ऐसी कोई अपेक्षा मुझे नहीं थी । माननीय मंत्री जी विश्वविद्यालय की गरिमा को अच्छी तरह से जानते हैं । यह विश्वविद्यालय किसी नगर के नाम से रखे गये थे, जैसे लखनऊ विश्वविद्यालय, कानपुर विश्वविद्यालय, दिल्ली यूनिवर्सिटी, कलकत्ता विश्वविद्यालय और यह एक आटोनामस वाडी थी ।

जो शिक्षा के लिए चिंतन और शोध का काम होता उससे नगर और विश्वविद्यालय की गरिमा बढ़ती । मान्यवर, अगर यही मानसिकता अंग्रेजों की होती तो सारे विश्वविद्यालयों के नाम अंग्रेजों से जुड़े होते । अगर आजादी से पूर्व में जो शासक रहे उनकी यह मानसिकता होती तो विश्वविद्यालय की अस्मिता आज से 40--50 साल पहले खिलवाड़ हो जाता । मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि जिन्हें उच्च शिक्षा की समझ नहीं है, जिनका इससे कोई रिश्ता नहीं है उनके नाम से विश्वविद्यालय का नाम रखा जा रहा है । यह उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य है और उत्तर प्रदेश की 14 करोड़ जनता की भावनाओं को रौंदने का काम यह सरकार कर रही है । मान्यवर, कानपुर नगर जो उत्तर प्रदेश का औद्योगिक नगर है जो दुनिया में हिन्दुस्तान में मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है आज वह शाहू जी विश्वविद्यालय हो गया ।

मान्यवर, मैं यह पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के सार्वजनिक जीवन में शाहू जी महराज का क्या योगदान रहा है, इन्होंने देश की आजादी में कौन सा योगदान दिया है । महाराष्ट्र के एक कार्यकर्ता को उत्तर प्रदेश की जनता के ऊपर जबरदस्ती ढोने के लिए बाध्य किया जा रहा है । जबरदस्ती राजनीतिक दबाव में आकर इस प्रदेश की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है । यह कुर्सी पर बैठे हुए मात्र 65 लोग हम 425 सदस्यों और इस प्रदेश की जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं । मैं यह कहना चाहूंगा कि यह प्रदेश की 14 करोड़ जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी । यह 6 महीने की डेली बेजेज की सरकार इस प्रदेश की शान्ति व्यवस्था को अस्त-व्यस्त करने में लगी हुई है । मैं इस अगस्त हाउस से निवेदन करूंगा कि और इस सदन के माननीय सदस्यों से कहूंगा कि इनकी स्वेच्छाचरिता पर अंकुश लगाया जाय । यह जब चाहते हैं जिला घोषित कर देते हैं और उसका नाम पेरियार और महामाया नगर से रख देते हैं । चित्रकूट में एक जिला बनाया गया, जिसमें हिन्दुस्तान की 80 करोड़ जनता की भावनायें जुड़ी हुई हैं ।

मान्यवर, मुझे बड़ी शर्म आती है इस भाजपा और बसपा की गठबन्धन की सरकार के ऊपर जो मनमाने तरीके से कार्य कर रही है । यह भाजपा की सरकार मूक होकर देख रही है ठीक उसी तरह जब दुर्योधन ने भरी सभा में द्रोपदी को लाकर बेइज्जत किया था । उसका चीर हरण किया था लेकिन पाण्डव कुछ नहीं कर पाये थे वहां पर भीष्म पितामह भी बैठे थे लेकिन वह भी कुछ नहीं बोल पाये थे । मान्यवर, आज वह कौरवों की सभा में बैठे हुए हैं और भाजपा कुछ नहीं बोल रही है । मान्यवर, माननीय डा० नरेन्द्र सिंह गौर जी मेरे मित्र हैं और मैं उन्हें अच्छी तरह से जानता हूं, ये ज्ञानी हैं और हमारे जनपद के मूल निवासी भी हैं । लेकिन गौर साहब, पता नहीं किस दबाव से निरन्तर अपनी आत्मा को मार रहे हैं । विश्वविद्यालय की अस्मिता को अच्छी तरह से जानते हैं । मान्यवर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का नाम नहीं बदला गया, वहां पर जवाहर लाल नेहरू पैदा हुए, मोती लाल नेहरू पैदा हुए और इन्दिरा गांधी वहां खेलीं, लेकिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय का नाम नेहरू विश्वविद्यालय नहीं रखा गया । कानपुर की जनता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है । कानपुर विश्वविद्यालय का नाम बदलकर शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय रखा जा रहा है । मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हैं, वह हमारे साथी रहे हैं लेकिन आज वह सरकार की हर बात की पुष्टि करने को तैयार बैठे हैं । जब से वह संसदीय कार्य मंत्री के रूप में आये हैं, उनकी आत्मा मर चुकी है, इनको जैसा निर्देश होता है वही करते हैं । मान्यवर, यह संसदीय लोकतन्त्र कैसे जीवित रहेगा, जनतन्त्र कैसे जिन्दा रहेगा । मान्यवर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि विश्वविद्यालय की अस्मिता के लिए उसका नाम बदला जाना कोई रास्ता नहीं है । उत्तर प्रदेश की धरती से उनका कोई रिश्ता नहीं है । उत्तर प्रदेश के सामाजिक जीवन से उनका कोई रिश्ता नहीं है । आप पर दबाव पड़ेगा तो कांशीराम विश्वविद्यालय रख दिया जायेगा । इन शब्दों के साथ मैं कहना चाहता हूं कि कानपुर विश्वविद्यालय के नाम में कोई परिवर्तन न करें ।

(श्री समरपाल सिंह का नाम पुकारे जाने पर)

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

मान्यवर, एक सदस्य इधर से और एक सदस्य उधर से बुलावें ।

श्री अधिष्ठाता–

समय बहुत कम है ।

श्री बी० आर० वर्मा–

इधर के लोगों के साथ न्याय नहीं होगा ।

श्री समरपाल सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है उस के उद्देश्य और कारणों को देखें तो इसको लाने का कोई उद्देश्य नहीं दिखायी पड़ता है । इस विश्वविद्यालय का नाम पहले कानपुर विश्वविद्यालय उसको मायावती की सरकार ने बदल दिया और उसका नाम छत्रपति शाहू जी महाराज रख दिया । जब से नाम बदला गया है, तब से वहां के नागरिकों में रोष व्याप्त है । उनका रोष अकारण नहीं है, उसका कारण है । वहां का कोई भी व्यक्ति शाहू जी महाराज के नाम से कोई परिचित नहीं है । मैंने उनका नाम पहले कभी नहीं सुना । हो सकता है वह बहुत बड़े समाज सेवी हों, लेकिन हमारे प्रदेश में उन्होंने कोई समाज सेवा नहीं की है, ऐसे व्यक्ति के नाम पर कानपुर विश्वविद्यालय का नाम रखा जा रहा है इससे ज्यादा शर्म की और बात नहीं हो सकती है । कानपुर विश्वविद्यालय का नाम गणेश शंकर विद्यार्थी के नाम पर रखा जा सकता था ।

चन्द्रशेखर आजाद के नाम पर नाम रखा जा सकता है । उ० प्र० में इतने महापुरुष हुए हैं दुनिया जिनको जानती है उनके नाम से नाम रखा जा सकता है लेकिन जिसे कोई जानता ही न हो, जिसका प्रोफेसर तक को पता न हो उसके नाम पर नाम रखा जायेगा तो वहां के तथा उत्तर प्रदेश की जनता के साथ अन्याय है । जो सरकार जनता के कल्याण की बात करती है उसकी रक्षा की बात करती है वह आज इस तरह से समाज में कटुता पैदा करने का काम कर रही है । जो यह विधेयक ला रहे हैं, शाहू जी महाराज के नाम के आगे छत्रपति और जोड़ने की बात कही है लेकिन जो मूल विधेयक है, उसमें सरकार ने जनता में कटुता पैदा की है ।

उत्तर प्रदेश में बहुत से महापुरुष और नेता पैदा हुए हैं, जिस कुर्सी पर माननीय मुख्य मंत्री आसीन हैं इस पर बड़े-बड़े लोग आसीन हुए हैं उनकी बड़ी परम्परायें रही हैं तो इन्हें भी परम्पराओं का पालन करना चाहिए । छोटे-छोटे कामों से जिससे जनता में कटुता पैदा हो जनता को कष्ट हो, लोग आपस में एक-दूसरे के दुश्मन बन जायं तो ऐसे निर्णय का सख्त विरोध करता हूं और जो संशोधन विधेयक इसमें रखा है, प्रवर समिति में सौंपने का उसका मैं पूरा समर्थन करता हूं । जब प्रवर समिति में यह जायगा तब हो सकता है कि उनके अच्छे सुझाव से आप सहमत हो जायं और कानपुर विश्वविद्यालय का नाम जो शाहू जी महाराज रखा है उसे फिर कानपुर विश्वविद्यालय कर दिया जायेगा । तो हो सकता है कि आप बदली हुई परिस्थितियों में आपकी मानसिकता भी बदल जाये तो इससे कानपुर और प्रदेश के लोगों के साथ न्याय हो सकेगा ।

(श्री अवधेश प्रसाद का नाम पुकारने पर)

श्री बी० आर० वर्मा–

सत्ता पक्ष के लोग भी बोलना चाहते हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

सत्ता पक्ष से कोई खड़ा नहीं हुआ है मैं इधर देख रहा था जब कोई खड़ा नहीं होगा तो मैं किसे बुलाऊंगा ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, सत्ता पक्ष से एक माननीय सदस्य को कहें और एक विपक्ष से बोलने के लिए कहें ।

श्री अमरमणि–

मान्यवर, यहां कोई कबड्डी नहीं हो रही है जो एक इधर से और एक उधर से जाये, जिन्होंने संशोधन रखा है उन्हीं को बुलवायें ।

श्री अधिष्ठाता–

ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है विधेयक पर अपनी बात कहने का माननीय सदस्यों को पूरा अधिकार है । (व्यवधान)

श्री बी० आर० वर्मा–

किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे ।

श्री अमरमणि–

समय सीमा भी आपने रख दी है इसलिए भी जिन्होंने संशोधन रखे हैं उनको सुनें ।

श्री अधिष्ठाता–

किसी के साथ अन्याय नहीं होगा । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी जब आपने एक इधर से एक उधर से कहा तो जब डा० अशोक बाजपेई जी बैठे तो उसके तुरन्त बाद मैंने इधर देखा तब कोई नहीं खड़ा हुआ तो मैंने समरपाल सिंह जी को पुकारा । चूंकि कार्यमंत्रणा समिति ने समय निर्धारित कर दिया है इसलिए मेरा दायित्व हो जाता है कि समय सीमा के अन्दर इसे समाप्त कर दिया जाये ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मैं स्वयं खड़ा हुआ था आपने कहा समरपाल जी के बाद बोलिए, मैं बैठ गया । मान्यवर, हमारे मंत्री जी इस पर बोलेंगे ।

(श्री सुखदेव राजभर के खड़े होने पर)

श्री समरपाल सिंह–

माननीय मंत्री जी यह बता दें कि शाहू जी महराज कितनी बार कानपुर गये हैं ।

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मान्यवर, जब से यह सत्र प्रारम्भ हुआ है.....

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी का नाम नहीं मालूम है, कृपया परिचय करा दें ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय कृपया व्यवधान उत्पन्न न करें ।

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, जब से यह सत्र प्रारम्भ हुआ है हमारे विपक्ष के तमाम सम्मानित सदस्य प्रकरण कुछ और होता है लेकिन पेरियार, क्षत्रपति शाहू जी महाराज, बाबा साहब भीमराव अम्बेदकर के सम्बन्ध में शंकायें व्यक्त करने लगते हैं। आज हमारे उच्च शिक्षा मंत्री जी एक संशोधन लाये। उस पर भी हमारे साथी इतने विस्तार में जाते हैं। हम आज भी अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और तमाम महापुरुषों का सम्मान करते हैं।

(सदन की बिजली जाने पर।)

एक सदस्य–

अंधेरा हो गया है। (शोर)

श्री सुखदेव राजभर–

आप एक मिनट भी अंधेरे में नहीं रहना चाहते, यह जो बहुत पुराना अंधकार रहा है जिसको क्षत्रपति शाहू जी महाराज जैसे महापुरुषों ने दूर किया है मैं उन्हीं के बारे में आपको बता रहा हूं। क्षत्रपति शाहू जी महाराज का नाम लेते ही आप मोहन जोदड़ो, हड़प्पा और इतिहास की बात करने लगते हैं। यह पेरियार और क्षत्रपति शाहू जी महाराज, यही लोग ऐसे रहे हैं, यह महापुरुष ऐसे रहे हैं जिन्होंने गरीबों, दलितों, पिछड़ों को सम्मान का रास्ता दिखाया है। आज इन महापुरुषों के नाम पर लोगों की भावनायें उभारने का काम हो रहा है। हमारे तमाम दलित समाज के सदस्य भी बैठे हुये हैं, हमारे वरिष्ठ समाज के सदस्य भी बैठे हुये हैं, सबका मैं आदर करता हूं। सत्य यह है कि जो हमारे समाज के दलित, पिछड़े रहे हैं जिनको ज्ञान के प्रकाश से दूर रखा गया है उनको सम्मान मिले, उनको इंसानियत की जिन्दगी मिले, उनको आगे बढ़ने का मौका मिले, उनको उनका हक मिले यह काम क्षत्रपति शाहू जी महाराज ने किया है। हमारे समरपाल जी ने कहा कि क्या वह कानपुर आये हैं तो उनको बताना चाहता हूं कि क्षत्रपति शाहू जी महाराज 19, 20; 21 अप्रैल, 1921 में कानपुर आये थे। (शोर)

श्री अमरमणि–

किस आधार पर कह रहे हैं। (शोर)

श्री समर पाल सिंह–

सदन में जिम्मेदारी के साथ कहें। (शोर)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्यगण, जब उधर से अपनी बात कही जा रही थी तो इधर के लोग उसको धैर्य से सुन रहे थे। अब इधर से माननीय मंत्री जी अपनी बात कह रहे हैं, उसको धैर्य से सुन लें।

श्री सुखदेव राजभर–

मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं कि चाहे हमारे प्रतिपक्ष के नेता हों, चाहे बाबूराम जी यादव हों, चाहे अमरमणि जी हों या अन्य वरिष्ठ नेता हों मैं उनको बताना चाहूंगा कि क्षत्रपति शाहू जी महाराज जब इस प्रदेश में, देश में, लोगों के लिये पढ़ना मना था, जिनको पढ़ने का अवसर नहीं दिया जाता था उस समय क्षत्रपति शाहू जी ने अपने राज्य में 50 प्रतिशत आरक्षण दिया था।

श्री लोक पति त्रिपाठी–

मान्यवर, इतिहास आपने भी पढ़ा है और पूरे सदन के समस्त सदस्यों ने भी पढ़ा है । इतिहास में एक छत्रपति हुए हैं जिनका नाम छत्रपति शिवाजी था । उसके बाद हमारी मुख्य मंत्री एक नये इतिहास की रचना कर रहीं हैं और जिसको चाहती हैं उसको छत्रपति बना देती हैं । सन् 1920-21 की बात कही गई कि शाहू जी ने स्वतंत्रता आन्दोलन में भाग लिया था ।

(व्यवधान)

शाहू जी महाराज छत्रपति शिवाजी के पोते थे । ग्रैन्डसन । शिवाजी के दो पुत्र थे । शम्भू जी और राजा राम । राजाराम के पुत्र शाहू जी थे । वह छत्रपति नहीं हुए । आज उन्हीं का परिवार कोल्हापुर का राजवंश है । मान्यवर, आप हमारे अध्यक्ष हैं किसी इतिहास को बनाने के लिये उसकी संरचना होती है, आप जानते हैं । हमारे प्रदेश और देश के इतिहास को नष्ट न करें ।

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, मैं इसी बात का उल्लेख कर रहा था । आज ऐसे महापुरुषों को जिन्होंने दलितों, पिछड़ों और अकलियत लोगों को जिनका समाज में कहीं कोई स्थान नहीं था । शिक्षा में, नौकरियों में आरक्षण नहीं था । शाहू जी ने उनके लिये 50 प्रतिशत आरक्षण अपने राज्य में किया । मान्यवर, हमारे प्रतिपक्ष के लोग कहते हैं कि पिछड़ों की, दलितों की उपेक्षा हुई है । मान्यवर, आज हम अपने इतिहास से अपने उन पूर्वजों को याद कर रहे हैं छत्रपति शाहू जी को जिन्होंने पिछड़ों दलितों को जिनका समाज में सम्मान नहीं था, कोई स्थान नहीं था, उनके लिये, उनके सम्मान के लिये संघर्ष किया । आज जब हम उनका नाम ले रहे हैं तो हमारे प्रतिपक्ष को हमें बधाई देना चाहिए कि हम ऐसे पूर्वज को याद कर रहे हैं, उनका नाम ले रहे हैं, इसका स्वागत करना चाहिए ।

(व्यवधान)

आज मैं इस पक्ष में हूं, मैं सम्मान करता हूं । हमारे प्रतिपक्ष के नेता सम्मानित हैं, पिछड़े और दलितों के लिये उनके मन में भावनाएं हैं जब छत्रपति शाहू जी का नाम आया तो इस तरह की बात कर रहे हैं । छत्रपति शाहू जी जिन्होंने दलितों, पिछड़ों को समाज में स्थान दिलाया । हम लोग जब चुनाव के लिये मैदान में आते हैं तो जो भाषण देते हैं उसमें दलितों, पिछड़ों के उत्थान की बातें करते हैं जनता के बीच में आज हमने उनका नाम लेकर शुरू ही किया था कि जिन्होंने दलितों के लिये, उनके स्वाभिमान के लिये संघर्ष किया उनके नामकरण पर गुस्सा आ रहा है कहीं कुछ और मिलने की बात हो तो क्या होगा ? मान्यवर, इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने भी मान्यता दी है । ऐसे लोगों को हक दिया जब बड़े लोग अवैध औरतों को रख लेते थे । उनसे जो सन्तान पैदा होती थी वह दास पुत्र कहलाती थी । इस सन्तान को हक नहीं मिलता था सम्मान नहीं मिलता था । ऐसे पुत्रों को भी हक दिलाया शाहू जी ने दूरदर्शिता और पारदर्शिता को देखते हुए । ऐसे पुत्र को भी अब पिता के वंश में हक मिलेगा । आज हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं । जो समाज अपने पूर्वजों को याद नहीं करता है वह कभी तरक्की नहीं कर सकता है ।

हमारे प्रतिपक्ष के नेता को सम्मान करना चाहिये कि यह लायक निकले । महापुरुषों को याद कर रहे हैं पूर्वजों को याद कर रहे हैं कोई बेइमानी नहीं किया है । हमारी माताओं ने पाखाना साफ किया है । जब सुबह अंधेरे में मां बेटे की पीठ ठोंककर कहती थी कि बेटा उठ, लखनऊ की गन्दगी को साफ करना है । अगर वही आज अपने पूर्वजों को याद करने की कोशिश करते हैं तो विरोध किया जाता है ऐसा नहीं किया जाना चाहिये था । हमारी मां बहनें जब खेत में जाकर अपना शरीर काला कर अपना पेट और शरीर सुखाकर, अपने धमनियों के खून को सूखाकर जब दूसरों की धमनियों में खून दौड़ाकर, दूसरों का चेहरा लाल करती थीं आज उन्हीं पूर्वजों का सम्मान किया तो बड़ा दर्द हो रहा है । दलित गरीब भी अपने पूर्वजों को याद कर सकते हैं आज हम उनका सम्मान कर रहे हैं तो इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था ।

(सत्ता पक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाईं)

छत्रपति शाहू जी को किसी समाज ने भगवान माना है। जिस तरह से ठाकुर समाज ने बुद्ध जी को भगवान माना और वह सारा राजपाठ छोड़कर सारे समाज के लिए सड़कों पर आ गए और उनको भगवान माना। आज हम अपने पूर्वजों के नाम पर कुछ करना चाहते हैं तो इतना एतराज क्यों ? इतनी परेशानी क्यों होती है ? जो दलित और पिछड़ों ने ईमानदारी से ड्यूटी दिया है माताओं ने पाखाना साफ किया है। पाखाना साफ करने वाला और शौचालय साफ करने वाला लड़का जब सचिवालय में आ रहा है तो लोगों को कष्ट हो रहा है। पेरियार साहब, अम्बेडकर साहब और शाहू जी महाराज के नाम पर कुछ होता है तो आपको कष्ट हो रहा है। अगर बाबा साहब के नाम पर पार्क बनता है तो इनको कष्ट हो रहा है। मैं अपने सम्मानित सदस्यों से कहूंगा समानता का वातावरण बनावें। इन्हीं के साथ-साथ तमाम देश के कर्णधार हैं, होंगे, इसको इस तरह से न लें। मनोबल बढ़ाने की कोशिश करें इसको राजनीतिक न बनायें। इसे विवाद के घेरे में लाने की कोशिश न करें।

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

मान्यवर, लालू प्रसाद यादव ने इस्तीफा दे दिया है और उनकी पत्नी राबड़ी देवी मुख्य मंत्री बन रही हैं।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

अवधेश जी संक्षेप में रखें।

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, माननीय सदन में एक ऐसा विधेयक शिक्षा मंत्री जी की तरफ से लाया गया है जिससे न केवल कानपुर विश्वविद्यालय में बल्कि उत्तर प्रदेश के जितने विश्वविद्यालय हैं सभी में छात्रों के बीच एक बहुत बड़ा जन असंतोष पैदा हो गया है।

(शोर)

मान्यवर, यह प्रदेश गंगा जमुना का प्रदेश है, लेकिन यह सरकार चार महीने के अन्दर, बहुजन समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश की शान्तिप्रेय जनता को किस तरह का मैसेज देना चाहती है, श्रीमन् कानपुर में मुझे भी एम०ए० की शिक्षा पूरी करने का अवसर मिला है। आज मंत्री जी को बधाई देता अगर गणेश शंकर विद्यार्थी के नाम पर कानपुर विश्वविद्यालय का नाम रखा होता। तो संशोधन पर बात करने की हमारी हिम्मत न होती। लेकिन आपने उसका नाम छत्रपति शाहू जी महाराज रख लिया। उस समय हम लोग सदन में नहीं थे और आपने रख लिया लेकिन आज छत्रपति शाहू जी का नाम महाराष्ट्र में माननीय मुख्य मंत्री जी जाकर रखवा दें तो मैं बधाई दूंगा। वहां की धरती पर उनके नाम का कोई विश्वविद्यालय बनवा दें तो मैं बधाई दूंगा। लेकिन आज उत्तर प्रदेश के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं ? मैं बधाई देता अगर काकोरी काण्ड के राम प्रसाद विस्मिल, अशफाकउल्ला खां, बिजली पासी के नाम पर कोई विश्वविद्यालय बनवाते लेकिन महाराज शाहू का इस प्रदेश की जनता से दूर दराज का कोई रिश्ता नहीं है इसलिए मैं अपने संशोधन पर बल देते हुए कहना चाहता हूं कि इसको प्रवर समिति को सौंप दिया जाए। मान्यवर, इस विश्वविद्यालय में तमाम छात्र आत्मदाह करने को तैयार हैं यह प्रदेश के लिए अच्छी बात नहीं है।

श्री हरीश चन्द्र "हरीश" जी–

मैं इस सदन के वरिष्ठ सदस्य लोकपति त्रिपाठी को बधाई देना चाहता हूं मैं उनका आभारी हूं कि उन्होंने महाराज शाहू के संबंध में ऐतिहासिक सत्यता को सदन के सामने प्रकट किया व एक भ्रम का निवारण कर दिया ।

श्री बी० आर० वर्मा–

श्री त्रिपाठी जी ने अच्छा कार्य किया है परन्तु उस वंश में दो शाहू जी महाराज हुए हैं ।

श्री हरीश चन्द्र "हरीश" जी–

मान्यवर, मैं समझता हूं कि सदन को यह जानकारी रही होगी लेकिन एक छोटी सी नोक-झोंक और चुटकी अच्छी लगती है । शाहू जी महाराज उन शिवाजी के ग्रैन्डसन थे जिनकी कीर्ति को सारा संसार जानता है । ऐसी महान विभूति के प्रपौत्र को सम्मान दिया जा रहा है तो उससे किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए । श्री राजाराम जिनके छत्रपति शाहू जी पुत्र थे उनको सम्मान मिलने पर सारे सदन के माननीय सदस्यों को इसकी प्रशंसा करनी चाहिए । दलितों, पिछड़ों के लिए उन्होंने जो कार्य किए उसको सारा देश जान पाए इसके लिए प्रयास हो रहा है उसकी प्रसंशा की जानी चाहिए और इसी रूप में महाराज शाहू जी को स्वीकार किया जाना चाहिए ।

श्री अमरमणि–

मैंने कल भी माननीय मंत्री जी के एक प्रस्ताव पर अपना आग्रह वापस ले लिया था क्योंकि वह एक रचनात्मक कदम था तथा हमें इस बात का अहसास हुआ कि मंत्री जी योग्य, कुशल और कुशाग्र व्यक्ति हैं लेकिन आज सदन में जिसकी चर्चा हुई । आज नए-नए महापुरुष झलकारी देवी, बिजली पासी, लाखन पासी पैदा हो रहे हैं तथा ऐसे लोग जिनका इतिहास में कोई योगदान नहीं रहा है ।

(व्यवधान)

* श्री दल बहादुर कोरी

मान्यवर, यह झलकारी बाई, छत्रपति शाहू जी महाराज का इतिहास मंगाकर पढ़े, तब इनको जानकारी हो पायेगी ।

श्री अमरमणि–

जिस तरीके से इतिहास की पुर्नसमीक्षा हो रही है, पुर्नमूल्यांकन किया जा रहा है, तोड़ा–मरोड़ा जा रहा है । छत्रपति के बारे में अति वरिष्ठ श्री लोकपत्रि त्रिपाठी जी, जिनको पूरा सदन जानता है कि वह ज्ञान के भण्डार हैं उन्होंने बताया कि छत्रपति थे ही नहीं, अगर नहीं थे तो फिर इनके नाम के आगे, छत्रपति जोड़ने की आवश्यकता ही क्यों है ? पहले उच्च शिक्षा मंत्री जी इस पर बहस कर लें जब छत्रपति थे ही नहीं तो छत्रपति जोड़ने के लिये यह संशोधन क्यों लाया गया है ? हम झलकारी बाई, बिजली पासी और लाखन पासी को जानते ही नहीं है लेकिन उनके नाम पर विश्वविद्यालयों के नाम रखे जा रहे हैं । अगर दलीय भावनाओं से ऊपर उठकर आजादी के दीवानों के नाम पर नामकरण किया जाता तो हमें कोई आपत्ति नहीं थी । कबीरदास जी ने संघर्ष किया है, उन्होंने समाज को बदलने का प्रयास किया है उनके नाम पर कर देते । अभी हमारे विपक्ष के साथियों ने गणेश शंकर विद्यार्थी के नाम का प्रस्ताव किया, जो कि कानपुर के थे और जिनका स्वतंत्रता संग्राम में भी योगदान रहा है, उनके नाम

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

पर नामकरण कर दिया जाता तो कोई बात नहीं थी । मैं अपने संशोधन पर पूरी तरह से बल देता हूं । धन्यवाद ।

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

अभी सम्मानित कई वरिष्ठ साथियों ने सभी सदस्यों का ज्ञानवर्धन किया । हम और आप सभी परिचित हैं कि महापुरुषों की एक परम्परा रही है । सभी महापुरुष जो हमारे देश के अन्दर हुये हैं उनका किसी न किसी क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान रहा है और कई नाम जो सम्मानित सदस्यों ने लिये हैं चाहे गणेश शंकर विद्यार्थी जी हों, चन्द्रशेखर आजाद जी हो या राम प्रसाद बिस्मिल हों इन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिये योगदान दिया है । मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देश के अन्दर जितने भी महापुरुष हैं उनको क्षेत्र के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर बांटना नहीं चाहिए, उनको अगर टुकड़ों में बांटेगें तो न समाज का, न देश का और न प्रदेश का भला होगा ।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सम्मानित सदस्यों को बताना चाहता हूं कि इस सरकार के बनने के बाद हम जो लखनऊ में ही जो राजकीय महिला महाविद्यालय खोलने जा रहे हैं उनके नाम नेता जी सुभाष चन्द्र बोस और पंडित दीन दयाल उपाध्याय के नाम पर रखे हैं । अभी मैं गोरखपुर गया था तो मैंने वहां के कला संकाय का नाम राम प्रसाद बिस्मिल के नाम पर रखा है । हमने भाऊराव देवरस, सरदार बल्लभ भाई पटेल के नाम पर प्रस्तावित किये हैं । हम माननीय सदस्यों से सुझाव आमंत्रित करते हैं कि वह गणेश शंकर विद्यार्थी, चन्द्रशेखर आजाद के नाम पर प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों के नाम रखने का सुझाव दें, हम आपको आश्वासन देना चाहते हैं कि हम उसका नामकरण कर देंगे ।

यह जो संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया है इसमें केवल "श्री" को "छत्रपति" बदलने का है । अशोक बाजपेयी जी वरिष्ठ सदस्य हैं, शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं । एक बात दोहराना चाहता हूं कि क्या प्रदेश के अन्दर जो उच्च शिक्षा है उसकी गुणवत्ता में सुधार हो, इसके लिए हमारी सरकार कृत-संकल्प है ? शिक्षा मंत्री होने के नाते इसमें जितना भी सम्भव होगा, हम करेंगे ।

मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि इसमें हमें आप सुझाव दें तो निश्चत रूप से उस पर हम विचार करेंगे ।

अन्त में कहना चाहता हूं कि जो यह विधेयक संशोधन के रूप में प्रस्तुत किया उसमें आप हमें समर्थन दें और प्रवर समिति को सुपुर्द करने का प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री अमरमणि–

मान्यवर, मैं अपने प्रस्ताव को वापस नहीं लेता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1997 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1997 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्डशः विचार

खण्ड–2 से खण्ड–5 एवं खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1997

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के अड़तालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1997 कहा जायेगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 1974 द्वारा यथा संशोधित और पुनः अधिनियमित राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 10 सन् 1973 की धारा 2 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में, खण्ड (8) में शब्द "जिसे 24 सितम्बर, 1995 से श्री शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर कहा जायेगा" के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रख दिये जायेंगे, अर्थात् :–

"जिसे 24 सितम्बर, 1995 से श्री शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर और उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1997 के प्रारम्भ के दिनांक से छत्रपति शाहू जी महाराज, कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर कहा जायेगा,"

धारा 5, 7–क धारा 20 का संशोधन

3–मूल अधिनियम की धारा 5, 7–क और 20 में शब्द "श्री शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर" जहां कहीं भी आये हों, के स्थान पर शब्द "छत्रपति शाहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर" रख दिये जायेंगे ।

धारा 72–च का संशोधन

4–मूल अधिनियम की धारा 72–च को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनः संख्यांकित कर दिया जायेगा और इस प्रकार यथा पुनः संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :–

"(2) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1997 के प्रारम्भ के दिनांक से, इस अधिनियम या किसी अन्य नियम, परिनियम, अध्यादेश, परिनियत, संलेख या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में, या किसी दस्तावेज या कार्यवाहियों में कानपुर विश्वविद्यालय या श्री शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रति किसी निर्देश को छत्रपति शाहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रति निर्देश समझा जायेगा ।"

अनुसूची का संशोधन

5–मूल अधिनियम की अनुसूची में, क्रम संख्या 5 के सामने स्तम्भ–2 में शब्द "श्री शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर" के स्थान पर शब्द "छत्रपति शाहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर" रख दिये जायेंगे ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से खण्ड 5 एवं खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1997 पारित किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1997 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 1997-98 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा †

नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

श्रीमन्, कल सामान्य बजट पर मेरे द्वारा चर्चा प्रारम्भ की गई थी और उसे आज के लिए भी जारी करने का आपका निर्देश हुआ था । श्रीमन्, मैं चर्चा प्रारम्भ करते हुए यह कहना चाहता हूं कि यह चर्चा जो प्रारम्भ हो रही है इसका कोई मतलब नहीं है । मतलब इसलिए नहीं है कि अधिकतर पत्रकार बंधु चले गये हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

पत्रकार लोगों को आप संज्ञान में न लें क्योंकि उन्हें संज्ञान में यहां नहीं लेते हैं ।

श्री धनीराम वर्मा–

श्रीमन्, कल मैंने इसलिए एक से विषयों को एक साथ लिया था जिनका एक–दूसरे से घनिष्ठ संबंध है जैसे सिंचाई, कृषि और विद्युत । इन विषयों पर चर्चा मैंने प्रारम्भ किया था और सुझाव देना प्रारम्भ कर दिया था कि किस तरह से कृषि और विद्युत का उत्पादन बढ़े । विद्युत का किस तरीके से अच्छी तरह उपभोग हो और उससे कैसे अच्छा पैसा सरकार और विद्युत विभाग को मिले साथ ही साथ यह भी कह रहा था कि सिंचाई के लिए कौन सी उचित व्यवस्थाएं होनी चाहिए जिससे सिंचाई क्षमता में बढ़ोत्तरी हो सके ।

(इस समय 7 बजे श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

श्रीमन, आपने कहा है, हमारे नेता सदन ने कहा है कि हम सिंचाई क्षमता बढ़ायेंगे लेकिन कैसे बढ़ायेंगे क्या नई नहरें बनायेंगे, या कहीं बांधों के निर्माण से, या ट्यूबवेल लगाकर, इस संदर्भ में कोई खुला और स्पष्ट संकेत नहीं है । हां ट्यूबवेल के बारे में जरूर कुछ कहा गया है । लेकिन नहर सिंचाई के बारे में कोई स्पष्ट रूप रेखा तैयार नहीं है । मैं सुझाव देना चाहता हूं कि कृषि की पैदावार बढ़ाने के लिये सिंचाई सुविधा का बढ़ाया जाना नितान्त आवश्यक है । दूसरा बिन्दु है कि जो नाले वर्षों से

---

† दिनांक 24 जुलाई, 1997 की कार्यवाही से ।

अवरुद्ध पड़े हुये हैं, जिसकी वजह से हजारो–लाखों हेक्टेयर जमीन पानी की निकासी न होने की वजह से बरसात का पानी भर जाता है, जिससे धान भी नहीं हो पाता, खरीफ की फसल भी नहीं हो पाती और जब रबी का समय आता है, तब तक पानी से खेत खाली नहीं हो पाता; इसलिये वरीयता के आधार पर नालों की सफाई कराई जाय ।

यह सफाई आज नहीं हो सकती इसके लिये उपयुक्त समय मार्च से लेकर जून तक का है । लेकिन श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर एक भी नाले की सफाई हुई हो तो बता दीजियेगा । आपके क्षेत्र में हुई हो तो हुई हो, लेकिन हमारे इटावा में और हमारे क्षेत्र विधूना में एक भी नाले की सफाई नहीं हुई, आप चाहें तो जांच करा लीजियेगा । हमारे यहां विधूना तहसील से पांडव नदी निकली है और वह जाकर कानपुर में गिर जाती है । उसमें बहुत तीव्र गति से पानी बहता है । जब बरसात होती है तो सारी फसलों को नष्ट करते हुये वह पानी जाता है और जब बरसात समाप्त हो जाती है तो जगह-जगह हजारों एकड़ जमीन में पानी भरा रह जाता है । मैंने तमाम बार कोशिश की, सफाई प्रारम्भ भी हुई लेकिन उसमें कंकड़ थे, जिसकी वजह से वह मनुष्य के खोदे खुदा नहीं, इसी तरह समाई नदी में हजारों एकड़ जमीन बरबाद पड़ी है, पूरे उत्तर प्रदेश में तमाम जगह इस तरह की जमीन होगी ।

मेरा सुझाव है कि ऐसे स्थानों पर जहां भी छोटी नदियां या नाले बहते हैं, उनकी मशीन से कंकड ठेक की सफाई करा दी जाय तो लाखों एकड़ जमीन खेती योग्य निकल आयेगी, जिसमें अनाज होगा, प्रदेश की कृषि की पैदावार बढ़ेगी और प्रदेश की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा ।

[समय 7 बजकर 10 मिनट]

श्रीमन्, इसके साथ ही साथ आपने अपने बजट भाषण में कहा है कि लगभग 75.8 के करीब प्रदेश के गांव बिजली से आच्छादित हो चुके हैं, लेकिन श्रीमन्, मैं कह देना चाहता हूं कि जितने गांवों में बिजली पहुंची है क्या उन गांवों में बल्ब जल रहे हैं हमारे यहां एक तबा गांव है, फैजलपुर है, 10-15 साल पहले वहां पर विद्युतीकरण हुआ था और आज एक बल्ब भी नहीं, खम्भा टूट गया और यह कहतीं हैं कि 75 प्रतिशत 76 प्रतिशत गांवों में बिजली पहुंच गयी, आपके यहां पहुंच गयी होगी । श्रीमन्, यही नहीं आपने कहा कि 30 हजार गांवों में विद्युतीकरण नहीं हो सका है । आप सर्वे करा लीजियेगा अभी 25-30 परसेन्ट से ज्यादा गांवों में बिजली जलती ही नहीं, विद्युतीकरण हुआ होगा कागजों पर कहीं खम्भे लग गये होंगे, यह सब हो गया होगा, लेकिन आज उन गांवों में बिजली नहीं है । श्रीमन्, इसी तरह से लाखों गांव होंगे ।

मैं यहां कह देना चाहता हूं कि अगर सिंचाई क्षमता में वृद्धि नहीं हुई, नालों की सफाई नहीं हुई, विद्युत किसानों को 15-16 घंटे नहीं दी गयी तो निश्चित तौर से यह प्रदेश जितना पिछड़ा हुआ है उससे भी ज्यादा पिछड़ जायेगा । श्रीमन्, यहां पर यह भी मैं कह देना चाहता हूं कि आपने अपने बजट भाषण में कहा है कि हम पूर्वांचल और बुन्देलखण्ड को प्रगति की ओर ले जाना चाहते हैं आपसे मैं कहता हूं कि जो बजट आपने आवंटित किया है उस बजट के रहते हुए क्या पूर्वी जिलों का विकास हो जायेगा ? बुन्देलखण्ड आज भी प्यासा है, जमीन प्यासी है वहां के मनुष्य प्यासे हैं । जून के महीने में एक-एक बाल्टी पानी 10-10 रुपये में बिकता है क्या यह सही नहीं है ? मैं राय देना चाहता हूं कि बुन्देलखण्ड में जितने पहले से जलाशय हैं, बांध हैं उनकी सफाई की जाय और नये जलाशयों का निर्माण किया जाय जो छोटी-छोटी नदियां हैं उन पर जगह-जगह पर बांध बनाये जायं और उनसे नहरें निकाली जायं तो अकेला बुन्देलखण्ड ही ऐसा है जो सारे प्रदेश को खिला सकता है और अन्य स्थानों की जो उपज है वह निर्यात की जा सकती है । ऐसी मेरी स्वयं की राय है । बुन्देलखण्ड को मैंने देखा है वहां की जमीन

उपजाऊ है । लेकिन वहां ऊसर एक इंच मात्र नहीं है केवल पानी चाहिए तो वहां की जमीन सोना उगलने लगेगी । मैदानी क्षेत्रों में भी अगर छोटी-छोटी नदियों में बांध लगा दिए जायें और बरसात का पानी जब समाप्त हो जाय थोड़ा पानी रह जाये तो इन नदियों पर बांध से नदी की तलहटी में सिंचाई हो सकती है और दूसरी सिंचाई भी हो सकती है । आज नदी की तलहटी में ट्यूबवेल सफल नहीं हो रहे हैं और जो सफल भी हुए हैं वे थोड़ी मात्रा में ।

इसलिए मैदानी क्षेत्रों में भी छोटी-छोटी नदियों में बांध लगा दिए जायें तो सिंचाई क्षमता बहुत बढ़ सकती है । पूर्वांचल मान्यवर, बहुत पिछड़ा हुआ है वहां के लोग गरीब हैं न वहां संसाधन हैं और न वहां उद्योग धन्धे । खेती ज्यादातर सब्ज लोगों के हाथों में है दूसरी ओर वहां ज्यादातर खेतिहर मजदूर या छोटे-छोटे काश्तकार हैं उनकी तरक्की के लिए लघु और मंझोले उद्योग अगर लगाये जाएं तो काफी अच्छा रहे उसमें प्रदेश के पूंजीपतियों को प्रोत्साहित किया जाय कि पूर्वांचल में छोटे और कुटीर उद्योग धन्धे लगवायें और उसमें लोगों को खपाया जाय अगर रोजी-रोटी वहां के लोगों को मिलेगी तो पूर्वांचल की गरीबी दूर हो सकती है । इसी तरह से महिलाओं की हिफाजत के लिए यह सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध है यह उनके मान-सम्मान के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध है । यह भाषण में आया है । आप देखें बबराला में और सहारनपुर में जो घटना घटी उसके बारे में यहां प्रश्न आया, बबराला में महिलाओं को नंगा करने की घटना हुई इसी तरह से सहारनपुर में नंगा किया, छाती पर बैठकर पुलिस के जवानों ने अभद्र व्यवहार किया, गुप्तांगों पर टांग रखी, क्या यह सही सब महिलाओं के सम्मान देने की बात है ।

सांस्कृतिक एवं खेल कूद मंत्री (श्री मारकण्डेय चन्द)–

माननीय नेता विरोधी दल मुजफ्फरनगर और 2 जून की गेस्ट हाउस काण्ड का भी नाम कृपया ले लें ।

श्री अध्यक्ष–

इस तरह से आपस में बात न करें ।

श्री धनीराम वर्मा–

जो यहां कहा जा रहा है कि फलां जगह क्या हुआ अब क्या उन सारी बातों को आप दोहराना चाहते हैं आपकी मंशा क्या है आप चाहते हैं कि इसी तरह से महिलाओं का उत्पीड़न हो, सतायी जायें उनकी लाज लूटी जाय जंगल राज कायम कर दिया जाय । मैं समझता हूं कि इस तरह की बात आपको सोचनी भी नहीं चाहिये ।

मुरादाबाद में दो पासी जाति की दलित महिलाओं की हत्या कर दी गई और उनके पैर काट दिये गये । यह सब हो रहा है और आप सोयी हैं । रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है । इस तरह की घटनायें हो रही हैं और समाज को टुकड़ों में बांटने का काम किया जा रहा है, यदि सरकार का यही रवैया रहा तो एक दिन देश के भी टुकड़े हो जायेंगे और वह दिन बड़ा करुणा का दिन होगा । विधवाओं, विकंलागों और वृद्धों को पेंशन दी जायेगी और महिलाओं के लिए मान-सम्मान की योजनायें बनायी जायेंगी । आज विधवाओं, विकंलागों और वृद्धों के पेंशन में जो बढ़ोत्तरी की गई है वह नाम मात्र के लिए है । स्थिति यह है कि जब से यह सरकार सत्ता में आयी है, इन लोगों को जो पेंशन मिलती थी, वह भी मिलनी बंद हो गई है । इन लोगों को एक पेंशन का ही सहारा था कि किसी तरह से पेंशन मिलती रहेगी तो उनकी रोजी-रोटी चलती रहेगी, उसे भी आपने छीन लिया ।

शेड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों को बहुत से पट्टे दिलवाये जाने की बात कही गई है । मैं एक उदाहरण अपने गांव सुजानपुरवा का देना चाहता हूं । वहां पर एक राम औतार दोहरे था उसके पास पांच बीघा जमीन थी । उसी के जाति का एक दोहरे लेखपाल था । उस राम औतार दोहरे के पास एक भैंस थी,

जिसकी कीमत 10–12 हजार रुपए होगी । वह लेखपाल उससे कहता है कि भैंस दे दें तभी पांच बीघा जमीन की पट्टे की नपाई करूंगा । आप इसकी जांच करवा लीजिए । यदि यह बात सत्य नहीं होगी तो मैं विधान सभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दूंगा । मैं यह सब इसलिए कह रहा हूं कि पूरे प्रदेश में कई जगहों पर ऐसा ही हो रहा है । आप लोग हंस रहे हैं । ये घड़ियाली आंसू आप अपने निजी फायदे के लिए बहा रहे हैं । भैंस भी चली गई परन्तु पट्टे की नपाई नहीं हुई ।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ हंसने पर)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग माननीय नेता विरोधी दल के प्रवाह में बांध बनने की कोशिश न करें ।

श्री धनीराम वर्मा–

भैंस भी चली गई । उसे उसने अपने ससुराल भेज दिया । मैं था नहीं । जब मैं वहां आया तो लोगों ने शिकायत की तो मैंने कहा कि थाने में रिपोर्ट कर दो । वह थाने में रिपोर्ट करने गया मगर उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गयी । पहले यह कहा गया कि भैंस देख आओ । मान्यवर, यह हमारे विधूना तहसील के नीमहार गांव का मामला है । भैंस बंधी हुई थी । हमने कहा कि भैंस की कोई लिखा पड़ी है या नहीं तो उसने कहा कि हमसे एक कागज पर आठ हजार का रुक्का लिखवा लिया था ।... इनको हंसी आ रही है.....

श्री मारकण्डेय चन्द–

मान्यवर, जब विपक्ष के लोग हंस रहे हैं तो हम लोग क्यों न हंसे ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी आप बैठ जायें । माननीय नेता विरोधी दल को अपना भाषण करने दें ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

अगर माननीय मंत्री जी ही इस तरह का आचरण करेंगे तो सदन की मर्यादा क्या रह जायेगी ? माननीय नेता प्रतिपक्ष भाषण कर रहे हैं उसको ध्यान से सुनें ।

श्री अध्यक्ष–

इसीलिए मैंने माननीय मंत्री जी को रोक दिया है । मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे कृपया शांत रहें और इस तरह की टोका-टाकी न करें । माननीय नेता विरोधी दल अपना भाषण कर रहे हैं और माननीय नेता सदन को अपना उत्तर भाषण देना है वह गम्भीरता से सुन रहीं हैं ।

श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, जब चन्द लोगों ने इसे उठाया तो फैसला लिया गया और भैंस उसको दिलवा दी गयी और पैसा राम औतार को दिलवा दिया गया । आज यह दलितों की बात कर रही हैं मैं तो यह कहूंगा कि इस बात पर माननीय नेता सदन को इस्तीफा दे देना चाहिए । पट्टे देने की बात आयी । मैं अपने क्षेत्र की एक बात बताना चाहता हूं । एस० सी० ऐक्ट की बात आयी है । हमारे यहां एक गरीब व्यक्ति है । आमतौर से वह छोटे लाल तिवारी के नाम से जाना जाता है । उनके पास एक खेत डेढ़ एकड़ का था उसके बीच में एक चार-पांच बीघा की ऊसर जमीन पड़ी थी, उसको ठीक कर लिया । उसके बाद एस० सी० के एक व्यक्ति ने पट्टा करा लिया और कब्जा करने के लिए आया ।

छोटे लाल तिवारी ने कहा कि हमारा खेत हैं उसने कहा कि यह हमारे पट्टे की जमीन है । उसने थाने में रिपोर्ट कर दी कि हमें खेती नहीं करने दे रहा है और नतीजा यह हुआ कि तीन लड़के और बाप को ले जाकर जेल में बन्द कर दिया गया । यह एक महीने पहले की घटना है । तो कहने का मतबल यह है कि इस तरह से दुरुपयोग हो रहा है और इस तरह से जेलों में बन्द कराने का काम किया जा रहा है । केवल वोट बैंक बनाने के लिए पेरियार और अम्बेडकर विश्वविद्यालय बना रहे हैं, परिवर्तन चौक बना रहे हैं ताकि एस० सी० के लोग देखें कि हमारी मुख्य मंत्री जी एस० सी० का नाम पैदा करने के लिए क्या कर रही हैं ? मगर आप रोजी-रोटी देने के लिए भी तो काम करो । आपने बाग बनाकर उसमें बाउन्ड्री बनाकर सड़क बनाकर, ट्यूबलाइट लगाकर यह समझ लिया कि हम खुशहाल हो गये तो यह भूल है । सारा प्रदेश खुशहाल नहीं हो गया । यह आपकी सोच गलत है, उसमें परिवर्तन लावें और अगर नहीं लावेंगी तो इस तरह से आपको वह दिन देखने पड़ेंगे जो तमिलनाडु में जय ललिता को देखने पड़े हैं ।

(विपक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट)

(पक्ष की ओर से "यह दिन आपको देखने पड़ें" की आवाज)

श्री अध्यक्ष–

जब माननीय नेता विपक्ष बोलते हैं तो उसमें साधारणतयः समय सीमा नहीं रहती है । आप उनके बोलने में व्यवधान न डालें । इससे चुनौतियां होगी और त्याग पत्र का अम्बार लग जायेगा और मुझको निर्णय लेना पड़ जायेगा ।

श्री धनीराम वर्मा–

आप किसानों के प्रति अपने को संवेदनशील बताती हैं । एक महीने पहले घटना हुई, एक किसान मारा गया और कई लोग घायल हुये और दूसरे दिन आप पहुंच गयीं, आपको वहां पर जाना चाहिये था, लेकिन वहां जाने का कष्ट नहीं किया । जब हम लोगों ने वहां जाकर देखा कि किस तरह से किसान की हत्या की गयी और कई लोग घायल हो गये और जब यह मामला सदन में उठाया तब कहीं आप के कान पर जूं रेंगी और जब सदन को चलने नहीं दिया गया और अगर बजट भाषण न होता तो शायद आप हम लोगों की, इस बात को मानने के लिये तैयार न होतीं, जांच कराने के लिये तैयार न होतीं, इससे ज्यादा दुख की बात और क्या हो सकती है और आप किसानों की अपने को हमदर्द कहती हैं ।

सत्य नारायन नाम के किसान को गोली मारी गयी, उसका पोस्ट मार्टम हुआ और उसके बाद लाश नहीं दी गयी, उसको अंतिम शैय्या नहीं दी गयी, बोरी में 3 टुकड़े करके सरयू में फेंक दिया गया । आप कर क्या रही थीं ? वह केवल अपनी जमीन का मुआवजा मांग रहा था । उसको न रोजी-रोटी मिली और न मुआवजा मिला । यहां पर जी० पी० ओ० पार्क में भी धरना दिया था और उसी तरह से धरना दे रहा था, ऐसा कोई काम नहीं कर रहा था, जिससे शांति भंग होती, लेकिन बदले में उसको यह दिया गया, जहां तक महिलाओं की बात है, बबराला में क्या हुआ, महिलाओं के साथ क्या हुआ ? पिछले कई दिनों से धरना दे रहीं थीं, आप बतावें कि कौन सी जरूरत पड़ गयी कि तीन गांवों में एक हजार से ज्यादा पुलिस और पी०ए०सी० के जवान घुस गये तीन गांव में जहां पर घरों में 4 बजे सबेरे एक हजार से ज्यादा पुलिस के लोग घुस गये और अगर कोई स्त्री शौचालय के लिए गई थी तो उसे नंगाकर पीट दिया । घर में घुसकर वहां भी पीट दिया किसानों के हाथ-पैर तोड़ दिए बच्चे जो सो रहे थे उन्हें भी डंडों से पीट दिया जिससे दो बच्चे मर गये । आप किसानों की बड़ी हमदर्द बनतीं हैं आप ने किसानों का दुःख दर्द सुना होता, महिलाओं का दुःख दर्द सुना होता तो आज हम लोगों के लिए कहने के लायक कोई बात रह नहीं जाती । लेकिन आपकी इस तरह की कोई मंशा नहीं है ।

श्रीमन्, मैं अब सड़क और परिवहन पर आता हूं कल मैंने जिन विभागों की बात की उसकी चर्चा नहीं करूंगा। सड़क परिवहन के बारे में आप ने कहा है कि मैदानी क्षेत्रों में 3900 किलो मी० सड़कों का निर्माण करेंगे। लेकिन आपने इसमें जो आंकड़े दिए हैं जो आपने सार्वजनिक निर्माण के लिए परिव्यय प्रस्तुत किया है उसमें नाममात्र के लिए बजट में बढ़ोत्तरी की है। जब बजट में बढ़ोत्तरी नहीं की है तो फिर इन सड़कों का निर्माण किस तरह से हो सकता है ? मैं आंकड़ों में ज्यादा न जाकर इतना ही बताना चाहता हूं कि लोक निर्माण विभाग में आपने आयोजनागत और आयोजनेत्तर में केवल 10.2 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की है। कार्यात्मक भवन, आवासीय भवन और राज्य सम्पत्ति निदेशालय के लिए आपने कमी की है। आवासीय भवन, कार्यात्मक भवन और राज्य सम्पत्ति निदेशालय के लिए कहां-कहां कमी की है यह मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। आवासीय भवन 7.17 प्रतिशत, कार्यात्मक भवन 26.98 प्रतिशत और राज्य सम्पत्ति निदेशालय में 3 प्रतिशत की कमी की है। तो मैं कल जैसा कह रहा था यहां पर भी वही बात उठाना चाहता हूं। 10 प्रतिशत हर वर्ष महंगाई बढ़ जाती है। जब 10 प्रतिशत महंगाई बढ़ेगी तो अधिकारियों और कर्मचारियों का वेतन भी उसी हिसाब से बढ़ जाएगा और इस वर्ष नया वेतनमान केन्द्र सरकार ने स्वीकार किया है और आपने भी उसको स्वीकार किया है तथा उसके लिये कुछ व्यवस्था करेंगीं तो फिर बतायें कि 3900 कि०मी० सड़कें बनाने की बात कर रही हैं वह कहां से बनायेंगी ?

आप अंबेडकर गांवों में सड़कें बनाने जा रहे हैं और उसके लिये 22 प्रतिशत आवंटित किया है। यह सड़कें आप पी० डब्लू०डी० से बनवायेंगी और उनको पी० डब्लू०डी० की सड़कें बता देंगी। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि सड़कों की मरम्मत के लिये भी धन की आवश्यकता होती है। एक दफे सड़क बनती है साल दो साल में वह चलने लायक नहीं रह जाती है, एक बरसात में टूट जाती है। उनकी मरम्मत के लिये भी पैसा इसी बजट से लिया जायेगा तो फिर जो आप नयी सड़कें बनाने की बात कर रही हैं वह नहीं बन पायेंगी यह मैं निश्चित रूप से कह रहा हूं। एक बात और कहना चाहता हूं, मंडी परिषद् के द्वारा भी तमाम सड़कें बनवायी जाती हैं जिसमें करोड़ों रुपया व्यय होता है। लेकिन मरम्मत के लिये मंडी परिषद् में कोई प्राविधान नहीं है।

हमारे यहां 1–2 सड़कें मंडी परिषद् के जरिये से बनीं थीं। वह खराब हो गयीं मैंने मंडी सचिव से कहा कि मरम्मत करवा दीजिये तो वह कहने लगे कि हमारे यहां मरम्मत के लिये प्राविधान नहीं है। जब मरम्मत का प्राविधान वहां पर नहीं तो एक साल पहले जो पैसा उन सड़कों पर लगा है वह बेकार चला जायेगा और जनता की गाढ़ी कमायी का करोड़ों रुपया बरबाद हो जायेगा तो इस तरफ भी आप ध्यान दीजियेगा। मेरा यह सजेशन है कि मंडी परिषद् की सड़कों की मरम्मत करवायी जाय और आप जो अपने विभाग द्वारा सड़कों को बनाते हैं उन सड़कों की, मरम्मत के लिये अलग से प्राविधान किया जाय तभी यह सड़कें चलने के लायक होंगीं। आप राजमार्गों को अच्छा बना रही हैं उससे तो देश और प्रदेश की आम जनता को कोई फायदा होने वाला नही है। इन सड़कों से कुछ लोगों का ही फायदा होगा आम जनता का फायदा नहीं होगा।

अब आगे मैं समाज कल्याण के बारे में कहना चाहता हूं। खुशी की बात है कि आपने इसके बजट में बढ़ोत्तरी की है और 40 परसेंट बढ़ोत्तरी की है। इसमें शेड्यूल कास्ट के जो छात्र हैं उनकें वजीफे को दो गुना कर दिया गया है और वजीफे की राशि को भी बढ़ा दिया गया है। आप इनकी राशि दो गुनी कर दीजिये ठीक है लेकिन जो पिछड़ी जातियां हैं उनके छात्रों का वजीफा तो दो गुना कर दिया गया है लेकिन वजीफे की राशि नहीं बढ़ायी गयी है। बड़े अच्छे तरीके से पिछड़े लोगों को गुमराह भी कर दिया। घड़ियाली आंसू भी बहा दिये और कोई फायदा नहीं किया। अब मैं आपके शिक्षा विभाग की ओर मान्यवर, आपके माध्यम से ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

श्रीमन, शिक्षा विभाग की ओर जो बजट आवंटित किया है पहले उसकी बात ले लें । प्राइमरी शिक्षा के लिये 13.29 बजट की बढ़ोत्तरी की है । माध्यमिक शिक्षा के लिये 9.43 और उच्च शिक्षा के लिये 13.62 प्रतिशत और बढ़ाया । शिक्षा के लिये पहले से 6 प्रतिशत और कम बजट दिया गया है और कहते हैं कि शिक्षा में साक्षरता का प्रतिशत देश में 50 प्रतिशत है और हमारे प्रदेश में यह 42 प्रतिशत है । आप शत प्रतिशत लोगों को साक्षर करें पर इसके लिये बजट का प्रतिशत बढ़ायें । जो लोग साक्षर नहीं हैं जिनकी संख्या 50 प्रतिशत से ज्यादा है कैसे साक्षर हो पायेंगे ? आपके पास कौन सी जादुई छड़ी है जिसको घुमा देने से सब साक्षर हो जायेंगे ? जैसा मैंने कहा और जो पूर्णतया सत्य है कि 10 प्रतिशत महंगाई बढ़ेगी, वेतन बढ़ेगा आर जब 10/12 प्रतिशत बजट में बढ़ोत्तरी करेंगे तो उसमें कोई विकास कार्य नहीं हो सकते हैं । 13 प्रतिशत बजट बढ़ाया । क्या शिक्षकों का वेतन नहीं बढ़ेगा ? शिक्षकों का वेतन बढ़ेगा और सामग्री है, उसकी भी कीमत बढ़ गई है और पूरे साल में बढ़ेगी तो फिर प्राइमरी शिक्षा जहां की तहां रह जायेगी ।

माध्यमिक शिक्षा की ओर तो बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जबकि प्राइमरी शिक्षा के बाद सबसे महत्वपूर्ण माध्यमिक शिक्षा है । प्राइमरी शिक्षा के बाद बच्चे कक्षा–6 में जाते हैं और उसमें से बहुत से बच्चे अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं इसलिये कि उनके पास कपड़े नहीं होते, उनके पास खाने की व्यवस्था नहीं होती और कालेज में जो शुल्क पहले कक्षा–6 से 12 तक माफ था, हमारी सरकार ने किया था । विकास शुल्क के नाम पर आपने जो बढ़ोत्तरी कर दी है । ठीक उसी लाइन पर ला दिया है जितना पहले शिक्षण शुल्क और सब मिलाकर लगता था । विकास शुल्क के लिये आदेश जारी कर दिये । निःशुल्क शिक्षा में गरीबों के बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं । अमीरों के बच्चे तो पढ़ते हैं । उनके लिये कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं । कितना भी पैसा खर्च कर लें ? जिनको थोड़ी भी सुविधा है नर्सरी विद्यालय, कान्वेंट विद्यालय जो कक्षा–8 तक की शिक्षा देते हैं वहां चले जाते हैं जो और पैसे वाले हैं वह लखनऊ और दूसरी जगहों में कक्षा–9 और 11 में एडमिशन ले लेते हैं । लेकिन गरीबों का क्या होगा ?

गरीबों के लिये ही तो हमारे मा० मुलायम सिंह यादव जी ने कक्षा 12 तक फीस माफ की थी । निःशुल्क शिक्षा दी थी । अब उस गरीब का क्या होगा जो मजदूरी करता है ? बच्चे को पढ़ाना चाहता है लेकिन वह खाने की ही व्यवस्था नहीं कर पाता है । कपड़े कहां से आयेंगे ? आप प्रशंसा करिए हमारे नेता मा० मुलायम सिंह यादव की जिन्होंने दो सौ विद्यालयों को ग्रान्ट में लिया । तीन सौ जूनियर हाई स्कूल को ग्रान्ट एण्ड एड में लाया आपने एक भी स्कूल को नहीं दिया ? बहुत थोड़े ऐसे विद्यालय हैं जो ग्रान्ट एण्ड एड पर हैं कुछ जूनियर स्तर के हैं कुछ हाई स्कूल स्तर के हैं । 248 के लगभग विद्यालय हैं जो ग्रान्ट एण्ड एड पर नहीं लाए इनकी संयुक्त मान्यता है उन विद्यालय की अध्यापिकाओं की ।

चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की क्या दशा होगी क्या वह विद्यालय पूरा वेतन देने में सक्षम है ? मैं कहता हूं तो असत्य होता है । शोषण हो रहा है उन अध्यापकों के पास अपनी जरूरत की चीज खरीदने की, उन किताबों को खरीदने की सामर्थ्य नहीं है जिनको पढ़कर वह विद्यार्थियों को पढ़ाए । वह मजबूर है । आपने यह नहीं सोचा, शायद ज्ञान नहीं होगा जानकारी नहीं होगी कि इस तरह की समस्या पर, विद्यार्थियों के लिए यह अहम् समस्या है और जो कक्षा आठ तक गर्ल्स के जूनियर हाई स्कूल हैं, हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की थी ।

एक एकड़ जमीन दी थी और दस लाख रुपया दिया था । यह उन्हीं को आगे बढ़ाती उन स्कूलों को यदि वह हाई स्कूल थे तो इण्टरमीडिएट करवा देती, और यदि जूनियर हाई स्कूल हैं तो हाई स्कूल करवा देतीं । इसी तरह से आप कहती हैं कि महिलाओं के सम्मान की बात करती हैं । कहती हैं कि उनको आगे बढ़ाने के लिए पूरा-पूरा प्रयास कर रही हैं प्रयास किया होता तो आप बच्चों लड़कों के लिए

न सही गर्ल्स विद्यालय के लिए ग्रान्ट एण्ड एड करतीं उनको इसके अन्तर्गत ले लेतीं । अगर ऐसा करतीं तो बहुत सी शिक्षिकाओं का हित हो जाता और इसी से उनके परिवार को रोजी-रोटी मिल जाती उनके परिवार का भरण पोषण हो जाता, यह कार्य भी आपने नहीं किया । आज वित्त हीन मान्यतायें देने का कार्य शुरू नहीं किया । हाई स्कूल इण्टरमीडिएट की जो मान्यतायें होंगी वह वित्त विहीन होंगीं । आप परिचित होंगी वह लगातार चल रही है । वित्त विहीन का मतलब है एक भी पैसा कभी भी सरकार उनको देगी या नहीं ? इतना ही कर देती । पहले कक्षा 6 तक शिक्षण शुल्क माफ था वह कक्षा 6 का शुल्क रिअम्बस हुआ करता था । विद्यालयों को मिल जाता था तो कुछ पैसा सरकार से वह भी मिल जाता था जो अनुसूचित जातियों/जनजातियों की फीस बच्चों की माफ थी, लड़कियों की फीस माफ थी उससे जो पैसा मिलता था उससे काफी काम हो जाता था । अध्यापकों को कुछ पैसा ठीक से मिल जाता था । रोजी-रोटी ठीक तरह से तो नहीं लेकिन चल जाती थी । इतना ही आप करें कि रिअम्बेसमेंट कराना शुरू कर दें तो निश्चित रूप से बहुत भला होगा । मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कल भी कवरेज नहीं हुआ आज भी स्थिति वही है । कुछ ही लोग बैठे हैं अतः मेरा भाषण आगे जारी माना जाए क्योंकि इस तरह के मखौल भरे माहौल में मैं अब्र आगे अपनी बात जारी नहीं रखूंगा ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता विरोधी दल जी आपने सड़क, कृषि, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, वित्तीय प्रबन्ध, अपराध, महिलाओं के विषय में अपने विचार रख दिए हैं ।

श्री धनीराम वर्मा–

हम बोल रहे हैं कोई सुनने वाला नही है । इसलिए मेरा भाषण सोमवार को कान्टीन्यू रहेगा ।

श्री अध्यक्ष–

आप आज भी अपने विचार आगे रख सकते हैं । कम से कम कल के समय तक । मुझे वैसे कोई दिक्कत नहीं है आपने अभी 57 मिनट अपनी बात रखी आगे और भी माननीय सदस्यों को अपनी बातें इस पर रखनी हैं ।

श्री धनीराम वर्मा–

आप नियम 56 को सोमवार को स्थगित कर दें ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, यह ठीक नहीं रहेगा ।

श्री अध्यक्ष–

इस प्रश्न पर आप लोग एक मत नहीं हैं । माननीय नेता प्रतिपक्ष अपना भाषण अभी जारी रख सकते हैं क्योंकि कोरम भी पूरा है ।

श्री धनीराम वर्मा–

मेरा भाषण सोमवार को दो बजे से कान्टीन्यू चलने की व्यवस्था आप करवा दें ।

श्री अध्यक्ष–

उसके पहले सदन अपना सारा कार्य समाप्त कर लें ? चार विधेयक हैं, शून्य प्रहर है डडडा इसमें विपक्ष के माननीय सदस्यों के समय में कटौती हो जायेगी, यह मेरे सामने समस्या है । ठीक है माननीय नेता प्रतिपक्ष का भाषण जारी रहेगा ।

श्री दल बहाहदुर कोरी–

मान्यवर, नेता विरोधी दल का भाषण आज पूरा करा दिया जाये ।

श्री अध्यक्ष–

हाथ पकड़कर तो नहीं पूरा करा सकते, जब वह तैयार नहीं हैं तो कैसे होगा ? माननीय वर्मा जी सोमवार को आप कितना न्यूनतम समय लेंगे ?

श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, केवल तीन घंटे ।

श्री अध्यक्ष–

आप अगर तीन घण्टे लेंगे तो दूसरे दल के नेता कैसे बोलेंगे ?

श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, सोमवार को कान्टीन्यू रहेगा ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, सभी का आग्रह है कि आज वर्मा जी अपना भाषण जितना देर दें आज समाप्त कर दें ताकि अन्य लोगों को विचार रखने का अवसर मिल सके आज जितना समय लेना चाहें ले लें ।

श्री दल बहादुर कोरी–

मान्यवर, आज समाप्त कर दें ताकि नये माननीय सदस्यों को भी बोलने का मौका मिले ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, नेता, भारतीय जनता पार्टी भी चले गये हैं क्योंकि यह तय हो गया कि नेता प्रतिपक्ष का भाषण सोमवार को जारी रहेगा ।

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

मान्यवर, तीन घन्टे में अपने गांव की पूरी सीमा नहीं पार कर पाये तो प्रदेश की सीमा कैसे पार करेंगे यह विचारणीय विषय है ?

श्री अध्यक्ष–

अपने गांव के बारे में वही ज्यादा जान सकते हैं आप तो उनके गांव गये ही नहीं हैं तो कैसे जानेंगे ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

नेता प्रतिपक्ष का भाषण जारी रहेगा लेकिन निवेदन है कि सोमवार को एक घण्टे या आधे घणटे में समाप्त कर दें नहीं तो अन्य माननीय सदस्यों के समय में कटौती करनी पड़ेगी । मा० नेता विरोधी दल का भाषण सोमवार को जारी रहेगा ।

नोट :–[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

नियम 51 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 25-7-97 को नियम–51 के अन्तर्गत 27 सूचनायें प्राप्त हुई हैं । नियम–311 में प्राप्त दो सूचनाओं को नियम 51 में परिवर्तित कर सम्मिलित किया गया है । इस प्रकार नियम 51 में कुल 29 सूचनायें प्राप्त हुई हैं ।

इन सूचनाओं में से पहली सूचना श्री शिव प्रताप शुक्ल की–आचार्य नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । इसे वक्तव्य हेतु स्वीकार किया ।

दूसरी सूचना श्री तेजभान सिह की–जनता इण्टर कालेज बेलहरी थाना मोटियापुर जनपद सुल्तानपुर के प्रधानाचार्य की दिन दहाड़े कार्यालय में घुसकर हत्या किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । इसे केवल वक्तव्य हेतु स्वीकार किया ।

तीसरी सूचना डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की–मेरठ के महाविद्यालयों में छात्रों के प्रवेश की समस्या से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । इसे केवल वक्तव्य हेतु स्वीकार किया ।

चौथी सूचना श्री रघुवर दयाल वर्मा की–जनपद फिरोजाबाद में फतेहाबाद–आगरा मार्ग पर जमुना नदी पर शंकरपुर घाट के पैन्टून पुल के टूटने से उत्पन्न स्थिति तथा वहां पक्का पुल बनाये जाने के संबंध में है । इसे केवल वक्तव्य हेतु स्वीकार किया ।

पांचवीं सूचना श्री रूप चौधरी की–जपद मेरठ में उ० प्र०–हरियाणा सीमा विवाद को लेकर किसानों के मध्य हुए खूनी संघर्ष से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । इसे केवल वक्तव्य हेतु स्वीकार किया ।

छठी सूचा श्री दल बहादुर कोरी की–रायबरेली जनपद के सलोन विधान सभा क्षेत्र की दो न्याय पंचायतों के ग्रामों को नवसृजित रोहनियां विकास खण्ड में जोड़े जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । इस पर शासन का ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

सातवीं सूचना श्री राम सिंह सैनी, श्री अम्बरीष कुमार की–देहरादनू हावड़ा एक्सप्रेस में दिनांक 24-7-97 को हुए बम विस्फोट से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । इस पर शासन का ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

आठवीं सूचना श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया की–गाजियाबाद जनपद के थाना लिहानी, निवासी श्री मनोज कुमार शर्मा की गुमशुदगी की रिपोर्ट विलम्ब से लिखे जाने तथा श्री शर्मा को शीघ्र तलाश किये जाने के संबंध में है । इस पर शासन का ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

नवीं सूचना श्रीमती गौरी देवी की–गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कौड़ी राम विधान सभा क्षेत्र के कतिपय ग्रामों की भूमि का अर्जन प्रयास किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । इस पर शासन का ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

दसवीं सूचना श्री रंगनाथ मिश्र की–जनपद वाराणसी की सेवापुरी ब्लाक स्थित पावर स्टेशन के सुचारु रूप से कार्य न किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । इस पर शासन का ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

ग्यारहवीं सूचना श्री शब्बीर अहमद और श्री अरुण वीर सिंह की–जनपद श्रावस्ती नगर के जमुनहा विकास खण्ड अतर्गत राप्ती नदी में हुई भीषण नाव दुर्घटना से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । इस पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

बारहवीं सूचना श्री अमरमणि, श्री सुरेन्द्र नाथ और श्री अखिलेश सिंह की–जनपद महराजंगज के वन–टांगिया निवासियों को मतदाता सूची में सम्मिलित कराये जाने के संबंध में है । इस पर शासन का ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

शेष सभी सूचनाओं को मैं अस्वीकार करता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं और सोमवार, दिनांक 28 जुलाई, 1997 को 11 बजे (पूर्वाह्न) फिर बैठेंगे ।

इसके बाद सदन 8 बजकर 5 मिनट पर सोमवार, 28 जुलाई, 1997 के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।

लखनऊ :

दिनांक 25 जुलाई, 1997

प्रेम चन्द्र सक्सेना,

सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश ।

विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये अता० प्र० सं० 12 का उत्तर पीछे पृष्ठ 23 पर)

अतारांकित प्रश्न संख्या 12–का संलग्नक

शर्तें

(1) फर्म द्वारा राज्य कर्मचारियों को मिनी डिपो ..... के माध्यम से मांग के अनुसार वाहन प्रतिमास उपलब्ध कराये जायेंगे तथा समय-समय पर प्रबन्धक को मूल्यों की सूचना दी जायेगी ।

(2) इन वाहनों के क्रय पर कल्याण निगम को फर्म से रु० ..... (रु०.....) मात्र प्रति वाहन ओवर–राइडिंग कमीशन के रूप में प्राप्त होगा । यह ओवर–राइडिंग कमीशन फर्म अपने प्रिंसिपल सप्लायर से मिलने वाले लाभांश से निगम को अदा करेगी । राज्य कर्मचारी से इस मद में पैसा नहीं लिया जायगा इस प्रकार एक माह में फर्म द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले वाहनों का कमीशन उसी माह के अन्त में संबंधित डिपो को भुगतान किया जायगा ।

(3) फर्म मूल्य भुगतान की तिथि से 7 दिन के भीतर वाहनों की आपूर्ति करेगी और 7 दिन के भीतर वाहन उपलब्ध न होने की दशा में फर्म वाहनों का मूल्य स्वीकार न करेगी तथा यदि वाहन के मूल्य में वृद्धि की जाती है तो उसकी सूचना तुरन्त देनी होगी । भुगतान चेक द्वारा ही किया जायेगा ।

(4) फर्म द्वारा वाहनों की बिक्री बाद सेवा (आफ्टर सेल्स सर्विस) उसकी गारन्टी अवधि में राज्य कर्मचारियों को उपलब्ध कराई जायेगी ।

(5) वाहनों के साथ एसेसरीज, बीमा, रजिस्ट्रेशन आदि फर्म के माध्यम से कराने का कोई प्रतिबन्ध न होगा, इसके लिये राज्य कर्मचारी स्वतंत्र होगा कि वह कार्य कहीं से भी कराये ।

(6) फर्म का अपने वितरण/आपूर्ति करने वाली प्रिंसिपल सप्लायर से कोई न्यायिक विवाद होने पर फर्म स्वयं उत्तरदायी होगी । निगम का कोई दायित्व न होगा ।

(7) प्रिंसिपल सप्लायर द्वारा डीलरशिप समाप्त किये जाने की दशा में तत्काल मुख्यालय/संबंधित डिपो प्रबन्धक को सूचित करेगी तथा वाहन का मूल्य वाद समाप्ति डीलरशिप नहीं करेगी । परन्तु फर्म द्वारा स्वीकृत आर्डर्स के हर किस्म की पूरी जिम्मेदारी प्रिंसिपल सप्लायर एवं डीलर की व्यक्तिगत व संयुक्त रूप से निगम एवं राज्य कर्मचारी के प्रति होगी जिसके उल्लंघन करने पर प्रिंसिपल सप्लायर एवं डीलर व्यक्तिगत एवं संयुक्त रूप से उनका नुकसान व मुआवजा अदा करने के जिम्मेदार होंगे और निगम किसी भी प्रकार से जिम्मेदार न होगा ।

(8) उपरोक्त शर्तों एवं प्रतिबन्धों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर अनुबन्ध समाप्त कर दिया जायेगा ।

(9) यह अनुबन्ध केवल एक वित्तीय वर्ष के लिये वैध होगा इसके पश्चात् फर्म को नवीनीकरण कराना अनिवार्य होगा । नवीनीकरण प्रतिवर्ष माह मार्च में किया जायेगा । नवीनीकरण न होने की दशा में कोई क्लेम न होगा । रजिस्ट्रेशन शुल्क वापस नहीं की जायेगी तथा नवीनीकरण के समय पुनः धनराशि जमा करनी होगी ।

(10) नवीनीकरण करते समय उपरोक्त शर्तों में आवश्यक संशोधन करने के अधिकार निगम के पास सुरक्षित रहेंगे ।

नत्थी 'ख'

(देखिये अता० प्र० सं० 22 का उत्तर पीछे पृष्ठ 26 पर)

क्र०सं०	मार्ग का नाम	स्वीकृति का माह/वर्ष
	मोटर मार्ग	
1	खिर्स–मसागली–दमदेवल मोटर मार्ग	3/95
2	पथरीडाखाल–गेंठीछेडा मोटर मार्ग	5/91
3	सबद्धरखाल–रनाकोट मोटर मार्ग	8/93
4	चैलसैंण–सिगताली मोटर मार्ग	1/75
5	रामनगर–लालढांग–कालागढ़–कोटद्वार मार्ग	4/83
6	दुगड्डा रखाढाब–हल्दखाल–नैनीडांडा मार्ग	1/75/10/92
7	नैनीडांडा–शंकरपुर मोटर मार्ग	3/80/1/90
8	पोखाल–भवासी मोटर मार्ग	12/83
9	सराई खेत–उजरैखाल मोटर मार्ग	3/86
10	बेदीखाल–भरोलीखाल मोटर मार्ग	3/88, 3/97
11	सतपुली–सिसल्डो का शेष भाग	10/89
12	ढोटियाल चपडेत बसडा मोटर मार्ग	3/91
13	खाल्यूडाडा–भौनअपोलोसेरा मार्ग	3/94
14	नाथखाल–सिमलाना मोटर मार्ग	3/94
15	बैजरी–जोगोमढी–कटपतिया सुराई खेत	3/94
16	कोडिया–किमसार मोटर मार्ग	5/94
17	नैनीडांडा–शंकरपुर मोटर मार्ग	3/96
18	धमाकोट पीपली मोटर मार्ग	3/96
19	बैजरा–चौखाल–उपरैखाल–यूंगीधार–वछुआवार	2/74
20	रिखणीखाल–बारौखाल–केढारगली–जोगीमढी–ढोंड़–थैलीसैंण मोटर मार्ग	8/76
21	कोटद्वारा–रामनगर मोटर मार्ग	3/81
22	रिखड़ीखाल–छानीखाल मोटर मार्ग (किमी० 7-12)	2/83
23	काण्णांखेत–सैंधार मोटर मार्ग	3/94
24	खिमाखेत–किल्वोखाल–खाल्यडांडा मार्ग	3/94
25	खाल्यडांडा–भौन–अपोलोसरा मोटर मार्ग	3/96
26	पैढाणी–चाकीसैंण–त्रिपालीसैंण देघाट मार्ग	2/74
27	पुलिण्डा–काण्डाखाल मोटर मार्ग	4/82
28	तोपखाल तकलसारी ललितपुर मोटर मार्ग	3/94

विधान सभा

क्र०सं०	मार्ग का नाम	स्वीकृति का माह/वर्ष
29	सोंपखाल–तकुलसारी–ललितपुर दिवोली (15-19)	3/96
30	कोडिया–किमसार मोटर मार्ग	3/96
31	कर्णाप्रम–पोखाल मोटर मार्ग	3/81
32	दुनाव कोटा महादेव मोटर मार्ग	3/71
33	नालीखाल–बन्चुरी–बुधोली मोटर मार्ग	3/95

हल्का वाहन मार्ग

1	एकेश्वर लिंक मार्ग	11/84
2	पथराडाखाल–गेंठीछेडा–दोदल–उमरास मार्ग	3/91
3	कठली–श्रीकोट–खण्डाह हल्का वाहन मार्ग	3/96
4	जाखबोखाल–काण्डी किनसर मार्ग (किमी० 5-6)	3/91
5	रिमालपानी–ग्वील हल्का वाहन मार्ग	1/94
6	कण्डलसेरा–द्वारी मार्ग पुल सहित	10/89/7/9६
7	दुधररखाल–धारकोट के बीच का भाग (4-26)	10/89
8	रिखडी खाल–छानीखाल–अन्द्रोली मार्ग (किमी० 13-18)	1/84
9	कुंजखाल ह० वा० मार्ग	2/96
10	पिपला–टेका मो मार्ग का विस्तार	3/96
11	साकिनखेत से झरखंडी होकर कल्जीखाल ह० वा० मार्ग	3/95
12	कोला सम्पर्क मार्ग का शेष भाग	3/95
13	नलई सम्पर्क मार्ग का निर्माण	12/95
14	समे सम्पर्क मार्ग का विस्तार	3/96
15	चिपलघाट–नौठा मार्ग (किमी० 1 से 4)	3/95
16	सुंगरखाल–नौगावखाल गहड़ मार्ग	3/96
17	चिपलघाट–नौठा मार्ग (किमी० 5-6.5)	3/96
18	डांग पैठाणा मार्ग	3/96
19	खेडाखाल–नवास ह० वा० मार्ग	3/96
20	सल्डा सम्पर्क मार्ग	3/96
21	थापली सम्पर्क मार्ग	3/97
22	कठूड सम्पर्क मार्ग	3/97
23	किनगोड़ीधार–स्यालखाल साझड ह० वा० मार्ग	3/97
24	अनेथ–नांनस–केवर्स–थारकोट होते हुए मिलेथ ह० वा० मार्ग	3/97
25	रिखोली सम्पर्क मार्ग	3/97

क्र०सं०	मार्ग का नाम	स्वीकृति का माह/वर्ष
26	नौडी सम्पर्क मार्ग	3/97
27	पालीगूंठ सम्पर्क मार्ग	3/97
28	पावौ–दवदेवल मोटर मार्ग का विस्तार (किमी० 12-13)	3/97
29	फुरखण्डाखाल–शुक्र जीप मार्ग	3/97
30	जाखड़ीधार से न्यासघाट मार्ग (किमी० 7, 8)	3/95
31	ओडगांव/सम्पर्क मार्ग का शेष भाग	3/95
32	सतपुली–दूधरखाल मार्ग से सन्धार–लवाण बड़कोलो नाडकेश्वर	3/95
33	चोबट्टाखाल पोखडा मार्ग के किमी० 6 से भरतपुरउन्दाई मालकोट मार्ग	3/95
34	नापरिखाल बन्चूरी हल्का वाहन मार्ग को मोटर मार्ग में बदलना	3/96
35	रामगांव सम्पर्क मार्ग	3/97
36	किलीबडी सम्पर्क मार्ग	3/97
37	चमाडा सम्पर्क मार्ग	3/97
38	जाखणीधार ब्यासघाट मार्ग का विस्तार	3/97
39	भाबण्ड सम्पर्क मार्ग	3/97

विधान परिषद उत्तराखण्ड

नत्थी 'ग'

(देखिये अता० प्र० सं० 30 का उत्तर पीछे पृष्ठ 29 पर)

संलग्न विवरण

1–सेन्टर फार डेवलपमेण्ट स्टडीज उ० प्र० प्रशासनिक कला अकादंमी, नैनीताल

2–बिरला इन्सटीट्यूट आफ एप्लाइड साइंसेज भीमताल, नैनीताल ।

3–सीतापुर नेत्र चिकित्सालय ट्रस्ट, सीतापुर ।

4–वाडिया हिमालयन भू विज्ञान संस्थान एवं सथिस्निक परिवार संकाय तथा उत्तराखण्ड भूतपूर्व सैनिक संगठन, देहरादून ।

5–पं० गोविन्द बल्लभ पन्त ग्राम्य विकास अध्ययन संस्थान, लखनऊ ।

6–हयात रत्न उद्यान सेवा संस्थान, नवाबी रोड, नैनीताल ।

7–सोसायटी फार इन्टरमटी एण्ड एफिक्रेसयन डेवलपमेण्ट एण्ड एवेयरनेस, नन्हीं दुनिया स्कूल, मार्ग विकास नगर, देहरादून ।

8–सोसायटी फार हिमालयन इन्टीग्रेटेड डेवलमेंट, हरियाली भवन, बिनोबापुरी, चन्द्रपुरी चमोली ।

9–सोसायटी फार हिमालयन एग्रीकल्चर एण्ड रुरल डेवलपमेण्ट, चमोली ।

10–पीपुल्स साइंस इंस्टीट्यूट रिसर्च हेड क्वार्टर, बसन्त बिहार, देहरादून ।

11–गोल्फ क्लब रानीखेत, जिला अल्मोड़ा ।

12–वोट हाउस क्लब, नैनीताल ।

13–सांस्कृतिक कला केन्द्र महाविद्यालय, हल्द्वानी ।

14–स्वर संगम, 81–हीरा नगर, हल्द्वानी, नैनीताल ।

15–गिरिजा संस्कृति सोपान, गोपेश्वर, चमोली ।

16–उत्तरांचल संगीत विद्यालय, 12 विकास नगर, मार्ग पौड़ी ।

17–राना (थारू) कृषक कल्याण समिति नवगढ़ी, खटीमा, उधमसिंह नगर ।

18–गोपाल एण्ड पार्टी ग्राम सिराइ पो० चितई अल्मोड़ा ।

19–उत्तराखण्ड आर्टिस्ट एसोसिएशन देवकी निवास, धारानौला, अल्मोड़ा ।

20–उत्तराखण्ड शोध संस्थान, नैनीताल ।

21–शारदा संघ, नैनीताल ।

22–कुमाऊंनी विकास सांस्कृतिक संस्था, सुभाषनगर, भाटिया पड़ाव, हल्द्वानी ।

23–युगमंच इंतखाब गाड़ी पड़ावी मल्लीताल, नैनीताल ।

24–कुमायूं संस्कृति परिषद् वैंष्णव कुंज, तल्लाताल, नैनीताल ।

25–हिमालयन ग्राम विकास समिति गंगोलीहाट, पिथौरागढ़ ।

26–थात कलादर्पण साह मार्केट, पिथौरागढ़ ।

27–महाकवि कालीदास जन्म स्मारक समिति, ग्राम कबिल्ठा, चमोली ।

28–पर्वतीय सांस्कृतिक परिषद्, विजय कालोनी, देहादून ।

29–शैलनटद्वारा डा० पी० नौटियाल, पो० बा०–96, श्रीनगर, गढ़वाल ।

30–पातीराम नौटियाल, सांस्कृतिक सेवा समिति, ग्राम व पो० साल्ड, उत्तरकाशी ।

31–उत्तरांचल लोक कला एवं साहित्य संरक्षण समिति, चितई, अल्मोड़ा ।

32–मुनाल कम्युनिकेशन, मसूरी, देहरादून ।

33–लोक सेवा संस्थान, विकासनगर, लखनऊ ।

34–सर्वेण्ट आफ इण्डिया सोसायटी, बाजमुर, उधमसिंहनगर ।

35–भोटिया जनजाति सेवा समिति, गूलरभोज, उधमसिंहनगर ।

36–उत्तरांचल भोटिया जनजाति कल्याण शिक्षा समिति बलुवाकोट, पिथौरागढ़ ।

37–इन्दिरा राष्ट्रीय चेतना एवं समाजोत्थान संस्थान, रायवाला, देहरादून ।

38–राना (थारू कृषक कल्याण समिति) खटीमा, उधमसिंहनगर ।

39–आदर्श बाल विद्या मन्दिर समिति सिंहधार, जोशीमठ, चमोली ।

40–तामता हस्तशिल्प औद्योगिक सहकारी समिति, बागेश्वर, अल्मोड़ा ।

41–महिला विकास संगठन, 54–डी० ए० वी० कालेज रोड, देहरादून ।

42–सिद्ध मंसूरी, टिहरी गढ़वाल ।

43–ग्रामोपयोगी, विज्ञान प्रोद्योगिकी विकास केन्द्र विजयसदन, पुराने स्टेट बैंक के पीछे, उत्तरकाशी ।

44–पर्वतीय उत्थान एवं जनकल्याण शिक्षण संस्थान, कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल ।

45–स्वाती ग्रामोद्योग संस्था, देवतोला, पिथौरागढ़ ।

46–हयात रत्न उद्योग सेवा संस्थान, नवाबी रोड, निकट डी० पी० स्कूल, हल्द्वानी, नैनीताल ।

47–वाल्टर व्हीलर सेवा समिति पौधार जनपद अल्मोड़ा ।

48–गोमती प्रयाग जन कल्याण परिषद्, मकुण्डा,दुगल्वाली, चमोली ।

49–कुसुम ग्रामोद्योग संस्थान ग्राम संता मल्ला, गढ़कोट, पिथौरागढ़ ।

50–पर्वतीय महिला विकास समिति, मल्लीताल, नैनीताल ।

51–कुमायूं सेवा संस्थान, बागेश्वर, अल्मोड़ा ।

52–महिला ग्रामीण उत्थान समिति, पिथौरागढ़ ।

53–उ० प्र० सेवा समिति लखनऊ शाखा द्वाराहाट, अल्मोड़ा ।

54–पर्वतीय उत्थान एवं जन कल्याण शिक्षण संस्थान, कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल ।

55–उत्तरांचल महिला संस्थान गौड़ सदन, उत्तरकाशी ।

56–महिला ग्रामीण उत्थान समिति, पिथौरागढ़ ।

57–प्रेमा पब्लिक स्कूल समिति, पिथौरागढ़ शाखा, अल्मोड़ा ।

58–ग्राम्य महिला कल्याण संस्थान विग नं०–24/1 प्रेमनगर, देहरादून ।

59–हिमालय विकास संस्थान, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल ।

60–ईरा, पिथौरागढ़ ।

61–रंवाई जौनसार बाल महिला उत्थान संस्थान, उत्तरकाशी ।

62–पेन हिमालयन ग्राम स्टस डेवलपमेंट फाउन्डेशन रानीखेत, अल्मोड़ा ।

63–स्वारा राम उद्यान सेवा संस्थान, नवाबीरोड, हल्द्वानी, नैनीताल ।

64–खादी ग्रामोद्योग संस्थान, पिथौरागढ़ ।

65–ग्रामोद्योग विज्ञान प्रोद्योगिकी, उत्तरकाशी ।

सत्यमेव जयते

पी० एस० यू० पी०–एल० 289 विधान सभा (657)–813–1997 (डी० टी० पी०) ।